

ISSN : 2249-5118

# नव्या

शोध पत्रिका

अंक : पन्द्रह

जुलाई, 2017

सम्पादक :

डॉ० मुक्तिनाथ झा

यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत पत्रिका

63531

नव्या सलाहकार मण्डल  
प्रो. ए.एल. श्रीवास्तव (अध्यक्ष)

प्रो. धर्मशीला प्रसाद (पटना)	प्रो. जयकान्त तिवारी (बी.एच.यू.)
प्रो. रीता रे (उड़ीसा)	प्रो. सुरेश प्रसाद (बोध गया)
प्रो. के.पी. सिंह (जोधपुर)	प्रो. ए.के. श्रीवास्तव (लखनऊ)
प्रो. नन्दलाल	प्रो. प्रमोद कुमार सिन्हा (भागलपुर)
प्रो. आनन्द कुमार	प्रो. विमला शुक्ल (पटना)
प्रो. ए.आर.एन. श्रीवास्तव (इलाहाबाद)	प्रो. रवि प्रकाश पाण्डेय
प्रो. विनोद श्रीवास्तव (गोरखपुर)	प्रो. बी.बी. मलिक (लखनऊ)
प्रो. महेश विक्रम सिंह	डॉ. अनिल कुमार सिंह (गाजीपुर)
प्रो. श्रद्धानन्द	डॉ० अनुराग चौबे

प्रबन्ध सम्पादक  
डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव

उप-सम्पादक  
डॉ. अरविन्द कुमार सिंह  
श्री सुधीर कुमार

इस पत्रिका के सभी पद अवैतनिक तथा अस्थायी हैं  
पत्रिका का स्वामित्व प्रबन्ध सम्पादक के नाम है

प्रकाशक

**नोट-** पत्रिका में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

1. PRINCIPLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION	Dr. Chandra Shekhar Singh	1-5
2. PROBLEM OF SMALL SCALE INDUSTRIES IN INDIA	Dr. Santosh K. Mishra	6-10
3. IMPORTANCE OF LIFE INSURANCE IN MEETING OUT FINANCIAL NEEDS AND SECURITY	Dr. Tarkeshwar Pandey	11-19
4. INDIA'S EDUCATION SYSTEM AND PRESENT SCENERIO	Dr. Poonam Chaturvedi	20-29
5. उद्यमशील महिलाएँ एवं भूमण्डलीकरण: भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक विश्लेषण	MkK l nhl fxfj ofrZdk ; kno	30&39
6. कृषि बाल श्रमिकों की शिक्षा दशा और दिशा	Jherh cfcrk ; kno	40&44
7. भारत में समाज कार्य के क्षेत्र में कैरियर की सम्भावनायें	MkK cdkh/kj i k.Ms MkK fufe"kk xtrk	45&53
8. हिन्दू समाज में स्त्रियों के लिए परदा अथवा अवगुंठन	MkK , drk fl g	54&57
9. युवाओं में राजनैतिक गतिशीलता एवं विकास की प्रक्रिया के प्रति उभरती अभिवृत्ति	MWjkeizdk'k fl g ; kno	58&66
10. हिन्दी पत्रकारिता:स्वतंत्रता आन्दोलन और समकालीन निहितार्थ	eksudk tk; l oky	67&70
11. नगर की सफाई	MkK enu xdky fl lgk	71&76
12. प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रीधन	MkK l t; dckj fl g	77&79
13. बौद्ध धर्म शिक्षा की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता	jk/kk jkuh fl g	80&86
14. कुपोषण के बढ़ते प्रभाव पर एक अध्ययन	l t; k JhokLro jkt; Jh fl g	87&97
15. मत्स्य पुराण में वर्णित नगर व्यवस्था	MkK vjfoln dtkokgk	98&103
16. गांधी और आज का भारत	MWJherh/l lsh dckjh	104&111
17. किशोरवय के छात्र-छात्राओं में व्यक्तित्व का विकास : कक्षा शिक्षा के माध्यम द्वारा	MkK l qkk feJk	112&115
18. महापंडित राहुल सांकृत्यायन की राजनीतिक एवं साहित्यिक यात्रा	MkK Vh-, u- fl g	116&121
19. महापंडित राहुल सांकृत्यायन की राजनीतिक एवं साहित्यिक यात्रा	MkK Vh-, u- fl g	116&121

20. CHILD SEXUAL ABUSE IN INDIA : A SOCIO-LEGAL APPROACH	Arun Kumar Singh	122-131
21. भारतीय जनतन्त्र और सुशासन का स्वरूप	MN gfj ukjk; .k fl g	132&138
22. PROMOTING HOLISTIC TOURISM IN HARIDWAR AND RSHIKESH	Abhishek K. Maurya Mandeep Bharti	139-157
23. बैथम के इरादे (Intention) संबंधी विचार एक अपराधशास्त्रीय अध्ययन	MkK I kE; k ; kno	158&171
24. भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सुशासन की समस्या एवं समाधान : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण	MW i# "Mke yky fot ;	172&179
25. A STUDY OF CUSTOMERS' SATISFACTION ON BANKING SERVICES OF SBI AND ICICI BANK	Dr. Reeta	180-185
26. TOURISM AND INDIAN SOCIETY : A SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS	Dr. Bharti Rastogi	186-195
27. HUMAN RIGHTS : STATUS OF WOMEN IN INDIA	Dr. Parantap Kr. Das Arun Kumar Singh	196-221
28. अथर्ववेद में भौतिक (विज्ञान) सम्बन्धी तत्त्व	fn0; k 'kPyk	222-225
29. भारतीय ग्रामीण रूपान्तरण में जनसंचार की भूमिका	euH'k dEjk i k.Ms	226-230
30. अन्तर सांस्कृतिक संचार एवं समसामयिक भारतीय समाज	MkK I qhy dEjk feJ	231-236
31. EFFECT OF SIMILARITY AND DISSIMILARITY OF SPOUSES ON REJECTION AND WARMTH FACTORS OF PERCEIVED PARENTAL REARING STYLES ON LIFE SATISFACTION	Rashmi Rani	237-244
32. बुद्धत्व : एक समीक्षा (धम्मपद के विशेष सन्दर्भ में)	MkK vujlx 'kPy	245-250
33. नगर उँटारी-बंशीधर मन्दिर का एक ऐतिहासिक परिचय	MWT; kR jkuh tk; I oky	251-255
34. साहित्य का पुनरावलोकन	माया देवी डॉ. संध्या श्रीवास्तव	256-266
35. अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों की सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ : एक समाजवैज्ञानिक अध्ययन	डॉ0 सुरेन्द्र कुमार	267-274



## PRINCIPLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND EDUCATION

Dr. Chandra Shekhar Singh\*

### **Abstract:**

Education is an essential tool for achieving sustainability. People around the world recognize that current economic sustainability. Sustainable development has three components: Environment, Society, and Economy. If you consider the three to be overlapping circles of the same size, the area of overlap in the centre is human well-being. As the environment, society, and economy become more aligned, the area of overlap increases, and so does human well-being. Beyond that. There is little agreement. People argue about the meaning of sustainable development and whether or not it is attainable. They have different visions of what sustainable societies will look like and how they will function. These same people wonder why educators have not moved more quickly to develop education for sustainability programs. The lack of agreement and definition has stymied efforts to move education for sustainable development forward.

In the toolkit, we use three terms synonymously and interchangeably: Education for sustainable development, education for sustainability, and sustainability education. We use education for sustainability most often, because it is the terminology used frequently at the international level and within UN documents. Locally or nationally, the education for sustainability effort may be named or described in many ways because of language and cultural differences. As with all work related to sustainable development, the name and the content must be locally relevant and culturally appropriate.

An important distinction is the difference between education about sustainable development and education for sustainable development. The first is an awareness lesson or theoretical discussion. The second is the use of education as a tool to

---

\* Assistant Professor, Department of Social Work, Mahatma Gandhi KashiVidyapith, Varanasi.

achieve sustainability. In our opinion, more than a theoretical discussion is needed at this critical juncture in time. While some people argue that it indicates indoctrination, we think it indicates a purpose. All education serves a purpose or society would not invest in it. Driver education, for example, seeks to make our roads safer for travellers. Fire-safety education seeks to prevent fires and tragic loss of lives and property. Education for sustainability promises to make the world more liveable for this and future generations. Of course, a few will abuse or distort Education for Sustainability and turn it into indoctrination. This would be antithetical to the nature of Education for Sustainability, which, in fact, calls for giving people knowledge and skills for lifelong learning to help them find new solutions to their environmental, economic, and social issues.

#### **History of Sustainable Development and Education:**

I know the sustainable development was first endorsed at the UN General Assembly in 1987, the parallel concept of education to support sustainable development has also been explored. From 1987 to 1992, the concept of sustainable development matured as committees discussed, negotiated, and wrote the 40 chapters of agenda 21. Initial thoughts concerning Education for Sustainable Development were captured in the Agenda, "Promoting Education, Public Awareness, and Training."

Unlike most education movements, Education for Sustainable Development was initiated by people outside of the education community. In fact, one major push for Education for Sustainable Development came from international political and economic forums United Nations, Organization for Economic Co-operation and Development, Organization of American States. As the concept of sustainable development was discussed and formulated, it became apparent that education is key to sustainability. In many countries, Education for Sustainable Development is still being shaped by those outside the education community, The concepts and content of Education for Sustainable Development in these cases are developed by ministries, such as those of environment and health, and then given to educators to deliver, Conceptual development independent of educator input is a problem recognized by international bodies as well as educators.

**Sustainable Development:**

Sustainable development is a difficult concept to define; it is also continually evolving, which makes it doubly difficult to define. For example, a healthy prosperous society relies on a healthy environment to provide food and resources, safe drinking water, and clean air for its citizens, The sustainability paradigm rejects the contention that casualties in the environmental and social realms are inevitable and acceptable consequences of economic development, Thus, the authors consider sustainability to be a paradigm for thinking about a future in which environmental, societal, and economic considerations are balanced in the pursuit of development and improved quality of life.

**Principles of Sustainable Development:**

Many governments and individuals have pondered what sustainable development means beyond a simple one-sentence definition. The Rio Declaration on Environment and Development fleshes out the definition by listing 18 principles of sustainability.

- People are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.
- Development today must not undermine the development and environment needs of present and future generations.
- Nations have the sovereign right to exploit their own resources, but without causing environmental damage beyond their borders.
- Nations shall develop international laws to provide compensation for damage that activities under their control cause to areas beyond their borders.
- Nations shall use the precautionary approach to protect the environment. Where there are threats of serious or irreversible damage, scientific uncertainty shall not be used to postpone cost-effective measures to prevent environment degradation.
- In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process, and cannot be considered in isolation from it. Eradicating poverty and reducing disparities in living standards in different parts of the world are essential to achieve sustainable development and meet the needs of the majority of people,

- Nations shall cooperate to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.
- Nations should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption, and promote appropriate demographic policies.
- Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens. Nationals shall facilitate and encourage public awareness and participation by making environmental information widely available.
- Nations shall enact effective environmental laws, and develop national law regarding liability for the victims of pollution and other environmental damage. Where they have authority, nations shall assess the environmental impact of proposed activities that are likely to have a significant adverse impact.
- Nations should cooperate to promote an open international economic system that will lead to economic growth and sustainable development in all countries. Environmental policies should not be used as an unjustifiable means of restriction international trade.
- The polluter should, in principle, bear the cost of pollution.
- Nations shall warn not another of natural disasters or activities that may have harmful Tran's boundary impacts.
- Sustainable development in education requires better scientific understanding of the problems. Nations should share knowledge and innovative technologies to achieve the hole of sustainability.
- The full participation of women is essential to achieve sustainable development. The creativity, ideals and courage of youth and the knowledge of indigenous people are needed too. Nations should recognize and support the identity, culture and interests of indigenous people.
- Warfare is inherently destructive of sustainable development, and Nations shall respect international laws protecting the



environment in times of armed conflict, and shall cooperate in their further establishment...

- Peace, development and environmental protection are interdependent and individual

**Conclusion:**

Sustainable Development at Education is an eclectic concept, as a wide array of views fall under its umbrella. The concept has included notions of weak sustainability, strong sustainability and deep ecology. Different conceptions also reveal a strong tension between egocentrism and anthropocentrism in education sector. Many definitions and images (Visualizing Sustainability) of education development coexist. Broadly defined, the eclectic mantra enjoins current generations to take a systems approach to growth and development and to manage natural, produced, and social capital for the welfare of their own and future generations.

**References:**

1. Bose, SatyendraNath, 1964 The Problem of Education in Bengal and Asutosh, in Chatterjee, Santimayct al (edited). 1994.
2. S N Bose The Man and His Work, Part II. Life, Lectures and Addresses, Miscellaneous Pieces. S N Bose National Centre for Base ScienceCalcutta, India,.
3. Chatterjee, Arkadev, 2004. Two Roots and Little Else The Telegraph, Ananda Bazar Patrika Private Limited, Kolkata, India.
4. Ehrcoberg, Ronald G. 2002 Tuition Rising Why College Cost So Much Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts PSA.
5. Ghatak U R (Chairmanm Publication sub-committee). S. C. Mukherjee, A. K. Chaudhuri, S. B. Banerjee, S. N. Bhattacharya. S. P. Ghose and M. N. Bagchi( Secretary) July 1976.



## PROBLEM OF SMALL SCALE INDUSTRIES IN INDIA

Dr. Santosh Kumar Mishra\*

### **Abstract:**

Now-a-days country is suffering fever in the context of industrial sickness that's why India is facing so many problems of unemployment in a big way to make the situation worse there is paucity of capital resources and employed can not start their own industries. Small scale enterprise according to definition given by the government is an undertaking with a fixed capital investment in plant and machinery not more than Rs.10 lac irrespective of the number of the person employed. These are generally divided in two main types Small scale enterprise and cottage industries.

**Keywords:** Exclusive, Enterprise, Concentration, Production Planning.

### **Introduction:**

Actually Small scale industries do not enjoy much of advantage enjoyed by large scale enterprise because of their nature and size. Though they have made significant contribution to economic development they have not realized their full potential. They face many problems in their functioning and many small scale industries are sick. The government had reserved certain items for exclusive production by small scale industries. Large scale enterprises were not allowed to produce the items which reserved for SSI section problem faced by small scale industries.

### **Problems of small scale Industries:**

**Poor capacity utilization:** In many of the Small Scale Industries, the capacity utilization is not even 50% of the installed capacity. Nearly half of the machinery remains idle. Capital is unnecessarily locked up and idle machinery also occupies space and needs to be serviced resulting in increased costs.

**Incompetent management:** Many Small Scale Industries are run in an incompetent manner by poorly qualified entrepreneurs

---

\* Assistant Professor, Career Convent Girls Degree College, Vikas Nagar, Lko. India.

without much skill or experience. Very little thought has gone into matters such as demand, production level and techniques, financial availability, plant location, future prospects etc. According to one official study, the major reason for SSI sickness is deficiency in project Management i.e., inexperience of promoters in the basic processes of production, cash flow etc

**Inadequate Finance:** Many Small Scale Industries face the problem of scarcity of funds. They are not able to access the domestic capital market to raise resources. They are also not able to tap foreign markets by issuing ADR's (American Depository Receipts) GDR's (Global Depository Receipts) etc because of their small capital base. Banks and financial institutions require various procedures and formalities to be completed. Even after a long delay, the funds allocated are inadequate. Bank credit to the small scale sector as a percentage of total credit has been declining. It fell from 16% in 1999 to 12.5% in 2002. Small Scale Industries are not able to get funds immediately for their needs. They have to depend on private money lenders who charge high interest. Finance, as a whole, both long and short term, accounts for as large as 43% of the sector's sickness.

**Raw material shortages:** Raw materials are not available at the required quantity and quality. Since demand for raw materials is more than the supply, the prices of raw materials are quite high which pushes up the cost. Scarcity of raw materials results in idle capacity, low production, inability to meet demand and loss of customers.

**Lack of marketing support:** Small Scale Industries lack market knowledge with regard to competitors, consumer preferences, market trends. Since their production volume is small and cannot meet demand for large quantities their market is very restricted. Now with the process of liberalization and globalization they are facing competition from local industries as well as foreign competitors who sell better quality products at lower prices. For e.g. heavily subsidized but better quality imports from China has made most of the Indian SSI units producing toys, electronic goods, machine tools, chemicals, locks and paper etc., unviable.

**Problem of working capital:** Many Small Scale Industries face the problem of inadequate working capital. Due to lack of market knowledge their production exceeds demand, and capital gets locked in unsold stock. They do not have enough funds to meet operational expenses and run the business.

**Problems in Export:** They lack knowledge about the export procedures, demand patterns, product preferences, international currency rates and foreign buyer behavior. Small Scale Industries are not able to penetrate foreign markets because of their poor quality and lack of cost competitiveness. In countries like Taiwan, Japan etc. products produced by Small Scale Industries are exported to many foreign countries. But in India not much thought and focus has gone into improving the export competitiveness of Small Scale Industries.

**Lack of technology up-gradation:** Many Small Scale Industries still use primitive, outdated technology leading to poor quality and low productivity. They do not have adequate funds, skills or resources to engage in research and development to develop new technologies. Acquiring technology from other firms is costly. Therefore Small Scale Industries are left with no choice but to continue with their old techniques.

**Multiplicity of labor laws:** One of the merits of Small Scale Industries are that they are labor intensive and can provide employment to a large number of people. But the multiplicity of labor laws, need to maintain several records (PF, ESI, Muster Rolls etc), fines and penalties for minor violations etc place Small Scale Industries at a great disadvantage.

**Inability to meet environmental standards:** The government lays down strict environmental standards and Courts have ordered closure of polluting industries. Small Scale Industries which are already facing shortage of funds to carry out their business are not able to spend huge sums on erecting chimneys, setting up effluent treatment plants etc.

**Delayed payments:** Small Scale Industries buy raw materials on cash but due to the intense competition have to sell their products on credit. Buying on cash and selling on credit itself places a great strain on finances. The greater problem is payments are delayed, sometimes even by 6 months to one year. It is not only

the private sector but even government departments are equally guilty. Delayed payments severely impact the survival of many Small Scale Industries.

**Poor industrial relations:** Many Small Scale Industries are not able to match the pay and benefits offered by large enterprises, because their revenues and profitability are low and also uncertain. This leads to labor problems. Employees fight for higher wages and benefits which the SSI is not able to provide. This may lead to strikes, resulting in damage to property in case of violence by employees, production losses etc.

**Strain on government finances:** Marketing of products manufactured by Small Scale Industries is a problem area. The government has to provide high subsidies to promote sales of products produced by Khadi and Village Industries. This places a great strain on government finances.

" Concentration of industrial units: There is high concentration of small scale industrial units in a few states. Of the estimated 3.37 million units as on 2000-01, nearly 60% were located in six states. West Bengal, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh alone account for 20% of Small Scale Industries. Due to concentration, there is high competition among them to procure raw materials and other industrial inputs. This leads to high costs and scarcity of raw materials and other inputs affecting their production and increasing costs.

" conclusion One of the objectives of the government in promoting Small Scale Industries was to increase industrial development and employment opportunities throughout the country. Since nearly 60% of the Small Scale Industries are concentrated in few states, the objective of balanced regional development and promotion of backward areas has not been achieved. Further majority of Small Scale Industries are located in urban areas and the aim of industrial development in rural areas has also been defeated.

**References:**

1. Charantimath Poornima (2006), Entrepreneur Development Small Business Enterprise. Darling Kindersley (India) Pvt. Ltd, New Delhi.
2. Report of the Working Group on Science & Technology for

- Small & Medium Scale Enterprises (SMEs) for the eleventh five year plan (2007-2012), Report of the Study Group on Development of Small Scale Enterprises, Planning Commission (2001), Government of India, New Delhi March.
3. SIDBI report on small-scale industries sector (1999). Lucknow, India: Small Industries Development Bank of India.
  4. 'A Study Of The Problems of Sick Small Scale Industries in Uttar Pradesh and Suggested Strategies for their Revival', Lucknow, University of Lucknow.
  5. Ministry of Small Scale Industries, Government of India (2006), 'Guidelines of the Small Industries Cluster Development Programme (SICDP)' New Delhi,
  6. Narayana, M.R. (2004), Determinants of Competitiveness of Small-Scale Industries in India, Volume 8, Bangalore, Institute for Social and Economic Change.
  7. Report of the Study Group on Development of Small Scale Enterprises, Planning Commission (2001), Government of India, New Delhi March.
  8. SIDBI report on small-scale industries sector (1999). Lucknow, India: Small Industries Development Bank of India.



## **IMPORTANCE OF LIFE INSURANCE IN MEETING OUT FINANCIAL NEEDS AND SECURITY**

**Dr. Tarkeshwar Pandey\***

### **Abstract:**

The journey of human life, from womb to tomb is full of woes, worries and needs. Man is endowed with highly intellectual ability and he makes persistent efforts for the betterment and advancement of his. life, which gives him the highest happiness and comfort, also benefiting in that process all those who depend on him for economic security.

**Keywords :** ULIPs, FPI, Integrity, IRDA, LIC.

### **Introduction:**

Needs and securities in current scenario with challenges and emerging trends are changed. American psychologist Abraham Maslow's theory of hierarchy of needs has calibrated these human needs into five stages,

- 1) Physiological Needs,
- 2) Safety/Security Needs,
- 3) Social Needs,
- 4) Ego Needs and
- 5) Self Actualization/Self Fulfillment needs.

In the present socioeconomic scenario, the human needs can be restructured in a FEP module i.e. on Financial, Emotional and Philosophical aspects, and here we will throw light on these three with reference to insurance.

### **Financial Aspect:**

Finance plays a crucial role in a human life. Every human being exerts himself to acquire financial power, using his muscle power and intellectual power; so that he can have that money power. The financial needs can be split into four S's,

- i) Swapping
- ii) Saving
- iii) Stocking and
- iv) Securing.

---

\* Assistant Professor, Department of Commerce, Nagar Nigam Degree College, Lucknow.

While people roll in the first three steps, i.e. Swapping, Saving and Stocking gradually in that order; the fourth one, i.e. Securing lacks behind. Man seems to relegate 'financial security' to a lower down position. Financial security is as important need in the personal financial planning of an individual as other needs are. Hence it deserves the full attention for enduring financial stability. Insurance is a firm fulcrum for providing this stability. Yet people are by instinct averse to insurance. This can be attributed to the peculiar characteristics of insurance, such as, intangibility of the product and benefits appearing to come to fruition at too distant a future.

**Emotional Aspect :**

Insurance is significantly concerned with emotions. Insurance is meant for catering to unpredictable and deferred needs. It should, however, be purchased well before its need arises, Jest it get too late. It is of little use digging a well when thirsty, or trying to lock the stable after the horses have fled. People postpone availing of insurance cover as they don't sense the immediate need thereof. Some people sarcastically feel that not many persons are really benefited by insurance. It is true that many people come out 'unhurt and safe' in the journey of life. But quite a good number of unfortunate people, though relatively lesser in number, face the 'storm' and they and/or their loved ones are forced to bear the brunt and to face a life of hardship by the happening of an unfortunate tragedy which apparently had a low probability but turned out to be a calamity of utmost severity. It is therefore better to keep the lifeboat ready when one gets set for a voyage. It is rightly said that "It is better to have insurance for a hundred years and not need it, than to need it one day and not have it". Insurance is concerned with dreaded and disliked eventualities like death, disease, disability and dilapidation. Everyone is exposed to these risks. Everyone has to accept these realities of life and be well prepared to face them. Insurance is undoubtedly the best way out. People act on emotions rather than on reason. Insurance is a long term contract. The benefits fructify in future. The timing of fructification is to be decided in the initial stage by proper planning. The fruit reaper has to have patience, ifhe wants to enjoy the fruit.



**Philosophical Aspect:**

Insurance means spreading of risk and sharing of loss amongst the community of insured people. It is a co-operative venture. Insurance is beneficial not only to the individual but to the entire community of the insured people. Thus it promotes fraternal concern. When an individual dies, three deaths occur, that of

- i) the individual himself or herself,
- ii) a father, a mother, a brother, a sister, a son, a daughter or some such relative,
- iii) a breadwinner of the family.

The third death is the most disastrous. As it results in stoppage of the income, the family is made to face a financial crisis. Nevertheless, if the deceased individual were to be insured, there would be only two deaths. The third death would be avoided, economically at least, and the family would be financially secure. If the number of such secured families is more in the society, the socio-economic inadequacy would be minimized to a great extent. The money paid by the insured public by way of premium does not remain idle in the coffer. World over, it is used for promoting industries, business, commerce and developmental programs particularly in developing countries like India. Indirectly, the insured community contributes for a noble cause-nation building activity. With a proper perspective, insurance can be used as a means to achieve many objectives. One can perform his duties as a father, as a husband or as a son by insuring himself so that financially the dependents do not become orphaned in the event of his premature death. He can express his love and affection towards his beloved ones even from beyond the graveyard. Finance can be managed in a better way with the help of insurance. Men have many wants, needs and desires. They can fulfill their desires by means of insurance, which means freedom or liberation from all worries, which insurance undoubtedly ensures. It can, therefore, be said that insurance is a multifaceted tool in the hands of mankind for a number of purposes. About 10% of the GDP of the developed countries comes from insurance premium (in India it is a little over 4%). Insurance as a business activity is a driver of economic development. Insurance

is an effective device which promotes stability, prosperity and happiness to the individual and the society at large. Development and insurance are also complementary to each other. Prudent men will realize the importance of insurance and will accept it as an integral part of the way of financial planning in life.

**Review of Literature :**

Another important and heart warming trend in insurance industry is that the insurers are trying to discharge their Corporate Social Responsibility as much as they can. An insurer is judged not just by the greatness of its products but also by its human face. When insurers directly do some work in building the infrastructures of the society or help some underprivileged sections of society, people become more respectful of them and can eventually become loyal customers

Insurance can indeed change the face of India as it can provide confidence to people to take more risks which are very important for taking the country to the next level of growth and development. If the insurers can involve rural and urban youths as volunteers in this campaign along with employee volunteers of the insurers, the required level of awareness can surely be generated in a few years.

**Decisions of quantum:**

For an individual, having decided to obtain insurance, the next logical dilemma to deal with is to the quantum of insurance that he or she should purchase. With the dynamics of finance and economy ever being so volatile, it is certainly a major decision and is something that is not easy to arrive at. Besides, current affordability as also the projected affordability in future, considering the fact that it is a long term commitment, is another factor that has to be weighed sensibly. In such a scenario, the Human Life Value (HLV) provides the most objective and need- based solution. Human life has an economic value. It is the monetary worth of an earning person and is the capitalized value of his net future earnings less cost of his current self maintenance. It is exactly to preserve or secure this economic value of human life, which is subjected to vagaries of nature, that life insurance was devised. Once the prospect realizes this important fact, his endeavor to purchase life insurance is to protect his dependants from any

eventuality. If the human life value-based selling and after sales service are rendered by the agent in letter and spirit to the client's utmost satisfaction, there will be further development and conservation of life insurance business. Human life's value may be defined as the capitalized value of the net future earnings of an individual after taking into account appropriate costs for his/her self maintenance. It is the monetary value of an earning person. The facts that determine it are training and education, character and health and, above all, his ability to work. The higher these factors, the higher are the values; and the lower these factors, the lower is his economic value. Human life value-based selling and appropriate after-sales service are the need of the hour. The emphasis should be on the total needs concept, as the basis for developing life insurance programs for individuals. In the same vein, emphasis should be on the concept of building a life insurance clientele, which can be achieved only by an agent who gives professionally competent service and advice. If these two aspects are pursued by the insurer in letter and spirit, there is ample scope for increase in volumes of business, and its retention.

#### **Challenges of the Industry :**

Life insurance industry is passing through a difficult phase in our country. There is enormous scope for the industry to grow. Yet, the industry is unable to grow in recent years. There has been de-growth in 2012-13 to the extent of 6.32% in terms of First Premium Income (FPI). The economy is growing and so is the per capita income in all the segments of the economy. But, the life insurance industry finds it difficult to make use of this golden opportunity. Insurance intermediaries lost much of their credibility after the ULIPs failed to generate expected returns. A lot of ULIPs were sold on false promises. So, now the insurance intermediaries find it difficult to regain the same confidence of people. This is a great challenge. This challenge is greater for those agents who operate in the rural and semi-urban areas. As agents still contribute 78.69% of total business, their success is critical for the success of the life insurance industry in India.

The productivity of the agents is low because of mis-selling of ULIPs. Barring a small proportion of agents who have got MORT or similar recognition for the consistency of their performance, a

very large number of agents have failed to become true professionals. They are mostly part timers and do not even have the inner motivation to grow. If insurance industry has to grow, the same way, the skills, competencies and attitudes of all agents have to get a total face lift. Professionalizing a vast sales force is a big challenge for all insurers. The average number of policies sold by the agents in 2011-12, proves that an insurance agent, on an average, has not been able to make a career out of his job. If an agent is not fully devoted in this profession on a regular basis, it is very difficult for him to bring quality business and also to give proper services to the customers.

Perhaps the biggest challenge is the lack of proper insurance awareness. Even after 57 years LIC was formed, many people still do. not understand the value of insurance properly. Although LIC did a commendable job in spreading the message of insurance, most people still can not distinguish insurance from other forms of investments. That is why only a few products are demanded by the market. Our agents have failed to market need based insurance. At best, insurance is sold as a savings instrument or an investment instrument. Most of the agents continue to push products which give more commissions or where service obligations are less. Agents could have been the ideal medium for generating insurance awareness as they are in direct contact with the customers. But lack of competency, professionalism and integrity on the part of many of the agents (and of other intermediaries as well) have prevented them from improving insurance awareness to the extent it should have been.

#### **Recent Trends in the Life Insurance Industry :**

The good news is that the insurers are trying their best to meet the challenges. Recent trends in the industry show that the insurers are fast changing the way of their functioning. Insurers are now trying to sell a blend of linked and non-linked products. They are also trying to sell more of long term products. This is a step in the right direction. People indeed need more of long term insurance products, covering them protection throughout their working life. This will also ensure consistency of business for the insurers.

Many insurers, especially the private insurers are now successfully marketing term assurance among the youth. This is great as the youth can get a large cover at the minimum of

premium. Term assurance carries no maturity value and therefore it is heartening that the new generation is able to pick up a product which is pure insurance. But, while granting a huge cover, the insurers have to assess the quality of each risk carefully because if a claim is repudiated later, it can shake the confidence of the people in the institution called life insurance.

Another important trend in insurance industry is that a large volume of selling is happening online. Some private insurers have been doing business on line for quite some time. Since the new generation is tech savvy and makes a lot of buying online, insurers are rightly catching the young customers in the internet. After all, an insurer has to be present wherever the customers are i.e. purely customer friendly. The insurers are rightly doing a lot of marketing and brand building activities in the social media.

Although insurers know that it is difficult to professionalize lakhs of tied agents with diverse social and educational backgrounds, they understand the importance of training in improving the skills and attitudes of the agents working across the length and breadth of the country. Even today, common people get to interact with the agents only, before buying insurance. If the agent is found knowledgeable and trustworthy, it improves the image of the insurers.

All insurers have started depending heavily on their banc assurance partners, for increasing insurance penetration in special segments. In our country, people depend a lot on banks and therefore banks have earned more acceptability in rural as well as in urban areas. New IRDA regulation is going to allow banks to sell insurance products of multiple insurers. So, all insurers have a great chance to increase their sales as people will have a freedom to choose whichever insurer they want to go with. LIC has been asked to make its presence felt in areas where population is more than 10,000. Probably, LIC will do this by opening one man offices within the premises of its banc assurance partners. Other insurers are surely contemplating similar actions, to go deeper into the insurance market.

**Conclusion:**

Globalization as become a broad heading for a multitude of global interactions, ranging from the expansion of cultural influences across borders to the enlargement of economic and

business relations throughout the world. It has different dynamic force for different person. It may be treated as a phenomenon, a philosophy and a process, which affects human beings.

Insurance being an integral part of financial service could not claim immunity to the impact of the globalization process and opened up to private and global player world over, including India. So many MNCs are now entering into the insurance sector which is now a booming sector. Marketing after globalization has become more customer oriented, better service oriented and more competitive. To sustain in present era insurance sector has to provide better satisfaction, more value addition and strategic development.

**References:**

1. Alan Ryan, *Property and Political Theory* (Oxford: Basil Blackwell, 1984).
2. Brian Maidment, *Dusty Bob: A Cultural History of Dustmen, 1780-1870* (Manchester: Manchester University Press, 2007).
3. Carolyn Steedman, 'After the Archive', *Comparative Critical Studies*, 8:2-3 (2011), pp. 321-340.
4. Carolyn Steedman, *Strange Dislocations: Childhood and the Idea of Human Interiority, 1780-1930* (London: Virago Press, 1995).
4. Deborah Cohen, *Household Gods: the British and Their Possessions* (New Haven and London: Yale University Press, 2006).
5. Dipesh Chakrabarty, 'The Climate of History: Four Theses', *Critical Inquiry*, 35:2 (2009), pp. 197-222.
6. Geoffrey Clark (ed), *The Appeal of Insurance* (Toronto: University of Toronto Press, 2010).
7. Margot C. Finn, 'Colonial Gifts: Family Politics and the Exchange of Goods in British India, c.1780-1820', *Modern Asian Studies*, 40:1 (2006), pp. 203-231.
8. Margot C. Finn, *The Character of Credit: Personal Debt in English Culture, 1740-1915*(Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
9. Nancy Armstrong, 'The Victorian Archive and its Secret', *Nineteenth-Century Contexts: An Interdisciplinary Journal*, 34:5 (2012), pp. 379-396.
10. Natasha Glaisyer and Sara Pennell, *Didactic Literature in*

- England, 1500-1800: Expertise Constructed (Aldershot : Ashgate, 2003).
11. Peter Fritzsche, *Stranded in the Present: Modern Time and the Melancholy of History*(Cambridge MA & London: Harvard University Press, 2004).
  12. Philip Howell, *At Home and Astray: The Domestic Dog in Victorian Britain* (Charlottesville and London: University of Virginia Press, 2015).
  13. Pierre Nora (ed.), *Realms of Memory: Rethinking the French Past 3. Vols* (New York: Columbia University Press, 1994-8).
  14. Richard Clay, *Iconoclasm in Revolutionary Paris: the transformation of signs* (Oxford: Voltaire Foundation, 2012).
  15. Robin Pearson, *Insuring the Industrial Revolution: Fire Insurance in Great Britain, 1700-1850* (Aldershot: Ashgate, 2004).
  16. Sarah Pearsall, *Atlantic Families: Lives and Letters in the Later Eighteenth Century* (2008).
  17. Thomas Osborne, 'The Ordinariness of the Archive', *History of the Human Sciences*, 12:2 (1999), pp. 51-64.
  18. Thomas Walter Lacquer, 'The places of the dead in modernity', in Colin Jones and Dror Wahrman (ed.), *The Age of Cultural Revolutions: Britain and France, 1750-1820* (Berkeley, CA: University of California Press, 2002), pp. 17-32.
  19. Timothy Alborn, 'The First Fund Managers: Life Insurance Bonuses in Victorian Britain', *Victorian Studies*, (2002), 65-92.
  20. Timothy Alborn, *Regulated Lives: Life Insurance and British Society, 1800-1914* (Toronto: University of Toronto Press, 2009).
  21. Vittoria Di Palma, *Wasteland: A History* (New Haven and London: Yale University Press, 2014).
  22. Walter Benjamin, *Reflections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writing* trans. Edmund Jephcott (New York: Schocken Boks, 1986).

#### **Newspapers**

- \* Business Standard Line
- \* Economic Times
- \* Times of India
- \* The Pioneer
- \* The Hindu
- \* Hindustan Times



## INDIA'S EDUCATION SYSTEM AND PRESENT SCENERIO

Dr. Poonam Chaturvedi\*

### Abstract:

Education System in India by the Public Sector as well as the Private Sector with control and funding coming from three levels-

- Central Govt.
- State Govt.
- Local Bodies

Under various articles of the Indian Constitution free and compulsory education is provided as a fundamental right to children. In the Beginning In ancient times, India had the Gurukula system of education in which anyone who wished to study went to a teacher's (Guru) house and requested to be taught. If accepted as a student by the guru, he would then stay at the guru's place and help in all activities at home. This not only created a strong tie between the teacher and the student, but also taught the student everything about running a house. The guru taught everything the child wanted to learn, from Sanskrit to the holy scriptures and from Mathematics to Metaphysics. The student stayed as long as she wished or until the guru felt that he had taught everything he could teach. All learning was closely linked to nature and to life, and not confined to memorizing some information.

**Keywords:** Jurisdiction, Gurukula, Fundamental Rights, Learning, Curricular Activities.

### Introduction:

The modern school system was brought to India, including the English language, originally by Lord Thomas Babington Macaulay in the 1830s. The curriculum was confined to "modern" subjects such as science and mathematics, and subjects like metaphysics and philosophy were considered unnecessary. Teaching was confined to classrooms and the link with nature was broken, as also the close relationship between the teacher and the student.

---

\* Assistant Professor, Department of Education, Mahaveer Prasad Girls Degree College, Lucknow.



The Uttar Pradesh (a state in India) Board of High School and Intermediate Education was the first Board set up in India in the year 1921 with jurisdiction over Rajputana, Central India and Gwalior. In 1929, the Board of High School and Intermediate Education, Rajputana, was established. Later, boards were established in some of the states. But eventually, in 1952, the constitution of the board was amended and it was renamed Central Board of Secondary Education (CBSE). All schools in Delhi and some other regions came under the Board. It was the function of the Board to decide on things like curriculum, textbooks and examination system for all schools affiliated to it. Today there are thousands of schools affiliated to the Board, both within India and in many other countries.

#### **Review of Literature :**

Universal and compulsory education for all children in the age group of 6-14 was a cherished dream of the new government of the Republic of India. This is evident from the fact that it is incorporated as a directive policy in article 45 of the constitution. But this objective remains far away even more than half a century later. However, in the recent past, the government appears to have taken a serious note of this lapse and has made primary education a Fundamental Right of every Indian citizen. The pressures of economic growth and the acute scarcity of skilled and trained manpower must certainly have played a role to make the government take such a step. The expenditure by the Government of India on school education in recent years comes to around 3% of the GDP, which is recognized to be very low.

"In recent times, several major announcements were made for developing the poor state of affairs in education sector in India, the most notable ones being the National Common Minimum Programme (NCMP) of the United Progressive Alliance (UPA) government. The announcements are; (a) To progressively increase expenditure on education to around 6 percent of GDP. (b) To support this increase in expenditure on education, and to increase the quality of education, there would be an imposition of an education cess over all central government taxes. (c) To ensure that no one is denied of education due to economic backwardness and poverty. (d) To make right to education a

fundamental right for all children in the age group 6-14 years. (e) To universalize education through its flagship programs such as Sarva Siksha Abhiyan and Mid Day Meal." Wikipedia: Education in India.

### **An Overlook On The School System in India:**

India is divided into 29 states and 7 so-called "Union Territories". The states have their own elected governments while the Union Territories are ruled directly by the Government of India, with the President of India appointing an administrator for each Union Territory. As per the constitution of India, school education was originally a state subject - that is, the states had complete authority on deciding policies and implementing them. The role of the Government of India (GOI) was limited to coordination and deciding on the standards of higher education. This was changed with a constitutional amendment in 1976 so that education now comes in the so-called concurrent list. That is, school education policies and programs are suggested at the national level by the (GOI) though the state governments have a lot of freedom in implementing programs. Policies are announced at the national level periodically. The Central Advisory Board of Education (CABE), set up in 1935, continues to play a lead role in the evolution and monitoring of educational policies and programs.

There is a national organization that plays a key role in developing policies and programs, called the National Council for Educational Research and Training (NCERT) that prepares a National Curriculum Framework. Each state has its counterpart called the State Council for Educational Research and Training (SCERT). These are the bodies that essentially propose educational strategies, curricula, pedagogical schemes and evaluation methodologies to the states' departments of education. The SCERTs generally follow guidelines established by the NCERT. But the states have considerable freedom in implementing the education system.

The National Policy on Education, 1986 and the Program of Action (POA) 1992 envisaged free and compulsory education of satisfactory quality for all children below 14 years before the 21st Century. The government committed to earmark 6% of the Gross Domestic Product (GDP) for education, half of which would

be spent on primary education. The expenditure on Education as a percentage of GDP also rose from 0.7 per cent in 1951-52 to about 3.6 per cent in 1997-98.

The school system in India has four levels: lower primary (age 6 to 10), upper primary (11 and 12), high (13 to 15) and higher secondary (17 and 18). The lower primary school is divided into five "standards", upper primary school into two, high school into three and higher secondary into two. Students have to learn a common curriculum largely (except for regional changes in mother tongue) till the end of high school. There is some amount of specialization possible at the higher secondary level. Students throughout the country have to learn three languages (namely, English, Hindi and their mother tongue) except in regions where Hindi is the mother tongue and in some streams as discussed below.

There are mainly three streams in school education in India. Two of these are coordinated at the national level, of which one is under the Central Board of Secondary Education (CBSE) and was originally meant for children of central government employees who are periodically transferred and may have to move to any place in the country. A number of "central schools" (named Kendriya Vidyalayas) have been established for the purpose in all main urban areas in the country, and they follow a common schedule so that a student GOIng from one school to another on a particular day will hardly see any difference in what is being taught. One subject (Social Studies, consisting of History, Geography and Civics) is always taught in Hindi, and other subjects in English, in these schools. Kendriya Vidyalayas admit other children also if seats are available. All of them follow textbooks written and published by the NCERT. In addition to these government-run schools, a number of private schools in the country follow the CBSE syllabus though they may use different text books and follow different teaching schedules. They have a certain amount of freedom in what they teach in lower classes. The CBSE also has 141 affiliated schools in 21 other countries mainly catering to the needs of the Indian population there.

The second central scheme is the Indian Certificate of Secondary Education (ICSE). It seems that this was started as a replacement

for the Cambridge School Certificate. The idea was mooted in a conference held in 1952 under the Chairmanship of Maulana Abul Kalam Azad, the then Minister for Education. The main purpose of the conference was to consider the replacement of the overseas Cambridge School Certificate Examination by an All India Examination. In October 1956 at the meeting of the Inter-State Board for Anglo-Indian Education, a proposal was adopted for the setting up of an Indian Council to administer the University of Cambridge, Local Examinations Syndicate's Examination in India and to advise the Syndicate on the best way to adapt its examination to the needs of the country. The inaugural meeting of the Council was held on 3rd November, 1958. In December 1967, the Council was registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860. The Council was listed in the Delhi School Education Act 1973, as a body conducting public examinations. Now a large number of schools across the country are affiliated to this Council. All these are private schools and generally cater to children from wealthy families.

Both the CBSE and the ICSE council conduct their own examinations in schools across the country that are affiliated to them at the end of 10 years of schooling (after high school) and again at the end of 12 years (after higher secondary). Admission to the 11th class is normally based on the performance in this all-India examination. Since this puts a lot of pressure on the child to perform well, there have been suggestions to remove the examination at the end of 10 years.

**Exclusive Schools :**

In addition to the above, there are a relatively small number of schools that follow foreign curricula such as the so-called Senior Cambridge, though this was largely superseded by the ICSE stream elsewhere. Some of these schools also offer the students the opportunity to sit for the ICSE examinations. These are usually very expensive residential schools where some of the Indians working abroad send their children. They normally have fabulous infrastructure, low student-teacher ratio and very few students. Many of them have teachers from abroad. There are also other exclusive schools such as the Doon School in Dehradun that take in a small number of students and charge exorbitant fees.

Apart from all of these, there are a handful of schools around the country, such as the Rishi Valley school in Andhra Pradesh, that try to break away from the normal education system that promotes rote learning and implement innovative systems such as the Montessori method. Most such schools are expensive, have high teacher-student ratios and provide a learning environment in which each child can learn at his/her own pace. It would be interesting and instructive to do a study on what impact the kind of school has had on the life of their alumni.

**State Schools :**

Each state in the country has its own Department of Education that runs its own school system with its own textbooks and evaluation system. As mentioned earlier, the curriculum, pedagogy and evaluation method are largely decided by the SCERT in the state, following the national guidelines prescribed by the NCERT.

Each state has three kinds of schools that follow the state curriculum. The government runs its own schools in land and buildings owned by the government and paying the staff from its own resources. These are generally known as government schools. The fees are quite low in such schools. Then there are privately owned schools with their own land and buildings. Here the fees are high and the teachers are paid by the management. Such schools mostly cater to the urban middle class families. The third kind consists of schools that are provided grant-in-aid by the government, though the school was started by a private agency in their own land and buildings. The grant-in-aid is meant to help reduce the fees and make it possible for poor families to send their children. In some states like Kerala, these schools are very similar to government schools since the teachers are paid by the government and the fees are the same as in government schools.

**Positive side of Indian Education system :**

- Students go through many exams in their learning years. It teaches to analyse our strengths and weaknesses consistently.
- Indian education system emphasizes competitive spirit. Competition teaches students to unleash their full potential.
- Indian schools teach basic knowledge in all subjects.

- Annual system in school years helps slow learners.
- These days a lot of positive changes are happening in the education system of India. Emphasis on practical knowledge is increased.

**Drawbacks of Indian Education system :**

- Rote learning. Emphasis on memorizing the facts rather than thoroughly understanding the concepts.
- Completely relying on text books.
- Giving more importance to text books than the teacher. There is no autonomy to teachers.
- Students have no freedom to think creatively and to question the content in the text books.
- Taking marks as assessment of student's talent, when marks can be easily obtained by memorizing the pre-written answers from the text books.
- Students are not being taught why they are learning the particular subjects and topic. Text books do not mention how the topics are relevant in the practical life.
- There is no incentive for teachers to encourage critical thinking in children.
- Lack of infrastructure.
- Most of the syllabus is in theoretical form.
- Dearth of capable teachers in government schools.
- Low salaries of teachers.
- Pressurizing students for marks and grades. Student suicides are increasing day by day.
- Students are learning the subjects just to reach to the next level, i.e obtaining admission from the good college.
- Indian govt. is spending only 3% of its GDP on education.
- As the Govt. unable invest enough in the education sectors, private institutions roped in, and the result is High cost of education.
- No control of govt. on fee structure of private educational institutes.
- Ethics aren't being taught in schools. And the result of this is many educated persons lack ethics.
- Very low teacher to student ratio. As a result, teachers are not able to concentrate on each and every child. According

to Right to Education, there should be one teacher for every 30 students.

- High prices of higher education in India. Indian Govt isn't investing in the higher education aspirants.
- Rise of coaching centers for competitive exams and private tuitions for school children are is resulted by the poor education system, which couldn't make students job-ready.
- Our text books do not mention the importance of physical activity and the extracurricular activities. Most of the schools in India do not have play grounds.
- Not encouraging research and innovation.
- Not teaching students about how to deal with daily life struggles.
- Incentivizing hyper-competitiveness rather than encouraging co-learning.
- Shortage of text books for govt. school students.
- No proper career guidance available for students.
- Most of the govt. school students are unable to do basic math. This reveals the negligence of teachers.
- Not everyone has access to school. A lot rural areas still have no schools. And there are many single teacher schools.
- In the top 100 universities list by 'Times Higher Education World Reputation Rankings 2016', none of the Indian universities could make into the list.

**Indian Govt. Policies :**

- The 'National Policy on Education' was framed in 1986 and was amended in 1992.
- New Education Policy (NEP) is going to be formed in 2016 to bring revolutionary changes in Indian education system.
- Rashtriya Madyamika Abhiyan, 2009 - This scheme aims to enhance access to secondary education and to improve its quality.
- Vidyanjali scheme, 2016 - to encourage extracurricular activities in students.
- Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA), 2013 - A mission to finance massively in state universities. But this wasn't successful as expected.

**Suggestions to improve the Education System :**

- Indian Govt needs to invest heavily in infrastructure, teachers and in training teachers. At least 4% of its GDP must be invested in the education sector.
- Our attitude towards marks and grades needs to be changed.
- Method of teaching needs a relook. Teachers should encourage logical thinking & creativity in students. "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn."? Benjamin Franklin
- Exams should be in a way that student's understanding of the subject can be assessed.
- Students should be exposed to economic and societal problems in the world.
- Self help books and biographies of successful persons should be a part of the syllabus. So that children can mould their personalities and can handle stress well, once they start career.
- Malnutrition effects child's ability to learn. So, nutritional deficit must be taken care of.

**Conclusion :**

Actually there is a dire need for revolutionary changes in the India's education system. Not just the syllabus and pedagogy, but also the attitude change towards the marks system need to be changed. With the effective learning system, India can successfully utilize its vast human resources.

**References :**

- Ali, Syed. "Collective and Elective Ethnicity: Caste among Urban Muslims in India," Sociological Forum, 17:4 (Dec. 2002), 593-620.
- Chandra, Ramesh. Identity and Genesis of Caste System in India, New Delhi: Gyan Books, 2005.
- Ghurye, G.S. Caste and Race in India, Mumbai: Popular Prakashan, 1996.
- Perez, Rosa Maria. Kings and Untouchables: A Study of the Caste System in Western India, Hyderabad: Orient Blackswan, 2004.
- Reddy, Deepa S. "The Ethnicity of Caste," Anthropological Quarterly, 78:3 (Summer 2005), 543-584.



**Dailys :**

Economic Times  
Times of India  
The Pioneer  
The Hindu  
Hindustan Times  
Amar Ujala  
Dainik Jagran  
Nav Bharat Times

**Magzines :**

Yojana  
Pratigyogita Darpan  
Tahelka  
Kuruchhetra



# m | e'khy efgyk, i , oaHkæ.Myhhdj .k %Hkkj rh; ifji&; ea , d fo'yšk.k

Mkæ I nhi fxfj\*

ofr&lk ;kno\*\*

विकसित और विकासशील देशों का इतिहास गवाह है कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किसी भी देश में उद्यमिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं की बदलती हुई प्रकृति के कारण पुरुषों के अतिरिक्त महिलाओं ने भी उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आना शुरू किया है। “महिला उद्यमिता का अर्थ किसी नवाचार का प्रचार करना उतना अधिक नहीं है जितना कि उत्पादन के साधनों को संगठित करने से है”।

महिला उद्यमी जो श्रम के सोपानीकरण में निचले पायदान पर है कि स्थिति पर अलग से सोचने के लिए किसी के पास समय नहीं हैं। इस स्थिति से निजात पाने के लिए सरकार को नवीन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। गैर-सरकारी संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है इस हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को नारी श्रम के विकास के विदेश स्थित सक्रिय गैर सरकारी संगठनों से संवाद स्थापित करना चाहिए। इस तरह महिला उद्यमी की समस्याओं पर प्रकाश डालना सम्भव होगा। जिस कमीज की सिलाई करने में एक श्रमिक को 15रु0 मिलते हैं उसे अमेरिकी स्त्री 100 डॉलर यानि लगभग 5000/-रु0 में खरीदती है। 5000रु0 में कमीज खरीदने वाली स्त्री यदि चाहे तो इस श्रमिक स्त्री के हक में लड़ाई लड़ सकती है।

नब्बे के दशक में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाये गये। नई तकनीक से रोजगार योजनाओं का विकेन्द्रीकरण हुआ। नई तकनीक महिलाओं के लिए दुधारी तलवार है। उदाहरण के लिए टेलीफोन उद्योग को लीजिए। कहाँ गई वह लड़कियाँ जो कभी ऑपरेटरों का काम करती थीं? उनके बदले तो अब इण्टरनेट डाटा वितरण हो गया है। इसी प्रकार चीन बस कण्डेक्टर का काम महिला किया करती थी। आज प्रत्येक बस में भाड़ा वसूलने वाली मशीन लगी हुई है। पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर देखे तो पता चलता है कि आर्थिक क्षेत्र में महिलाएँ और अधिक

---

\* असिस्टेंट प्रोफेसर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

\*\* शोध छात्रा, समाजकार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

परिधिकृत हुई है। कुल मिलाकर पूरा महिला उद्यमी समाज को जो देता है उसके बदले उसे अपने भरण-पोषण की सुविधा मिलती है।

भारत में महिलाओं की जनसंख्या का केवल 20 प्रतिशत भाग उद्यमशीलता से सम्बन्धित है और पिछले तीस वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।<sup>12</sup> कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ महिलाओं ने भूमण्डलीकरण के दौर में उच्च सफलताओं के शिखर को छुआ है। जैसे विख्यात पेप्सिकों कम्पनी की चेयरपर्सन श्रीमती इन्दिरा नूयी। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं ने अपनी कुशलता से राजनीति, अर्थशास्त्र, साहित्य लेखन, फिल्म एवं विज्ञान आदि क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। जैसे श्रीमती इन्दिरा गाँधी, तसलीमा नसरीन, सुधा अरोड़ा, प्रभा खेतान, लता मंगेशकर एवं कल्पना चावला आदि।

भूमण्डलीकरण बाजार की मांग और पूर्ति के लिए गैर पारम्परिक उद्योगों का पनपना और उसमें महिलाओं की बड़े पैमाने पर नियुक्ति के साथ ही उदारीकरण के फलस्वरूप यह सोचना कि पूरे श्रम का स्त्रीकरण हो होगा और पुरुष श्रम का अवमूल्यन होगा, सही नहीं है। भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के दौर में महिला उद्यमी की अधिकाधिक भागीदारी के लिए महिलाओं को स्वयं अपनी बात कहनी होगी।<sup>13</sup>

संगठित क्षेत्र के उद्योगों में महिला उद्यमी की भागीदारी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार देखा गया है। लेकिन आज भी भारत जैसे विकासशील देश में असंगठित क्षेत्र के उद्योगों की संख्या अधिक है इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए उपयुक्त मॉडल स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। जनसंख्या का अधिकाधिक हिस्सा असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।<sup>14</sup> केरल राज्य का काजू उद्योग एक आदर्श मॉडल हो सकता है। केरल सम्पूर्ण भारत ही नहीं वरन् विश्व में काजू की आपूर्ति करने वाला प्रमुख उत्पादक राज्य है। इस उद्योग के कुल श्रम में महिला श्रम की भागीदारी लगभग 75 प्रतिशत है महिला उद्यमी की भागीदारी में केरल के काजू उद्योग ने आदर्श प्रस्तुत किया है।

अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमी की भागीदारी में बाजार की शक्तियाँ और पुरुषवादी मानसिकता भी प्रमुख तत्व हैं। यानि ये तत्व महिला उद्यमी को नियंत्रित करना चाहते हैं। निःसंदेह भारतीय समाज एक संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहा है जिससे सबको झेलना पड़ रहा है। ज्यादा बोझ तले महिला वर्ग है। इस संक्राति से उभरी दरार से एक रिक्त स्थान पैदा हुआ है और इस स्थान को महिला उद्यमी को गतिशील बनाकर भरा जा सकता है।<sup>15</sup>

माना जाता है कि महिलाएँ दुनिया का दो तिहाई काम करती हैं, दुनिया की आय का 10 प्रतिशत पाती है और उत्पादन के साधनों पर उनका सिर्फ 1 प्रतिशत अधिकार है, हर समाज में महिलाओं का स्थान अद्वितीय है यानि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता फिर भी वे सार्वधिक वंचित हैं, घरों के अन्दर महिलाएँ सबसे ज्यादा काम करती हैं और सबसे कम देखभाल मांगती हैं, वे पूरे परिवार की अकेले देखभाल करती हैं, और अक्सर काम के अत्यधिक बोझ से दबी रहती है, उद्यमी महिलाओं के ऊपर यह दबाव और बढ़ जाता है, महिलाओं को यूँ भी कमजोर, हीन और दोयम दर्जे का मानकर समाज और परिवार शोषित करता आ रहा है, यह रवैया उद्यमी महिलाओं को कार्यस्थल पर भी झेलना पड़ता है, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के युग में ऊपरी तौर पर यह जरूर नजर, आता है कि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है, उन्हें शिक्षा काम के नए अवसर मिल रहे हैं और पुरुषों से बराबरी करने के मौके भी परंतु क्या वाकई समाज में उनकी स्थिति में बदलाव हुआ है? और इसे हम सिर्फ शिक्षित शहरी महिलाओं के सर्दर्म में न सोचे बल्कि ग्रामीण, असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं को भी सम्मिलित करें तो पाएंगे कि सच्चाई भयावह है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ये जाने कि भूमण्डलीकरण के मायने क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, भूमण्डलीकरण के मायने क्या हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई भूमण्डलीकरण को आमतौर पर व्यापार की बाधाओं को दूर करने और राष्ट्रीय सीमाओं के पार विदेशी निवेश, निजी पोर्टफोलियों पूंजी और श्रम के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया की अर्थ व्यवस्थाओं के एकीकरण के रूप में देखा जा सकता है,<sup>6</sup> इसके माध्यम से पूरे विश्व में व्यापक रूप से एक ही संस्कृति का पालन किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है जिसे हम उपभोक्ता संस्कृति कहते हैं भूमण्डलीकरण सम्पूर्ण विश्व को पूंजीवादी बाजार के रूप में देखता है, बाजार आधारित इस व्यवस्था में कुछ बड़ी और अग्रणी कम्पनियाँ ही लाभान्वित होती हैं। भारत में मात्र 5 प्रतिशत लोग इस व्यवस्था से लाभान्वित हुए हैं गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, महिलाएँ और बच्चे इसके शिकार हुए हैं। भूमण्डलीकरण के मूल में औपनिवेशिक शासन है जब यूरोप के देशों ने एशियाई देशों की प्रकृति सम्पदा और अनुकूल जलवायु पर अपनी नजर डाली थी। उन्होंने न सिर्फ प्राकृतिक सम्पदा का दोहन किया बल्कि सस्ते श्रम का भी शोषण किया। लगभग 300 वर्षों के औपनिवेशिक शासन ने बड़ी मात्रा में लोगों को गरीब बना दिया। सिर्फ उनका साथ देने वाले चंद राजा, जमींदार आदि ही सम्पन्न बने रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अधिकांश देशों ने स्वतंत्रता तो

हासिल कर ली परंतु अपनी जरूरतों के लिए वे इन विकसित देशों पर निर्भर बने रहे। विकासशील देशों में विज्ञान और तकनीकी का महंगा आयात किया गया और देश सम्पन्न देशों के कर्जदार बन गये और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश से ऋण लेने पर मजबूर हो गए जिसकी शर्तें इतनी कठोर थी कि अंततः हम मल्टीनेशनलों का मुँह ताकने लगे।<sup>7</sup> उन्हें प्रवेश देने के लिए खेती की जमीनों पर कब्जा किया जाने लगा। लाखों किसान बर्बाद हो गए। जरूरी सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म होने ली। और एक नये किस्म के उपनिवेशवाद में फंस गए। इस तरह भूमंडलीकरण मात्र राष्ट्रों की एकीकृत अर्थव्यवस्था न होकर एक स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में उभरा है। भूमण्डलीकरण मुख्यतः तीन सिद्धान्तों पर चलता है। मुक्त बाजार यानि सरकार के नियंत्रण से मुक्त ताकि संसाधनों का कुशलतम दोहन हो सके। आर्थिक भूमण्डलीकरण अर्थात् माल व पूंजी का मुक्त प्रवाह जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर चुनाव का अधिकतम अवसर मिले और रोजगार के अवसर बढ़े एवं निजीकरण जिसमें सरकार के बदले निजी क्षेत्र सेवाएँ प्रदान करें और ज्यादा प्रभावशाली साबित हों। इस सिद्धान्तों पर चलते हुए भारत में भी भूमण्डलीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं।<sup>8</sup>

मसलन व्यापक व प्रभावशाली संचार व्यवस्था विभिन्न कम्पनियों के यहाँ आने से उत्पन्न हुए रोजगार के नए अवसर जिन्होंने न सिर्फ पुरुषों बल्कि महिलाओं को भी अवसर प्रदान किये। महिलाओं को उच्च वेतन मिलने से उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, उनमें यह भाव जागृत हुआ कि वे भी पुरुषों की बराबरी कर सकती हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भूमण्डलीकरण का भी एक गहन पक्ष है जो डराता है। इन क्षेत्रों में न तो अच्छा वेतन है, न काम के निश्चित घंटे, न कोई जॉब सिक्यूरिटी न ही सामाजिक सुरक्षा इन क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के शोषण होने की संभावनाएँ बहुत अधिक है एक तरफ जहाँ इन महिलाओं की कीमत पर कम्पनियाँ मुनाफा कमाती हैं, वही दूसरी ओर शोषण उनके शरीर, मन और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। असंगठित क्षेत्रों में काम की अनिश्चितता होती है, प्रतिस्पर्धा के इस युग में काम को बचाए रखने के लिए महिलाएँ अक्सर देर तक और अपनी क्षमता से ज्यादा काम करती है प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न तनाव, मानसिक व शारीरिक थकान, काम के लम्बे घंटे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक हैं ही सामाजिक संबंधों के लिए भी घातक है और कई मनोविकारों को जन्म देते हैं। तकनीकी विकास के चलते कई क्षेत्रों में बेहतर उत्पादन के लिए मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है इसके कारण रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है<sup>9</sup>

हथकरघा अथवा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं के ऊपर रोजगार संकट मंडरा रहा है। बेरोजगारों, ठेका अथवा अस्थायी काम का असर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर ज्यादा होता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हर क्षेत्र की महिलाओं के साथ होता है चाहे वे संगठित हो या असंगठित विशेष तौर पर रात की पाली में काम कर रही महिलाओं के साथ भूमण्डलीकरण के चलते बीपीओ कॉल सेक्टर नए रोजगार बनकर उभरे हैं पर इनमें काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं ऐसे कई भयावह प्रकरण हुए हैं जहाँ इन क्षेत्रों में काम करने वाली नवयुवतियाँ बलात्कार की शिकार हुई हैं और बेरहमी से मार डाली गयी हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें सेज में हस्तक्षेप नहीं करती ऐसे में यहाँ काम कर रहे श्रमिक पूर्ण रूप से अपने नियोक्ता की दया पर निर्भर हैं।

एक और क्षेत्र मैनुफैक्चरिंग अथवा विनिर्माण उत्पादन है, जहाँ महिलाओं की एक अलग और कम दिखाई देने वाली भागीदारी है जो उप ठेका प्रणाली और घर आधारित काम से होती है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मशहूर ब्रांड के टी शर्ट पर घर बैठे बटन लगाना या जूते के फीते बनाना, ये ऐसे काम हैं जहाँ महिलाएँ निम्नतन सोपान पर हैं यहाँ केवल प्रति टुकड़ा मजदूरी मिलती है, वो भी अत्यंत कम महिलाएँ घंटों न सिर्फ खुद काम करती हैं बल्कि अपने बच्चों और पूरे परिवार को इसमें लगा देती हैं इस तरह घर से काम लेकर कम्पनियाँ बहुत सी जिम्मेदारियों से बच जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक अन्य क्षेत्र है जहाँ महिलाओं के रोजगार में वृद्धि हुई है घरेलू सेवाओं या बड़ी कंपनियों आदि के कार्यालयों को साफ करने के लिए महिलाओं को नियुक्ति की जाती है ये नौकरियाँ ऐसी हैं कि जहाँ यूनियन बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसे क्षेत्रों में अपने अधिकारों के लिए लड़ना असंभव दिखाई देता है। इन महिलाओं पर दोहरी मार पड़ती है, एक तो आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं तथा मजदूरी कम है, अस्वस्थ होने पर निजी चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, सार्वजनिक परिवहन भी इनके लिए महंगे हैं। ऐसे में इन पर बोझ बढ़ा है, वास्तविक मजदूरी नीचे आ गयी है और काम की परिस्थितियाँ खराब हैं। समाज और परिवार का दबाव भी उद्यमी महिलाओं पर पहले की अपेक्षा बढ़ा है। पहले ही काम के लम्बे घंटे और अपर्याप्त व असंतुलित पोषण से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है। घर पहुँचते ही उनसे घर परिवार और बच्चों की देखभाल की उम्मीद की जाती है—बच्चों को अकेला छोड़कर जाना माँओं के लिए ग्लानि और कुण्ठा का सब बन जाता है—उद्यमी महिलाओं के लिए बच्चों की उचित देखभाल एक बड़ा मुद्दा होता है।

असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही माओं के लिए तो किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, संगठित क्षेत्रों में भी क्रेच की सुविधा बहुत कम है और यदि है भी तो उचित व्यवस्था नहीं है ऐसे में बच्चे किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या आया के भरोसे छोड़कर आना महिलाओं के लिए भावनात्मक तनाव का कारण बनता है जिसका असर उनके कार्य पर भी होता है। सरकार द्वारा विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए जो कट रियायतें दी जाती हैं, उसकी भरपाई सार्वजनिक सुविधाओं में कमी कर के की जाती है स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं पर होने वाला खर्च कर जाता है यही कारण है कि साफ पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा आदि हमारे गाँव या शहर में उपलब्ध नहीं है सबसे अधिक प्रभावित वे सेवाएँ होती हैं जो महिलाओं को प्रभावित करती हैं सरकारी अस्पतालों में खराब सेवा मिलती है और चिकित्सा सेवाओं का महिलाओं द्वारा उपयोग कम हो जाता है इसके अलावा घर में किसी बीमार की देखभाल के लिए वे अवैतनिक श्रम करने में बहुत वक्त बिताती हैं इसी तरह जब घरेलू उपयोग के लिए आसानी से पानी उपलब्ध नहीं होता तो लोगों को दूर जाकर या सार्वजनिक नल से पानी पाने लिए घंटों इंतजार करना होता है। यह काम आमतौर पर महिलाओं के जिम्मे होता है। क्योंकि वे घर के भीतर ऐसी बुनियादी वस्तुओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार हैं सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी प्रभावित होती है। यह भी महिलाओं को प्रभावित करता है। क्योंकि वे आम तौर पर परिवार में दैनिक खपत की वस्तुओं को जुटाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह भूमण्डलीकरण प्रेरित सार्वजनिक व्यय में कटौती महिलाओं को अधिक चलने अधिक काम करने के लिए मजबूर करती है। और उनके अवैतनिक श्रम में एक बड़े पैमाने पर वृद्धि होती है। भूमण्डलीकरण के कारण बड़ी पूंजी की दिलचस्पी खेती में बढ़ती जा रही है वह खेती की जमीन हथियाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भारत में ठेके पर खेती कुछ वर्षों से चल रही है। इसके अंतर्गत भूस्वामियों और ठेके पर खेती करने की इच्छुक कम्पनियों के बीच करार होता है। वे अपनी जमीन बेच देते हैं या लगान की तय दर पर दे देते हैं। कई जगह छोटे भूस्वामी कम्पनियों के फार्म पर मजदूर के रूप में लग जाते हैं। इस तरह कृषि कार्य पारिवारिक न होकर पूरी तरह पूंजीवादी हो जाता है और उसका उद्देश्य अधिकतम मुनाफा कमाना बन जाता है। असंगठित महिला श्रमिक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं और इन नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव उन पर बहुत होता है इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दर बहुत कम है और लगातार गिर रही है हमारी जनसंख्या वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों में बढ़ी है और रोजगार दर में भी वृद्धि हुई है महिलाओं की मजदूरी कम हुई है। पुरुषों और महिलाओं की

मजदूरी के बीच का अंतर बढ़ गया है हांलाकि पुरुषों और महिलाओं दोनों की मजदूरी में कमी आई है। लेकिन महिलाओं की मजदूरी में अधिक कमी आई है।

जब से नवउदारवाद अपनाया गया है तब से दो चीजें हुई हैं। पहली सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार बिल्कुल बंद हो गया है। दूसरी स्थापित सार्वजनिक उद्यमों को बेचा जा रहा है। कई देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर संगठनों को सबक सिखाने की मंशा से उद्यमों के निजीकरण की शुरुआत की गई। आर्थिक भूमण्डलीकरण के साथ उद्यम वर्ग की कठिनाइयों की दुनिया भर में वृद्धि हुई है खासकर उन लोगों की जो कम कुशल हैं, विशेष रूप से उद्यमी महिलाओं के लिए कई गुना वृद्धि हुई है।

भूमण्डलीकरण की इन तमाम बुराईयों के बीच महिलाओं के लिए कुछ आशान्वित करने वाली बातें भी हुई हैं पहले के मुकाबले रोजगार के लिए महिलाओं को उन क्षेत्रों में भी अवसर मिल रहे हैं जहाँ उनका प्रवेश वर्जित माना जाता था अथवा उनकी नगण्य भागीदारी थी। इसके साथ समाज में इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है कि महिलाएँ घर से बाहर काम करने निकलेंगी उद्यमी महिलाएँ बाकि महिलाओं के लिए भी रोल मॉडल बन वे न सिर्फ उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बल्कि उनका रहन-सहन जीवन शैली आदि बदल रहा है बदल रहा है। महिलाएँ अधिक आत्मविश्वासों और आत्मनिर्भर बन रही हैं अपने अधिकारों के हनन की तमाम चुनौतियों से बिना घबराये महिलायें उस पथ पर अग्रसर हो चुकी हैं जिस पर समाज ने कांटे विछा रखे हैं। समाज उन कांटों को बोनो अथवा नहीं, महिलाओं के बढ़ते कदम रूकेंगे नहीं।

भूमण्डलीकरण के दौर में नारी की मुश्किलें बढ़ी हैं। बढ़ते मशीनीकरण से नौकरियों में असुरक्षा, कम वेतन, परंपरागत हुनर की अनदेखी, विदेशी कंपनियों की मनमानी शर्तें उनके समक्ष हमारे कानूनों की असमर्थता बढ़ता भ्रष्टाचार, ये परिस्थितियाँ औरत को न्याय दिलाने में असमर्थ हैं। भूमण्डलीकरण के कारण विकसित देशों में महिलाएँ निर्धनता एवं भेदभाव का शिकार हो रही हैं। एक ही तरह के काम में पुरुष और महिला में भेदभाव किया जाता रहा है। दोनों के वेतन में भिन्नता है। आज भी महिलाएँ अशिक्षा कुपोषण और निर्धनता का शिकार हो रही हैं। आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के श्रम को सीधे उत्पादन से जोड़ा जाए। उसका उत्पादन से सीधा संबंध सुनिश्चित नहीं होता जबकि परोक्ष रूप से उसका श्रम उत्पादन में सहायक होता है। इसी कारण से पुरुष विशिष्ट हो गए और औरत महत्वहीन रह गई।



भूमंडलीकरण एक तरह से आर्थिक सीमाओं का समापन है। विभिन्न देशों में नई आर्थिक नीतियों से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है। 1991 में भारत में जो नई औद्योगिक नीति आई उसके निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है। भूमण्डलीकरण से जनता के विविध क्षेत्र प्रभावित हुए हैं जो जीवन से जुड़े हैं। भूमण्डलीकरण के शिकार वे विकासोन्मुख देश हैं जो ऋण के तले दबे हैं। वैश्विक व्यवस्था में बढ़ती आय विभिन्नता व असमानता ने गरीबों को असहाय बना दिया है। महिलाओं के स्थिति एवं भूमिका पर भूमण्डलीकरण का प्रभाव पड़ा है। मानव विकास विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भूमण्डलीकरण ने विकास एवं सुधार की तुलना में महिलाओं का पतन ही किया है। उदाहरण के लिए विश्व में भारत में लिंग अनुपात पर एक महिला स्वास्थ्य संबंधों सुविधाओं का उपयोग कर पाती है। ज्यादातर महिलाएँ असंगठित संस्थाओं में काम करती हैं और नियमहीनता के चलते शोषण का शिकार होती हैं। पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं पर घातक प्रभाव डाले हैं। महिलाओं का इस व्यवस्था में सदियों से शोषण होता आ रहा है। इसके अलावा कार्य करती हुई महिलाओं का जीवन स्तर पूरी तरह खराब पोषाहार व स्वास्थ्य में गिरावट के कारण प्रभावित हुआ है। इस तरह महिलाएँ दोहरी शोषण का शिकार हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्ताव दिए हैं। जैसे स्त्री-पुरुष के लिए समान कार्य, समान वेतन कानून का प्रावधान किया जाए। महिलाओं को संसाधनों, रोजगार, बाजार एवं व्यापार सूचना व टेक्नोलॉजी में बराबरी का हिस्सा मिले। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न एवं अन्य तरह के भेदभाव को दूर किया जाए गरीब महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान किया जाए—कम खर्च के घर, भूमि, प्राकृतिक संसाधन उधार एवं अन्य सेवाएँ दी जाए। पर्यावरण संबंधी नीतियों के निर्माण में औरतों को शामिल किया जाए। औरतों के विकास की जिम्मेदारी सरकार में ऊँचे स्तर पर सौंपी जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में हर वर्ष डेढ़ करोड़ लड़कियाँ जन्म लेती हैं जिनमें पच्चीस लाख 15 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाती हैं। इन लड़कियों की मौत का कारण समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव का व्यवहार है। भूमण्डलीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा उद्योगों में विदेशी विनियोग में वृद्धि तो होती है, पर रोजगार में वृद्धि नहीं होती। उदाहरण के लिए महिलाओं की बेरोजगारी 1991-91 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 1995-94 में 5.5 प्रतिशत हो गई थी, जो आज भी जारी है। अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था असंगठित क्षेत्र में की गई जहाँ रोजगार में असुरक्षित होना तथा निम्न मजदूरी देना

तय है। उद्योग धंधों में महिला श्रमिकों की मांग श्रम की कार्य क्षमता और कार्य की आवश्यकता के अनुकूल की जाती है। इससे स्पष्ट है कि महिला कर्मियों के रोजगार में स्थायित्व नहीं होता। महिला श्रमिकों को कम मजदूरी के साथ वांछित अधिकारों से भी वंचित होना पड़ता है। महिलाओं के घरेलू कर््यों को कार्य की श्रेणी में नहीं माना जाता है। महिलाओं के कार्य को कार्य की संज्ञा तभी दी जाती है। जब वे बाहर जाकर कुछ कार्य करती हो व उसके बदले धन पाती हो। सामान्य प्राकृतिक स्रोतों का निजीकरण पर्यावरण के लगातार ह्रास के लिए जिम्मेदार है, साथ ही ऐसी महिलाओं को जीवन की आवश्यकताओं को भी जुटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय प्रकृतिक स्रोतों को वैश्विक शोषण के लिए मुक्त कर देना कई चुनौतियों को खड़ा कर रहा है। उपभोक्तावाद, हिंसा तथा स्वच्छंद यौन व्यवहार आदि का समाज व महिलाओं पर घातक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं पर बढ़ती हुई घरेलू हिंसा भी चिंतनीय है। महिलाओं के प्रति यौन अपराध उनकी स्थिति को और भयानक बना रहा है। गृह मंत्रालय के क्राइम रिकार्ड ब्यूरो को यदि सच माना जाए तो प्रत्येक 47 मिनट पर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है या अपहरण होता है। पति या निकट संबंधी द्वारा महिलाओं की हत्या या यौन शोषण होना आम बात हो गई हैं। दहेज के कारण 17 महिलाएँ रोज मरती हैं। बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, बावजूद महिलाओं का अवमूल्यन करता है। इस तरह भूमण्डलीकरण जहाँ विकासशील देशों के विकास को सुनिश्चित करता हैं, वही समाज की आर्थिक रूप से गरीब, महिलाओं को अधिक उत्पीड़न करने का प्रयास करता है। इससे महिलाओं का निरंतर ह्रास तथा उत्पीड़न हुआ है। अतः भूमण्डलीकरण जहाँ कुछ महिलाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है, वहीं कुछ की स्थिति बद से बदतर हो गई है।

#### References

1. जोसेफ स्टिगजिटज ग्लोबलाइजेशन एण्ड इट्स डिस्कन्टेंट्स पेंगुइन बुक्स इण्डिया, 2003
2. विनोद अग्रवाल, इंस्टीट्यूशन डिजायन फार ए काम्पलैक्स वर्ल्ड, आईटाका, न्यूयार्क, कार्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998
3. जगदीश भगवती, ए स्ट्रीम ऑफ विन्डोज, अनसैटलिंग रिक्लैक्शन ऑफ ट्रेड, इम्पीग्रेशन एण्ड डेमोक्रेसी, कैम्ब्रिज, माल: एम. आई.टी. प्रेस, 1998
4. अर्जुन अप्पा दुरई, माइनिटी एट लार्ज : कल्चरल डायमैशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पब्लिक वर्ल्ड्स खण्ड-1, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनी सोटा प्रेस, लंदन

5. एंथनी गिडेंस, दि रनवे वर्ल्ड, हाउ ग्लोबलाइजेशन इन रिशेपिंग अवर लाइव्ज, प्रोफाइल बुक्स लिमिटेड, लंदन 2002
6. दत्त, रूद्र एवं सुन्दरम, के0पी0एम0 "भारतीय अर्थव्यवस्था" एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, 2003
7. भारद्वाज, रंगनाथ, "भूमण्डलीकरण अर्थव्यवस्था में ज्ञान" योजना, फरवरी 2006
8. दूबे, अभय कुमार (स0), भारत का भूमण्डलीकरण, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, 2003
9. कुमार अमित सिंह, भूमण्डलीकरण और भारत : परिदृश्य और विकल्प, सामयिक प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2010
10. आईरैने टिंकर, पर्सिस्टेंट इन इनइक्वालिटीज : वोमैन एण्ड वर्ल्ड डवलपमेंट, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1990
11. भगवती, जगदीश, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ऑक्सफोर्ड, नई दिल्ली, 2004, पृ0 66-67
12. दीक्षित राजीव "भूमण्डलीकरण और भारत" वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, 2008



## df"k cky Jfedka dh f'k{kk n'kk vksj fn'kk

Jherh cfcrk ; kno\*

आज के बच्चे कल के भविष्य है यह पुरानी कहावत है देश की एक तिहाई जनसंख्या बालकों की है जिनमें आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में है।

वैसे तो बाल श्रमिक शहरी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, किन्तु ग्रामीण बाल श्रमिकों की संख्या कम नहीं है हालांकी इन पर सरकार तथा अन्य संगठनों का ध्यान नहीं जाता।

2006 से ही केन्द्र सरकार ने होटल, रेस्तरा, चाय की दुकानों, ढावों, भोजनालयों और घरों में नौकरों के रूप में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को रखने पर रोक लगा रखी है। लेकिन इससे स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है, वही ग्रामीण अंचलो में इस प्रकार की कोई रोक नहीं है।

गाँवों में छोटे-छोटे बच्चे कृषि मजदूर की तरह कार्य करते हैं, कुछ अपने घर में सदस्यों का खेतों में हाथ बटाते है तथा कुछ दैनिक मजदूरी पर अन्य खेतों में कार्य करते हैं, जिसमें घास काटना, चारा बनाना और पालतू जानवरों को खिलाना, खेतों में उर्वरक डालना, खेतों की कटाई, रोपाई, तथा दबाई का कार्य करते हैं। वैसे तो ये कार्य साधारण लगते हैं, परन्तु ये जोखिम भरे हैं। बालकों को कभी-कभी कृषि-यन्त्रों के चपेट आने से मृत्यु तक हो जाती है। वहीं कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक खतरनाक प्रभाव डालते है। ये बालक अपने परिवार की आय में वृद्धि करने हेतु मजदूरी करने को मजबूर होते हैं, वही उनकी शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बालक सरकारी स्कूलों में नामांकन कराकर ये कार्य करते है। अतः शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिल पाता। बचपन चाहे शहर का हो या ग्रामीण अंचल का एक ऐसी उमर है, जब उन्हें बाल जीवन का आनन्द उठाने, स्कूल जाकर पढ़ने लिखने, खेलने मित्रता करने और माता-पिता के साहचर्य का मौका मिलना चाहिए, लेकिन भारत के सभी बच्चों को इस आदर्श स्थिति की गारंटी नहीं मिल सकती। बाल श्रम में मुख्य दुखद बात यही है, कि बच्चों को काम करने के लिए विवश किया जाता है, इसका मुख्य कारण है, गरीबी।

यह भी सच है कि अगर काम नहीं करेगे तो भुखों मरेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी कृषि योग्य जमीन नहीं होती, वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके ही जीवन यापन करते हैं।

---

\* असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, बदायूँ।

कृषि श्रम एक प्रव्या ही नहीं सामाजिक, आर्थिक समस्या है। इसकी जड़े हमारी व्यवस्था में गहरी बैठी है। कम पारिश्रमिक पर काम करने वाले कृषि श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तथा उन्हें समयावधि से अधिक समय तक काम पर रखा जा सकता है।

सरकार ने बालश्रम उन्मूलन हेतु अनेक प्रयास किये हैं जिसमें—

- बागानश्रम अधिनियम – 1951
- चाइल्ड (प्लेजिंग आफ लेवर) अधिनियम – 1993
- चाइल्ड लेवर – प्रोहिबिशन एवं रेग्यूलेशन अधिनियम – 1986
- बीड़ी एवं सिगार अधिनियम – 1956

वर्ष 1986 में राष्ट्रीय बालश्रम नीति के अस्तित्व में आने से भारत में बालश्रम उन्मूलन के प्रयासों को नयी दिशा मिली।

सरकार द्वारा ग्रामीण साक्षरता दर बढ़ाये जाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार के हर वजट में ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई न कोई पहल की जाती है। सरकार की ओर से ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में सुधार और साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जो इस प्रकार हैं —

शिक्षा का अधिकार कानून में सभी को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। जिसमें कृषि तथा अन्य मजदूर भी सम्मिलित हैं। यहाँ तक कि गावों में आज स्कूल तेजी से खुल रहे हैं, परन्तु उस अनुपात में शिक्षक नहीं होते। यहाँ तक केन्द्र सरकार की ओर से ग्रामीण महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अन्य योजनाएँ निम्न प्रकार हैं —

1. साक्षर भरत अभियान को 8 सितम्बर 2009 से लागू किया गया इसके जरिए निरक्षर लोगों को कामचलाऊ साक्षर बनाने तथा नवसाक्षरों को बुनियादी शिक्षा से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह देश के 372 जिलों में चलाया जा रहा है।
2. मध्याह्न भोजन योजना के जरिए जहाँ बच्चों का नामांकन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वहीं उनमें कुपोषण की समस्या भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है।
3. मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है, यह योजना देश के हर विकास खण्ड में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य गाँवों के प्रतिभाशाली बच्चों को मॉडल स्कूलों के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है।

4. सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षा के साथ ही प्राथमिक शिक्षा का भी सुदृढीकरण किया जा रहा है। यह 2009 में शुरू की गयी थी। लगभग 40 हजार माध्यमिक स्कूल खोले जा चुके हैं और 20 हजार स्कूलों का सुदृढीकरण किया गया है।
5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ग्रामीण छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए योजना तैयार की गयी है।
6. केन्द्र सरकार की ओर से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

यहाँ तक कि केन्द्र सरकार बालिका शिक्षा के मामले में हमेशा ही गंभीर रही है। इनके लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 8 तक के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा ड्रेस आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। देश में 3439 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं के लिए 1925 छात्रावासों को मंजुरी दी गयी है।

यहाँ तक की देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों विशेषकर कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने बाला शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। इसके साथ ही संविधान के अनु0 21 के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन चुका है तथा इसी तरह अनु0 51CA में एक अनु0 जोड़कर बच्चों को शिक्षा देना माता-पिता का मौलिक कर्तव्य भी बना दिया गया है। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ।

बाबजूद इसके सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि माता पिता द्वारा भी बालकों को विद्यालय न भेजकर मजदूरी करने को विवश किया जाता है। विभिन्न राज्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्रसारित करने के विभिन्न प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत राजस्थान द्वारा पन्नाधाय जीवन अमृत योजना, शारदेय बालिका छात्रावास योजना, छात्राओं को साइकिल व स्कूटी प्रदान करने की योजना, मिड-डे मील योजना आदि चलाई जा रहीं हैं, साथ ही अल्पसंख्यकों को शिक्षा के लिए भी विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं। फॅलोशिप प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार सभी राज्यों द्वारा भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

ग्रामीण बालक/बालिकाओं को रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था सरकार

द्वारा की जा रही है, जिससे ये बड़े होकर रोजगार पा सकें किन्तु बाल मजदूरी के कारण इनकी प्राथमिक शिक्षा भी मिल पाना मुश्किल हो रहा है।

सरकार द्वारा सभी बालक/बालिकाओं को शिक्षित करने के विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, फिर भी परिस्थितिवश मजबूर बालक/बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

सामान्यतः मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान ही शामिल हैं इन्हें प्राप्त करने के बाद ही शिक्षा की तरफ ध्यान जाता है। अतः गरीबी से विवश माता पिता द्वारा अपने बालकों को प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा दिया जाता है। केवल सरकार के द्वारा ही नहीं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी गाँवों में साक्षरता के प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत में लगभग 81 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनमें से साढ़े चार लाख बच्चे बालश्रमिक हैं। अतः स्पष्ट है कि बालश्रमिकों का अधिकांश भाग अशिक्षित है।

ऐसे ही बालकों को जिन्हें सम्पूर्ण पोषण तथा वस्त्र उपलब्ध नहीं हैं के लिए सरकार मध्याह्न भोजन योजना तथा छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान कर रही है साथ ही मुफ्त किताबें और ड्रेस वितरित की जा रही हैं।

वास्तव में इन योजनाओं का कुछ ज्यादा फायदा बालश्रमिकों को नहीं हुआ है। चूँकि बालश्रमिक केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं करता वरन् अपने पारिवारिक आय में वृद्धि भी करता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ केवल बालक को है। इससे पारिवारिक आय में वृद्धि नहीं होती। अतः बालश्रमिक श्रम करना नहीं छोड़ता।

NASSO के 2009 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 5 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों की संख्या भारत में 49.84 लाख थी वहीं 2001 की जनगणना में 1.26 करोड़ थी जिनमें ग्रामीण बाल श्रमिकों की संख्या 4238372 थी जो कुल बाल श्रमिकों का 85.04 प्रतिशत है और सर्वाधिक बालश्रमिकों की संख्या उत्तर प्रदेश में पायी गयी।

कृषि क्षेत्र में काम करने वाले बालश्रमिकों का अधिकांश भाग प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित है इनके सामने विकल्प नहीं है। पारिवारिक समस्याएँ प्रथम वरियता में होती हैं।

कुछ सरकारों द्वारा रात्रि कक्षाओं का आयोजन गाँवों में इसी दृष्टि से किया जाता रहा है। जिसका ज्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं पडा है। फिर भी रात्रि कक्षाएँ एक विकल्प का कार्य कर सकती हैं। सरकारों द्वारा इस कार्य को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

बालक राष्ट्र का भविष्य है। चाहे वे सामान्य बालक हों या फिर बाल श्रमिक। समाज के विकास में सम्पूर्ण योगदान करते हैं। कृषिक बालश्रमिक यदि साक्षर होगा तभी नवीनतम कृषि विधियों को जान सकता है और अपने कार्य में उत्कृष्टता लाकर पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकता है। जरूरत है इनके साक्षरता के लिए बेहतर प्रयास तथा पुनर्वास की।

### I UnHk xJFk I pht%

1. सम्बन्धित व्यक्तियों के साक्षात्कार
2. Child labour in education : ML nararsihan page 120,125,205.
3. Indian women workers:Usha Sharma Page 85, 89.
4. कुरुक्षेत्र – सितम्बर 2018
5. Child labour in India: Rakha Sharn Page 75,105,115
6. समसामयिक घटना चक्र – जनवरी 2012
7. दृष्टि वार्षिकांक
8. समसामयिक घटना चक्र – जनवरी 2012
7. दृष्टि वार्षिकांक – 2012, पेज 22
8. प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक (भारतीय अर्थ व्यवस्था) – 2011–2012 पेज 188,189
9. योजना – मई 2008





## हकजर एालेक्ट्रिक; लडस {क= एादस; ज ध I EHKkouk; a

MkK cdkh/kj ik.Ms \*

MkK fufe"kk xqrk\*

दान, परोपकार, कल्याण, मानवाधिकार, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय आदि सद्विचारों से **vk; kf; r** समाजकार्य व्यवसाय के अभ्यासकर्ताओं व कार्यकर्ताओं के प्रति आम नागरिकों की धारणा होती है कि वे त्याग, बलिदान व सेवा की प्रतिमूर्ति होंगे तथा ऐसे व्यक्तियों की न तो कोई व्यक्तिगत आवश्यकता होती है न ही उनका कोई निजी जीवन होता है। ऐसे व्यक्ति अत्यन्त चरित्रवान् व नैतिक भी होते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं व अभ्यासकर्ताओं को प्राप्त होने वाला पारितोषिक भी उनकी योग्यता व परिश्रम की तुलना में बेहद कम होता है। परम्परागत रूप से यह धारणा व्याप्त रही है कि यह व्यवसाय अत्यधिक नेक नीयत (Noble) वाला है अतः इसके अभ्यासकर्ताओं को किसी आर्थिक लाभ की न तो अपेक्षा होनी चाहिए न ही लालसा, उसे तो बस उतना पारितोषिक प्राप्त हो जाना चाहिए जिसमें उसकी न्यूनतम आवश्यकताएँ किसी भी प्रकार पूरी हो जाए। सम्भवतः इसीलिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी विद्यार्थी समाज कार्य के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से कतराते हैं क्योंकि आज के आर्थिक युग में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक अर्जन करना तथा तड़क-भड़क (Glamorous) वाला जीवन व्यतीत करना चाहता है और समाजकार्य के पाठ्यक्रम ऊपरी तौर पर अभ्यर्थियों की इन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखायी नहीं देते हैं। परन्तु क्या वास्तव में समाजकार्य व्यवसाय के अभ्यासकर्ताओं की प्रगति व उन्नति की सीमाएँ (Limitation) हैं? या यह मात्र एक भ्रम है? क्या समाजकार्य व्यायसायिकों के भी प्रगति व उन्नति की अपार सम्भावनाएँ हैं? और समाज कार्य में भी बेहतर कैरियर की सम्भावना है? हम इसी मुद्दे पर अगले कुछ पृष्ठों में विचार करेंगे। ऐसा करते हुए विचारणीय बिन्दु अधोलिखित होंगे।

- समाज कार्य व्यवसाय की आवश्यकता या उपयोगिता।
- समाज कार्य व्यवसायिक की आवश्यक योग्यता उपाधि व कौशल।
- समाज कार्य के विभिन्न उपाधि धारकों हेतु कैरियर की सम्भावनाओं का अवसर।

---

\* समाजकार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

समाजकार्य एक उपचारोन्मुख व्यवसाय है, जो मनोसामाजिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करता है कि वह व्यक्ति अपनी समस्या के स्वरूप व कारणों की पहचान कर पाने में भी सक्षम हो सके। तथा उन कारणों को दूर कर पाने में भी सक्षम हो सकें व्यवसाय तथा भविष्य में भी इस प्रकार की स्थिति आने पर वह भलीभाँति उसका निराकरण कर सकें। अर्थात् समाज कार्य व्यक्ति करें पर निर्भरता में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। ऐसा करने के लिए समाज कार्य व्यक्ति की सहायता व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर तथा सामुदायिक स्तर पर करता है। समाज कार्य ने व्यक्ति की सहायता हेतु छः विधियों का विकास किया है जिनके द्वारा एक ओर तो व्यक्ति में समायोजन की क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाता है तो दूसरी ओर सामाजिक संरचना में भी यथोचित वांछित परिवर्तन लाने हेतु प्रयास किया जाता है ताकि व्यक्ति के जीवन को सुगम बनाया जा सके। समाजकार्य व्यवसाय प्रारम्भ से ही मानता रहा है कि मानवीय कष्ट अनपेक्षित हैं तथा इसे दूर करने का हर सम्भव प्रयास होना चाहिए। सम्भवतः इसीलिए समाज कार्य प्रत्येक काल व प्रत्येक स्थान पर प्रासंगिक रहता है। वर्तमान युग में भी समाज कार्य की आवश्यकता व उपयोगिता बनी हुई है क्योंकि सामाजिक जटिलताओं के फलस्वरूप व्यक्ति में अकेलापन, नैराश्य, असफलता को सहन नहीं कर पाने की क्षमता, व्यक्तिगत सम्बन्धों में असफलता, भावनात्मक असन्तुलन, साम्प्रदायिक व जातीय वैमनस्यता, पारिवारिक कलह, चरम भौतिकवाद, गैर वास्तविक अपेक्षाएं आदि समस्यायें दिनोदिन बढ़ती ही जा रही हैं जो एक तरफ व्यक्ति को तो दूसरी तरफ सामाजिक ढाँचे को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। व्यक्ति की शारीरिक व्याधियों का उपचार करने हेतु तो योग्यतम चिकित्सक उपलब्ध है परन्तु उसकी मनोसामाजिक दशा में सुधार हेतु समाज कार्य व्यवसायिक ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं। इसी कारण यह कहना समीचीन है कि समाज कार्य वर्तमान युग में अत्यधिक उपयोगी व प्रासंगिक व्यवसाय है।

समाज कार्य व्यावसायिक का आचरण विद्वान् की तरह न होकर समस्याओं में हस्तक्षेप के द्वारा व्यक्ति, परिवारों, समूहों या समुदायों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की ओर उन्मुख होता है। इस हेतु एक पूर्ण अनुशासित, प्रशिक्षित व दक्ष व्यावसायिक की आवश्यकता होती है। सामाजिक कार्यकर्ता में एक ओर जहाँ सामाजिक संरचना, परिस्थितियों, वातावरण, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं, मानवीय व्यवहार, प्रशासन, सामाजिक गत्यात्मकता मानवाधिकार, सामाजिक न्याय आदि के विषय में सैद्धान्तिक जानकारी आवश्यक है, तो दूसरी ओर उसमें सम्बन्ध स्थापना, संचार, (लिखित, मौखिक एवं अमौखिक) शोध, बेहतर

समन्वय स्थापित करने, पर्यावरण के साथ समायोजन, मानवीय व्यवहारों की समझ, सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं का संगठन एवं प्रबन्धन, परामर्श या मन्त्रणा, साक्षात्कार आदि के कौशल भी होने चाहिए। समाज कार्य व्यावसायिक में प्रतिक्रियाओं व आलोचनाओं के प्रति सहनशीलता व व्यावसायिक प्रतिबद्धता भी अपेक्षित होती है। विभिन्न पदों पर रहते हुए सामाजिक कार्यकर्ता को अनेक प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन भी करना होता है इसीलिए उतने प्रशासनिक कौशल भी अपेक्षित होता है। इन सभी गुणों का किसी भी व्यक्ति में विद्यमान होना एक दुर्लभ संयोग मात्र ही हो सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने हेतु इच्छुक व्यक्ति को एक सफल अभ्यासकर्ता या व्यावसायिक बनने हेतु एक कठोर एवं योजनाबद्ध प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जिसमें सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जाता हो।

विश्व भर में अनेकों अकादमिक व शैक्षणिक संस्थान उपरोक्त उद्देश्यों के आलोक में ही समाजकार्य का व्यावसायिक प्रशिक्षण स्नातक, परास्नातक एवं शोध के स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ सोशल वर्क, स्नातकोत्तर स्तर पर मास्टर ऑफ सोशल वर्क, एम0फिल0—समाजकार्य व शोध के स्तर पर समाज कार्य विषय में पी0एच0डी0 की उपाधि देने वाले पाठ्यक्रम संचालित हैं। ये पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भाँति ही संचालित होते हैं। भारत में समाजकार्य के व्यावसायिक परिषद् (Professional Council) नहीं होने के कारण इन पाठ्यक्रमों की संरचना व रूपरेखा प्रायः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के आलोक में ही होती है। कुछ संस्थानों में समाजकार्य में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम या डिप्लोमा पाठ्यक्रम चल रहे हैं परन्तु इनकी संख्या नगण्य ही है। स्नातक या परास्नातक स्तर पर समाज कार्य के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी किसी भी विषय के हो सकते हैं। इसी कारण समाज कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यावसायिकों की पृष्ठभूमि अलग-अलग होती है।

समाजकार्य में स्नातक, स्नातकोत्तर या पी-एच0डी0 उपाधि धारकों हेतु भारत में रोजगार की अपार सम्भावनाएँ हैं। परन्तु भारत में समाज कार्य भी स्नातकोत्तर उपाधि धारकों को ही रोजगार हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है। इसीलिए एम0एस0डब्ल्यू0 पाठ्यक्रम युवाओं को बहुत अधिक आकर्षित करता रहा है। समाजकार्य की शिक्षा देने वाले अधिकांश शैक्षणिक संस्थान स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को विशेषीकरण प्रदान करते हैं। इन विशेषीकरणों

में परिवार एवं बाल कल्याण, ग्रामीण, और नगरीय विकास, श्रम कल्याण, मानव संसाधन प्रबन्ध, चिकित्सकीय, समाजकार्य, मनः चिकित्सकीय समाजकार्य, अपराध सुधार प्रशासन या सुधारात्मक समाजकार्य, जनजातीय विकास, नीति, नियोजन एवं प्रशासन, आपदा प्रबन्धन मानवाधिकार आदि प्रमुख हैं। रोजगार की सम्भावनाएँ भी इन्हीं विशेषीकरणों के आलोक में सृजित होती हैं। समाजकार्य पाठ्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिकता, व्यावसायिकत दक्षता, प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण और लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास, समाजकार्य अभिकरणों का प्रबन्धन व प्रशासन करने की योग्यता आदि विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है।

भारत में एवं वैश्विक स्तर पर समाजकार्य के व्यवसायिकों का भविष्य बहुत उज्ज्वल दिखायी देता है। विभिन्न स्तरों पर समाजकार्य की उपाधि प्राप्त करने वाले व्यावसायिकों को सरकारी, निजी, कार्पोरेट क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, उच्च शिक्षा आदि क्षेत्रों में कैरियर बनाने के अनेक अवसर हैं। जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत में मास्टर ऑफ सोशलवर्क (M.S.W) पाठ्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय है, अतः सर्वप्रथम हम एम0एस0डब्ल्यू0 उपाधि धारक व्यावसायिकों हेतु कैरियर की समानताओं पर प्रकाश डालेंगे।

प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता को सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में कैरियर बनाने के अपार अवसर हैं। सरकारी क्षेत्रों में केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर विभिन्न पदों यथा बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मानव संसाधन प्रबन्धक, औद्योगिक सम्बन्ध अधिकारी, कार्मिक प्रबन्धक, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में प्रबन्धक आदि के रूप में व्यावसायिकों की नियुक्त किया जाता है। इन नियुक्तियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाएँ या साक्षात्कार या दोनों ही आयोजित किये जाते हैं। समाजकार्य में स्नातक व्यावसायिकों (महिला) को समेकित बाल विकास परियोजना में मुख्य सेविका (सुपरवाइजर) के पदों पर रोजगार प्राप्त करने का अवसर होता है। चिकित्सकीय व मनोचिकित्सकीय समाज कार्य में विशेषीकृत व्यवसायिक विभिन्न चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता, मनः चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता, काउन्सलर आदि के रूप में कैरियर के रूप में शुरुआत कर सकते हैं।

कार्पोरेट क्षेत्र में भी व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता मानव संसाधन प्रबन्ध के क्षेत्र में अपने लिए कैरियर तलाश सकते हैं। वर्तमान समय में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से विभिन्न कार्पोरेट घरानों, संगठनों द्वारा अनेक सामाजिक हित व महत्व के कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों में नियोजन क्रियान्वयन, प्रबन्ध आदि में सामाजिक कार्यकर्ता अपने ज्ञान व कौशल का प्रयोग कर सेवाओं

को प्रभावशाली बना सकता है। इसीलिए अधिकांश कार्पोरेट संगठन व घरानों, सी0एस0आर0 (C.S.R) गतिविधियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। इस दृष्टि से समाज कार्य व्यावसायिकों के लिए यह एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें रोजगार के स्वर्णिम अवसर हैं।

समाजकार्य के व्यावसायिकों के लिए विभिन्न शोध संस्थानों में भी कैरियर की सम्भावनाएँ हैं। परन्तु ऐसे संस्थानों में कैरियर बनाने के इच्छुक व्यक्तियों को अपने अन्दर शोध अभिज्ञता व कौशल विकसित करना होता है। साथ ही शोध के क्षेत्र में उसकी व्यवसायिक रुचि होनी भी आवश्यक है। इसी प्रकार प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों के साथ मिलकर या स्वतन्त्र रूप से कन्सल्टेंट (Consultant) के रूप में भी इस क्षेत्र में कैरियर विकसित किया जा सकता है। यद्यपि भारत में Clinical Social Work का प्रचलन नहीं है, तथापि आने वाले दिनों में यह क्षेत्र भी समाजकार्य व्यावसायिकों के लिए एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ रोजगार की प्रचुर सम्भावनाएँ होंगी।

समाजकार्य का एक नया उभरता हुआ क्षेत्र विद्यालयी, समाजकार्य है। इस क्षेत्र में विद्यालयी समाज कार्यकर्ता के रूप में, स्कूल काउन्सलर के रूप में या कन्सल्टेंट के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता विद्यालयी परिस्थिति में विद्यार्थी के अध्ययन में आने वाली गैर जरूरी बाधाओं को दूर करने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहते हैं। साथ ही साथ छात्र-छात्राओं को उनकी योग्यता व रुचि अनुसार कैरियर मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। विद्यालयी सामाजिक कार्यकर्ता पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से छात्र-छात्राओं के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु भी प्रयत्न करते हैं। विद्यालयी वातावरण को सौहार्द्रपूर्ण व विद्यार्थी हित में बनाने हेतु कार्यकर्ता विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों, अभिभावकों आदि के साथ ही मिलकर कार्य करता है तथा विद्यार्थी के समग्र विकास हेतु योजनाबद्ध ढंग से कार्य करता है। इसीलिए विद्यालयों में काउन्सलर या विद्यालयी सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति का प्रचलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह क्षेत्र समाज कार्य व्यावसायिकों के कैरियर निर्माण में महत्वपूर्ण होगा।

इन क्षेत्रों के अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठनों के साथ समाज कार्य व्यवसाय का नाता प्राचीन एवं सशक्त रहा है। जैसे-जैसे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, वैसे-वैसे गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका का महत्व बढ़ रहा है। भारत में अनगिनत गैर-सरकारी संगठन सामाजिक विकास, पर्यावरणीय विकास, जेण्डर समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, शिशु कल्याण,

महिला सशक्तिकरण, वृद्ध कल्याण, बाल श्रम उन्मूलन, मानव तस्करी व बन्धुआ मजदूरी उन्मूलन, एचआईवी/एड्स जागरूकता, गरीबी उन्मूलन आदि क्षेत्रों में न केवल कार्य कर रहे हैं, बल्कि इससे सम्बन्धी नीति नियोजन व कानूनों के निर्माण में भी इनका दखल रहा है। इन संगठनों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन, राष्ट्रीय स्तर के गैर सरकारी संगठन व सरकारी संगठन हैं। इन सभी संगठनों को ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनमें केवल सेवा का जज्बा हो, बल्कि, उन्हें इस क्षेत्र की जानकारी तथा इस क्षेत्र में काम करने की दक्षता व योग्यता भी हो। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अनेकों गैर सरकारी संगठन यथा यूनिसेफ (UNICEF), यूनेस्को (UNESCO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O), विश्व बैंक (World Bank), यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेण्ट प्रोग्राम (UNDP) केयर (CARE), क्राई (CRY), एसओएस बालग्राम (SOS Childrens Village), वाईएमसी (YMCA), वाईडब्ल्यूसी (YWCA), रेडक्रास सोसाइटी (Redcross Sociey), प्लान इण्टरनेशनल (Plan International), वर्ल्ड विजन (World Vision), वर्ल्ड वाइड लाइफ (World Wide Life) आदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाजकार्य व्यवसायिकों को अपने संगठन में अनेक स्तरों पर नियुक्त करते हैं। इनमें वे व्यवसायिक भी होते हैं जिन्होंने अपनी उपाधि तुरन्त प्राप्त की हो। इस दृष्टि से इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में समाजकार्य व्यावसायिकों के कैरियर की अपार सम्भावनाएँ हैं।

राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर भी अनेकों प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इन संगठनों में सेवा (SEWA), इण्डियन काउन्सिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर (ICCW), प्रयास (PRAYAS), नव ज्योति फाउण्डेशन (Nav Jyoti Foundation), चाइल्ड लाइन (Child Line), समर्थन (Samarthan), सीकोडेकान (CECOEDECON), सहभागी (SAHBHAGI), सहयोग (SAHYOG), कास्प (CASP), सलाम बालक ट्रस्ट (Salam Balak Trust), सुलभ इण्टरनेशनल (Sulabh International), अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (All India Women Contennce), विश्व युवा केन्द्र (International Youth Centre), सेवा मन्दिर (Sewa Mandir), एसपीवाईएम (Society for Promotion of Youth & Masses), वनवासी सेवा आश्रम (Vanwasi Sewa Ashram), कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, स्माइल फाउण्डेशन, प्रथम (PRATHAM), दीपाल्या, गूँज, सूत्रा (SUTRA), उड़ान, लेप्रा सोसाइटी, हेल्पेज इण्डिया (Help Age India), प्रदान चेशायर होम (CheHsire Home), जागोरी (JAGORI) (Break Through, PRIA] I-HAT), रिलायन्स

फाउण्डेशन, किरन सोसाइटी, अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन, रामकृष्ण मिशन, वात्सल्य आदि प्रमुख हैं। इन संगठनों व इनके ही जैसे अन्य संगठनों में समाज कार्य के नए व पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिकों हेतु उनकी योग्यता व रुचि के अनुरूप कार्य रहते हैं। इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न पदों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के साथ ही साथ व्यवसायिकों को इन संस्थाओं में कैरियर विकास के भी अवसर उपलब्ध होते हैं।

सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के अतिरिक्त अनेकों ऐसे स्वायत्तशासी संगठन भी हैं, जो अलग-अलग सामाजिक मुद्दों पर शोध, कार्यक्रम नियोजन, मूल्यांकन, अनुश्रवण, आदि कार्यों को कर रहे हैं तथा इन्हें सरकार से विशेष दर्जा या मान्यता प्राप्त है। ऐसे संगठनों में राष्ट्रीय जनसहभागिता व बाल विकास संस्थान (NIPCCD), राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिरक्षा संस्थान (NISD), कपार्ट (CAPART), राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD), राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन (NACO), राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी (SACS) आदि सम्मिलित हैं। इन संगठनों व विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा एन0आर0एच0एम0 (NHRM), मनरेगा (MNREGA) आदि में भी प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता अनेक स्तरों पर होती है तथा इनमें भर्ती हेतु विज्ञापन भी समय-समय पर निकलते रहते हैं। इनके लिए जिले स्तर पर तथा राज्य स्तर पर सामाजिक कार्य के व्यावसायिक नियुक्त होते हैं। इसी प्रकार सुधारात्मक संस्थाओं में भी सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सुधारात्मक संस्थाओं में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी अपना संगठन भी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराकर, विभिन्न दानदाता संगठनों से अनुदान प्राप्त कर, विकास कार्यों में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

भारत में समाजकार्य के नवीन अभ्यासकर्ता या व्यावसायिक को विभिन्न क्षेत्रों में उसकी रुचि व योग्यता के अनुरूप अपना कैरियर प्रारम्भ करने तथा उसे सही दिशा देने हेतु अपार सम्भावनाएँ हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने हेतु अपने विषय के सन्तुलित ज्ञान के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता में संचार कौशल (लिखित, मौखिक व अमौखिक) मानवीय व्यवहारों की समझ, प्रशासनिक कौशल, प्रतिवेदन आलेख की योग्यता, साक्षात्कार करने व परामर्श देने का कौशल, दूसरों को सम्मान प्रदान करने का गुण, सेवार्थी की बातें सुनने तथा उसका सही अर्थ समझने की योग्यता आदि का होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि समाज कार्य अभ्यासकर्ता से सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ ही साथ व्यावहारिक ज्ञान की भी अपेक्षा

की जाती है। अतः अपने पाठ्यक्रम अध्ययन के दौरान ही विद्यार्थी को इन कौशलों व गुणों को भी अपने व्यक्तित्व का अंग बनाने हेतु प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जैसे अनेक समाजकार्य शिक्षण संस्थानों में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों में उपरोक्त गुणों के विकास हेतु योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किया जाता रहा है।

समाज कार्य विषय के विद्यार्थी यदि स्नातकोत्तर उपाधि के बाद शोध उपाधि भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी उनके लिए अवसरों की कमी नहीं है। समाजकार्य के लगभग सभी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में पी-एचडी उपाधि भी दी जाती है। पी0एच0डी0 उपाधि हेतु शोध करने वाले शोधार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) इण्डियन काउन्सिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च (ICSSR) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अपराध विज्ञान और सुधारात्मक प्रशासन (गृह मन्त्रालय), यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एवं अन्य स्वयंसेवी संगठनों आदि के द्वारा पूर्णकालिक या आंशिक अध्येतावृत्ति (Fellowship) प्रदान की जाती है। अनेक विश्वविद्यालय या संस्थान से अपने उक्त शोधार्थियों को जिन्हें कहीं अन्यत्र फेलोशिप नहीं प्राप्त हो रही हो, उन्हें, विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान की ओर से भी शोधवृत्ति प्रदान करते हैं।

समाजकार्य के विद्यार्थी पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त करके या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Eligibility Test) अर्थात् नेट उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्यापक के रूप में भी कैरियर बना सकते हैं। समाजकार्य में जिस प्रकार से उच्च शिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, उस दृष्टि से शैक्षणिक अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कैरियर निर्माण का सुनहरा अवसर है।

अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि समाज कार्य मात्र सेवा न होकर एक कैरियर के रूप में भी बेहतर विकल्प है। यदि किसी युवा की रुचि लीक से अलग हटकर कुछ करने की हो तथा उसमें लोगों की सेवा करने का भी भाव हो तो उसके लिए समाज कार्य से बेहतर विकल्प कोई नहीं है। आज भारत सहित सम्पूर्ण विश्व को योग्य, प्रतिबद्ध व जागरूक, ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो अपने अथक परिश्रम, लगन व योग्यता के द्वारा कार्य प्रशिक्षण ग्रहण करके संकट में फंसे हुए विपत्ति झेल रहे, अकेलेपन के शिकार या इसी प्रकार की अन्य समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन में खुशहाली के रंग भर सकें। यह एक ऐसा व्यवसाय है, जो युवाओं



को बेहतर कैरियर के साथ-साथ अपार सन्तुष्टि भी प्रदान करेगा, क्योंकि, उनके द्वारा किया गया कार्य शान्ति व समृद्धि की दिशा में विश्व को एक कदम आगे ले चलेगा।

**I UnHkZ xJFk I ph %**

1. hindimedia.in>ample.opportunities वित्त (स्वयंसेवी क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर डा0 चन्द्र कुमार जैन, नवम्बर 1, 2016)
2. hindi.indiawaterportal.org (भारत में सामाजिक कार्य की वर्तमान सम्भावनाएँ, अनुपम हाजरा)
3. livehindustan.com>news>article (सामाजिक कार्यकर्ता : बदले जिन्दगी का नजरिया प्रस्तुति रुचि गुप्ता)
4. hindi.webduniya.com (समाज सेवा में असीम सम्भानाएँ)
5. <https://hi.m.wikipedia.org>



## स्त्रियों के लिए परदा प्रचलन का इतिहास, विशेष रूप से वैदिक काल

म. वि. वि. विश्वविद्यालय, दिल्ली

भारत में स्त्रियों के लिए परदा प्रचलन कब से प्रारम्भ हुआ, इसको लेकर विद्वानों में गंभीर चर्चा है। वैदिक युग से प्रथम सदी ई०पू० तक हिन्दू समाज में स्त्रियों के लिए परदा अथवा अवगुंठन का कोई प्रचलन नहीं था। स्त्रियाँ बिना परदे के स्वच्छन्दता पूर्वक आ-जा सकती थी तथा पुरुषों के साथ हिल-मिल सकती थी। सह शिक्षा का व्यवहार स्त्री-पुरुष दोनों को समान रूप से उन्मुक्त वातावरण प्रदान करता था। पूर्व वैदिक काल में वधू सभी आगतों को दिखाई जाती थी<sup>1</sup> तथा यह आशा करती थी कि वह अपनी वृद्धावस्था तक जनसभाओं में बोल पाएगी। यह नहीं, नवविवाहिता बहू, सास, ससुर, ननद और देवरों पर सामाज्य बनकर जाती थी, जो परदा के विरुद्ध उन्मुक्तता की ओर संकेत करता है। उस युग में स्त्रियाँ विद्वत् (सभा और समिति) तथा समन (उत्सव और मेला) में स्वच्छन्दता पूर्वक सम्मिलित होती थीं।<sup>2</sup> स्त्री के लिए समावती शब्द का भी व्यवहार हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों पर परदा नहीं था।

उत्तरवैदिक कालीन ऐतरेय ब्राह्मण के उल्लेख से ज्ञात होता है कि पुत्रवधुएँ (शनुषा) प्रायः अपने श्वसुर से लजाती हुई दूर खिसक जाती थी।<sup>3</sup> उस युग की प्रायः प्रत्येक सभाओं/गोष्ठी में स्त्री हिस्सा लेती थी, वार्ता करती थी और विचारों का आदान-प्रदान करती थी, ऐसे समारोहों और आयोजनों में उसका सम्मिलित होना स्वागतार्थ था। कभी-कभी स्त्री अपना सम्पत्ति-विषय अधिकार के लिए न्यायालय में जाती थी।<sup>4</sup> अतः परदा जैसे व्यवहार का स्पष्ट संकेत वैदिक युग में नहीं मिलता। अष्टाध्यायी<sup>5</sup> में पाणिनी ने असूर्यम्श्या का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है, ऐसी स्त्री जिसे सूर्य भी नहीं देख सकता। इसकी व्याख्या 'असूर्यम्श्या राजदारः' से की गई है अर्थात् राजा की स्त्रियाँ ही असूर्यम्श्या होती थीं। महाकाव्य काल के युग में इसका अवश्य प्रारम्भ हो गया था। राज-परिवारों और अभिजात वर्ग की स्त्रियाँ सम्मान और गरिमा को व्यक्त करने के लिए लज्जा भाव से अपने मुख पर अवगुंठन डाल लिया करती थी ताकि लोगों की दृष्टि उन पर न पड़े। सीता जब राम के साथ वनगमन के लिए सन्नद्ध हुई तो कहा गया कि जो महिला

\* पूर्व शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

आकाशचारियों द्वारा भी कभी नहीं देखी गई वह अब राजमार्ग के सभी लोगों द्वारा देखी जायेगी। यद्यपि यह कवि की अतिशयोक्ति ही थी, तथापि रामायण में यह कहा गया है कि विवाह स्वयंवर, यज्ञ आदि के अवसर पर स्त्री निर्विरोध सम्मिलित होती थी।<sup>6</sup> महाभारत में कहीं भी परदे का रूढ़ प्रथा के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। द्रौपदी का जुआ खेलते समय सभा-भवन में उन्मुक्त होकर आना परदा के विरुद्ध प्रमाण है। कुन्ती, गांधारी आदि स्त्रियाँ अपने मुख पर अवगुंठन करते नहीं दिखतीं। यही नहीं रामायण काल में कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जैसी स्त्रियाँ कहीं भी अवगुंठन में नहीं वर्णित की गई है। यह सही है कि बौद्ध युग में कतिपय रानियाँ आवरणयुक्त रथों में आती थी। परन्तु प्रायः ये रानियाँ अवगुंठनहीन ही रहती थी और बिना परदे के स्वच्छन्दता पूर्वक मंत्रियों और अधिकारियों से वार्ता करती थी।<sup>7</sup>

अनेक साहित्यिक ग्रंथों से भी पर्दा-प्रथा पर प्रकाश पड़ता है। भास (दूसरी सदी ईस्वी) के नाटकों में परदे का वर्णन हुआ है। प्राचीनकाल में रानियाँ जहाँ रहती थी उसे 'अन्तःपुर' 'अवरोध' अथवा 'शुद्धान्त' कहा जाता था। प्रायः स्त्रियाँ जब श्रेष्ठ लोगों के सम्मुख जाती थी तो आदर और सम्मान व्यक्त करने के लिए अवगुंठन कर लेती थी। कालीदास के अनेक ग्रंथों में अवगुंठन का उल्लेख हुआ है तथा 'शाकुन्तलम' नाटक में विदित होता है कि दुष्यन्त की राजसभा में जब शकुन्तला गई तो उसने अपना मुँह आवरण से ढक लिया था। जिसे उसने बाद में अपने मुख पर से हटा दिया।<sup>8</sup> 'कादम्बरी' में बाण ने कादम्बरी, महाश्वेता और दूसरे ग्रंथ 'हर्षचरित' में अवगुंठन का वर्णन है तथा राज्यश्री द्वारा अपने पति के सम्मुख आवरण करने का संकेत है।<sup>9</sup> गुप्तयुग की स्त्री-प्रतिमाओं तथा अजन्ता, एलोरा, साँची, भरहुत आदि के चित्रों और मूर्तियों में अवगुंठन का कहीं भी चित्रण नहीं है। सम्राट हर्ष ने लिखा है कि कन्या के लिए परदे की कोई आवश्यकता नहीं। विवाह के बाद ही इसकी अपेक्षा की जाती है।<sup>10</sup> भवभूति ने विवृत किया है कि जब राम, सीता, के साथ परशुराम के निकट आदर व्यक्त करने गए तो उन्होंने सीता को अवगुंठन की सलाह दी।<sup>11</sup> माहा जैसे साहित्यकार ने लिखा है कि नारी के मुख पर से अकस्मात् जब अवगुंठन हटता था तब एक क्षण के लिए उसके सौन्दर्य की छवि दीख जाती थी।<sup>12</sup> इन साहित्यिक उद्धरणों से ज्ञात होता है कि तीसरी सदी ईस्वी के पश्चात् कुछ उच्च राजकीय परिवारों में परदे का प्रचलन शनैः-शनैः प्रारम्भ हो गया। कभी-कभी विशेष अवसर पर अथवा वयोवृद्ध और ज्येष्ठ लोगों के सम्मुख जाते समय वधू द्वारा अवगुंठन कर लिया जाता था। वैसे यदा-कदा वधू परदे का प्रतिरोध भी करती थी। 'ललिताविस्तर' में उल्लिखित है

कि बुद्ध की पत्नी गोपा जब पति के साथ जा रही थी तो उससे कहा गया है वह अवगुंठन डाले। इस पर उसने कहा कि जब उसका शरीर संयत है, इन्द्रियाँ सुरक्षित हैं, आचार राग-रहित है और मन प्रसन्न है तब कृत्रिम आवरण से क्या लाभ।<sup>13</sup> फाश्येन, श्वान-च्वांग और इत्सिंग जैसे पूर्व मध्ययुगीन चीनी लेखकों ने अपनी आँखों देखे वर्णन में कहीं भी स्त्री के परदे का उल्लेख नहीं किया है। 'वृहद-कथा मंजरी' और 'कथा सरित्सागर' जैसे ग्यारहवीं सदी के कथा-साहित्य में स्त्री के परदा प्रथा का कहीं भी स्पष्ट संकेत नहीं है, बल्कि 'कथा सरित्सागर' में उल्लिखित रत्नप्रभा नामक नारी ने परदे का विरोध किया है।

कल्हण के राजतरंगिणी में भी परदा प्रथा का कहीं कोई संदर्भ नहीं मिलता। दसवीं सदी के अरब लेखक अबूजैद ने लिखा है कि उसके समय में भारतीय रानियाँ पर्दे के बिना ही राजसभा में उपस्थित होती थी।<sup>14</sup> बारहवीं सदी तक ऐतिहासिक साहित्य में परदा-प्रथा का हम कोई उल्लेख नहीं पाते। पूर्व मध्य युग तक परदा प्रथा चाहे उच्च समुदाय और राजपरिवार में भले ही रही हो, मगर साधारण जनता में इसका पूर्ण प्रचलन नहीं था। स्त्रियाँ प्रायः बिना किसी प्रतिबन्ध के उन्मुक्त और अवगुंठनहीन घूमती थीं। चाहे वह अकेली घूमे या पति के साथ, अक्सर वह बिना आवरण के ही रहती थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि परदा-प्रथा का प्रचलन बारहवीं सदी के बाद ही हुआ, जब देश और समाज विदेशी आक्रामकों से रह-रहकर आक्रान्त होने लगा था और भारतीय स्त्रियों के लिए सुरक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण बन चुका था। परिणाम स्वरूप व्यवस्थाकारों ने हिन्दू समाज में अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए परदा जैसा प्रतिबन्ध लगाया, क्योंकि आक्रामकों की लोलुप दृष्टि सुन्दर स्त्रियों को वे न देख सकें, इसलिए आवरण की व्यवस्था की गई। बाद में आकर परदा हिन्दू समाज का प्रधान अंग बन गया। परदे का अधिक प्रचलन उत्तर भारत में ही हुआ। दक्षिण भारत इस प्रथा से अछूता ही रहा।

### I nHk xFk I ph %

1. ऋग्वेद 10.85.33
2. ऋग्वेद 10.85
3. ऐतरेय ब्राह्मण, 12-11
4. अथर्ववेद, 14.1.21
5. अष्टाध्यायी 3.2.26, रामायण, 2.33.8
6. अष्टाध्यायी, 6.11.28
7. जातक 5, 439,6.31-33,6,237,3001

- 8 रघुवंश 16.59 कुमार संभव, 72, शाकुन्तलम, पृ0 04
- 9 हर्षचरित उच्छवास 4
- 10 नागानन्द, अंक
- 11 महावीरचरित
- 12 महावीर चरित 5.47
- 13 ललित विस्तर
- 14 इलियट, 1 पृ0-11



## ; ϕkvka eajktufsd xfr'khyrk , oafodkl dh i fØ; k ds ifr mHkjr rh vfhkofÜk

MkØ jkeizdk'k fl g ;kno\*

### Hkfiedk %

किसी भी देश की राजनीति वहाँ के युवाओं की चेतना की सर्वाधिक तर्कसंगत एवं संगठित अभिव्यक्ति का प्रभावपूर्ण सामाजिक माध्यम होता है। युवा वर्ग राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक संस्थाओं की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में आत्मसात कर रहे हैं। युवा वर्ग राजनीतिक शब्द के प्रयोग और उसके प्रभावी पक्ष का मूल्यात्मक परिणाम समाज के पद और प्रतिष्ठा से संलग्न करके देखते हैं। वह यह स्वीकार करते हैं कि वृहद सामाजिक संरचना का समाज की राजनीतिक संस्थाओं से परस्पर सम्बन्ध होता है जो कि समाज में एक आदर्शात्मक उपागम को प्रकट करते हैं जिससे प्रतिमानात्मक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राजनैतिक व्यवस्था में पद तथा प्रतिष्ठा का प्रभाव संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण से क्रियान्वित किया जा सकता है। यह अर्जित प्रस्थिति को दर्शाता है किन्तु इसका हस्तान्तरण प्रदत्त प्रस्थिति के माध्यम से ही होता चला आ रहा है।

भारत में राजनैतिक व्यवस्था व्यवस्थात्मक उपागम के स्थान पर संरचनात्मक—उपागम से अधिक प्रभावित रही है। युवाओं में यह पुनर्निवेशन जैसे सम्प्रत्ययों के सम्मिलित होने से अधिक गतिशील हो गयी है। राजनीति व्यक्ति की महात्वाकांक्षा के साथ ही साथ व्यवहारवादी अथवा व्यवहारात्मक उपागम के माध्यम से अधिक लोकप्रिय होती रही है। इसका मूल कारण है कि यह मानव व्यवहार के सम्प्रत्यय को प्रतिष्ठित करती है क्योंकि इसमें व्यक्ति के व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाता है जो भावनावश न होकर कर्म आधारित होता है।

युवा वर्ग द्वारा सामाजिक गतिशीलता के सापेक्ष आने वाली सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करके उनके स्थान पर एक सामाजिक आदर्श को प्रमाणित करने का सफल प्रयास राजनैतिक गतिशीलता के माध्यम से प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में सहमति देने के प्रमुख साधन के रूप में संलग्न होते हैं। जिसमें स्वैच्छिक क्रिया

---

\* असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग (अंशकालिक), महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

के माध्यम से वह समाज के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में राजनैतिक संस्थाओं में अपनी प्रत्यक्ष सहभागिता को दर्शाते हैं।

#### v/; ; u dh l eL; k %

भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में बंधुत्व की भावना एक विशिष्ट गुण के रूप में व्याप्त रही है। इस गुण का सार्थक मूल्यांकन तभी हो सकता है जब युवा वर्ग का सम्पर्क सामाजिक व्यवस्था में राजनैतिक जागरूकता के प्रति होगा। इस क्रम में इस दृष्टिकोण का वृहद अध्ययन आवश्यक है कि सामाजिक सहभागिता उनकी प्रस्थिति एवं भूमिका में आशातीत परिवर्तन को दर्शाती हैं। साथ ही इसका अध्ययन भी स्थानीय स्तर पर राजनैतिक गतिशीलता वृहद स्तर की ओर सम्बन्धित होने का प्रयास एक स्वस्थ सृजन का प्रतीक होगा।

#### v/; ; u dk mnñ; %

शोध कार्य की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का चयन अध्ययन की समस्या के रूप में किया गया है :

1. उन व्यवधानों और समस्याओं का परीक्षण करना जिनका युवा वर्ग राजनीतिक गतिशीलता के अनन्तर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सामना करते हैं।
2. यह परीक्षण करना कि राजनीतिक गतिशीलता एवं सामाजिक न्याय में अन्तःसम्बन्ध की प्रकृति क्या है?
3. संस्थाओं में सहभागिता के प्रोत्साहन और राजनैतिक गतिशीलता के प्रत्यक्ष प्रभावों की रूपरेखा का अध्ययन करना।

#### ifjdYi uk %

अध्ययन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है :

1. इस अध्ययन में यह प्राकल्पित किया गया है कि किस प्रकार से समूह आत्मीयता को विकसित करके अपनी योग्यता को राजनैतिक गतिशीलता के सम्बन्ध में प्रभावोत्पादक बना सकती हैं।
2. युवा स्वयं को परिवर्तन की प्रक्रिया में एक अभिकरण, सहभागी रूप में मूल्यांकित करते हुए राजनीतिक गतिशीलता में अपने पद का मूल्यांकन करते हैं।

#### 'kks'k l kfgR; l oñk.k %

शोध से सम्बन्धित प्रमुख साहित्यों का समीक्षात्मक मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया गया है।

देसाई, ए.आर. भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि (1982) के अन्तर्गत भारत में राजनीतिकरण के विषय में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में राजनीति का प्रभावी स्वरूप सामाजिक जीवन से सम्बन्धित रहा है। जिसका सीधा प्रभाव युवाओं पर पड़ता है। युवा ही नेतृत्वकर्मा की भूमिका को सामाजिक परिदृश्य में स्पष्ट करते हैं।

मिलब्राथ, लेस्टर, (1965) ने पालिटिकल पार्टिसिपेशन में राजनीति से सम्बन्धित प्रत्यक्ष व्यवहार को दर्शाया है। उनका कथन है कि राजनीति का प्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। यह विकास सामाजिक रूप से बहुआयामी होता है।

धर्म वीर (2010) ने राजनीतिक समाजशास्त्र के अन्तर्गत राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक संस्कृति तथा राजनीतिक समाजीकरण के महत्त्व को प्रमुख माना है।

#### 'k's'k dh i fof/k %

प्रस्तुत शोध कार्य के अन्तर्गत विश्लेषणात्मक, अनुभवजन्य और समीक्षात्मक विधि का प्रयोग अनुसंधान हेतु अध्ययन की समस्या के लिए किया गया है।

इस कार्य हेतु प्राथमिक स्रोतों को साक्षात्कार विधि के अनुप्रयोग में प्रयुक्त किया गया है तथा द्वैतीयक स्रोत के माध्यम से सैद्धान्तिक पक्षों का मूल्यांकन परिस्थितिजन्य आधार पर विश्लेषित किया गया है।

#### v/; ; u {ks= %

शोध कार्य की प्रतिपूर्ति हेतु 50 युवाओं का चयन वाराणसी महानगर के तीन विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉ. सम्पूर्णानन्द संस्कृति विश्वविद्यालय तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से चयनित किया गया है। इनके चयन का आधार सोद्देश्य प्रणाली पर आधारित है।

#### I ká[; dh; fo'y'sk.k %

शोध कार्य के महत्त्व को सार्थक बनाने के लिए साधारण सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है जिससे उनके द्वारा प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण मूल्यांकन के रूप में प्राप्त हो सके।

#### jktuhfrd I gHkfxrk %

राजनीतिक सहभागिता के सन्दर्भ में मैक्लोस्की का कथन है कि "राजनैतिक सहभागिता प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में सहमति देने अथवा वापस लेने का एक प्रमुख



साधन है जिसके द्वारा शासकों को शासितों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। राजनीतिक सहभागिता के अन्तर्गत राजनैतिक चर्चाएँ जैसे— क्रिया, व्यवहार से लेकर राजनीतिक दल की सक्रिय क्रियाओं तक को सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक सहभागिता केवल प्रजातन्त्रीय व्यवस्थाओं तक ही सीमित नहीं है अपितु यह अन्य व्यवस्थाओं में पायी जाती है। उत्तरदाताओं से उनकी राजनीतिक सहभागिता सम्बन्धित विचारों को प्राप्त किया गया जिसका विवेचन सारिणी संख्या 1:1 में दिया गया है :

**I kfj .kh I 4; k 1%**  
**jktuhfrd I gHkkfxrk , oamÜkjnrk**

nf"Vdksk	vkofÜk	i fr' kr
हाँ	37	74.00
नहीं	13	26.00
<b>; ksx</b>	<b>50</b>	<b>100-00</b>

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 74.00 प्रतिशत उत्तरदाता सक्रिय राजनीति में सहभागिता करते हैं जबकि 26.00 प्रतिशत उत्तरदाता सक्रिय राजनीति में सहभागिता नहीं करते हैं किन्तु वह राजनीतिक रूचि को प्रकट करते हैं।

अतः कह सकते हैं कि सर्वाधिक उत्तरदाता सक्रिय राजनीति में सहभागिता करते हैं।

**jktuhfrd xfr'khyrk dk i R; {khdj .k %**

समाज में राजनीतिक व्यवस्था हेतु विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिशीलता सन्निहित होती है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज तथा देश की प्रगति से सम्बद्ध होता है। युवा किसी भी देश के भविष्य निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं यह भूमिका राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से जनहित के लिए उपयोगी होती है। चयनित उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आप राजनीतिक गतिशीलता हेतु किस प्रकार के प्रत्यक्षीकरण को आवश्यक मानते हैं। उनसे प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण सारिणी संख्या 1:2 में दिया गया है।

**I kfj .kh I ; k 1%**  
**jktulfrd xfr'khyrk dk iR; {khdj .k**

Lo: i	vkofÜk	i fr'kr
सामाजिक विकास	15	30.00
राजनीति विकास	08	16.00
व्यक्तिगत विकास	10	20.00
अन्य	17	34.00
<b>; ksx</b>	<b>50</b>	<b>100-00</b>

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 34.00 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक गतिशीलता हेतु अन्य प्रकार की गतिशीलता को आवश्यक मानते हैं जबकि 30.00 प्रतिशत उत्तरदाता इसे सामाजिक विकास के माध्यम से स्वीकार करते हैं, 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता व्यक्तिगत विकास को राजनीतिक गतिशीलता हेतु आवश्यक मानते हैं एवं सबसे कम 16.00 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक गतिशीलता को राजनीतिक विकास हेतु आवश्यक मानते हैं।

अतः तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता राजनीतिक विकास हेतु अन्य प्रकार के विकास को आवश्यक मानते हैं। स्वतंत्रवार्तालाप में उत्तरदाता अन्य प्रकार की आवश्यकता के अन्तर्गत धनबल, बाहुबल तथा भ्रष्टाचार को प्रभावी मानते हैं।

**I kelftd U; k; %**

राजनीतिक गतिशीलता के मूल में व्यक्ति सामाजिक न्याय को सर्वाधिक महत्त्व देता है। इस क्रम में वह राजनीति को व्यवस्था परिवर्तन का स्रोत मानता है। जिसके परिणामस्वरूप वह सामाजिक न्याय को स्वीकार करता है। उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आप राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से सामाजिक न्याय को लाने हेतु अपनाये जाने वाले दृष्टिकोण का विवेचन सारिणी संख्या 1:3 में दिया गया है :

**I kfj .kh I d; k 1%**  
**I kekft d U; k; , oamÜkj nkrk**

Lo: i	vkofÜk	i fr' kr
सामाजिक परिवर्तन	20	40.00
राजनीति परिवर्तन	30	60.00
<b>; ksx</b>	<b>50</b>	<b>100-00</b>

तालिका संख्या 1:3 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सामाजिक न्याय के अन्तर्गत राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावी परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन के रूप में दिखलाई देता है जिसे 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता स्वीकार करते हैं एवं 40.00 प्रतिशत उत्तरदाता इसे सामाजिक परिवर्तन के रूप में मानते हैं।

अतः अधिकांश उत्तरदाता राजनीतिक परिवर्तन को सामाजिक न्याय का प्रमुख आधार मानते हैं। यह जातीय आधार पर शोषण की मुक्ति के साथ ही साथ व्यक्ति स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है।

**I dFkkvkdh I gHkkfxrk %**

राजनीति के अन्तर्गत सामाजिकरण एक सीख की प्रक्रिया होती है। जिसके अन्तर्गत अनेक अभिकरण का सहयोग प्राप्त किया जाता है। यह अभिकरण संस्थाओं के माध्यम से अपनी सशक्त उपस्थिति को दर्शाते हैं। कुछ संस्थाओं के अन्तर्गत यह प्रक्रिया सतत् रूप से पीढ़ीगत हस्तान्तरण को दर्शाती है। चयनित उत्तरदाताओं से पूछा गया कि आपकी राजनीतिक गतिशीलता में किस प्रकार के संस्थाओं की सहभागिता महत्त्वपूर्ण रही है। उनसे प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण सारिणी संख्या 1:4 में दिया गया है।

**I kfj .kh I d; k 1%**  
**I dFkkxr I gHkkfxrk**

I dFkkxr I gHkkfxrk	vkofÜk	i fr' kr
परिवार	22	44.00
विद्यालय	19	38.00
अन्य	09	18.00
<b>; ksx</b>	<b>50</b>	<b>100-00</b>

तालिका संख्या 1:4 में दत्त सांख्यिकीय आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 44.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनीतिक सहभागिता को पारिवारिक संस्था के माध्यम से प्राप्त किया है। जबकि 38.00 उत्तरदाताओं ने राजनीतिक गतिशीलता को विद्यालयी वातावरण से ग्रहण किया है तथा सबसे कम 18.00 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य संस्थाओं के माध्यम से राजनीति में सहभागिता करते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने राजनीति में प्रवेश परिवार नामक संस्था से की है जबकि सबसे कम अन्य माध्यम से करते हैं। स्वतंत्रवार्तालाप में अन्य माध्यमों को उत्तरदाताओं ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह कर्मचारी संगठन, स्वयं सहायता समूह तथा सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से जुड़े रहें हैं।

#### I kfgd vRrh; rk %

प्रभावक समूह सामान्य अभिवृत्तियों, विश्वासों अथवा हितों द्वारा संगठित ऐसे समूह है जो सरकार में किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व लिये बिना लोकनीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यह सामाजिक संरचना तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर समूह के प्रभावों को स्पष्ट करते हैं। उत्तरदाताओं से उनके सामूहिक आत्मीयता के विषय में पूछा गया है। जिनका विश्लेषण सारिणी संख्या 1:5 में दिया गया है :

#### I kfj .kh I 4; k 1%

#### I kfgd vRrh; rk , oajktuhfrd I ghkkfvrk

fopkj	vkofÜk	i fr'kr
हाँ	47	94.00
नहीं	03	06.00
<b>; ksx</b>	<b>50</b>	<b>100-00</b>

सामूहिक आत्मीयता एवं राजनीतिक सहभागिता के सन्दर्भ में सर्वाधिक 94.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि वह राजनीति में मैं के स्थान पर हम की भावना को विकासवादी परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करते हैं जिससे आत्मीयता प्रबल हो सके। जबकि 06.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कथन है कि विकास के लिए सिद्धान्त के प्रति कठोरता आवश्यक है इसलिए समग्र विकास हेतु आत्मीयता को समूह के मध्य नहीं स्वीकार किया जा सकता है।

अतः सर्वाधिक उत्तरदाता सामूहिक आत्मीयता की भावना को स्वीकार करके उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं।

**nkf; Ro rFk i n %**

सामाजिक संरचना के अर्न्तगत राजनीति व्यवस्था में पद एवं दायित्व का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति सामाजिक संरचना में अपने दायित्वों की पूर्ति में इसका विशेष सहयोग प्राप्त करना चाहता है। राजनीतिक क्रिया-कलाप तथा पद प्रतिष्ठा हेतु व्यक्ति शक्ति तथा सत्ता के माध्यम से दायित्वों की पूर्ति करना चाहता है। यही कारण है कि राजनीतिक व्यवस्था में दायित्व सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है। चयनित उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या दल में आपको कोई दायित्व प्रदान किया गया है। प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण सारिणी संख्या 1:6 में दिया गया है।

**I kfj .kh I 4; k 1%**

**nkf; Ro rFk i n dsifr mÜkjnrkvkadsfopkj**

<b>jktuhrd nkf; Ro</b>	<b>vkofÜk</b>	<b>ifr'kr</b>
राजनीतिक दायित्व है	41	82.00
राजनीतिक दायित्व नहीं है	09	18.00
<b>; ksx</b>	<b>50</b>	<b>100-00</b>

सारिणी संख्या 1:6 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 82.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक दायित्व है। वह दल में विभिन्न पदों पर बने हुए हैं। जबकि 18.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास किसी भी प्रकार का राजनीतिक पद अथवा दायित्व नहीं है।

अतः सर्वाधिक उत्तरदाता विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दायित्वों को स्वीकार करते हैं।

**fu"d"kl %**

शोध से प्राप्त निष्कर्ष निम्न प्रकार से है :

सर्वाधिक उत्तरदाता सक्रिय राजनीति में सहभागिता करते हैं। अधिकांश उत्तरदाता राजनीतिक विकास हेतु अन्य प्रकार के विकास को आवश्यक मानते हैं। अधिकांश उत्तरदाता राजनीतिक परिवर्तन को सामाजिक न्याय का प्रमुख आधार मानते हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं ने राजनीति में प्रवेश परिवार नामक संस्था से की है जबकि सबसे कम अन्य माध्यम से करते हैं। अधिकांश उत्तरदाता सामूहिक

आत्मीयता की भावना को स्वीकार करके उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। अधिकांश उत्तरदाता विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दायित्वों को स्वीकार करते हैं।

### । kko %

युवा वर्ग द्वारा निर्मित समूह आत्मीयता को विकसित करके अपनी योग्यता को राजनैतिक गतिशीलता के सम्बन्ध में प्रभावोत्पादक बना सकते हैं। युवा स्वयं को परिवर्तन की प्रक्रिया में एक अभिकरण, सहभागी रूप में मूल्यांकित करते हुए राजनीतिक गतिशीलता में अपने पद प्रभावी उपयोग समाज के विकास के लिए कर सकते हैं।

### । UnHkZ xHfK । ph %&

1. देसाई, ए. आर. (1982) भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, न्यू देहली, मैकमिलन इण्डिया लि. 1982. पृष्ठ संख्या 362.
2. मिलब्राथ, लेस्टर, (1965) ने पालिटिकल पार्टिसिपेशन द्वारा धर्म वीर, 2010 राजनीतिक समाजशास्त्र राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृष्ठ संख्या 173.
3. धर्म वीर (2010) राजनीतिक समाजशास्त्र राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृष्ठ संख्या 95.
4. कोठारी, रजनी (1970) कॉस्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स, न्यू देहली : ऑरियण्ट लॉगमैन लि. पृष्ठ संख्या 107.



## fglnh i =dlfjrk %Lora-rk vKlnksyu vkj I edkyhu fufgrkFKZ

ekfudk tk; l oky\*

साहित्य की विशिष्ट प्रकृति होती है। जिसके अन्तर्गत वह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जैसे अनेक ज्वलन्त सामयिक प्रश्नों पर निरन्तरता तथा वर्तमान के द्वन्द्वात्मक सम्बन्धों को स्वयं में समाहित कर लेता है। "भारतीय पत्रकारिता का शैशवकाल वास्तव में किसी भी प्रकार के लेखन या अपनी-अपनी बात आम लोगों तक पहुँचाने के उद्देश्य का काल था।"1 उस दौर में समाज एक निष्ठुर प्रजातीयता से बंधा हुआ था, जो उसे स्वविवेक तक ले जाने में सक्षम नहीं थी। ऐसी शोषण की प्रकृति में साहित्य और उनसे जुड़ी विधाएँ यथा-पत्रकारिता, नाटक, रंगमंच, इत्यादि अपनी भूमिकाओं को प्रखरता से प्रमाणिकता दे पाते हैं। समाज द्वारा भाषा का निर्माण होता है और यही भाषा समाज को प्रभावी आकार विचार और संस्कृति प्रदान करती है। "भारत का क्रांतिकारी आन्दोलन समाचार पत्रों से शुरू हुआ। जिसका सम्बन्ध सीधे जनजागरण से है, जिसकी शुरुआत कलकत्ता नगर से हुई।"2

हिन्दी पत्रकारिता की कहानी, राष्ट्रीयता की कहानी है। 19वीं शताब्दी में गद्य निर्माण की चेष्टा और हिंदी प्रचार आन्दोलन अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाईयों का सामना करते हुए कितना तेज और पुष्ट था इसका साक्ष्य 'भारत-मित्र' (1878 ई.), 'सार-सुधानिधि' (1879 ई.), और 'उचित-वक्ता' (1880 ई.) के जीर्ण पृष्ठों पर मुखर है। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म 18वीं शताब्दी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हो चुका था। अतः सन् 1826 ई. 'उदंत-मार्तण्ड' के प्रकाशित होने तक अंग्रेजी पत्रकारिता काफी विकसित हो चुकी थी, जिससे हिन्दी पत्रकारिता को अपना पाँव जमाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 'उदंत-मार्तण्ड' (हिन्दी का पहला समाचार-पत्र) के बाद हिन्दी के कई पत्र आये।

स्वतंत्रता आन्दोलन पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जीवन स्फूर्ति पा रहा था परन्तु राजनीतिक गलियारे में निष्पक्षता का अभाव भी था। जब "हिन्दी पैट्रियाट" में क्रिस्टोपॉल दास ने 1861 ई. में सम्पादक का पद संभाला था तो इस समाचार

\* छात्रा-एम.फिल. (हिन्दी), आधुनिक भारतीय भाषा विज्ञान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

पत्र ने ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन किया तथा मध्यवर्गीय जमींदारों के हित को संरक्षण प्रदान किया। तमाम आकृति-विकृति के होते हुए भी पत्रकारिता सामूहिक सम्प्रेषण का विशिष्ट मंच था; जिसका उद्देश्य "जनता में जागरण और सुधार की भावना उत्पन्न करना था।"<sup>3</sup>

'कविवचन सुधा' से ही वास्तव में हिन्दी पत्रकारिता के भारतेन्दु युगचरण का आरम्भ होता है। "19वीं शताब्दी के इन अंतिम दशकों में बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उ.प्र., राजस्थान पंजाब आदि क्षेत्रों में साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक पत्रकारिता के श्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैं। इस युग में वस्तुतः भारतेन्दु का सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदी पत्रकारिता पर रहा।"<sup>4</sup> 'कविवचन सुधा' (1867 ई.) पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण योगदान दे रही थी। उस पल की नीति उसके मुख पृष्ठ पर छपने वाले सिद्धान्त वाक्य से मिलता है—

प[ky&xuul ksl Ttu n[kh efr gksg] gfjin efr jgA  
vi/keZ NW\$ LrRo fut Hkkjr xg\$ dj n[k cgA  
c[k rtfgaeRl j] ukfjuj l e gksg] tx vkuln ygA  
rft xkedfork] l pfotu dh verckuh l c dgA<sup>5</sup>

नई भाषा शैली का प्रवर्तन 'हरिश्चन्द्र मैग्ज़ीन के माध्यम से सम्भव हो सका। 1900ई. में प्रकाशित 'सरस्वती' पत्रिका भी आन्दोलन का हिस्सा बनकर उभरी। ये दोनों पत्रिकाएँ पंक्ति के दो छोरों पर खड़ी थी। जिनके माध्यम से जनजागरण में चेतना को प्रज्वलित किया जा सका। 'शिव प्रसाद गुप्त' के पत्र 'दैनिक आज' ने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। 'यद्यपि जागरण तथा आह्वाहन गीतों के माध्यम से निराला तथा माखनलाल चतुर्वेदी ने भी ऐसा भाव जगाया जो व्यक्ति की सुषुप्तावस्था को तोड़कर मनोभाव को उद्देलित करता है।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का हिन्दी पत्रकारिता में वही स्थान है जो बंगाल की पत्रकारिता में राजा राम मोहन राय का। क्रांतिकारी परिवेश की शुरुआत यहीं से मिलती है। इन्हीं प्रवृत्तियों को दबाने के लिये प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और फ़ारसी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र 'मिरातुल अख़बार' का प्रकाशन बंद करना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 'संध्या', 'युगान्तर', एवं 'काल' नामक समाचार पत्रों ने भी क्रांतिकारी आन्दोलन की वकालत की।

सन् 1896ई. में प्रकाशित नागरी प्रचारिणी पत्रिका के माध्यम से गम्भीर साहित्य समीक्षा हुई। धर्म और शिक्षा तक सीमित पत्रिकाओं को अन्य मुद्दों पर भी आगे बढ़ने का बल मिला। सामाजिक राजनीतिक दिशाएँ भी विकसित हुईं और भारतेन्दु के पत्र 'बालाबोधिनी' के माध्यम से स्त्री मनोवेदना को उकेरने का प्रयास



भी किया गया। 20वीं शताब्दी में समाज सुधार आन्दोलन इतना उद्वेलित हुआ कि जातीय चेतना ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण कर लिया। फलतः अधिकांश पत्र साहित्य और राजनीति को लेकर चले। राजनीति में गणेश शंकर विद्यार्थी तिलक के समर्थक थे। हिन्दी-प्रदेश के तत्कालीन राजनीतिक हिन्दी पत्रों को विद्यार्थी जी ने बहुत प्रभावित किया।<sup>6</sup> द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' के माध्यम से साहित्यिक पत्रों का नेतृत्व संभाला।

1921ई. में गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहुँचा और इस प्रचार-प्रसार में हिन्दी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। औपनिवेशिक शासन द्वारा साहित्य की विधाओं पर प्रहार होता रहा विशेषतः पत्रकारिता पर जिसे प्रेस के पूर्ण प्रतिबंध के रूप में देखते हैं। 1882ई. के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को सर्वाधिक प्रभावी प्रतिबंध माना जाता है। सामाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रहार होते हुए भी मानसिक और आर्थिक कठिनाईयों का पूर्ण सामना करते हुये हिंदी पत्रकारों ने स्वतंत्र विचार के दीपक को जलाये रखा। जन-मन के निर्माण तथा पत्र कला के क्षेत्र में 'आज' पत्रिका ने एक महान संस्था का काम किया। अपूर्व साधना में भ्रमासुरी आतंक की छवि भी देखी जाती है ऐसा ही साहित्य के उस दौर में भी दिखायी देता है।

यद्यपि पत्रकारिता अपने क्रांतिकारी चरण के अभ्युदय से लेकर आधुनिकता के चरम शिखर तक पहुँच चुका है, बल्कि वह साहित्य के संस्कारों से भली-भाँति परिचित भी है। फिर भी कहीं न कहीं प्रदूषित वातावरण की लपट ने इसे छू ही लिया है अतः वर्तमान दौर दिखावे और चमक की संस्कृति को विकसित कर चुका है। पत्रकारिता ने भारत को नवजागरण का अधार दिया। किंतु वर्तमान दौर में हम भले ही राजनीतिक उपनिवेश से मुक्त हो गये हैं लेकिन मांसिक उपनिवेश ने हमें बौद्धिक पराधीनता में रहने को विवश किया। 'डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय' ने अपने निबंध (उपनिवेश कहाँ है?) में तो यहाँ तक कह डाला है "जब अज्ञेय जैसे मनीषी भी भारतीय कालचिंतन करते थे तो उन्हें भी सारे उदाहरण और आधार परदेश से ही मिलते हैं।"<sup>7</sup> संवत्सर जैसी बहुप्रशंसित पुस्तक में इसकी झलक दिखती है। अतः हमें वर्तमान औद्योगिक दौर की विसंगतियों में मौलिक लेखन या मूल स्रोतों पर स्थापित होना जरूरी है, ताकि साहित्य तथा उनसे सम्बन्धित विधाओं को देशी तथा वास्तविक आधार मिल सके।

### I UnHk xJFk I ph %

1. हिन्दी पत्रकारिता: इतिहास स्वरूप और संभावनाएँ— अनिल सिन्हा, कनिष्क पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, संस्करण—2005, पृ0सं0—16

2. हिन्दी साहित्य का इतिहास—सं. नगेन्द्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, संस्करण—2014, पृ0सं0—469
3. वही— पृ0 सं0—470
4. हिन्दी पत्रकारिता : इतिहास स्वरूप और संभावनाएँ—अनिल सिन्हा, पृ0सं0—16
5. हिन्दी पत्रकारिता का विकास— एन.सी. पंत, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, संस्करण—2002, पृ0सं0— 43
6. हिन्दी साहित्य का इतिहास—सम्पादक नगेन्द्र, पृ0सं0—511
7. भूमण्डलीकरण के दौर में—डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, संस्करण—2015
8. पत्रकारिता इतिहास और प्रश्न—डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण—1993
9. हिन्दी पत्रकारिता और राष्ट्रीय एकता—डॉ. हरिमोहन एवं जयन्त शुक्ल, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण—1999



## uxj dh I QkbZ

MkK enu xkiky fl Uqk\*

नगर की सफाई, लोगों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक जिम्मेवारी भी है। प्रत्येक नगर में सफाई की संस्थागत व्यवस्था होती है, लेकिन लोगों के सहयोग के अभाव में सफाई की संस्थागत व्यवस्था सीमित रूप में ही सफल होगी। साफ-सुथरा होना व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए। ऐसा होने पर नगर की सफाई का लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो सकेगा।

‘नगर’ का अर्थ है, लोगों का निवास स्थल। ‘नगर’ शब्द ‘शहर’ के अर्थ में भी जाना जाता है। प्राचीन यूनान में छोटे-छोटे नगर राज्य होते थे। प्रत्येक नगर राज्य सम्प्रभुता-सम्पन्न होता था। नगर से ही नागरिक, नागरिकता आदि शब्द बने। ‘नगर राज्य’ की अवधारणा के चलते ही नागरिकता और राष्ट्रियता को पर्यायवाची माना जाता है।

सैकड़ों वर्ष पहले जनसंख्या बहुत कम थी। उस समय सफाई की समस्या नहीं थी। धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। भारत में आज गाँवों में भी और शहरों में भी सफाई की समस्या विकराल होती जा रही है। घनी आबादी वाले नगरों में सफाई का कार्य अधिक जटिल है। छोटे नगरों में सफाई की व्यवस्था के लिए नगरपालिकाओं और बड़े नगरों में इसके लिए नगर निगमों का गठन किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के अभाव के चलते बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। इससे शहरों की आबादी घनी होती जाती है। अधिकांश कॉलोनियाँ योजनाबद्ध ढंग से नहीं बसाई गई हैं। उन कॉलोनियों में गन्दे जल की निकासी की समस्या प्रबल है। वहाँ स्वच्छ शौचालयों का भी अभाव है। स्वच्छ पेयजल का अभाव तो एक प्रमुख समस्या है ही। हमारी सोच भी संकीर्ण है, जिसके चलते हम अपनी जमीन तो नहीं ही छोड़ते हैं, सार्वजनिक जमीन का भी अतिक्रमण करते हैं। इन नगरों में दूध देने वाले पशु भी बड़ी संख्या में पाले जाते हैं। इनके चलते भी गन्दगी बढ़ती है। विभिन्न घरों से निकलने वाला कूड़ा-कर्कट भी ठीक से एकत्र नहीं किया जाता है। बड़े शहरों को छोड़ दें तो अन्य शहरों में घरों से निकलने वाले कूड़ा-कर्कट को एकत्र करने और उसका निपटान करने की समुचित व्यवस्था नहीं है। एक तो शासन-प्रशासन की तरफ से भी चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था नहीं है, दूसरी तरफ आम लोग भी उसमें पूरा सहयोग

---

\* राजनीति विज्ञान, हिन्दू पी.जी. कॉलेज, जमानियां, गाजीपुर, उ.प्र.

नहीं करते हैं। अधिकांश लोग अपने घरों को साफ-सुथरा रखने के प्रति जागरूक नहीं हैं। बहुत से लोग अपने शरीर और कपड़ों की सफाई पर भी पूरा ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी तरफ, कुछ लोग निर्धनता एवं समय के अभाव के चलते सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अधिक बच्चों एवं छोटे-छोटे लावारिस जानवरों के चलते भी लोग सफाई का कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा, लोग अपने घरों का कूड़ा-कर्कट भी जहाँ-तहाँ फेंक देते हैं, इससे भी नगरपालिका-नगर निगम को उसे एकत्र करने और निस्तारित करने में कठिनाई होती है। सामान्यतः शासन-प्रशासन द्वारा कूड़ा-कर्कट कहीं एक जगह एकत्र करने का ही कार्य किया जाता है। वह कूड़ा वहाँ सड़ता रहता है और बीमारियों का कारण बनता है।

नगरीकरण, औद्योगीकरण एवं जनसंख्या-वृद्धि के फलस्वरूप ठोस अपशिष्ट पदार्थ बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। यह पर्यावरण के लिए हानिकर तथा मानव एवं जीव जगत के लिए भी समस्यामूलक होता है। हमारे देश में लगभग चार सौ ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उत्पन्न होता है। इसमें बालू, मिट्टी, कागज, दती, चीनी मिट्टी के अवशेष इत्यादि उपस्थित रहते हैं। पशुशाला, वधशाला, रिहायसी भवन, चिकित्सालय, फल, सब्जी इत्यादि ठोस अपशिष्ट के प्रमुख स्रोत हैं। ठोस अपशिष्ट में पाए जाने वाले यौगिक मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते हैं। ये दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, भू-जल रिसाव में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा खाद्य-श्रृंखला के माध्यम से शरीर में पहुँचकर अनेक रोग उत्पन्न करते हैं।

ठोस अपशिष्ट, जैसे-कागज, रबर, प्लास्टिक, टिन, शीशा एवं कबाड़ इत्यादि अपघटित नहीं होते हैं और न ही इनका प्राकृतिक पुनश्चक्रण होता है। कूड़े के रूप में निकले ये पदार्थ समस्या-मूलक एवं प्रदूषण फैलाने वाले होते हैं।

ठोस अपशिष्टों के पुनश्चक्रण, जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने, कार्बनिक पदार्थों के खाद के रूप में उपयोग इत्यादि विधियों से ठोस अपशिष्टों का निस्तारण एवं नियंत्रण किया जा सकता है-

1. **iw'pØ.k&** इस प्रक्रिया में ठोस अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग हेतु निर्मित कर लिया जाता है। रद्दी कागज, प्लास्टिक, लोहे इत्यादि को प्राविधिक क्रियाओं द्वारा मूल रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। ठोस अपशिष्टों को इकट्ठा करने का कार्य स्थानीय निर्धनों द्वारा किया जाता है तथा कबाड़ियों द्वारा अपशिष्टों का व्यापार किया जाता है। पुनः निर्माण की प्रक्रिया बहुत उपयोगी है। इससे गन्दगी पर रोक लगती है और मूल पदार्थ उपयोग हेतु प्राप्त हो जाता है।
2. **tykdj Åtkilr djuk&** काष्ठ एवं कार्बनिक प्रकृति के ठोस अपशिष्टों

को जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इनका दहन नियंत्रित भट्टियों में किया जाता है तथा बिजली प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत महंगी है।

3. **[कमपोस्ट ; कूड़ा-ककट]** कूड़ा-ककट में विद्यमान शाक-सब्जी एवं फलों के अवशेष से कमपोस्ट खाद बनाकर स्थानीय कृषकों द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे खेतों में जीवांश की मात्रा बढ़ेगी तथा मूल्यवान रासायनिक उर्वरक की बचत होगी। पशुओं की हड्डी, रक्त, वसा इत्यादि का व्यापक उपयोग किया जा सकता है। वसा का साबुन बनाने में उपयोग हो सकता है।

लेकिन भारत में निर्धनता, जनसंख्या-वृद्धि, प्राविधिक पिछड़ेपन इत्यादि के चलते ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा, लोगों में जागरूकता का भी अभाव है। भारत में अच्छी यांत्रिक व्यवस्था, जहाँ बेकार वस्तुएँ अधिक निकलती हों, वहाँ अधिक कर लगाना, लोगों में जागरूकता पैदा करना इत्यादि कार्य अधिक आवश्यक हैं।

भारतवर्ष में प्रति वर्ष ईंट बनाने के लिए बड़े स्तर पर उपजाऊ मिट्टी का उपयोग होता है। इससे वह क्षेत्र बंजर हो जाता है। जानकारों का कहना है कि इसके लिए विभिन्न भट्टियों से निकलने वाली राख और विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्टों का प्रयोग हो तो ईंट की आपूर्ति भी होती रहेगी और उपजाऊ मिट्टी भी बचाई जा सकेगी। भारत में जनसंख्या बढ़ने के चलते पहले से ही जमीन की कमी है, ऐसी स्थिति में ईंट-निर्माण के चलते जमीन बेकार होते जाने से समस्या और दुरुह होती जा रही है।

अतः सरकार को चाहिए कि वह लोगों को इसके लिए जागरूक करे। यह 'एक पंथ दो काज' वाली बात होगी। यह पर्यावरण-संरक्षण, जमीन के बचाव इत्यादि कई दृष्टियों से उपयोगी होगा।

नगरों में स्वच्छ पेयजल की समस्या है। जनसंख्या बढ़ती गई, लेकिन भूमि को तो बढ़ना नहीं था, बल्कि उसका उपयोग बढ़ता गया और परिणाम स्वरूप जमीन कम पड़ती गई। नगरों में बहुमंजिली इमारतें इस समस्या के समाधान के रूप में सामने आईं। तत्काल इससे लाभ मिलता प्रतीत हुआ लेकिन शहरों में इससे जल के अभाव की समस्या सामने आई। जलस्रोत सूखने लगे। पानी कम पड़ने लगा, जबकि उसका उपयोग बढ़ने लगा। नदियों का जल विभिन्न स्रोतों से पहुँचे गन्दे जल के कारण पहले से ही प्रदूषित था। घरों-कलकारखानों-अस्पतालों का गन्दा पानी अन्यत्र भी एकत्र किया जाने लगा। अब नदियों के गन्दे जल तथा

अन्यत्र एकत्र गन्दे जल को ही साफ करके पुनः इस्तेमाल के लिए घरों में पहुँचाए जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है, क्योंकि अत्यधिक दोहन से भू-जल स्तर घटता गया है।

हमारे समाज में कुछ विशेष परिवार कपड़ा धोने का कार्य करते हैं। उनके लिए उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था बहुत कम नगरों में देखने को मिलती है। अगर अधिकांश सक्षम लोग उन्हीं से कपड़े धुलवाएँ और उनके लिए भी धुलाई हेतु उपयुक्त स्थान बनाए जाएँ तो सफाई और पानी की कमी की समस्या एक हद तक हल हो सकती है।

नगर की सफाई में सायकिलों का प्रयोग लाभप्रद होगा। नगरों में अनावश्यक रूप से भी बहुत-सी गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं। मोटरसाइकिलों का प्रयोग कम करके सायकिल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे सड़क-जाम की समस्या कम होगी, दुर्घटनाओं पर भी विराम लगेगा और वायु-प्रदूषण में भी कमी आएगी। बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को इस दिशा में प्रभावी नीति अपनानी चाहिए। सरकार को सायकिल उद्योग को सब्सिडी देनी चाहिए और मोटर साइकिलों पर अधिक टैक्स लगाना चाहिए। इससे लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार भी प्राप्त होंगे।

कल-कारखानों एवं बूचड़खानों को नगर की सीमा से बाहर रखकर भी नगर-क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाए रखा जा सकता है। नदियों के किनारे बसे सभी शहरों में विद्युत शवदाह गृहों की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे नगर तो साफ रहेंगे ही, सम्पूर्ण पर्यावरण भी अपेक्षाकृत अधिक साफ रहेगा।

नगरों में खाली जमीन का अभाव होता है। पर्यावरण को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए पेड़-पौधों की अधिकता आवश्यक है। लेकिन विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने हेतु पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं। इससे पेड़-पौधे या तो कम हो रहे हैं या उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही है। जमीन की कमी इसका प्रमुख कारण है।

पाकड़-पीपल-वट, वे वृक्ष हैं, जो तेजी से बढ़ते हैं और प्रदूषण दूर करने में सबसे अधिक सहायक हो सकते हैं। जमीन की कमी के चलते पर्यावरणविद् लोगों को सुझाव देते हैं कि लोग गमलों में पौधे लगाकर अपनी छतों पर रखें। इसमें जमीन की कमी की समस्या सामने नहीं आएगी। पीपल-पाकड़-वट की छोटी प्रजातियाँ तैयार होंगी और उन्हें गमलों में लगाया जाएगा। इन वृक्षों की जड़ें जमीन से अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं, बल्कि कुछ ही नीचे जाकर आस-पास फैलने लगती हैं। गमलों में पीपल-पाकड़-वट के पौधे लगाकर गमले छतों पर रखे जाएंगे।

जैसे ही गमलों में इनकी जड़ें मिट्टी के बाहर दिखाई देंगी, उन्हें काट दिया जाएगा। इससे पौधे बहुत अधिक नहीं बढ़ेंगे। लोग ऐसे पौधों को अपनी बाल्कनियों में भी रख सकते हैं।

गमलों में पीपल इत्यादि लगाकर हम पेड़-पौधों की कमी की समस्या से निपट सकते हैं और वायु-प्रदूषण को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह अनावृष्टि और असन्तुलित वर्षा को भी रोकेगा। लोग, सब्जी वाले पौधे एवं लताएँ भी गमलों में लगाकर उन्हें अपनी छतों पर एवं बाल्कनियों में रख सकते हैं। इससे सब्जी की उपलब्धता भी बढ़ेगी। लोगों को किचन में भी गमलों में छोटे स्तर पर आवश्यक सब्जियों को उगाना चाहिए। इससे उन्हें ताजा एवं ऑर्गेनिक सब्जियाँ कम खर्च में प्राप्त होंगी और पर्यावरण भी साफ-सुथरा होगा।

अब तो कृषि वैज्ञानिक बिना मिट्टी के ही फसल तैयार करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। इस तकनीक से पानी के ट्रे या कंटेनर में फसलें उगाई जाती हैं। इसके अन्तर्गत पैदावार के लिए आवश्यक तत्व पानी में ही मिला दिए जाते हैं और बिना मिट्टी के ही फसल प्राप्त कर ली जाती है। इसे हाइड्रोपोनिक तकनीक कहा जाता है। यह तकनीक यद्यपि महंगी है लेकिन निकट भविष्य में लागत कम होने की सम्भावना है।

नगरवासियों को बरसात के मौसम में अपने अधिकांश दैनिक कार्य वर्षा-जल से ही करने चाहिए। घरों की छतों पर वर्षा-जल संग्रहण की व्यवस्था की जा सकती है। जमीन के नीचे भी इसके लिए बड़ी-बड़ी टंकियाँ बनाई जा सकती हैं। अत्यधिक वर्षा जल को हैण्डपम्प के सहारे धरती के नीचे पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए।

लुप्त हो चुके कुंडों-तालाबों को पुनर्जीवित करना भी आवश्यक है। कृषि को लाभ का सौदा बनाया जाना चाहिए। फसल-बीमा इसमें एक हद तक सहायक होगा। सरकार को चाहिए कि वह अनाज का पुराना स्टॉक दूसरे देशों में बेचे और नया अनाज खरीदकर गोदाम में रखती रहे। इससे अनाज की मांग बढ़ेगी, किसान अधिक अनाज उगाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कुछ नदियों को एक-दूसरे से जोड़कर भी बाढ़ ओर सूखे की समस्या से एक हद तक राहत पाई जा सकती है।

गाँवों को आत्म-निर्भर बनाना, नगरों-महानगरों की सफाई के लिए अनिवार्य है। भारत में दूध के उत्पादन में वृद्धि की अपार सम्भावनाएँ हैं। यह आवश्यक भी है। दूध के उत्पादन को कृषि से जोड़ना आवश्यक है। इससे कृषि से जुड़े लोगों की आय बढ़ेगी। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर भी गाँवों की स्थिति में

सुधार लाया जा सकता है। गाँवों में पशुपालन को और बढ़ावा देने पर शहरों में स्थित खटालों का गाँवों की ओर स्थानान्तरण होगा। कुटीर उद्योगों का विकास भी गाँवों को आत्म निर्भर बनाएगा। जनसंख्या का बढ़ना रोकना भी आवश्यक है। इसके अभाव में विकास-कार्य अपर्याप्त प्रतीत होते रहेंगे। उपर्युक्त कार्यों से शहरों की तरफ जनसंख्या का प्रवाह रुकेगा।

वर्तमान समय में फूलों की खेती व्यावसायिक स्तर पर होती है। अधिकांश फूल मन्दिरों में चढ़ाए जाते हैं, फिर नदियों में फेंक दिए जाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इन फूलों को एकत्र करके खाद बनाई जा सकती है। इससे भी शहरों में गन्दगी कम होगी। कृषि वैज्ञानिकों को गेहूँ-धान इत्यादि की वैसी प्रजातियों की खोज करनी चाहिए, जिनमें पानी की कम आवश्यकता पड़े। सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में वैसी फसलें लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, जिनमें पानी की खपत अधिक हो। सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाकर भी नगर की सफाई को गति प्रदान की जा सकती है।

समुद्र के जल को पीने योग्य बनाने की तकनीक लगभग डेढ़ दशक पहले विकसित की जा चुकी है। लेकिन यह अभी भी महंगी है। इसे और किफायती बनाया जाना चाहिए। इससे मीठे जल की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे परम्परागत रूप से नमक बनाने से भी मुक्ति मिलेगी और खेती योग्य अधिक जमीन उपलब्ध होगी।

नगरों को पूर्णरूपेण साफ-सुथरा बनाने के लिए हमें अपने अन्दर दृढ़ इच्छा-शक्ति विकसित करनी होगी और "सादा जीवन उच्च विचार" के आदर्श को अपनाया होगा।

#### **I UnHkZ xfk I qph %**

1. आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, द्वारा- डॉ० पुखराज जैन एवं डॉ० बी.एल. फड़िया, प्र०- साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
2. विज्ञान प्रगति, जून, 2008 में प्रकाशित डॉ० जगदीप सक्सेना का निबंध 'ग्लोबल वार्मिंग : मुकाबला सायकिल से'।
3. पर्यावरण सहचर, प्र०- स्टूडेन्ट्स फ्रेण्ड्स, पटना।
4. प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ० भरत झुनझुनवाला के आलेख।





## ikphu Hkkj rh; I ekt eaL=h/ku

### MkK I at; døkj fl g\*

अधिकांश हिन्दू व्यवस्थाकारों ने स्त्रीधन के अंतर्गत नारी की विभिन्न सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है। स्त्री की अपनी सम्पत्ति, जिस पर उसका पूर्ण स्वत्व होता है, वह स्त्री धन कहा जाता है। स्त्रीधन का आरम्भ वैदिक युग में विवाह के समय कन्या को दिये जाने वाले दहेज की वस्तुओं—वस्त्र, आभूषण तथा घर की अन्य सामग्री (परिणाम) से हुआ।<sup>1</sup> गौतम<sup>2</sup> ने सर्वप्रथम स्त्रीधन शब्द का उल्लेख किया है, किन्तु इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं किया था। बौधायन<sup>3</sup> तथा वशिष्ठ<sup>4</sup> स्त्री धन में स्पष्ट रूप से गहनों तथा विवाह के समय मिले द्रव्य का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य<sup>5</sup> ने स्त्रीधन के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक अनेक व्यवस्थाएँ दी और इसे दो प्रकार का बताया। प्रथम जीवन के साधन (भू—सम्पत्ति और सोना), द्वितीय शरीर पर बाँधे जाने वाला आभूषण। स्मृतिकारों के समय स्त्रीधन के प्रकार बढ़ने लगे। मनु<sup>6</sup> ने छः प्रकार के स्त्रीधनों की गणना की है। विवाह संस्कार की अग्नि के सम्मुख दिया गया धन, पतिगृह आते समय दिया गया द्रव्य, प्रतिदत्त प्रीतिकर्म में दिया हुआ धन, भाई, माता और पिता द्वारा दिया गया धन। इसके अतिरिक्त मनु ने दो अन्य प्रकार के स्त्रीधनों का भी उल्लेख किया है। अन्वाधेय या विवाह के बाद मिली भेंट तथा यौतक।

अर्थात् मनु के मतानुसार वैवाहिक अग्नि के सम्मुख जो कुछ कन्या को दिया जाता है, जो कन्या को पति गृह जाते समय मिलता है, जो स्नेहवश उसे दिया जाता है, जो माता—पिता और भाई से मिलता है वह सब स्त्रीधन है।

हिन्दू शास्त्रकार प्रायः इस मत के हैं कि स्त्रीधन का उपयोग स्त्री के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। साधारणतः उसके पति का उस पर अधिकार नहीं होता था। परिवार के संकट काल के समय पति इस धन का उपयोग कर सकता था। कात्यायन ने यहाँ यह व्यवस्था भी दी है कि परिवार की स्थिति सुधरने पर पति को स्त्रीधन लौटा देना चाहिए। यदि उसकी मृत्यु हो जाय तो उसके उत्तराधिकारियों का कर्तव्य है कि इसे वापस कर दें। स्त्रीधन को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार पुत्री को दिया गया था। यदि स्त्री को कोई संतान नहीं होती तो धन उसके भाई या पिता को चला जाता था। स्त्रीधन के उत्तराधिकार के लिए अविवाहित कन्याओं को प्राथमिकता दी जाती थी। यति कन्यायें विवाहित थी तो उन्हें समान

\* पूर्व शोध छात्र, इतिहास विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

भाग दिये जाते थे। जो स्त्रियाँ व्यभिचारिणी, अपवित्र एवं अच्छे आचरण वाली नहीं थी उन्हें स्त्रीधन से वंचित कर देने का उल्लेख कात्यायन व अन्य शास्त्रकारों ने अपने उल्लेखों में किया है। प्रारम्भ में स्त्रीधन का क्षेत्र संकुचित था। इसमें वस्त्र आभूषणादि ही आते थे। अतः इन्हें पुत्री को देने का किसी ने विरोध नहीं किया, किन्तु जब इसका क्षेत्र व्यापक हो गया तथा यह व्यवस्था की गई कि स्त्रीधन का विभाजन पुत्री तथा पुत्रियों में समान रूप से किया जाय। मनुस्मृति में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मिलता है। नारद<sup>7</sup> विष्णु<sup>8</sup> और याज्ञवल्क्य<sup>9</sup> ने भी स्त्रीधन का उल्लेख किया है। कात्यायन<sup>10</sup> ने भी स्त्रीधन की बड़े विस्तार से व्याख्या किया है। परन्तु विज्ञानेश्वर<sup>11</sup> और जमूतवाहन<sup>12</sup> ने स्त्रीधन को अपनी व्याख्याओं में क्रमशः विस्तृत से संकुचित बनाने का प्रयास किया है। गौतम सूत्र<sup>13</sup> और बौधायन<sup>14</sup> ने पुत्री को स्त्रीधन उत्तराधिकारी बनाया है। सम्पत्ति विभाजन के समय पत्नी या माता का पुत्र के समान अंश, भाईयों का अंश के चतुर्थांश आदि को भी अपरार्क ने स्त्रीधन के अंतर्गत उल्लिखित किया है। वस्तुतः पति द्वारा स्त्री को दी गयी, उत्तराधिकार में उसे मिली हुई, आदि सम्पत्ति स्त्री का धन थी। आसुर विवाह में अभिभावक द्वारा कन्या के निमित्त जो धन लिया जाता था, वह भी स्त्रीधन के अंतर्गत आता था। शनैः-शनैः स्त्री-धन के घेरे में और सम्पत्ति आने लगी तथा पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति भी इसी स्त्रीधन में समाविष्ट हो गयी। थेरीगाथा से विदित होता है कि धर्मदिन्ना को उसके पति ने यह निर्देश दिया था कि अपने माता-पिता के यहाँ जाते समय जो भी धन वह ले जाना चाहें, ले जाय। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति, स्त्री का भाग होता था और वह अपनी इच्छानुसार उसमें से अपने पास रख सकती थी। कात्यायन ने स्त्री के स्वामित्व और उसके स्वत्व का प्रतिपादन किया है और यह अभिव्यक्त किया है कि स्त्री-धन के साथ अचल सम्पत्ति को बंधक रख सकती थी अथवा बेच सकती थी। मिताक्षरा और दायभाग दोनों ने कात्यायन द्वारा निवृत्त स्त्री-धन की सूची देते हुए उसका विमर्श किया है।

धर्मशास्त्रकारों ने स्त्री-धन के उपयोग पर प्रायः प्रतिबंध लगाया है तथा किन्हीं विशेष स्थितियों में ही पति द्वारा उसके उपयोग की अनुमति दी है। पति स्त्री-धन का केवल उसी अवस्था में उपयोग कर सकता था जब वह दुर्भिक्ष, धर्मकार्य, व्याधि अथवा जेल जाने की स्थिति में होता था, वैसे नारद ने स्त्री को केवल चल सम्पत्ति ही बेचने की अनुमति दी है जिसे अन्य मध्यकालीन भाष्यकारों ने भी स्वीकार किया है। स्त्री को ममता साधारणतः पुत्री के प्रति होती है, इसलिए शास्त्रकारों ने स्त्री-धन की अधिकारिणी पुत्री को ही बताया है।

यह सही है कि स्त्री के अधिकार को लेकर धर्मशास्त्रकारों में मतभेद रहा है, परिणामस्वरूप उनके दो वर्ग बन गये, एक उदार और दूसरा अनुदार। स्त्री के विपत्ति-काल और दुर्दिन में जब उसके सारे सम्बन्धी और सहायक किनारा खींच लेते हैं तब उसके जीवन का संचालन उसके स्त्री-धन से हो सकता है। प्रायः देखा जाता है कि पति और पिता के न रहने पर स्त्री का जीवन-यापन कठिन हो जाता है। उसके अपना जीवन चलाने के लिए अर्थ-सम्पत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति धन से ही सकती है। अतः अनेक उदारचेता व्यवस्थाकारों ने नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करते हुए उसके अधिकार को स्वीकार किया है।

### । nHk xfk । ph %

1. ऋग्वेद 10, 185, 113 अथर्ववेद 14, 11, 13
2. गौतमधर्मसूत्र 28, 125
3. बौद्धधर्म सूत्र 2,12,149
4. वशिष्ठ धर्मसूत्र 17, 146
5. कौटिल्य अर्थशास्त्र 312
6. मनुस्मृति 9, 1194
7. दायभाग जमूतवाहन कृत 48
8. वशिष्ठ धर्मसूत्र 17,118
9. याज्ञवल्क्य स्मृति 2,1143-1144
10. मिताक्षरा 2.1143
11. मिताक्षरा 2.1143
12. दाय भाग जमूतवाहन कृत पृ0 76
13. मनुस्मृति 9, 1211,1299
14. स्मृति चन्द्रिका 2, 1282 से उद्धृत



## ck) /keZ f'k{k dh orZku ifjiZ; ea ikl fxdrk

jk/k jkuh fl g\*

### I kjk k %

आज हमारे समाज की स्थिति अत्यन्त भयावह है, अनेक समस्यायें हमारी नई पीढ़ी को दिक्भ्रमित कर रही हैं जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद आदि। इन सब का परिणाम है कि बाल अपराध, हिंसा, आतंकवाद, लूटपाट, अनुचित साधन का प्रयोग, हित लाभ आदि से एकता और अखण्डता को आघात पहुँच रहा है। वर्तमान शिक्षा समाज में शान्ति एवं समता उत्पन्न करने में असमर्थ है। बौद्धकाल में मानव जीवन के दोनों पक्षों—लौकिक और आध्यात्मिक पर समान बल दिया जाता था। लौकिक दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, व्यवसायिक विकास आदि था। वर्तमान शिक्षा के भी यही उद्देश्य निर्धारित हैं, परन्तु दोनों के उद्देश्यों के क्रियान्वयन में मूलभूत अंतर है। बौद्ध शिक्षा में नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए मनसा, वाचा आदि सभी दृष्टि से शुद्ध आचरण पर बल दिया जाता था, परन्तु वर्तमान शिक्षा में नैतिकता एवं चारित्रिक शब्द का अर्थ बहुत ही संकीर्ण हो गया है। यह मात्र सिद्धान्त के रूप में ही रह गया है, इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

### fu"d"kl %

बुद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को धर्म, नैतिकता, बुद्धिमत्ता, सदाचरण एवं ध्यान की तरफ अग्रसित करना है तथा बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को समृद्ध करना है। सीखना, साधारण जीवन, उच्च विचार, मानवीय कार्यों के प्रति प्रेम, स्वसहायता, सामुदायिक जीवन, जागरूकता को बनाये रखना, अनुशासन मानवता, बड़ों का सम्मान, शिक्षकों का आदर करना आदि को प्रमुखता दी गयी है। बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों तथा आध्यात्मिक विषयों को समान महत्त्व दिया गया है। लौकिक विषयों में सामान्य विषय, कला कौशल, व्यवसायिक विषय, शारीरिक शिक्षा आदि को और आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में चार आर्य सत्यों का पूर्ण ज्ञान, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, तुलनात्मक ज्ञान के लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन, पाँच विधाएँ—शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, आध्यात्मिक विद्या आदि को स्थान दिया गया।

---

\* शोध छात्रा, नेट, जे.आर.एफ. (शिक्षाशास्त्र), नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

शिक्षा का मानव जीवन में सदा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शिक्षा के माध्यम से मानव का विकास होता रहा है। प्रारम्भ से मानव मस्तिष्क में शिक्षा के सारस्वत मूल्यों के प्रति प्रश्न उभर कर आये हैं यथा— सामाजिक अनुशासन कैसे बनाया जाय? व्यक्ति के चरित्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाय? शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति में कौन सी पद्धति होनी चाहिए? आदि। इन सब प्रश्नों को लेकर प्राचीन काल से लेकर अब तक दार्शनिकों, विचारकों एवं शिक्षाविदों ने अपने-अपने ढंग से इस प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास किया। वर्तमान समय में समाज में नाना प्रकार के अराजक विचारों का समावेश हुआ है। समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शैक्षिक मूल्यों का पतन हुआ है। आज हमें शिक्षा के चिर सत्य एवं लक्ष्य को पहचानना होगा। यद्यपि शिक्षा का सम्बन्ध मानव के संपूर्ण जीवन से है, शिक्षा ही वह उपयुक्त साधन है, जिससे व्यक्ति का निर्माण होता है और अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करता है।

आज संसार में जो कोलाहल मचा हुआ है, व्यक्ति से लेकर समूचे मानव समुदाय में संतुलित है वह बुद्ध के मानव मूल्यों को न समझ पाने के कारण है। मनुष्य का अज्ञान एवं अहंकार ही उसकी अवनति एवं सामाजिक विकृति का कारण है। बुद्ध ने अहंकार अथवा आत्मदृष्टि का नाश कर नैशयवाद की स्थापना की जिससे करुणा का समुत्पाद हुआ।

आज हमारे समाज की स्थिति अत्यन्त भयावह है, अनेक समस्यायें हमारी नई पीढ़ी को दिक्भ्रमित कर रही हैं जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद, भाई भतीजावाद आदि। इन सब का परिणाम है कि बाल अपराध, हिंसा, आतंकवाद, लूटपाट, अनुचित साधन का प्रयोग, हित लाभ आदि से एकता और अखण्डता को आघात पहुँच रहा है। वर्तमान शिक्षा समाज में शान्ति एवं समता उत्पन्न करने में असमर्थ है। बौद्धकाल में मानव जीवन के दोनों पक्षों—लौकिक और आध्यात्मिक पर समान बल दिया जाता था। लौकिक दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, व्यवसायिक विकास आदि था। वर्तमान शिक्षा के भी यही उद्देश्य निर्धारित हैं, परन्तु दोनों के उद्देश्यों के क्रियान्वयन में मूलभूत अंतर है। बौद्ध शिक्षा में नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए मनसा, वाचा आदि सभी दृष्टि से शुद्ध आचरण पर बल दिया जाता था, परन्तु वर्तमान शिक्षा में नैतिकता एवं चारित्रिक शब्द का अर्थ बहुत ही संकीर्ण हो गया है। यह मात्र सिद्धान्त के रूप में ही रह गया है, इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

बौद्ध शिक्षा में जीविकोपार्जन के लिए व्यवसायिक एवं आर्थिक विकास को स्थान दिया गया था, परन्तु बौद्ध काल में अवश्यकता से अधिक धन संचय की

प्रवृत्ति नहीं थी परन्तु आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन ही माना जा रहा है। आज संयम की प्रवृत्ति है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकारों के कार्यक्रमों द्वारा धन संग्रह करने वालों पर ध्यान न देना दो तरफ सकेत कर रहा है—या तो सरकार धन संग्रह करने वालों को जानती नहीं या जान कर उपेक्षा करती है। इसके पीछे क्या कारण है यह प्रश्न अनुत्तरित है, इसके उत्तर की अपेक्षा है। लूट, हत्या, अनाचार, पापाचार, चोरी, खूनखराबा आदि नाना प्रकार के अनैतिक कार्य धन अर्जित करने के लिए किये जाते हैं। धन संचय की दुस्प्रवृत्ति ने इस संसार में कोहराम मचा दिया है। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला आदि तरह-तरह के घोटाले किये जा रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में बौद्ध शिक्षा का अनुकरण करके धन संचय की दुस्प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए जिससे समाज में शान्ति एवं सद्भावना का उदय हो।

परमार्थिक दृष्टि से बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना था। निर्वाण का अर्थ होता है 'मुक्ति' अर्थात् काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आदि से परे रहना, इससे लिप्त न होना। आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य भेग, विलास, सुख समृद्धि के जाल में फंस जाता है और शिक्षा का यही उद्देश्य माना जाता है। जिसके कारण समाज में अशान्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि आज बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य निर्वाण (मोक्ष) प्राप्ति को व्यक्ति के जीवन के केन्द्र में रखा जाये तो समाज में स्थिरता एवं शान्ति स्थापित किया जा सकता है। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य—निर्वाण वेदान्ती मोक्ष से भिन्न था। जहाँ एक ओर वेदान्ती मोक्ष आत्मा एवं प्रभू का साक्षात्कार है वहीं बौद्ध का निर्वाण या मोक्ष लालच, तृष्णा, धन संचय से परे रहना है। योग क्रिया द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में हो सकता है बहुत समय लग जाये लेकिन निर्वाण प्राप्त करने के लिए लालच एवं तृष्णा से विरत होना निःसन्देह नियन्त्रण में है और मोक्ष की तुलना में आसान हैं निर्वाण की स्थिति से आगे जाकर मोक्ष प्राप्त करना आसान हो सकता है। मोक्ष मिले न मिले लेकिन निर्वाण मिल सकता है। जिससे समाज एक सकारात्मक मार्ग एवं दिशा में चल सकता है। शिक्षा में आज बौद्ध धर्म का उद्देश्य रखा जाय तो बहुत ही प्रासंगिक है।

बौद्ध कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों विषयों का समावेश एवं नियोजन था। लौकिक विषय में सामान्य विषय (लेखन, गणित), कला कौशल (मूर्तिकला, कताई, बुनाई), व्यावसायिक विषय, शारीरिक शिक्षा आदि को स्थान दिया गया था। धार्मिक विषयों में चार आर्य सत्यों का पूर्ण ज्ञान, बौद्ध धर्म साहित्य त्रिपिटक, मठों तथा विहारों के निर्माण की कला आदि विषयों

को स्थान दिया गया था। बौद्ध धर्म का पाठ्यक्रम व्यापक तथा सार्वपक्षिक था। वर्तमान शिक्षा में लौकिक विषयों का तो अधिक समावेश है पर आध्यात्मिक विषयों का अत्यान्ताभाव है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय का मानव शिक्षित तो हो रहा है पर वह वास्तविक ज्ञान से परे है। आ भौतिक विकास को सर्वाधिक महत्व देने से निःसन्देह भौतिक समृद्धि तथा आर्थिक दशा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, परन्तु आध्यात्मिक विषयों के अभाव में राष्ट्रीयता, भावात्मक एकता, अन्तर्राष्ट्रीयता, सदाचार, शान्ति में कमी आयी है। आज यदि शान्ति, सदाचार, ईमानदारी चाहिए तो भौतिक एवं आध्यात्मिक विषयों को पाठ्यक्रम में समान महत्व देना होगा। इससे निःसन्देह समन्वय स्थापित होगा। अतः आज बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम का स्वरूप बहुत ही प्रासंगिक है।

आज समाज के उच्च एवं मध्यम वर्ग को पाश्चात्य पद्धति पर आधारित विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की ललक बलवती हो गयी है। यद्यपि ऐसे विद्यालयों से निकले बालक औपचारिक सौजन्य एवं वाह्य शिष्टाचार में तो निश्चित ही आगे होते हैं किन्तु आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यवादी जीवन दृष्टि से संपन्न होते हैं या नहीं यह कहना कठिन है। वर्तमान समय में उद्दण्डता, अनुशासनहीनता, अनैतिकता, चारित्रिक पतन, माता-पिता तथा गुरुओं के प्रति श्रद्धाहीनता आदि दोष इसलिए आ गये हैं कि हमने अपने मौलिक विधियों को छोड़कर परायी विधि-विधानों को अपनाने का प्रयास किया है जिनका कि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति से समन्वय नहीं बैठता है। विज्ञान एवं गणित का ज्ञान।

बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षक का अत्यन्त महत्व पूर्ण स्थान था। वह आदर्श चरित्र वाला तथा सादा जीवन व्यतीत करता था। वह छात्रों को ज्ञान प्रदान करना अपना परमकर्तव्य समझता था तथा छात्रों से पुत्रवत् प्रेम करता था। परन्तु वर्तमान शिक्षा में शिक्षकों की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज शिक्षक ने शिक्षण कार्य को अपना कर्तव्य न समझकर व्यवसाय मात्र समझ लिया है, जिससे उनके शिक्षण कार्य में गुणवत्ता तथा मौलिकता नहीं आ पाती। आज के अधिकांश शिक्षक तो समय के पाबन्द नहीं हैं और अधिकांश शिक्षक तो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। जिसका सीधा प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। अतः आज के शिक्षकों को चाहिए कि वे बौद्ध शिक्षा में शिक्षकों को आदर्शमान कर अपने कार्य का प्रतिपादन करें। बौद्ध काल का शिक्षक सादा जीवन, उच्च विचार रखता था वह विषय में पारंगत होता था। अपने जीवन को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता था। उसे वेतन नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में वह समाज का आदर्श था। उनकी विद्वता का जोड़ विश्व में नहीं रहता था। बौद्धकालीन शिक्षा का मापदण्ड आज भी प्रासंगिक है।

बौद्धकालीन छात्रों को बड़ा ही संयमित जीवन व्यतीत करना पड़ता था, उनका एक ही लक्ष्य होता था 'ज्ञान' प्राप्त करना। छात्रों को मठों एवं विहारों में प्रवेश के समय 'दस सिख्खा पदानि' अर्थात् जीव हिंसा न करना, किसी की वस्तु न लेना, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, असत्य भाषण न करना आदि दस आदेशों का पालन करना पड़ता था, जिससे छात्रों में आत्म संयम, सदाचरण, सदाचार, सदबुद्धि आदि का विकास होता था। आज की शिक्षा में विद्यार्थी इन दस आदेशों में से एक का भी पालन नहीं करता है, इन्हीं कारणों से आ के छात्रों में हिंसावृत्ति, अनैतिकता, दुराचार, झूठ बोलना, मादक पदार्थों का सेवन करना, गुरु निन्दा करना आदि नाना प्रकार की दुस्प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। अतः आज के शिक्षार्थियों को बौद्ध कालीन शिक्षार्थियों का अनुकरण करना चाहिए। बौद्ध कालीन शिक्षार्थी आचरण तो बहुत ही प्रासंगिक है।

आज छात्रों का उद्देश्य बहुत ही संकीर्ण हो गया है। बौद्ध काल में जहाँ ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था वहीं आज ज्ञान का विस्तार न करके चयनित पाठ्यक्रम को बढ़कर परीक्षा उत्तीर्ण करना है। वर्तमान समय में ज्ञान पिपासु छात्रों का अभाव पाया जा रहा है। लेकिन जब हम बौद्ध शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं तो पता चलता है कि उस समय में छात्र का उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करके अपने हित को समाज एवं राष्ट्र के हित के सम्मुख न्योछावर कर देना था। अतः आज बौद्ध कालीन शिक्षा के आदर्शों को स्थापित करने की पुनः आवश्यकता है।

आज शिक्षा संस्थाओं के अंतर्गत प्राथमिक से उच्च स्तर तक सरकारी अनुदानित एवं वित्तपोषित शिक्षण संस्थाएँ संचालित होती हैं। वास्तव में शिक्षा को जहाँ भौतिक अवधारणा के अंतर्गत समाहित किया गया है वहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी एवं अनुदानित संस्थाएँ होनी चाहिए। आजादी के बाद शिक्षण संस्थाओं के विषय में यही अवधारणा थी लेकिन 2000 से हमारे देशक की केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारें शिक्षा के दायित्व से अपने को दूर कर रही हैं और दायित्व को समाज के शिक्षा प्रेमी तथा धनाढ्य लोगों के अधीन सौंप दे रही हैं। विडला यमानी रिपोर्ट आने के पश्चात अधिकांश संस्थाएँ माध्यमिक से उच्च स्तर तक की यहाँ तक कि विश्वविद्यालय भी स्ववित्तपोषित स्वरूप के खोले जा रहे हैं स्ववित्तपोषित संस्थाओं से निश्चित रूप से संस्था की दर बढ़ी है। लेकिन शैक्षिक गुणवत्ता कतिपय संस्थाओं को छोड़कर अधिकांश में घटी है। बौद्धकाल की संपूर्ण शिक्षण संस्थाएँ स्ववित्तपोषित थीं। प्राथमिक से लेकर उच्चतम स्तर तक इन संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का विश्व में कोई जोड़ नहीं था। शिक्षा के संस्थाओं में पूरी दुनिया में उस काल में भारत का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता था।



तक्षशिला, विक्रमशिला, नालन्दा, नदिया, वलभी आदि विश्वविद्यालय स्तर की स्ववित्तपोषित संस्थाएँ थीं। इन विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा नहीं होती थीं मुख्य द्वार पर सिति द्वार पर के साक्षात्कार में जो सफल होता था उसे प्रवेश दे दिया जाता था। द्वारपाल बहुत ही विद्वान हुआ करता था यही साक्षात्कार के माध्यम से प्रवेश परीक्षा संपादित करता था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि द्वारपाल से बहुत ही योग्य उस समय के उपाध्याय और आचार्य होते थे। विद्वता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं दायित्व पालन के अंतर्गत स्थापित इस काल के स्ववित्तपोषित शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की जायें तो निश्चित रूप से शिक्षा की प्रगति एक दिशा में होगी। अतः बौद्धकालीन शिक्षा संस्थाओं की संकल्पना आज भी प्रासंगिक है।

आज के समाज में जो कोलाहल, भ्रष्टाचार, लूट, अनाचार व्याप्त है वह मनुष्य की दूषित भावनाओं का परिणाम है। समाज में समता, स्थिरता, शान्ति की भावना विकसित करने के लिए मनुष्य को अपनी दूषित भावना का परित्याग करना होगा और यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः बौद्ध शिक्षा के विभिन्न अंगों को वर्तमान शिक्षा साथ समन्वय स्थापित करके उन्हें स्वीकारना अत्यन्त आवश्यक है।

#### fu"d"l %

प्राप्त अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए :

1. बुद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को धर्म, नैतिकता, बुद्धिमत्ता, सदाचरण एवं ध्यान की तरफ अग्रसित करना है तथा बौद्धिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को समृद्ध करना है।
2. सीखना, साधारण जीवन, उच्च विचार, मानवीय कार्यों के प्रति प्रेम, स्वसहायता, सामुदायिक जीवन, जागरूकता को बनाये रखना, अनुशासन मानवता, बड़ों का सम्मान, शिक्षकों का आदर करना आदि को प्रमुखता दी गयी है।
3. शोध के अध्ययन से बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों, छात्रों को वास्तविक सत्य की अनुभूति करना और मानवीय जीवन को प्राप्त करना है। जो निर्वाण और मोक्ष है। इससे उन्हें जीवन की वास्तविकता के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रति जागरूक करना और उन्हें कर्म के नियम को समझने के लिए योग्य बनाना और उन्हें कर्म के नियम को समझने के लिए योग्य बनाना और अपने बौद्धिक क्षमता को तीव्र बनाना और अच्छे नैतिक चरित्र को विकसित करना, सीखने में वैज्ञानिक रुचि को उत्पन्न करना, तार्किकता, संवाद कौशल के लिए उनमें योग्यता विकसित करना और वास्तविक आदर्शों को उत्पन्न करना, भाईचारा, मित्रता, शान्ति, सहयोग की भावना को विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य है।

4. बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों तथा आध्यात्मिक विषयों को समान महत्व दिया गया है। लौकिक विषयों में सामान्य विषय, कला कौशल, व्यवसायिक विषय, शारीरिक शिक्षा आदि को और आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में चार आर्य सत्यों का पूर्ण ज्ञान, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, तुलनात्मक ज्ञान के लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन, पाँच विधाएँ—शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, आध्यात्मिक विद्या आदि को स्थान दिया गया।
5. बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षार्थी को संयमित जीवन जीने पर बल दिया गया। उसे दस आदेशों का पालन करना पड़ता था। अतः विद्यार्थी को संयमित जीवन जीना परम आवश्यक है।
6. बौद्धकाल की उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा नहीं होता था। वहाँ का द्वारपाल ही प्रवेश परीक्षक होता था। वह छात्र से साक्षात्कार करता था और योग्य छात्र को ही प्रवेश देता था और जिसको वह प्रवेश दे देता था उसे वहाँ शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता था।

#### संदर्भ सूची

1. पचौरी, डॉ० गिरीश : 'शिक्षा के दार्शनिक आधार', आर०लाल बुक डिपो, मेरठ
2. लाल रमन बिहारी : 'शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार', रस्तोगी पब्लिकेशन्स, शिवाजी रोड, मेरठ—2009—10
3. सिंह, कर्ण : 'भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास', गाविन्द प्रकाशन, लखीमपुर खीरी, 2008—09
4. पाण्डेय, विमलचन्द्र : 'प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास', सेन्ट्रल पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद, 1989
5. मिश्र, एच०एन० : 'धर्मदर्शन परिचय'—शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद, 1995
6. सांस्कृत्यायन, राहुल : 'बुद्धचर्या' (द्वितीय संस्करण) सत्यबोधि सभा, सारनाथ वाराणसी
7. त्रिपाठी, डॉ० रामशंकर : 'पालि पाठावली', भवदीय प्रकाशन, आयोध्या, फैजाबाद, 1999



## दुर्लभता के कारणों से कुपोषण, दूरी, उ

14; k JhokLro\*

jkT; Jh fl g\*\*

### 1 kjkak %

आज तक कुपोषण विकसित या अविकसित दोनों प्रकार के देशों में देखा जाता है। भारत जैसे विकासशील और अन्य कम धनी देशों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी प्रमुख समस्या है। वहीं कई पाश्चात्य देशों में कुपोषण की समस्याएँ अत्यधिक पोषण के कारण उत्पन्न होती हैं।

स्वस्थ रहने के लिए सभी को उचित पोषण की आवश्यकता होती है। उचित पोषण हमें संतुलित आहार में मिलता है। "संतुलित आहार" अर्थात् ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन हो जिनसे शरीर को कार्य करने की शक्ति तथा शरीर निर्माणक एवं रक्षात्मक तत्व प्राप्त हो सके। जिस व्यक्ति को सदा संतुलित आहार मिलता है वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है।

भारत की अधिकांश गरीब जनता को प्रतिदिन सुबह-शाम भर पेट दाल-रोटी भी नसीब नहीं होता है। अतः वे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के भयंकर रूप से पीड़ित होते हैं। कुछ गरीब परिवार के बालकों को भरपेट अनाज भी नहीं मिलता परिणामतः उसके शरीर में उर्जा उत्पादन भोज्य तत्वों की कमी होती है तथा वे निर्बल व कमजोर निरक्त एवं थके-थके दिखाई देते हैं। गर्भवती तथा धात्री माता की दशा कम दयनीय नहीं है।

कुपोषण ठीक इसके विपरीत की स्थिति है। जब आहार में पौष्टिक तत्वों का संतुलन नहीं रहता है। पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है या विशेष प्रकार के पौष्टिक तत्व आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं तब कुपोषण हो जाता है। संक्षेप में कुपोषण वह असामान्य स्थिति है जो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों के अभाव में या अधिकता से उत्पन्न होती है।

कुपोषण की परिभाषा यह पोषण की वह स्थिति है, जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी

---

\* प्रवक्ता, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर।

\*\* शोध छात्रा, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर।

या अधिकता या असंतुलन के कारण होती है। जिसके कारण शरीर रोग ग्रस्त हो जाता है।

किसी खास पोषाहार का पूर्ण या अधिकांश आभाव, कुपोषण का प्रभाव न केवल व्यक्ति के शारीरिक विकास पर पड़ता है बल्कि इसके कारण मानसिक, सामाजिक व बौद्धिक विकास भी प्रभावित होता है। उसमें लिखने तथा याद करने की क्षमता का भी ह्रास होता है। बालक का मन पढ़ने-लिखने या खेलने-कूदने में नहीं लगता है। वह क्रोधी अशान्त एवं बेचैन रहने लगता है। 1970 में डॉविंग तथा सैण्डस (Dobbing and Sandos) ने अपने आप (Vulnerable Conditions) उत्पन्न हो जाती है। जिसका विवरण नियमानुसार है। समय के पूर्व जन्मे बच्चों (Premature Child) के मस्तिष्क अत्यन्त भेद (Vulnerable) होता है। अर्द्ध विकसित शिशु का मानसिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है।

कुपोषित माताओं से उत्पन्न बच्चे का वजन भी कम होता है। अतः बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास कम हो जाता है। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवस्थाओं में भी अवरूद्ध हो जाता है। जब उनमें चयापाचायत्मक दोष, हारमोन सम्बन्धी अवस्था तथा आन्तरिक अंगों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। शारीरिक दोष (Physical Defect) बालकों में, जैसे- कटे-फटे होठ तालू होने से बालको को भोजन निगलने में परेशानी होती है। जिसके कारण भोजन कुपोषण हो जाता है। दुध छोड़ने के पश्चात् यदि बालको को पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिलता है तो उनके मस्तिष्क में तन्तुओं की कमी हो जाती है। अतः मानसिक विकास कम होता है। 1-5 वर्ष की अवस्था में बालको का सर्वाधिक शारीरिक विकास होता है। 2-3 वर्ष की उम्र में सर्वाधिक मानसिक तन्तुओं का विकास होता है।

#### **mnms ; %**

1. पोषण स्तर को ऊँचा उठाना ताकि वे कुपोषण का षिकार न हों।
2. ग्रामीणों को आहार में फल, दूध, मछली, अण्डा, सब्जियाँ, दाल, सोयाबिन आदि खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने के लिए प्रेरित करना।
3. शिक्षकों को सन्तुलित एवं पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी प्रदान करना।
4. ग्रामीणों को सन्तुलित एवं पौष्टिक आहार के बारे में विस्तृत जानकारी देना।
5. गर्भवती माता, धात्री माता, गरीब वर्ग की गर्भवती तथा धात्री माता को निःशुल्कलौह लवण की गोलिया वितरित करना।
6. रक्त अल्पता से ग्रसित महिलाओं एवं बच्चों की पहचान कर उनका उपचार करना।

7. आहार में हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे— पालक, बथुआ, चौराई, सहजन, का पत्ता, चना का साग, सरसो का साग आदि भोज्य पदार्थों के सेवन हेतु प्रोत्साहित करना।

#### दृक्क.क दस द्क.क %

1. गरीबी
2. बेरोजगारी
3. भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति
4. मानव संसाधन
5. भोज्य पदार्थों में मिलावट
6. परिवार का आकार एवं संरचना
7. परिवार में भोजन के लिए वितरण का तरीका
8. परम्पराएँ आदि कुपोषण के कारण हो सकते हैं।

#### दृक्क.क | स ग्कुस okys jlk %

कुपोषण के कारण बच्चों तथा व्यस्कों में भी पोषण तत्वों के आभाव या अधिकाय के कारण कई रोग हो जाते हैं। जिन्में से प्रमुख रोग निम्नलिखित है :

**¼½ Dof' k; kj dkg &** प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी के कारण बच्चों में क्वाशियारकोर नामक रोग होता है। यह रोग प्रायः मां का दूध छुड़ाने के बाद जब बच्चों को उचित पोषण नहीं मिलता है। क्वाशियारकोर के लक्षण निम्नलिखित हैं— बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास रूक जाता है। बाल झड़ने लगते हैं और सफेद या भूरे रंग के हो जाते हैं। बच्चों के गाल कड़े हो जाते हैं और फूल जाते हैं। त्वचा के नीचे पानी भरने के कारण गाल चमकने लगते हैं। बालक की इस स्थिति को चन्द्रमुख कहते हैं। बच्चों की त्वचा धब्बेदार हो जाती है। बच्चों को अतिसार हो जाता है।


**¼½ efjklel &** मैरास्मस “ग्रीक” भाषा शब्द का है, जिसका अर्थ है— “व्यर्थ होना”। प्रोटीन एवं कैलोरी के कारण उत्पन्न कुपोषण से निम्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं — शरीर में सुजन, वजन में कमी, भूख न लगना एवं अतिसार, मांस पेशियों का क्षय हो जाना, दाँतो की संरचना एवं बनावट में खराबी, चन्द्राकृति मुँह, त्वचा में व्यापक परिवर्तन, रूखी सूखी बेजान त्वचा बालों का चमकहीन एवं सूखा कड़क होना रक्त अल्पता रोग हो जाना चिड़चिड़ापन, निराशा भय आदि होना।

foopuk%

1- dq ksk.k dsckjes tkurs gA

I kj.kh I d; k&amp;1

Øe I d; k	i ksk.k	vkofr	i fr'kr
1.	हाँ	30	60
2.	नहीं	20	40




आकड़ों से पता चला कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता कुपोषण के बारे में जानते हैं जबकि 40 प्रतिशत नहीं।

2- LoLFk jgusdsfy, I Hkh dksmfpr i ksk.k dh vko' ; drk gkrh gA

I kj.kh I d; k&amp; 2

Øe I d; k	i ksk.k	vkofr	i fr'kr
1.	हाँ	40	80
2.	नहीं	0	0
3.	सामान्य मात्रा	5	10
4.	उपरोक्त सभी	5	10
	; ksx	50	100



स्वस्थ रहने के लिए सभी उचित पोषण की आवश्यकता रहती है। आकड़ों से पता चला कि (80 प्रतिशत) उत्तरदाता का कहना है कि हाँ, (10 प्रतिशत) उत्तरदाता का कहना है कि सामान्य मात्रा में, (10 प्रतिशत) उत्तरदाता का कहना है कि उपरोक्त सभी और नहीं (0 प्रतिशत) उत्तर है।

### 3- यकृत यो.क धि देह । सD; k ग्लूक गS\

I kj .kh I ढ; k&3


Ø-I a	i kSk.k	vkofr	i fr'kr
1.	रक्ताल्पता की शिकायत	30	60
2.	शरीर निर्माण तथा क्रियाशीलता	5	10
3.	शरीर में कमजोरी	10	20
4.	उपरोक्त सभी	5	10
	; ksx	50	100

लौह लवण की कमी से रक्ताल्पता का शिकायत होती है। आकड़ों से पता चला कि 60 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना था शरीर निर्माण तथा क्रियाशीलता में 10 प्रतिशत उत्तरदाता का था शरीर में कमजोरी 10 प्रतिशत उत्तरदाता है।

4- दृक्क.क दसfn [kus okys y{k.k g%  
I kj .kh I ; k&4

Ø-l a	i kSk.k	vkofr	ifr'kr
1	बच्चों का शारीरिक एवं मांसिक विकास	0	0
2	बाल झड़ने लगते हैं	10	20
3	बच्चों के गले कड़े	5	10
4	उपरोक्त सभी	35	70
	; ksx	50	100

कुपोषण दिखने वाले सभी लक्षण उपरोक्त सभी हैं। तथ्यों से पता चला कि 70 प्रतिशत लोगो का उसका पता चला 20 प्रतिशत उत्तरदाता का जवाब था बाल झड़ने लगते हैं तथा 10 प्रतिशत उत्तरदाता जवाब था बच्चों गले कड़े हो जाते हैं। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। 0 प्रतिशत उत्तरदाता है।






5-  $ft \mid eaHk\bar{t}$ ;  $rRo \ vko'$ ;  $drk \mid svf/kd \ rFk \ i\bar{t}Vd \ rRo \ vko'$ ;  $drk$   
 $\mid sde \ i\bar{t}r \ gkrsg\bar{A}$  og  $fLFkfr \ dgylrh \ g\bar{A}$

$\mid kj.kh \mid \bar{t}; k\&5$

Ø-l a	i kSk.k	vkofr	i fr'kr
1.	कुपोषण	40	80
2.	अल्पपोषण	5	10
3.	उत्तमपोषण	5	10
4.	'अ' तथा 'ब' दोनों	0	0
	; kx	50	100


जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं। वह स्थिति कहलाती है। आकड़ों से पता चला कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता का जवाब था कुपोषण। 10 प्रतिशत उत्तरदाता का जवाब था कि अल्पपोषण 10 प्रतिशत उत्तरदाता जवाब था कि उत्तम पोषण। अ तथा ब दोनों 0 प्रतिशत उत्तरदाता है।



6- D; k , d ; k vf/kd rRokadh deh I sdj kSk.k gkrk gS

I kj .kh I d ; k&6


Ø-I a	i kSk.k	vkofr	ifr'kr
1.	हाँ	40	80
2	नहीं	0	0
3.	सामान्य मात्रा में	5	10
4.	उपरोक्त सभी	5	10
	; ksx	50	100



एक या अधिक तत्वों की कमी से क्या कुपोषण हो जाता है। आकड़ों से पता चला कि 80 प्रतिशत उत्तरदाता का जवाब था हाँ। 10 प्रतिशत उत्तरदाता का जवाब था सामान्य मात्रा में। 10 प्रतिशत उत्तरदाता जवाब था कि उपरोक्त सभी।

7. कुपोषण के बढ़ते प्रभाव पर एक अध्ययन

वर्ग	विवरण	कुपोषण	उत्तम पोषण
1.	अपोषण	5	10
2.	उत्तम	45	90
3.	कुपोषण	0	0
4.	'अ' तथा 'ब' दोनों	0	0
	कुपोषण	50	100



मनुष्य को मिलने वाले भोजन से उसका सही पोषण होता है। वह उत्तम पोषण कहलाता है। आकड़ों से पता चला कि 10 प्रतिशत उत्तरदाता का जवाब था कि अपोषण। 90 प्रतिशत उत्तरदाता का जवाब था उत्तम पोषण। 0 प्रतिशत उत्तरदाता कुपोषण में है। 0 प्रतिशत अ तथा ब दोनों में भी उत्तरदाता है।

**कुपोषण के कारण**

उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुपोषण बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों का जड़ है। यह किसी भी उम्र में तथा किसी को भी हो सकता है। कुपोषण किसी भी कारणों से हो सकता है। जैसे- गरीबी, अज्ञानता, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा का आभाव, बेरोजगारी, भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, भोज्य पदार्थों में मिलावट, परिवार का आकार एवं संचार पर कुपोषण का प्रभाव पड़ता है।

ज्यादातर कुपोषण निर्धन लोगों में देखा जाता है। क्योंकि वह लोग निर्धन और गरीब होते हैं। वे पौष्टिक चीजों को खरीद कर खा नहीं पाते हैं। इसलिए उन लोगों में कुपोषण अधिक होता है। ग्रामीण महिलाएँ प्रायः कुपोषण की शिकार होती हैं क्योंकि निर्धनता और परम्पराओं के कारण वे भर पेट तथा संतुलित आहार नहीं ले पाती हैं इसलिए वे कुपोषण की शिकार होती हैं।

### कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए।

यह आवश्यक है कि वे संतुलित आहार का उपयोग करें। शिक्षण संस्थाओं समाज सेवी संस्थाओं जनता को आहार एवं पोषण सम्बन्धी जानकारी दी जानी चाहिए। परिवार नियोजन की ओर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जनसंख्या कम होने से ही सभी को उचित पोषाहार मिल सकेगा।

कुपोषण की समस्या का उचित समाधान तभी होगा जब सरकार के विभिन्न कल्याणकारी विभागों, चिकित्सालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम जनता के बीच में सहयोग की भावना हो वैसे सरकार की ओर इस दिशा में कई प्रयत्न किये गये हैं। विश्व आहार कार्यक्रम जैसे— एप्लाइड न्यूट्रिसन प्रोग्राम एकीकृत बाल विकास योजना आदि कई जगह जारी हैं। गरीबी, अज्ञानता रीति-रिवाज आदते खाद्य समाग्री का आभाव कुपोषण के मुख्य कारण हैं। उनकी ओर ध्यान देकर सुधार करना चाहिए।

### उचित संरक्षण व देखभाल से तात्पर्य यह नहीं कि माता पिता अपने बच्चे को शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें अपितु सामाजिक संवेगात्मक और मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करें। जिससे बच्चे स्वस्थ संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर सके और वह परिवार व समाज के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सके।

कुपोषण से बचने के लिए प्रतिमानों का निर्धारण करते समय माता-पिता को चाहिए कि वे अपने आदर्शों को बालकों पर न लादे। विभिन्न प्रकार के आदर्शात्मक उपदेश बालक के स्वास्थ्य का विकास नहीं कर सकते हैं। अतः घर के सदस्यों को चाहिए कि स्कूल जाने वाले बालक की भवनाओं का आदर करें। उसके स्वभाव व आवश्यकताओं को समझकर ही आहार का निर्माण करना चाहिए।

कुपोषण से बचने के लिए प्रतिमानों का निर्धारण करते समय माता-पिता को चाहिए कि वे अपने आदर्शों को बालकों पर न लादे। विभिन्न प्रकार के आदर्शात्मक उपदेश बालक के स्वास्थ्य का विकास नहीं कर सकते हैं। अतः घर के सदस्यों को चाहिए कि स्कूल जाने वाले बालक की भवनाओं का आदर करें। उसके स्वभाव व आवश्यकताओं को समझकर ही आहार का निर्माण करना चाहिए।

### बृन्दा सिंह, आहार विज्ञान एवं पोषण, पंचशील प्रकाशन, फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003, 2012।

1. बृन्दा सिंह, आहार विज्ञान एवं पोषण, पंचशील प्रकाशन, फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003, 2012।

2. श्रीमती सुप्रिया उपाध्याय : पोषण एवं स्वास्थ्य—(ISBN :978-81-922227-6-9) प्रत्युष पब्लिकेशन्स, पश्चिमी करावल नगर, नयी दिल्ली—110094, 2012।
3. श्रीमती सुप्रिया उपाध्याय : आहार एवं पोषण के आधारभूत सिद्धान्त, (ISBN :978-81-924902-1-2), ए.एस.आर. पब्लिकेशन्स, पावी सादकपुर, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. (2013)
4. श्रीमती सुप्रिया उपाध्याय : मानव आहार (एक परिचय) (2014) (ISBN:978-93-83247-16-5), ए.एस.आर. पब्लिकेशन्स, पावी सादकपुर, लोनी, गाजियाबाद, उ.प्र. (2013)
5. डा० आनन्द उपाध्याय : मानव एवं पर्यावरण अध्ययन (ISBN : 978-81-88863-27-3) क्षितिज प्रकाशन, वाराणसी, 2008
6. डा० आनन्द उपाध्याय : समाज एवं पर्यावरण (ISBN : 978-81-924902-2-9) प्रत्युष पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली, 2012
7. अनीता सिंह, आहार एवं पोषण विज्ञान, स्टार पब्लिकेशन्स, 11, रोडवेज कालोनी, लोहामण्डी, आगरा—2
8. अरुणा पल्टा आहार एवं पोषण विज्ञान, शिवा प्रकाशन, श्री गणेश मार्केट, खजूरी बाजार, इन्दौर, म.प्र., 1995
9. आशा चौधरी एवं अनुराधा अवस्थी, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वच्छता, शिवा प्रकाशन, श्री गणेश मार्केट, खजूरी बाजार, इन्दौर, म.प्र., 2009
10. ज्योति कुलकर्णी, स्वास्थ्य एवं रोग में पोषणीय प्रबन्धन, शिवा प्रकाशन, श्री गणेश मार्केट, खजूरी बाजार, इन्दौर, म.प्र., 2008



## eRL; ijk.k ea of.kr uxj 0; oLFkk

### Mk0 vjfoln ddkokgk\*

भारत में प्रारम्भिक हड़प्पा काल से ग्राम एवं नगरों का विकास प्रारम्भ हो गया था। वैदिक कालीन साहित्यों से आर्यों के ग्राम एवं नगर व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। पतंजलि ने महाभाष्य में आर्यों की चार बस्तियों ग्राम घोष नगर एवं संवाह का उल्लेख किया है।<sup>1</sup> ब्राह्मण कृषक तथा पंचकारुकी ग्रामों में रहते थे। जिस बड़ी बस्ती में विभिन्न जातियों के लोग अलग-अलग मुहल्लों में रहते हैं उसे नगर कहा जाता था तथा इससे भी बड़ी बस्ती को संवाह कहा जाता था। नगर से छोटी बस्ती को नगरी कहा जाता था।<sup>2</sup> पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में ग्राम और नगर दोनों का वर्णन किया है।<sup>3</sup> नगर निर्माण में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता था। नगरों में भवन, सड़क, उद्यान एवं तालाब आदि का होना आवश्यक था।

पुराणों के विवरणानुसार जन सन्निवेश की आवश्यकता की अनुभूति त्रेता युग में हुई। इसी युग में मनुष्यों ने पुरादी के सन्निवेश में गृह निर्माण क्रिया को सम्पन्न किया।<sup>4</sup> पुरादि का सूत्रपात राजा वैन्ध के शासन काल में हुआ था।<sup>5</sup> मत्स्य पुराण में वास्तु का सम्बन्ध देवताओं से स्थापित किया गया है। इसकी उत्पत्ति शंकर की ललाटस्थ बूँदों से मानी गयी है। उन्होंने उसे तीन लोकों से ग्रसित करने का वरदान दिया था, परन्तु देवताओं के अभिनिवेश एवं प्रयास के फलस्वरूप उसे स्थिर होना पड़ा। देवताओं का निवास होने के कारण उसे वास्तु कहा गया है।<sup>6</sup> पुराणों में वास्तु विद्या में निपुण लोगों के कतिपय उल्लेख मिलते हैं। मत्स्य पुराण में वास्तु शास्त्र के 18 प्रणेताओं—भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजीत, विशालाक्ष, पुरन्दर, ब्रह्मा, कुमार, नन्दिश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति का उल्लेख है।<sup>7</sup> मत्स्य पुराण में वास्तु विद्या में निपुण व्यक्ति को स्थपति कहा गया है तथा उसके हस्त लाघव परिश्रम तथा दूरदर्शिता आदि गुणों पर बल दिया गया है।<sup>8</sup> अन्यत्र विश्वकर्मा को प्रासाद आदि के निर्माण में दक्ष कहा गया है।<sup>9</sup> मान्धाता की कल्याओं का प्रासाद विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था।<sup>10</sup> ब्रह्माण्ड पुराण का कथन है कि श्रीपुर नामक नगर का निर्माण विश्वकर्मा तथा मय आदि शिल्पशास्त्रज्ञों के संरक्षण में सम्पन्न हुआ था।<sup>11</sup> नगर निर्माण करते समय कतिपय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दिया जाता था। पर्वत, जल

\* अतिथि प्रवक्ता, इतिहास विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

और मरुभूमि से घिरे सुरक्षित स्थान पर नगर का निर्माण किया जाता था। मत्स्य पुराण में पर्वत संरक्षित दुर्ग को महादुर्ग की संज्ञा दी गयी है।<sup>12</sup> अन्यत्र विभिन्न दुर्गों में पर्वत दुर्ग सर्वश्रेष्ठ घोषित है। इसी प्रसंग में मरुभूमि दुर्ग तथा जल दुर्ग का भी उल्लेख है।<sup>13</sup> अन्य पुराणों में भी पर्वत, जल और मरुभूमि द्वारा सुरक्षित भू-क्षेत्र को दुर्ग की संज्ञा दी गयी है।<sup>14</sup> गिरिब्रज नगर 5 पर्वत मालाओं से घिरा था।<sup>15</sup> अर्थशास्त्र में पर्वत एवं मरुभूमि आदि को नगर रक्षा का स्वाभाविक उपादान कहा गया है।<sup>16</sup> नगर के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी जल परिखा का निर्माण किया जाता था। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि त्रीपुर दुर्ग के चारों ओर गहरी जल परिखाओं का निर्माण किया गया था।<sup>17</sup> वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में भी नगर के चारों ओर जल परिखाओं का उल्लेख मिलता है।<sup>18</sup> कादम्बरी में उज्जयिनी को परिवेष्टित करने वाले परिखा की तुलना सागर से की गयी है।<sup>19</sup>

मत्स्य पुराण में वप्र,<sup>20</sup> अट्टालक,<sup>21</sup> प्राकार,<sup>22</sup> तथा गोपुर<sup>23</sup> आदि को दुर्ग का आवश्यक अंग बताया गया है। पूर्वी द्वार को गोपुर कहा जाता था। यह नगर का मुख्य द्वार होता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलीपुत्र के प्रकार में 64 प्रवेश द्वार थे।<sup>24</sup> नगर विधान में द्वारों की संख्या सामान्यतः 4 बतायी गयी है। वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में शिव के नगर प्रकार को 4 द्वारों से युक्त कहा गया है।<sup>25</sup> नगर नियोजन में राजमार्गों की उत्तम व्यवस्था की जाती थी।<sup>26</sup> वायु और ब्रह्माण्ड पुराण में वर्णित है कि राजमार्ग की चौड़ाई दस धनुष अर्थात् 60 फुट होनी चाहिए।<sup>27</sup> राजमार्ग साफ एवं स्वच्छ रखे जाते थे तथा रात्रि में उन पर दीपक जलाए जाते थे। इनमें पर्याप्त तेल रहता था। इन दीपों से राजमार्गों की कान्ति चम्पा पुष्प की भाँति प्रतीत होती थी।<sup>28</sup> ब्रह्माण्ड पुराण में वर्णित है कि पौरांगनाओं ने अपने राजमार्ग पर जल और चन्दन छिड़क रखा था।<sup>29</sup> मत्स्य पुराण में राजमार्गों को गन्दा करने वाले व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया है।<sup>30</sup> नगर में रथ्या तथा उपरथ्या का निर्माण भी किया जाता था। श्रीपुर में इनके निर्माण की योजना बनाई गयी थी।<sup>31</sup> सैधव क्षेत्र,<sup>32</sup> तक्षशिला,<sup>33</sup> एवं कौशाम्बी<sup>34</sup> के उत्खनन में राजमार्गों के निर्माण के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। नगर तथा उसके आस-पास उपवन एवं उद्यान लगाये जाते थे। इनसे नगर की शोभा वृद्धि होती थी। मत्स्य पुराण में वाराणसी नगरी को अनेक विशाल वृक्षों से युक्त बताया गया है।<sup>35</sup> ब्रह्माण्ड पुराण में नगर के उद्यान में फल-फूल पल्लव और सौरभ युक्त वृक्षों के आरोपण का उल्लेख है।<sup>36</sup> जामदग्नि पुरी के चतुर्दिक पुन्नाग, चम्पक, मदार एवं कदम्ब आदि वृक्षों के वन थे।<sup>37</sup> हस्तिनापुर में बलराम नगर के बाहरी उपवन में रूके थे।<sup>38</sup> पिता के निकलने के बाद ध्रुव भी नगर के बाहर उपवन में रूके थे।<sup>39</sup> इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन नगरों के अन्दर तथा बाहर सुन्दर उद्यान लगाये जाते थे।

गृह निर्माण में अनेक बाते ध्यान में रखी जाती थी। सर्वप्रथम भूमि का चयन किया जाता था। मत्स्य पुराण में श्वेत, लाल, पीली एवं काली भूमि को क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के गृह निर्माण के लिए उपयुक्त माना गया है।<sup>40</sup> इसी प्रसंग में वर्णित है कि मधुर, कटु, तिक्त तथा काषाय स्वाद वाली भूमियाँ क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अनुकूल होती हैं।<sup>41</sup> गृह निर्माण शुभ मूर्त में प्रारम्भ किया जाता था। चैत्र में गृह निर्माण प्रारम्भ करने से व्याधिक ग्रस्त, वैशाख में धेनु तथा रत्न प्राप्ति, ज्येष्ठ में मृत्यु आसाढ़ तथा श्रावण में नौकर चाकर तथा पशु आदि की प्राप्ति, भाद्र में हानि, अश्वनि में भार्या वियोग, कार्तिक में धन-धनादि की प्राप्ति, मागशीर्ष में अन्न प्राप्ति, पौष में चोर भय, माघ में गृह दाह, फाल्गुन में स्वर्ण तथा अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है।<sup>42</sup>

गृह आरम्भ में अश्वनि, रोहिणी, मूल, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, स्वाति, हस्त और अनुराधा नक्षत्र प्रशस्त माने गये हैं। रविवार तथा मंगलवार को छोड़कर शेष दिन भी मंगलकारी कहे गये हैं।<sup>43</sup>

गृह निर्माण में विभिन्न प्रकार के स्तम्भों का निर्माण किया जाता था। मत्स्य पुराण में वर्णित है कि गृह निर्माण करते समय सर्वप्रथम स्तम्भ निर्माण किया जाना चाहिए।<sup>44</sup> इसी प्रसंग में पाँच प्रकार के स्तम्भों रूचक, वज्र, द्विवज्र, प्रलीनक तथा वृत्त का भी उल्लेख किया गया है। रूचक, वज्र, द्विवज्र तथा प्रलीनक क्रमशः चार, आठ, सोलह और बत्तीस कोनों के होते थे। वृत्त स्तम्भ मध्य में वृत्ताकार होता था।<sup>45</sup> स्तम्भों को अलंकृत भी किया जाता था। मत्स्य पुराण के अनुसार रूचक आदि स्तम्भों को पदम, लता, वल्ली, पत्र एवं दर्पणादि से युक्त किया जाना चाहिए।<sup>46</sup> विष्णु पुराण में भी स्तम्भों को दर्पण युक्त बताया गया है।<sup>47</sup> साँची की कला में भी चित्रित स्तम्भ प्राप्त है।<sup>48</sup> गृह निर्माण में गृह द्वार के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पूर्व दिशा में इन्द्र और जयंत, पश्चिम दिशा में पुष्पदन्त और वरुण, उत्तर दिशा में भल्लाट और स्रौम्य तथा दक्षिण दिशा में याम्य और वितथ के पदों पर निर्मित द्वार शुभकर माना गया है।<sup>49</sup> कपाट रहित द्वार विपन्ता का सूचक माना जाता था।<sup>50</sup> कंस का प्रासाद रंग द्वार से अलंकृत था।<sup>51</sup> जामदग्नि पुरी के भवन अर्गला युक्त कपाट से युक्त थे।<sup>52</sup> स्वच्छ वायु और प्रकाश की व्यवस्था के लिए गृहों में गवाक्ष और वातायन होते थे। मत्स्य पुराण में गवाक्ष का उल्लेख त्रिपुर के भवनों के प्रसंग में हुआ है।<sup>53</sup> उल्लेख है कि वातायनों में पुर स्त्रियाँ आसीन थीं।<sup>54</sup> मृच्छकटिकम् में भी वातायनों से झाँकती हुई स्त्रियों का उल्लेख है।<sup>55</sup> वायु और ब्रह्माण्ड पुराणों में भी वातायन का उल्लेख मिलता है।<sup>56</sup> तोरण और ध्वज भवनों के प्रमुख अंग थे। इनसे भवनों का सौंदर्य वर्धन होता था। मत्स्य पुराण के अनुसार



मय निर्मित त्रिपुर नगर के प्रासाद पताकाओं और ध्वजाओं से अलंकृत थे।<sup>67</sup> तोरण यहाँ के भवनों के अभिन्न अंग थे।<sup>68</sup> ब्रह्मा के आदेश से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पुरी के ऊँचे प्रकारों में तोरण लगे हुए थे।<sup>69</sup> स्वप्नवासवदत्तम् का विदूषक भवन के प्रवेश द्वार चंचल तोरणमाला को सर्प समझकर भयाक्रान्त हो जाता है।<sup>60</sup> मन्दसौर प्रशास्ति में वर्णित है कि भवनों पर चंचल ध्वज फहराते थे।<sup>61</sup>

गृह के सौंदर्य वर्धन के लिए फल-फूल युक्त पौधों के उद्यान लगाए जाते थे। पर्वत राज हिमवान के प्रासाद को सहस्त्रों क्रिड़ावनों से युक्त देखकर देवगण अपनी अपनी दृष्टि को सफल मान रहे थे। मत्स्य पुराण के अनुसार गृह के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में क्रमशः वट, पीपल, प्लाक्ष और उदुम्बर के वृक्ष लगाये जाने चाहिए।<sup>62</sup>

सत्यभामा पारिजात वृक्ष को अपने घर का आभूषण मानती है।<sup>63</sup> उद्यानों में जलाशयों का निर्माण भी किया जाता था। मत्स्य पुराण में त्रिपुर के उद्यानों को जलाशयों से युक्त बताया गया है।<sup>64</sup> जलाशयों में नीचे उतरने के लिए सोपान निर्मित थे।<sup>65</sup> कमल एवं पक्षियों से युक्त जलाशय मनोहारी प्रतीत होते थे।<sup>66</sup> इनमें अक्षीण जल भरा रहता था।<sup>67</sup> ग्रीष्म काल में स्त्रि-पुरुष इन जलाशयों में जल क्रिड़ा किया करते थे।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया जाता था। नगर निर्माण करते समय उसकी सुरक्षा सम्बन्धी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता था। आने-जाने के लिए चौड़े राजमार्ग बनाये जाते थे। नगर की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए उद्यान लगाए जाते थे। जिसकी तुलना हम लोग आज के पार्कों से कर सकते हैं। स्वच्छ वायु और प्रकाश की व्यवस्था के लिए घरों में गवाक्ष और वातायनों का निर्माण किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन नगर एक वैज्ञानिक तरीके से बसाया जाता था।

### । nHk xUfk । ph %

1. महाभाष्य, 7/3/14
2. तदैव, 8/4/42
3. अष्टाध्यायी, 7/3/14
4. वायु पुराण, 8/52/54; विष्णु पुराण, 1/6/16-19
5. मत्स्य पुराण, 10/31-35
6. तदैव 252/5-14
7. तदैव 252/2-4

8. तदैव 215/40
9. मत्स्य पुराण, 5/27-28
10. विष्णु पुराण, 4/2/97
11. ब्रह्माण्ड पुराण, 4/31/8
12. मत्स्य पुराण, 203/2
13. तदैव, 217/6-7
14. विष्णु पुराण, 1/6/8; वायु पुराण, 8/106
15. महाभारत, सभापर्व, 21/3
16. अर्थशास्त्र, शामशास्त्री द्वारा सम्पादित, पृष्ठ 52
17. मत्स्य पुराण, 130/26
18. वायु पुराण, 8/110
19. मत्स्य पुराण, 217/8
20. तदैव, 217/8, 129/35
21. तदैव, 131/22
22. तदैव, 130/2, 154/498
23. मेक्रिन्डल, मेगस्थनीज एण्ड एरियन, पृष्ठ-77
24. वायु पुराण, 101/234; ब्रह्माण्ड पुराण, 4/2/237
25. मत्स्य पुराण, 130/3
26. वायु पुराण, 8/114; ब्रह्माण्ड पुराण, 2/7/113
27. मत्स्य पुराण, 139/19
28. ब्रह्माण्ड पुराण, 3/27/25
29. मत्स्य पुराण, 227/175
30. तदैव, 130/3
31. हीलर, मार्टिंमर, दी इण्डस वैली सिविलाइजेशन, पृष्ठ-36
32. मार्शल, जान, तक्षशिला, भाग 1, पृष्ठ-114
33. शर्मा जी. आर., एक्सकेवेशंस ऐट कौशाम्बी, पृष्ठ-40
34. मत्स्य पुराण, 180/44
35. ब्रह्माण्ड पुराण, 4/31/54-55
36. तदैव, 3/27/17
37. विष्णु पुराण, 5/35/8
38. तदैव, 1/11/30
39. मत्स्य पुराण, 253/11

40. तदैव, 253 / 12-13
41. तदैव, 253 / 2-5
42. तदैव, 253 / 6
43. मत्स्य पुराण, 255 / 10-4
44. तदैव, 255 / 1-4
45. मत्स्य पुराण, 255 / 4
46. विष्णु पुराण, 2 / 11 / 19
47. मानुमेण्टस आफ सॉची, भाग-1, फलक 18-19
48. मत्स्य पुराण, 255 / 6-9
49. विष्णु पुराण, 5 / 10 / 33
50. तदैव, 5 / 20 / 23
51. ब्रह्माण्ड पुराण, 3 / 26 / 59
52. मत्स्य पुराण, 140 / 55
53. तदैव, 140 / 58
54. मृच्छकटिकम्, 10 / 11
55. वायु पुराण, 101 / 251
56. मत्स्य पुराण, 130 / 17
57. तदैव, 140 / 70
58. ब्रह्माण्ड पुराण, 4 / 14 / 9
59. स्वप्नवासवदत्तम्, 1 / 3
60. सेलेक्ट इंसक्रिप्शंस, पृष्ठ 291
61. मत्स्य पुराण, 154 / 481
62. तदैव, 225 / 20
63. विष्णु पुराण, 5 / 30 / 34
64. मत्स्य पुराण, 188 / 88
65. तदैव, 136 / 12; वायु पुराण, 41 / 71
66. तदैव, 188 / 28
67. ब्रह्माण्ड पुराण, 4 / 7 / 29



## खलक वलक वकत दक हकजर

मकक वधरतलक लकन दककल\*

### कलरकुक %

प्राचीनकाल से लेकर आज तक हमारे देश में अनेक महान विभूतियों, युग-पुरुषों तथा संत-महात्माओं ने जन्म लिया। महात्मा गांधी आधुनिक काल की एक अविस्मरणीय विभूति हैं। सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर शांति एवं प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले महान आत्मा गांधी जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। भारतवासी उन्हें बापू कहकर पुकारते हैं। बापू हमारे राष्ट्रपिता थे। दुबला-पतला शरीर लिये, घुटनों तक खादी की धोती, हाथ में लाठी और कंधे पर चादर डाले हुए इस महामानव ने दीन-दुर्बल व उत्पीड़िता भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराया और विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया।

उन्होंने धर्म, अध्यात्म, दर्शन तथा समाज के प्रत्येक पक्ष पर चिन्तन किया और लोमहित को दृष्टि में रखते हुए धार्मिक मत मतान्तर तथा समाज के जातिगत एवं वर्गगत वैषम्य का अन्त करके एक महान मानव धर्म की प्रतिष्ठापना का प्रयास किया। समाज एवं धर्म-सुधार के क्षेत्र में गांधी आधुनिक युग के कबीर के प्रतिरूप दृष्टिगत होते हैं।

### खलक थ दसेकु वकन'क, आथु न'कल %

गांधी जी ने सत्य को ईश्वर का ही इसका नाम बताया। धर्म को उन्होंने समाचार का नाम दिया और सारे धर्मों में सम्भाव पैदा करने के लिए सत्याग्रह का सहारा लिया। उन्होंने हिंसा को अहिंसा से और अन्याय को शान्तिमय सत्याग्रह से पराजित करने का एक अनोखा ढंग निकाला, जिसने अत्याचारी ब्रिटिश शासन की मजबूत नींव हीला दी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा के अवतार होने के साथ-साथ वीरता, निडरता एवं दृढसंकल्प जैसे गुणों में परिपूर्ण थे। सत्य, अहिंसा और धर्म का राजनीति में प्रयोग करके गांधी जी ने एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया। उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं था। उन्होंने रामराज्य को अपना आदर्श घोषित किया, जिसमें आसुरी शक्ति, तानाशाही और हिंसा का कोई स्थान नहीं था। उनके मुख्य धर्म थे-परोपकार, कार्य था-लोक सेवा, लक्ष्य था-आत्मबोध।

---

\* प्रवक्ता-गृहविज्ञान, महाराणा प्रताप महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रमदत्तपुर, गोरखपुर।

महात्मा गांधी जी के जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम निर्भीकता और सत्याग्रह प्रमुख हैं। इनके आधार पर ही उनका सम्पूर्ण चिन्तन क्रियाशील था उनके अनुसार सत्य ही ब्रह्म है। सत्य का अर्थ होता है विचार में, वाणी में और आचार में सत्य का होना। गांधी जी के द्वारा महामंत्र था अहिंसा। “अहिंसा परमो धर्मः”। अहिंसा में बिना सत्य की खोज असम्भव है। सत्य और अहिंसा विश्व, जीवन, व्यक्ति तथा समाज के आपसी सम्बन्धों के बारे में उनका चिन्तन था। गांधी जी के शब्दों में—

'I believe in the absolute oneness of God and therefore also at humanity. What thought, we have many bodies, but one soul, The rays of the sun are many through refraction, but they have the same source.'

**I ek t l qkjd ds : i eaxkth th ds ; kxnku %**

गांधी जी केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे, वे समाज सुधारक एवं ग्राम—सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में हरिजनों की दयनीय दशा को देखकर उनका उद्धार किया। हरिजनोत्थान के लिए उन्होंने हरिजन पत्रिका का सम्पादन किया। समाज में नारी को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने का भी भरसक प्रयत्न किया। गांधी जी का विश्वास था कि भारत गांवों में बना हुआ है इसलिए गांवों की उन्नति से ही देश की उन्नति हो सकती है। उन्होंने ग्रामोत्थान (कुटीर उद्योग) को प्रोत्साहन देकर ग्रामों का नवनिर्माण किया।

जातिवाद, छूआछूत, परदा प्रथा, बहु विवाह, नशाखोरी और साम्प्रदायिक भेदभाव जैसी बुराइयों को मिटाने के लिए उन्होंने निरन्तर संघर्ष किया। शिक्षा के क्षेत्र में 'बेसिक शिक्षा' का विकास किया। कुटीर उद्योग, सर्वोदय समाज एवं अन्य सुधार—मूलक आन्दोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक और सामाजिक दशा सुधारने के लिए नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और इस भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन आरंभ किया।

**nkMh ekp&** गांधी जी ने नमक जैसी बुनियादी चीज के लिए अंग्रेजों के खिलाफ नमक सत्याग्रह किया। उनका वह सविनय अवज्ञा आन्दोलन था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी और उनके 78 सत्याग्रही 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के दांडी में गैर—कानूनी रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। (बाकी वाला) समर्थकों के 390 कि.मी. की यात्रा को पूरा करने के लिए 24 दिन लगे।

**xkth th dk 'k{k d n'kU dh vk/kud fopkj %**

गांधी जी एक महान शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को नवज्योति दी है।

'Gandhiji was a great educationalist who have brought fresh light in the field at aducation.'

उन्होंने शिक्षा को जीवन से सम्बन्धित करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनका कहना है था कि शिक्षा को स्वावलम्बी बनाये बिना सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने जीविकोपार्जन को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना।

**खालक थ दह फ'क{kk dsmís; %**

1. सर्वोच्च उद्देश्य (Ultimate Aim)
2. जीविकोपार्जन (To Earn at living Aim)
3. सांस्कृतिक उद्देश्य (Cultural Aim)
4. पूर्ण शिक्षा का उद्देश्य (The complete Development Aim)

गांधी जी ने शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता (Relevance of Gandhian Philosophy in the present Time) गांधी जी के शिक्षा दर्शन ने भारतीय समाज में नई क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और दो के लिए एक नई शिक्षा योजना तैयार की जो बुनियादी शिक्षा के नाम से जानी जाती है। आज देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्यापक है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देश में रोज साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। कहीं भाषा के नाम पर लोग झगड़ रहे हैं तो कहीं जाति, क्षेत्र के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे समय में गांधी की शिक्षा योजना अत्यन्त उपयोगी साबित हो सकती है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। इनकी शिक्षा योजना के द्वारा वर्तमान में व्याप्त बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गांधी जी की शिक्षा योजना में 'सर्वोदय' का सबसे अधिक महत्व है। उनकी शिक्षा दर्शन जो सामाजिक समानता और न्याय पर आधारित है आज की महति आवश्यकता है। सभी प्रकार के कार्यों को समान दृष्टि से देखने का सिद्धान्त गांधी जी ने प्रतिपादित किया था जो सामाजिक समानता का मूल आधार है। उनका घरेलू उद्योग धंधों पर बल देना आज भी महत्वपूर्ण है। इसी कारण उनकी उद्योग पर आधारित शिक्षा दर्शन की संकल्पना भी उपयोगी है।

विज्ञान और तकनीकी ने वातावरण के प्रदूषण की भयंकर समस्या विश्व के सम्मुख उपस्थित कर दी है। इसके अलावा इसने बेरोजगारी की समस्या को विकराल बना दिया है। अतः यह आवश्यक है कि विज्ञान और तकनीकी की जीवनशैली को नियंत्रण में रखा जाए और मानव शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।

आज भारतीय संस्कृति केवल कहने भर को दिखाई देती है। जीवन में नैतिक मूल्यों का सर्वथा अभाव हो गया है। इस समस्या को दूर करने के लिए

भी गांधी जी के शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है। वर्तमान में नैतिक मूल्यों की स्थापना जीवन को सरल बनाकर। अर्थ को सर्वोपरि न मानकर और सत्य और अहिंसा पर आधारित शिक्षा द्वारा ही हो सकती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज को उन्नत बनाने के लिए गांधी के शैक्षिक विचार आज भी उपयोगी है। शिक्षा के द्वारा समाज को उन्नत बनाने का प्रयत्न गांधी जी ने दिया है। इसके शैक्षिक विचार वर्तमान समय में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

**I okh; &** गांधी जी के जीवन दर्शन में सर्वोच्च का सर्वाधिक महत्व है। गांधी जी ने समाज-रचना का, सामाजिक आदर्श का अहिंसात्मक आधार पर एक नया विकल्प रखा और वर्गहीन, राज्य विहीन समाज की संकल्प का प्रस्तुत की।

सर्वोच्च की व्याख्या में गांधी जी ने राजनीतिक, आर्थिक विकेन्द्रीकरण और शरीर श्रम पर आधारित प्राकृतिक जीवन-शैली पर बल दिया।

उनका कहना है कि "जो शिक्षा मित्र की शुद्धि न करे, निर्वाह का साधन न बनाए और स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे जितनी जानकारी का खजाना, तार्किक कुशलता और भाषा-पांडित्य मौजूद हो वह सच्ची शिक्षा नहीं है।"

**f'k{k.k fof/k&** गांधी जी ने शिक्षा की जो नवीन योजना भारत के समक्ष रखी उसमें श्रम को आध्यात्मिक एवं नैतिक महत्व प्रदान किया गया है। वे शिल्प के द्वारा बालक को गीता में वर्णित निष्काम कर्म के महत्व से परिचित करना चाहते थे और देश की गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा में आमूल परिवर्तन करना चाहते थे। उनके इसी प्रकार के चिन्तन एवं ट्रांस्वाल में टाल्सटाय फार्म पर किये गये उनके प्रयोगों के परिणामस्वरूप शिल्प के निद्रत शिक्षा का उदय हुआ, जो आज के भारत में भी विद्यमान है।

### **xkklh th dh xke Lojkt dh ifjdYi uk %**

गांधी जी ग्रामीण भारत की नाड़ी पहचान गये थे। भारत गांवों में बसा है और किसी भी तरह सफलता एवं विकास यहाँ पर ग्रामीण शिक्षा के परिणामों पर ही निर्भर है। उनका कहना था कि आज देश को सच्चा कलाकार चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। परिश्रमी त्यागी किसान और मजदूर चाहिए। कुशल कारीगर चाहिए, साहित्यकार चाहिए। क्या हमारा आज का विद्यार्थी इन सबकी पूर्ति की क्षमता रखता है ? ठंडे दिलों से विचार कीजिए। इन अभावों की पूर्ति के लिए सिनेमा, नाट्यरंग और विलास की क्रियाओं को छोड़कर देश का पुजारी चाहिए।

विदेशी शासनकाल में जो शिक्षा प्रणाली भारतीयों के ऊपर थोपी गयी वह सर्वांगीण नहीं बनी। इस प्रणाली से देश व समाज का कल्याण नहीं हो रहा था।

इस शिक्षा का उद्देश्य सरकारी मशीन को चलाने के लिए बाबू बनाने का था। इस प्रणाली से निकला हुआ शिक्षित युवक शरीर से तो भारतीय होता, किन्तु हृदय और मस्तिष्क से विदेशी हो जाता था। गांधी जी की पैनी दृष्टि इस तथ्य को ताड़ गई थी। उन्होंने सोचा यदि राजनैतिक स्वराज्य मिल भी जाए तो भी सामाजिक एवं आर्थिक स्वराज्य देश में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया जाए। अतः उन्होंने बेसिक शिक्षा का दर्शन देश के समक्ष रखा। बेसिक शिक्षा को गांधी जी देश के लिए अपनी एक प्रमुख 'भेंट' मानते थे। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त थे—

1. सात वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा।
3. उद्योग केन्द्रित शिक्षा।
4. स्वावलम्बन।

इन्हीं आधारभूत नियमों पर भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की बुनियाद रखी हुई है। इस शिक्षा को गांधी जी की नयी तालिम या बुनियादी शिक्षा कहते हैं। इसे और भी कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे— बर्धा योजना, आधारभूत शिक्षा, नेशनल एजुकेशन, मौलिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में बेसिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निरुशुल्क कर दी गयी।

#### **खलक ध खे लोक्त । एल/क फोपक , ओनु %**

भारत की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है। अतः ग्रामीण पुनर्निर्माण के महत्व को दर्शाते हुए गाँधी जी ने कहा है कि—If the village perisher Indian will perish too. भारत को बचाने के लिए गाँवों को बचाना होगा। गाँवों की उन्नति में ही भारत की उन्नति निहित है। झोपड़ियों में रहने वालों का उद्धार करके ही हम भारत को एक गरिमापूर्ण स्थान विश्व में दिला सकते हैं, क्योंकि Solvation of India lies in cottages.

गांधी जी ने ग्राम कल्याण की विविध पहलुओं पर विचार कर एक विस्तृत रचनात्मक कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया। इसके अन्तर्गत गाँव के सभी वर्ग, उद्योग धंधों तथा मस्त पक्षों को सम्मिलित किया गया। सन् 1920 में महात्मा गांधी सेवा ग्राम आश्रम (वर्धा) की स्थापना की और उसे अपने रचनात्मक कार्यक्रम का केन्द्र बनाया। गांधी जी ने अनुभव किया कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शोषण के होने से विमुक्त लोगों के रोजगार और आमदनी को बढ़ाये बिना देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता तता एक ऐसा समाज



जिसका एक बड़ा भाग, दलित, नीच, अछूत घोषित हो और जहाँ स्त्रियों जो हेय समझा जाता है। वहाँ स्वतंत्रता संग्राम पहले अपने लोगों के बीच ही छेड़ा जाना आवश्यक है क्योंकि भारतीयों का भारतीयों द्वारा प्रमुख रूप से शोषण हो रहा था। अतः महात्मा गांधी ने एक वृहद रचनात्मक कार्यक्रम बनाया, जिसके माध्यम से उन्होंने नैतिक, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास और शोषण के विरुद्ध बातें तो की हैं, साथ ही साथ इन्हीं परिवर्तनों के माध्यम से पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की।

### egkk; xkdk ds jpkRed dk; Øe ds y{; %

1. अप्राधिकृत एवं तिरस्कृत लोगों को उनके अधिकार दिलाना।
2. लोगों में स्वावलम्बन तथा आत्मनिर्भरता की भावना का विकास।
3. उत्पादनों का विकेन्द्रीकरण तथा आर्थिक लाभों का समान वितरण बिक्री व्यवस्था में बिचौलिये का अस्तित्व समाप्त करना।
4. खेतिहर एवं कृषक उसके उत्पादनों का स्वयं भी उपयोग कर पाएं।
5. ग्रामीणों को बुनियादी शिक्षा मुहैया करवाना।
6. ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास।
7. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर बल देना।
8. जन-स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छ पेयजल आदि की व्यवस्था करना।
9. महिलाओं की सामाजिक दशा सुधारना और समाज में यथोचित सम्मान दिलाना।
10. समाज में व्याप्त कुरीतियों, रस्मों और अंधविश्वासों से लोगों को विमुक्त कराना।
11. समाज की अस्पृश्यता के अभिशाप से मुक्ति।
12. नशाबंदी लागू करना।
13. साम्प्रदायिक एकता की भावना को विकसित करना।
14. कृषकों, श्रमिकों, लघु एवं गृह उद्योगकर्मियों आदि में संगठन बनाना।
15. मातृभाषा का सम्मान तथा राष्ट्रभाषा का प्रचार करना।
16. प्राकृतिक चिकित्सा पर बल देना।

### ykdra= dh vo/kkj .kk vkj xkdk %

गांधीवादी प्रजातंत्र सत्य और अहिंसा की मान्यताओं पर आधारित है। अहिंसात्मक समाज में किसी राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहती। गांधी जी ने नैतिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक आधारों पर राज्य का विरोध किया है। उनका विचार है कि राज्य और राजनिष्ठा से ऊपर ईश्वर और अपनी अन्तरात्मा के प्रति आवाज है। उनके अनुसार साधारण कानून, बहुमत, परम्परा आदि का अन्तरात्मा

की आवाज के सम्मुख कोई स्थान नहीं है। स्वतंत्रता अपनी नैतिक अन्तरात्मा की आवाज को पूरा करने में निहित है। अतः नैतिकता की दृष्टि से राज्य का कोई महत्व नहीं है। गांधी जी का प्रजातंत्र राज्यविहीन, वर्गहीन, विकेंद्रित तथा अहिंसात्मक समाज है। गांधीवादी विचारधारा के अनुसार कोई व्यक्ति स्वभाव से पापी नहीं होता। उसका हृदय परिवर्तन कर उस आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है जहाँ स्वतंत्रता और समानता होगी। वह एक ऐसा रामराज्य होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सत्यनिष्ठा से कमाएगा और समाज सेवा करेगा। जहाँ शारीरिक श्रम और बौद्धिक काम में कोई अन्तर नहीं होगा।

### **nfyr vlg xk/kh %**

गांधी जी ने धार्मिक संकीर्णता को दूर करने के लिए धर्म को एक नये रूप में प्रस्तुत किया। उनका धर्म आत्मबोध, आत्मज्ञान है। उन्होंने अपनी भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये।

सर्वोदय ऐसे वर्ग विहीन, जातिविहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह का सर्वांगीण विकास के साधन और अवसर मिलेंगे।

गांधी जी जाति प्रथा को बुरा नहीं मानते थे, बशर्ते कि यह प्रथा वर्ग-व्यवस्था में आदर्शों को अपना ले और एक दूसरे का शोषण करने की बजाए दूसरों के साथ सहयोग भावना पर आधारित हो। सन् 1940 के बाद हरिजन पत्रिका में उन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए और उन्हें परम्परागत कुरीतियों का शिकार बनने से बचाने के लिए भी प्रत्यन किया। 1937 में एक नई शिक्षा योजना, जिसे बेसिक शिक्षा कहते हैं, लागू किया। नशाखोरी बंद करने के लिए 1926 में आन्दोलन किया। सन् 1922 में अस्पृश्यता निवारण के लिए देश के सामने बारादोली कार्यक्रम रखा।

### **xk/kh dh vk/kfudrk dh vo/kkj .kk %**

गांधी जी आधुनिक सभ्यता के आलोचक थे। उन्होंने आधुनिक सभ्यता में हर पहलू की आलोचना की। गांधी के लिए, विज्ञान आध्यात्मिकता के बराबर है, दोनों एक ही बात का एक मतलब, होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म में गठबंधन करना चाहिए तभी धरती पर स्वर्ग का राज्य हो सकता है। गांधी जी मानवता और नैतिकता पर स्थापित नियंत्रित और संतुलित विकास के पक्ष में थे।

### **fu"d"z %**

सत्य, अहिंसा, शांति तथा मानव सेवा के आदर्शों को सामने रखते हुए गांधी जी ने धर्म, सामाजिक जीवन, जाति-प्रथा आदि से सम्बन्धित कुप्रथाओं और

अंधविश्वासों के विरुद्ध जो आन्दोलन छेड़ा था वह आज भी सक्रिय रूप से चल रहा है और यह आशा की जाती है कि एक दिन भारतीय समाज इन कुप्रथाओं तथा रूढ़ियों से विमुक्त होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। उसी दिन गांधी जी का रामराज्य का सपना पूरा होगा।

अपनी अथक प्रयत्न के द्वारा गांधी जी शताब्दियों को सोये हुए भारतवर्ष को जागृत किया और देश में आत्म सम्मान की लहर दौड़ाई। उनका चरित्र केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं अपितु विदेशियों के लिए की अनुकरणीय है।

### । nHk xJFk । ph %

1. पूर्वांचल का पुरातत्व एवं संस्कृति, शुक्ल डॉ० राधेश्याम (एम.ए., पी-एच.डी.)
2. प्रसार-शिक्षा, शॉ० जायम शीला, शॉ० पुष्प काबिन, अग्रवाल व बिल केशन्स, आगरा-2
3. प्रसार शिक्षा की रूपरेखा, वर्मा प्रमिला एवं पाण्डेय क्रान्ति, अशोक राजपथ, पटना-800004
4. भारतीय समाज व संस्कृति, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली-7
5. हिन्दी सौरभ, अग्रवाल गिरिराज शरण, चित्रा प्रकाशन (मेरठ)
6. बी०एड० दिग्दर्शन, गद्य प्रकाशन मंदिर, आगरा-282002
7. राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धान्त, त्रिपाठी प्रो० श्रीप्रकाश मणि, प्रत्यूष पब्लिकेशन्स, दिल्ली-110094
8. प्रमुख राजनीतिक संकल्पनाएं एवं विचार धाराएं, त्रिपाठी प्रो० श्रीप्रकाश मणि।
9. राज पब्लिकेशन्स नई दिल्ली-110002



## fd' ksj o; ds Nk=&Nk=kvka ea 0; fDrRo dk fodkl %d{k{k f'k{k dsek/; e }kjk

MkK I qkk feJk\*

### I kjk k %

वर्तमान में देश के भावी कर्णधार (युवा वर्ग) जिन पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास का उत्तरदायित्व होता है, वही समस्याग्रस्त है। उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएँ दिखायी देती हैं जिनमें सर्वप्रमुख हैं स्वविचारों का आभाव। जहाँ स्वयं का कोई विचार नहीं होता वहीं अस्तित्व का संकट बालकों को प्रतीत होने लगता है। समाज का किशोरवय प्राप्य की चेष्टा नहीं करता अप्राप्य की व्याकुलता को प्रदर्शित करने लगता है जिसके परिणामस्वरूप किशोरवय में व्यवहारगत समस्याएँ भी प्रगट होने लगती हैं। ऐसे में समाज का महत्वपूर्ण स्तम्भ विद्यालय का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाता है।

### ifjp; %

किशोरवय में व्यक्तित्व के संतुलित विकास हेतु यह आवश्यक होता है कि समाज में जो तत्त्व प्रमुख रूप से दिखायी देता है उसपर विचार किया जाय तत्पश्चात् शिक्षा के माध्यम से उचित एवं अनुचित का भेद किशोरवय को समझाया जाय। जिससे उनके अन्दर स्वतः कुछ सोचने की इच्छा जागृत हो सके। बालक की इस इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने हेतु इस प्रकार कक्षा शिक्षा को प्रबन्धित किया जाय जिसके परिणामस्वरूप इच्छित फल प्राप्त हो सके और बालक अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सके। लक्ष्य निर्धारण के पश्चात् लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना का निर्माण किया जाता है। योजना के निर्माण में प्रबन्ध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रबन्धन को निम्न बिन्दुओं में स्पष्ट किया गया है :

प्रबन्धन क्या है? निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना अर्थात् उचित समय पर उचित सामग्री का उचित रूप से उपयोग करना जिससे निर्धारित लक्ष्य को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

प्रबन्धन का मुख्य उद्देश्य होता है— Minimum resources being used in achieving maximum Return.

1- i cU/ku dk {k-& वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में प्रबन्ध की महती आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अल्प समय में अधिकतम लाभ चाहता है। अतः इस

\* सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, नगर निगम डिग्री कॉलेज, लखनऊ।

दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रबन्ध करना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण स्वरूप जीवनचर्या (लाइफ़ स्टाइल) का प्रबन्धन, कार्यालय प्रबन्धन एवं इच्छाओं व उत्कण्ठाओं का प्रबन्धन, आपदाओं का प्रबन्धन, विकास का प्रबन्धन आदि।

**2- iɔl/ku dk egRo&** प्रबन्धन का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब किसी वस्तु का आभाव दिखायी देता है। जैसे परीक्षा देते बालक के लिए निर्धारित घंटे, किसी पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा दूर करने में व्यतीत समय और किसी आपदा को रोकने के लिए किये गये कार्य आदि।

उपर्युक्त कार्यों में प्रबन्धन का महत्व स्पष्ट होता है क्योंकि यदि इनक कार्यों को एक योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किया जाये तो सफलता की संभावना का प्रतिशत निर्विवाद रूप से बढ़ जाता है।

**3- iɔl/ku dh pɔkɔr; k&** प्राचीन समय में प्रबन्धन का कार्य एक व्यक्ति में निहित था जिसे प्रशासक/प्रबन्धक के रूप में माना जाता था और यह समझा जाता था कि वह व्यक्ति सभी कार्य को कुशलतापूर्वक करता है या उसे करना चाहिए। परन्तु शनैः-शनैः इस सोच में परिवर्तन हुआ।

प्रबन्धक को प्रशासक न समझकर मात्र प्रबन्धक माना जाने लगा और यह समझा जाता था कि वह व्यक्ति परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है।

किन्तु यह विचारधारा भी बहुत समय तक स्थिर न रह सकी और यह माना गया कि प्रबन्धक ऐसा व्यक्ति होता है जो कार्य में सहायक होता है। किन्तु वर्तमान में प्रबन्धक का पूर्ण रूप पूर्णतया परिवर्तित कर दिया गया है।

अब यह माना जाता है कि प्रबन्धक संस्था में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के अन्दर निहित होता है, जिसके अन्दर इसे प्रगट करने की क्षमता होती है और दूसरों को प्रभावित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का कौशल होता है (Leadership Quality) नामकत्व तथा जो स्वयं उदाहरण बन सकता है, उसकी ही प्रबन्धक के रूप में स्वीकार्यता होती है।

**iɔlj.k&** किशोरवय के छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व के संतुलित विकास हेतु स्वामी विवेकानंद के विचारों को यदि कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त किया जाय तो निश्चित रूप से किशोरवय के छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो सकता है। यथा- स्वामी विवेकानंद के विचारानुसार शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार हो कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को सुगमतापूर्वक एवं सामाजिक ढंग से प्राप्त कर सके।

स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये-

- (क) आंतरिक पूर्णता का वाह्य प्रकाशन होना चाहिए।
- (ख) व्यक्तित्व में मनुष्यत्व का विकास होना चाहिए।

(ग) मानव व समाज की सेवा का भाव जागृत होना चाहिए।

(घ) शारीरिक विकास होना चाहिए।

(च) जिविकोपार्जन की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए, तथा

(छ) विश्व बन्धुत्व का विकास होना चाहिए।

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कक्षा शिक्षण निम्नलिखित रूप से प्रबन्धित किया जाना चाहिए –

स्वामी विवेकानन्द ने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लौकिक एवं अध्यात्मिक विषयों तथा क्रियाओं के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग पर विशेष बल दिया है :

**1- ; ks fof/k&** इस विधि के विषय योग सूत्र में लिखा है : ^; ks%fpurofuk% fujk/k% अर्थात् चिन्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस विधि को वर्तमान में कक्षा शिक्षण में सरलतापूर्वक नियोजित किया जा सकता है।

छात्र-छात्राओं को कक्षा शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री (जो विषय से सम्बन्धित हो) के साथ प्रवेश कराया जाये, तदपश्चात् मात्र कुछ क्षणों के लिए नेत्र बन्द करने के लिए कहा जाय। इस प्रक्रिया से बालक का मन शान्त होगा और शिक्षक के विचारों को सुनने तथा समझने की क्षमता उत्पन्न होगी।

**2- dlnh; dj .k fof/k&** इस विधि में व्यक्ति को अपने को एकाग्र और केन्द्रित करना पड़ता है। इस विधि का प्रयोग कक्षा शिक्षा में निम्न रूप से किया जा सकता है। किसी तथ्य को अध्ययन के पश्चात् पूर्ण रूपेण उसी प्रकार स्मरण करने के लिए न कहा जाय वरन् उस तथ्य के विषय में सोचने के लिए कहा जाय। इस प्रक्रिया से बालक में तथ्यों के विषय में स्वयं का दृष्टिकोण विकसित हो सकता है।

**3- mi n'sk fof/k&** स्वामी विवेकानन्द ने उद्देश्य विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने को एक आदर्श स्थिति बताया है, उनके विचारानुसार बालक को गुरु-ग्रहवास करना चाहिए और उनके उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना चाहिए।

वर्तमान में यह स्थिति अंशतः हॉस्टल के माध्यम से पूर्ण की जा सकती है। परन्तु सभी छात्र-छात्राएँ ऐसा नहीं कर सकते। अतः सप्ताह में एक दिन प्रत्येक शिक्षक समाज और बालक के विषय पर चर्चा करें और अपने उन्नत विचारों को बालकों तक पहुँचाये।

इन विचारों को बालक सुन व समझकर अपनी प्रतिक्रिया दे ऐसा वातावरण शिक्षक द्वारा तैयार किया जाये।

**4- vupj .k fof/k&** इस विधि में बालक को अपने गुरु का अनुकरण करना होता है। इस पर स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है कि छात्र अपने बाल्यावस्था

से ही ऐसे गुरु के साथ रहे जिसका चरित्र जाज्वल्यवान हो और छात्र के सामने उच्चतम त्याग का उदाहरण हो।

इस विधि के लिए वर्तमान में कक्षा शिक्षक की दृष्टि ऐसी हो जिसमें सभी छात्रों को समान रूप से समझा जाय। अनुशासनात्मक कोई समस्या उत्पन्न होने पर शिक्षक दोनों पक्षों को सुने व समझे तत्पश्चात कार्य करें।

इस प्रक्रिया से बालकों के मन में शिक्षक के प्रति आदर भाव व श्रद्धा भाव उत्पन्न होगा और बालक शिक्षक का अनुकरण कर सकेगा।

**5- i jke'k'fok/k , oal; fDrxr funk ku fof/k&** स्वामी जी के विचारानुसार सभी व्यक्तियों के जीवन में कभी न कभी परामर्श की आवश्यकता अवश्य आती है इस स्थिति में व्यक्ति को उचित परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए तथा उसकी समस्या का व्यक्तिगत निर्देश भी दिया जाना चाहिए।

इस विधि को वर्तमान में अत्यधिक उपयोगिता है। अतः कक्षा शिक्षा में शिक्षक नैतिकता पर बल देते हुए बालकों से प्रश्न करें और उनके विचारों को सुने तत्पश्चात उन विचारों पर अपना निर्देश दे।

**6- fØ; kRed o 0; ogkfjd fof/k; k&** स्वामी विवेकानंद का मानना था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिस्क होता है अतः अनेक बार की क्रियाओं द्वारा बालकों का शारीरिक विकास व मानसिक विकास किया जाना चाहिए।

वर्तमान में इस विधि को कार्य रूप में लाने के लिए विद्यालय विभिन्न प्रकार के खेल-कूद की व्यवस्था करें। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास कर सकता है।

**7- fu"d"kl , oal p-ko&** उपर्युक्त विधियों को यदि लागू किया जाये तो बालकों में शारीरिक शक्ति व मानसिक विकास दोनों ही पर्याप्त रूप से विकसित हो जायेंगे जिसके परिणामस्वरूप किशोरवय के छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो सकेगा।

प्रस्तुत प्रक्रियाओं में सर्वप्रथम शिक्षक के विचार सामाजिक एवं अनुकरणीय होने चाहिए। तत्पश्चात उसे कक्षा शिक्षण में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

**l nHk xlfk l ph %**

1. गुप्त, राम बाबू, महान भारतीय शिक्षा शास्त्री।
2. सहाय, आई.एम., आधुनिक कार्यालय प्रबन्धन।
3. समाचार पत्र-दैनिक जागरण व हिन्दुस्तान।
4. विद्वतजन के विचार।



## egki fMr jkggy I kdr; k; u dh jktuhfrd , oa I kfgfR; d ; k=k

MkV Vh, u- fl g\*

### I kjkak %

महापंडित राहुल सांकृत्यायन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। राजनीति में सक्रिय भागीदारी से लेकर साहित्य साधना में भी अग्रणीय भूमिका निभाते रहे। राजनीति ओर साहित्य साधना दोनों इनके जीवन में साथ-साथ चलते रहे। एक तरफ माँ वीणावादिनी की सेवा में समर्पित होकर इन्होंने कई ग्रन्थों को लिखा। इनका रचना संसार हिमालय के समान अत्यन्त विशालकाय है। वहीं दूसरी तरफ भारत माँ की पीड़ा से विह्वल होकर परतन्त्रता की बेड़ियों से भारत माँ को आजाद कराने के लिए निरन्तर अथक प्रयास किया। जीवन में कभी भी एक क्षण के लिए विश्राम नहीं किया। हमेशा अपने को सक्रिय बनाये रखा। एक-एक क्षण जो मिला उसे व्यर्थ कभी नहीं जाने दिया। इनका विश्वास था कि जीवन बहुत अल्प है। इसलिए हर क्षण को सक्रियता से उसका उपयोग करते हुए जीना चाहिए। वे हमेशा ज्ञानकी पिपाशा में लगे रहते थे। राहुल सांकृत्यायन ने देश-विदेश का भी खूब भ्रमण किया। बहुत बड़ी-बड़ी यात्राओं को इन्होंने पैदल ही पूरा किया। ज्ञान को बढ़ाने की जिज्ञासा के कारण ही इन्होंने संसार की छत्तीस भाषाओं को समझने का ज्ञान प्राप्त किया। कई देशों में इन्होंने अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य किये। श्रीलंका और सोवियत रूस में इन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का कार्य किया। आपने अपनी साहित्य साधना में लगभग हर विषय पर लिखा है। इनकी कुछ रचनाओं का उल्लेख इस लेख में किया गया है। राजनीतिक सक्रियता के कारण समय-समय पर राजनीति के उतार-चढ़ाव एवं आन्दोलनों से जुड़े रहने के कारण आपको कई बार राजनीतिक जेल यात्रायें भी करनी पड़ी। इन जेल यात्राओं के दौरान आपने राजनीति और साहित्य विषयों पर खूब लेख लिखे।

### ifjp; %

9 अप्रैल 1983 ई. को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। इनके पिता कानाम गोबर्धन पाण्डेय था। परिवार वालों ने इनका नाम केदार पाण्डेय रखा था। 1910ई. में इनके मन में बैराग्य जागा

---

\* प्राचार्य, न्यू ग्रेट स्कालर्स महाविद्यालय, अल्लाहागंज, शाहजहाँपुर, उ.प्र.।



और घर छोड़कर भाग गये। 1912-13ई. में परसा मठ में साधू बन गये। 1913-14ई. में दक्षिण भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। 1921ई. में पहली बार राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश लिया। 1922ई. में राजनीति की गतिविधि के कारण अंग्रेजों ने इन्हें बक्सर जेल भेजा। वहाँ छः महिने कारावास में रहे। इसी बीच इनकी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए इन्हें जिला कांग्रेस के सचिव पद पर चुना गया। फिर 1923-25ई. में हजारीबाग जेल में रहे। 1927-28 में राजनीति को छोड़कर श्रीलंका चले गये। वहाँ संस्कृत के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इसी बीच इन्होंने बौद्ध साहित्य का गहन अध्ययन किया। इसके बाद 1929-30ई. में तिब्बत गये और वहाँ सवा वर्ष रहे। यहाँ बौद्ध साहित्य पर गहन मंथन किया। 1932-33ई. में यूरोप की यात्रा के लिए निकल पड़े। कई देशों का भ्रमण करते हुए 1934ई. में तिब्बत की दूसरी यात्रा सम्पन्न की। 1935ई. में जापान, कोरिया, मंचूरिया, सोवियत रूस एवं ईरान की यात्रा की। 1936ई. में पुनः तिब्बत की तीसरी यात्रा सम्पन्न की। 1937ई. में सोवियत रूस की दूसरी यात्रा के दौरान इन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा और भौतिकवादी दर्शनों का गहन अध्ययन किया। 1937-38ई. में रूसी महिला से विवाह किया और उसी से यूगोर नामक पुत्र का जन्म हुआ। 1938-39ई. में अमावरी के किसान संघर्ष में सक्रिय हिस्सेदारी निभायी और इसी दौरान किसान आन्दोलन के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद इन्होंने 1940ई. में फिर हजारीबाग जेल और कैन्ट में बंदी जीवनव्यतीत किया। 1943ई. में चौतीस वर्ष बाद अपने जन्म ग्राम वापस लौट आये। यहाँ कुछ दिन रहे फिर उत्तराखण्ड की यात्रा पर निकल पड़े। 1944-47ई. के बीच सोवियत रूस चले गये। यहाँ लेनिनग्राद में प्रोफेसर पद पर रहे। 17 अगस्त 1947ई. में सोवियत रूस से भारत वापस आ गये। 1947-48ई. में इन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बम्बई अधिवेश का अध्यक्ष बनाया गया। बम्बई अधिवेश के अध्यक्षीय भाषण में भाषा के सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी की भाषा नीति से अलग वक्तव्य देने के कारण पार्टी से अलग हो गये। 1958ई. में जनवादी गणतन्त्र की यात्रा की और चार मास वहाँ रहे। 1959-61ई. में श्रीलंका में दर्शन के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। दिसम्बर 1961ई. में स्वास्थ्य की लगातार गिरावट और अन्ततः स्मृतिलोप के कारण शय्याग्रस्त हो गये। 1962-63ई. में सोवियत रूस में सात महीने इलाज हुआ लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और वह भारत लौट आये। 14 अप्रैल, 1963ई. में भारत में ही इनकी मृत्यु हो गयी।

**I kelftd ,oajktulfrd thou %**

राहुल जी जब घर छोड़कर सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे तो इस बीच इन्होंने ज्ञानार्जन खूब किया। 1922ई. में सक्रिय राजनीति में आये जब यह छपरा

जिला कांग्रेस की बैठक कर रहे थे तब इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको छोड़ा गया तब यह पुनः सक्रिय राजनीति में लौट आये। इसके बाद फिर जेल आने-जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। जेल प्रवास के दौरान इन्होंने 'ckjgohal nh' नामक उपन्यास की रचना की। जेल में अध्ययन, लेखन और बाहर निकलकर आन्दोलन में शामिल होना और फिर जेल जाना यह शिलशिला निरन्तर लागू रहा। उस समय ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह सरदर्द बन चुके थे। प्रशासन ने इन्हें एक आन्दोलनकारी नेता के रूप में चिन्हित किया था।

सन् 1940ई. में इन्हें किसान सभा का सभापति चुन लिया था और इन्हें प्रान्तीय चुनाव कमेटी का भी सदस्य चुन लिया गया। मार्च महिने में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग जेल से इन्हें कैन्ट जेल भेजा गया। यहीं पर इन्होंने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों के साथ 23 अक्टूबर, 1941ई. को भूख हड़ताल की। इसी जेल के दौरान इन्होंने अपनी कई पुस्तकें लिखीं। इन पुस्तकों में दर्शन दिग्दर्शन, विश्व की रूपरेखा, मानव समाज, वैज्ञानिक भौतिकवाद और बौद्ध दर्शन आदि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं।

20 फरवरी, 1939 को राहुल जी छपरा पहुँचे तो वहाँ इन पर 144 की धारा लगा दी गयी और किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा था। इसी बीच जमींदारों की निजी सेना ने राहुल सांकृत्यायन को पीटा और वे लहू-लुहान हो गये। फिर सत्याग्रहियों के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको छपरा जेल भेजा गया। यहाँ साथियों के साथ इन्होंने आन्दोलन छेड़ दिया कि हम लोगों को राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाय। तत्कालीन प्रख्यात किसान नेता और स्वाधीनता सेनानी स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने राहुल जी के बारे में लिखा है— अभावरी की बात तो श्री राहुल सांकृत्यायन के उपवास को लेकर काफी प्रसिद्ध हुई। वे दो बार जेल गये और प्रतिज्ञा के अनुसार उपवास किया। पहली बार तो सरकार किसान बंदियों को राजबंदी मानने को प्रायः तैयार हो गयी। केवल राजबंदी की परिभाषा से उसे दिक्कत थी। वह भी करीब-करीब हल हो चुका था। मगर पीछे चुप्पी साध गयी।

### I kfgfR; d I k/kuk %

राहुल सांकृत्यायन ने बहुत सारे ग्रन्थों की रचना की। इनका रचना संसार इतना विशालकाय है जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन कार्य है। इनके विशाल रचना संसार के कुछ रचनायें जो प्रकाशित हुई वे भी बहुत बड़ी हैं और बहुत-सी रचनायें अप्रकाशित रह गयीं। राहुल जी निरन्तर लिखते ही रहते थे। हिन्दी

साहित्य के विद्वानों ने राहुल जी से आग्रह किया आप थोड़ा ही लिखें संगठित एवं साहित्यिक मापदंडों पर ही लिखें, लेकिन राहुल जी का उद्देश्य था कि निरन्तर क्रियाशील बनकर लिखते रहना। इसीलिए राहुल जी ने बहुत-सी रचनायें लिखीं हैं। इन्होंने जेल में रहकर भी बहुत सारा साहित्य लिखा है जिसमें कहानी, सामाजिक विज्ञान, आत्मकथा, जीवनी, यात्रासाहित्य, संस्मरण, रिपोटार्ज इत्यादि बहुत सारी विधाओं पर धर्म एवं विज्ञान से सम्बन्धित मौलिक लेख लिखे। जेल में कवितायें लिखीं और दो उपन्यास भी लिखा। पहला उपन्यास 'बाईसवीं सदी' तथा दूसरा 'जीने के लिए'। 'बाईसवीं सदी' में इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की है। दूसरे उपन्यास 'जीने के लिए' को 40 शीर्षकों में विभाजित किया है। इन्होंने इसके बारे में लिखा है— यह मेरा पहला उपन्यास है। यदि बाईसवीं सदी को इस श्रेणी से हटा दें।

राहुल जी ने अपने जेल जीवन के दौरान कई कहानियाँ भी लिखी हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी 'बोलगा से गंगा' है, यह 1942 में हजारीबाग जेल में लिखी गयी। इसमें कुल 20 कहानियाँ हैं। इसमें भारतीय इतिहास के 8 हजार वर्ष के अज्ञात अन्धकारमय प्राचीन काल से बीसवीं सदी के पूर्वार्ध तक मानव समाज के इतिहासिक विकास की प्रक्रिया को इन कहानियों में चित्रित किया गया है। 'विज्ञान मौलिक' नामक ग्रन्थ की रचना जेल में हुई है। दूसरा ग्रन्थ 'विश्व की रूप रेखा' एक विज्ञान विषयक ग्रन्थ है जिसमें जीवन और जगह से सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक हजारीबाग जेल में लिखी गयी है।

'मेरी जीवन यात्रा' नामक आत्मकथा को इन्होंने पाँच खण्डों में लिखा है। 'मेरी जीवन यात्रा' का प्रथम भाग हजारीबाग जेल में सन् 1940ई. के आस-पास लिखा गया है जिसमें 1893ई. से लेकर 1934ई. तक जीवन यात्रा के सभी पहलुओं को अंकित किया गया है। इसमें कुल चार खण्ड हैं और पांचवाँ परिशिष्ट है। प्रथम खण्ड में 1903ई. से 1910ई. की कहानी है। दूसरे खण्ड में राहुल जी के युवा काल का अनुभव (1910—1914ई.) की पूरी विविधता एवं जटिलता के साथ व्यक्त किया गया है और तीसरे—चौथे खण्ड में राहुल जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत का जिक्र किया है तथा अपने जीवन के अनुभवों को पूरी ईमानदारी से कहने का प्रयास किया है। 'तुम्हारी क्षय' यह राहुल जी के राजनीतिक लेखों का संग्रह है। यह लेख उच्च कोटि के राजनीतिक प्रचारात्मक साहित्य का बेहतरीन नमूना है। इसमें इन्होंने धर्मों के वास्तविक स्वरूप और चरित्र का विश्लेषण किया है और इन्होंने धर्म के झूठ के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता

पर बल दिया है। 'तुम्हारी भगवान की क्षय' में संसारिक दुःखों एवं तक्लीफों के वास्तविक कारणों पर प्रकाश डाला है। भगवान् के नाम पर जनता को अज्ञान बनाये रखने की शासक वर्गीय साजिश का पर्दाफाश किया है। 'तुम्हारी जाति की क्षय' शीर्षक में समाज को जातिगत आधार पर बाँटकर फूट डालो और राज करो की साजिश का पर्दाफाश किया है।

'बौद्ध दर्शन' में राहुल जी ने गौतमबुद्ध के सिद्धान्तों, उनके जीवन एवं व्यक्तित्व और उनके आदर्श विचारों की व्याख्या की है। इसमें बौद्ध दर्शन के साथ-साथ व्यवहारिक पक्ष की चर्चा की गयी है। 'वैज्ञानिक भौतिकवाद' पुस्तक का अधिकांश भाग हजारीबाग जेल में लिखा गया है। हिन्दीमें मार्क्सवादी दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की वैज्ञानिक विचारधारा और उसके विकास क्रम के इतिहास पर सरल भाषा में लिखी गई यह पहली मौलिक पुस्तक है। 'दर्शन दिग्दर्शन' राहुल जी का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। राहुल जी ने इसे 1940-42 में लिखकर पूरा किया है। इसमें यूरोपी, यूनानी, इस्लाम एवं भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है।

### fu"d"l %

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जीवन विविधताओं और संघर्षों की एक लम्बी गाथा है। राहुल जी भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन दर्शन को बहुत गहराई से अनुभव करने वाले लेखक हैं। निरन्तर ज्ञान की खोज में चलते रहना और उसे लिखते रहना इनकी नियति थी। इसलिए इनके ग्रन्थों में भारतीय संस्कृति की व्यवहारिकता की झलक देखने को मिलती है। हमारी संस्कृति की अच्छाईयों और उसकी कमियों का भी उल्लेख इन्होंने किया है। गरीबों, अनाथों के प्रति होने वाली घटनाओं का चित्रण किया है। हमारी संस्कृति में जो कमियाँ और विकृतियाँ हैं उनका भी बड़े स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। अनेक भाषाओं के जानकार महापंडित का विशाल रचना-संसार जिसके पृष्ठ बदलने में ही कई दिन गए जायेंगे। उस रचना-संसार में डूब कर जो भी थोड़े-बहुत मोती पकड़ पाये हैं उसको इस छोटे लेख में व्यक्त करने का प्रयास किया है। इनके विशाल रचना संसार की गाथा के बहुत से पहलू अनछूये ही रह गये हैं। प्राचीनतम संस्कृति से लेकर आने वाली कई पीढ़ियों तक की संस्कृति की कल्पना को मनोवैज्ञानिक आधार देकर अपनी साहित्यिक साधना की विशालता का परिचय इस साधक ने दिया है। इस विराट साधक की साहित्यिक साधना के विषय में कुछ लिखना और उसका अनुशीलन करना तथा उस पर अपना व्याख्यान देना उसी समान है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना।

**I UnHkZ xJfK I ph %**

1. महापंडित राहुल सांकृत्यायन संपादक कमला प्रसाद, परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण प्रथम, 1994.
2. महामानव महापंडित—कमला सांकृत्यायन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., प्रथम संस्करण, 1995.
3. राहुल मंथन एवं चिन्तन, सम्पादक गीतेश शर्मा, प्रकाशन—जन संचार, प्रथम संस्करण, 1994.
4. राहुल वाङ्मय, खण्ड—2, जीवनी और संस्मरण, सम्पादक श्रीमती कमला सांकृत्यायन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1994.
5. राहुल वाङ्मय, खण्ड 1 जीवन यात्रा, सम्पादक श्रीमती कमला सांकृत्यायन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1994.
6. सलाखों में साहित्य सृजन, लेखक—डॉ० त्रिलोकीनाथ सिंह, सम्पादक भारत प्रकाशन, लखनऊ, प्रथम संस्करण, 2005.



## **CHILD SEXUAL ABUSE IN INDIA : A SOCIO-LEGAL APPROACH**

**Arun Kumar Singh\***

Children are like a seed, a seed in which a grand tree is hidden so in children abundant strength, intellectual sense, potential power is hidden. Therefore every society must devote full attention to ensure that children are properly cared for and brought up in a proper atmosphere where they would receive adequate training, education and guidance in order that they may be able to have rightful place in society when they grew up. Justice Bhagwati says that "the child is a soul with a being, a nature and capacities of its own, who must be helped to find them, to grow into their maturity, into fullness of physical and vital energy and the utmost breadth, depth and height of its emotional, intellectual and spiritual being; otherwise there cannot be a healthy growth of the nation" (AIR 2005, S.C. 4375).

Supreme Court of India said "Today's children will be leaders of tomorrow who will hold country's banner high and maintain the prestige of the nation. If a child goes wrong for want of proper attention, training and guidance, it will indeed be a deficiency of the society and of the Govt. of the day. Every society must therefore, devote full attention to ensure that children are properly cared for and brought up in a proper atmosphere where they would receive adequate training, education and guidance in order that they may be able to have their rightful place in the society when they grow up" (AIR 1987, SC 659).

Child sexual abuse is a hidden epidemic gradually eating deep into societies (Akindolie 2012). Many researches have demonstrated that the effects of Childhood Sexual Abuse (CSA) is devastating on an individual's psychological emotional and physical well being (Kilpatrick et al. 2003). The consequences of Childhood Sexual Abuse (CSA) are not limited to victims but also affect society as a whole (Saunders et al. 1999:187).

---

\* Department of Sociology, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi.

Child maltreatment, sometimes referred to as child abuse and neglect, includes all forms of physical and emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect, and exploitation that results in actual or potential harm to the child's health, development or dignity. Within this broad definition, five subtypes can be distinguished-physical abuse; sexual abuse; neglect and negligent treatment; emotional abuse; and exploitation (WHO 2004).

Child sexual abuse (CSA) is a universal problem with grave life-long outcomes (WHO 2014). The term CSA includes a range of activities like 'intercourse, attempted intercourse, oral-genital contact, fondling of genitals directly or through clothing, exhibitionism or exposing children to adult sexual activity or pornography, and the use of the child for prostitution or pornography'.

Sexual abuse is defined as the involvement of a child in sexual activity that he or she does not fully comprehend, is unable to give informed consent to, or for which the child is not developmentally prepared, or else that violates the laws or social taboos of society. Maltz (2002) opined that "sexual abuse occurs whenever one person dominates and exploits another by means of sexual activity or suggestion".

Definitions of child sexual abuse vary by author and organization. According to Haugaard (2000), each word connotes something different depending on the user. Ratican (1992:34) defines child sexual abuse as "any sexual act, overt or covert, between a child and an adult (or older child, where the younger child's participation is obtained through seduction or coercion)". Elliot (2001:2) defines child sexual abuse as "any sexual exploitation of a child under the age of sixteen for the sexual pleasure or profit of an adult or much older person". Crosson-Tower (2002:123) defines child sexual abuse as "the use of a child for the sexual gratification of an adult".

Child sexual abuse is an abuse of power where older, stronger, and more knowledgeable persons take advantage of children for their own sexual and emotional gratification. Child sexual abuse is a physical act and a psychological experience. As a physical act, child sexual abuse involves both touch and non-touch behaviours. As a psychological experience, child

sexual abuse represents an abuse of power and authority, where perpetrators satisfy themselves emotionally and sexually, and the children are hurt and confused.

**Childhood sexual abuse in India :**

Child Sexual Abuse occurs in various spaces including the home, neighbourhood, schools, and temporary homes of shelter for abandoned and neglected children, railway platforms, jails and refugee camps. The problem is deep rooted and is one that the community is hesitant to accept and acknowledge. Childhood Sexual Abuse occurs across all socio-economic, educational, racial and ethnic groups, but it is a challenging task to find out the actual number of sexually victimized children due to the fact that the prevalence reported varies across studies and data sources (Miller et al. 2007). The estimates of CSA vary widely depending on the country under study, the definitions used, the type of CSA studied, the extent of coverage, and the quality of data (Bassani et al. 2009:133). The known risk factors for childhood sexual abuse include being a female, being 12 years or older, or having a physical disability.

India has the world's largest number of CSA cases. For every 155th minute a child, less than 16 years is raped, for every 13th hour child under 10, and one in every 10 children sexually abused at any point of time (Childline 2015). Studies propose that over 7,200 children, including infants, are raped every year and it is believed that several cases go unreported. It is estimated by the government that 40% of India's children are susceptible to threats like being homeless, trafficking, drug abuse, forced labour, and crime (HRW 2013).

Sexually abused children are severely let down by systemic failure of the criminal justice system to redress their grievances and by social ostracism associated with such abuse (HRW 2013). Only 3% of CSA offences are reported to the police (Kacker et al. 2007). It is unsurprising that CSA is severely underreported given the shame and associated socio-cultural stigma, especially if the abuse is in the context of the family (Choudhury 2006). This phenomenon is not unique to India but common to collectivist cultures in other Asian countries where an individual's experience is ignored so as to protect the family from shame associated with sexual abuse (Back et al. 2003; Stoltenborgh et al. 2011).



Children's complaints are often not only dismissed by family but also police, doctors and persons having authority as well. Victims may be re-traumatized by how they are treated when they disclose their abuse to public. In most cases, perpetrators are hardly identified or allowed to remain free. The abuses are also repeated. Sometimes, the response of adults to abuse cases is completely inadequate rather to protect them especially when they need assistance and compassion. On the other hand, government's failure to create faith in social institutions discourages them from coming forward. So, it is absolutely essential to protect children from such abuses at a prior stage (Khakha and Bhagat 2015:169).

According to National Crime Record Bureau report, a total of 89,423 cases of crimes against children were reported in the country during 2014 as compared to 58,224 cases during 2013, showing an increase of 53 percent. The crime rate i.e. incidence of crimes committed against children per one lakh population of children was recorded as 20.1 during 2014 in comparison to 13.23 in 2013. There has been a considerable rise in number of registered cases of crimes against children over the years. It is known fact that many crimes against children also go unregistered, so there is a high probability that the incidence of crimes against children is actually higher, which is a matter of great concern.

Since 2001, there has been a gradual rise in recorded incidents of child sexual abuse. Although there is no evidence to indicate that globally the prevalence of CSA has been going up over the years (Barth et al. 2013), it can be hypothesized that increased reporting in India over this period might be the result of greater public awareness, education and a more sensitive criminal justice response to CSA. Following the enactment of POCSO, the number of offences registered under rape itself went up 44% within a year, lending support to the hypothesis.

Addressing child sexual abuse is a challenge all over the world, but in India shortcomings in both state and community responses add to the problem. The criminal justice system, from the time police receive a complaint until trials are completed, needs urgent reform. Poorly trained police often refuse to register

complaints. Instead, they subject the victim to mistreatment and humiliation. If the victims are poor or belong to marginalized communities such as Dalits, they often face greater mistreatment at the hands of investigating authorities. They will also be subject to threats and intimidation from both police and abusers to withdraw their complaints. Victims lack protection during investigation and trial, and support provided to victims and families, is often inadequate. The government has also failed to generate effective oversight mechanisms and enforce key safeguards, leaving children vulnerable to abuse in orphanages and other institutions (HRW 2013).

Child sexual abuse occurs in places normally considered safe such as home and schools, at the hands of perpetrators who are known and trusted by the child or who have authority over the child (Richter et al. 2004). The majority of sexual abuse happens in childhood, with incest being the most common form (Maltz, 2002).

The subject of child sexual abuse is still a taboo in India. In India, majority of the people remain numb about this issue. This silence is due to the fear of indignity, denial from the community (Collin-Vézina et al. 2013:22), social stigma (Verelst et al. 2014:106), not being able to trust government bodies (HRW 2013), and gap in communication between parents and children about this issue (GOI 2007). Part of the reason lies in a traditional conservative community structure that does not talk about sex and sexuality at all. Parents do not speak to children about sex and puberty changes. A girl feels shy to talk to her mother about menstruation as she is scared. How will she tell about her uncle who molests her? No complaint is filed in order to save the social image of the girl or the boy. This silence encourages the abuser to continue the abuse and to press his advantage to subject the child to more severe forms of sexual abuse. There is a permissive attitude about violence against children that allows this kind of abuse to occur at such high rates (Dasgupta 2013).

Several factors confound the task of identifying a sexually abused child. Some victims fail to demonstrate typical signs and symptoms associated with such abuse, while others do so in an idiosyncratic manner. The degree to which a sexually abused

child exhibits typical signs and symptoms is influenced by several factors including the extent to which violence was part of the abuse, duration of the abuse, the child's age at the time of abuse, the child's relationship to the perpetrator, and responses by adult caretakers. Compounding these difficulties is the fact that some symptoms are associated with typical developmental tasks while others are associated with physical or mental illnesses.

Effects of child sexual abuse can be categorized as psychological, interpersonal, and behavioral, although certain effects can be included in more than one category. Some effects manifest for short periods and resolve without intervention, while others persist through adolescence and into adulthood. Research reveals that positive outcomes are associated with early detection and treatment. Sexually abused preschool children who are not identified, diagnosed, and treated at the time of abuse frequently surface 7-10 years later in the legal system as runaways, delinquents, or prostituted children. These facts dramatically highlight needs for prompt reporting of suspected sexual abuse, immediate investigation by child protection authorities, and timely referrals for treatment of sexual abuse victims. Psychological effects of child sexual abuse include lower levels of self-esteem, higher rates of depression, anxiety, eating disorders, substance abuse disorders, post-traumatic stress disorder (PTSD), self-mutilation, and suicide (Elliot, 2001). The magnitude of these effects ranges from mild to severe to life-threatening requiring immediate counseling intervention. Behavioral effects manifest in a wide range of contexts, but often emerge as violations of social customs or laws. Victims of child sexual abuse, demonstrate higher rates of academic and conduct problems. They are at greater risk for committing property offenses, domestic violence, or felony assaults, and are also more likely to be sexually immoral.

#### **Protection of children from sexual abuse :**

The Constitution of India guarantees Fundamental Rights to all children in the country and empowers the State to make special provisions for children. The Directive Principles of State Policy specifically guide the State in securing the tender age of children from abuse and ensuring that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner in

conditions of freedom and dignity. The State is responsible for ensuring that childhood is protected from exploitation and moral and material abandonment. The pertaining laws dealing with sexual offences did not specifically address child sexual abuse. The Indian Penal Code (1860), does not recognize child abuse. Only rape and sodomy could lead to criminal conviction. Anything less than rape as defined by the law, was amounted to 'outraging the modesty' of the victim. The word 'rape' is too specific; this does not even include abuse on 'boys'. There was no comprehensive law on child sexual abuse. For a girl child, Section 375 (rape) and Section 354 (outraging the modesty) are generally used, which are highly inadequate, as they do not cover the forms of sexual abuse borne by children. For lack of any specific section for boy children, Section 377 (unnatural offences) was being used for cases of child sexual abuse of boys.

Until 2012, the only sexual offences against children recognised by the law were covered by three sections of the Indian Penal Code (IPC) not specific to children. The only crimes registered were rape (sexual intercourse without consent- section 376), outraging modesty of a woman (unspecified acts- section 354) and unnatural acts defined as "carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal" (anal sex, homosexuality or bestiality- section 377). Consequently, other forms of non-penetrative sexual assaults, harassment and exploitation were not explicitly recognised as crimes and therefore not recorded (assuming they were reported). Increased activism around child protection issues in the media and public discourse might partly account for the Government of India passing a special law called, 'The Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) 2012'. This Act criminalises sexual assault, sexual harassment, and pornography involving a child (under 18 years of age) and mandates the setting up of Special Courts to expedite trials of these offences.

Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 incorporates child friendly procedures for reporting, recording of evidence, investigation and trial of offences. These include: recording the statement of the child at the residence of the child or at the place of his/her choice, preferably by a woman police

officer; non detention of children in the police station in the night for any reason; police officer not to be in uniform while recording the statement of the child and the statement of the child to be recorded as spoken by the child where a child could be provided assistance of an interpreter or translator or an expert as per the need of the child. Even the medical examination of the child is to be conducted in the presence of the parent of the child or any other person in whom the child has trust or confidence. The Act provides for the establishment of Special Courts for trial of offences under the Act, where the trial is conducted either in camera or through video and the child is protected from facing the accused.

The Act incorporates all forms of child sexual abuse as specific criminal offenses for the first time, establishes guidelines for the police and the courts to deal with victims sensitively, and provides for the creation of specialist child courts. Earlier shrouded in silence, there has been increased reporting and awareness on the issue in the last year. Numerous cases of child sexual abuse are now being tried under the new law.

**Conclusion :**

Child sexual abuse is growing at a faster pace than the measures taken to prevent them. Although no accurate and holistic data is available on the phenomena, several estimates highlight the outgrowth of the issue in the society, cutting across all ethnic groups, sexes, religions, castes, classes, and strata. The abuses occur in workplaces, streets, family environment, schools, etc. In most cases, the perpetrators were people who were familiar to the child, including their family members, neighbours, relatives and other acquaintances. The children who underwent abuse suffered greatly either physically or mentally or psychologically. The effects in several cases sustained through their adult years. Fear, guilt, low self-esteem, mental depression, etc. are a few of the impacts they experienced. Thus, though preventive and rehabilitative measures, in the form of legislations or government initiatives are on board, the ground reality proved its inefficiency to save the children from this menace.

**Reference :**

1. Akndolie, C. 2012. "Child Sexual Abuse Hidden Epidemic". Punch Newspaper, April 8.

2. Back, S., Jackson, J., Fitzgerald, M., Shaffer, A., Salstorm, S., Osman, M. 2003. "Child Sexual and Physical Abuse Among College Students in Singapore and the United States". *Child Abuse and Neglect*, Vol. 27, No. 11. pp.1259-1275.
3. Barth, J., Bermetz, L., Heim, E., Trelle, S., Tonia, T. 2013. "The Current Prevalence of Child Sexual Abuse Worldwide: A Systematic Review and Meta-Analysis". *International Journal of Public Health*, Vol. 58. pp. 469-483.
4. Bassani, D.G., Palazzo, L.S., Beria, J.U., Gigante, L.P., Figueiredo, A.C., Aerts, D.R., et al. 2009. "Child Sexual Abuse in Southern Brazil and Associated Factors: A Population Based Study". *BMC Public Health*, Vol. 9. pp. 131-135.
5. Childline. 2015. Childline 1098 Service. Childline India Foundation. Mumbai.
6. Choudhury, R. 2006. "Understanding Family Life in India". in Chowdhury, A., D.K. Carson & C.K. Carson (eds.). *Family Life Education in India: Perspectives, Challenges, and Applications*. Rawat Publications, Jaipur. pp. 31-57.
7. Collin-Vézina, D., Daigneault, I., Hébert, M. 2013. "Lessons Learnt from Child Sexual Abuse Research: Prevalence, Outcomes and Preventive Strategies". *Child Adolesc Psychiatry Mental Health*, Vol. 7. pp. 21-24.
8. Crosson-Tower, C. 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Allyn and Bacon, Boston.
9. Dasgupta, S. 2013. "Protection of Children from Sexual Abuse". *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, Vol. 7, No. 2. pp. 64-71.
10. Elliot, M. 2001. *Why My Child? A Guide for Parents of Children Who Have Been Sexually Abused*. Kidscape, London.
11. GOI. 2007. *Study of Child Abuse*. Ministry of Women & Child Development, Government of India, New Delhi.
12. Haugaard, J.J. 2000. "The Challenge of Defining Child Sexual Abuse". *American Psychologist*. Vol. 55. pp. 1036-1039.
13. HRW. 2013. *Breaking the Silence: Child Sexual Abuse in India*. Human Rights Watch, USA.
14. Kacker, L., Mohsin, N., Dixit, A. 2007. *Study on Child Abuse: India*. Ministry of Women and Child Development, Government of India. New Delhi.

15. Khakha, D.J. and Bhagat, V.K. 2015. "Protection of Children From Sexual Offences : A Socio-Legal Analysis". *NLUA Law & Policy Review*, Vol 1, No. 2. pp. 166-81.
16. Kilpatrick, D.G., Saunders, B.W., Smith, D.W. 2003. *Child and Adolescent Victimization in America : Prevalence and Implications*. Washington. D.C.
17. Maltz, W. 2002. "Treating the Sexual Intimacy Concerns of Sexual Abuse Survivors". *Sexual and Relationship Therapy*, Vol. 17, No. 4. pp. 321-27.
18. Miller, K.L., Dove, M.K., & Miller, S.M. 2007. *A Counselor's Guide to Child Sexual Abuse: Prevention, Reporting and Treatment Strategies*. Association for Counselor Education and Supervision, Columbus.
19. Ratican, K. 1992. "Sexual Abuse Survivors: Identifying Symptoms and Special Treatment Considerations". *Journal of Counseling & Development*, Vol. 71, No. 1. pp. 33-38.
20. Richter, L., Dawes, A., Higson-Smith, C. 2004. *The Many Kinds of Sexual Abuse of Young Children*. HSRC Press, Cape Town.
21. Saunders, B.E., Kilpatrick, D.G., Hanson, R.F., Resnick, H.S., Walker, M.E. 1999. "Prevalence Case Characteristics and Long-Term Psychological Correlates of Child Rape Among Women". *National Survey on Child Maltreatment*, Vol. 4. pp. 187-200.
22. Stoltenborgh, M., van-Ijzendoorn, M., Euser, E., Bakermans-Kranenburg, M. 2011. "A Global Perspective on Child Sexual Abuse: Meta-Analysis of Prevalence Around the World". *Child Maltreatment*, Vol. 16, No. 2. pp. 79-101.
23. Verelst, A., De Schryver, M., Broekaert, E., Derluyn, I. 2014. "Mental Health of Victims of Sexual Violence in Eastern Congo: Associations with Daily Stressors, Stigma and Labelling". *BMC Women's health*, Vol. 14. pp. 103-109.
24. WHO. 2004. "Child Sexual Abuse": A Silent Health Emergency. Report of the Regional Director to 54th session of the Regional Committee for Africa. AFR/RC54/15 Rev.1. WHO Regional Office for Africa.
25. WHO. 2014. *Child Maltreatment*. World Health Organization, Geneva.



## स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में शासन के मान्य सिद्धान्त को सार्वभौमिक बनाने के लिए दलगत सुझावों और नीतियों को समावेशित करने का प्रयास किया गया। यह मानते हुए कि शासन का कोई भी सिद्धान्त तब तक प्रभावी नहीं रह सकता है। जब तक इसके वर्तमान स्वरूप की उपादेयता को सार्वजनिक रूप से संरक्षण तथा इसके प्रभावी परिणाम को स्वीकारा न जाए। भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् गरीबी, अज्ञानता, बीमारियों को समाप्त करने के लिए समृद्ध, लोकतान्त्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए सामाजिक रूप से वांछित तथा सकारात्मक स्वरूप एवं सहयोग को स्वीकारा गया। इसमें ऐसा माना गया कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय मूल्य को संरक्षित करेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अद्यतन उन ऐतिहासिक बिन्दुओं का भी अध्ययन किया गया जो देश के निर्माण में न केवल सार्थक सहयोग दे रहे हैं अपितु राष्ट्रीय एकीकरण की पृष्ठभूमि को भी धर्म निरपेक्षता के रूप समृद्ध किए हैं।

भारत स्वतन्त्रता के पश्चात् से ही विकास के नवीन परिपाटी को रचने में संवैधानिक शिल्पकारों के साथ ही साथ कुशल राजनेताओं के निर्देशन में कार्यशील रहा है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के संचालन में प्रतिनिधियों ने इस सामाजिक स्वरूप को विकसित किया कि समाज में नागरिक मूल अधिकारों के साथ सत्ता में समान भागीदारी को अपनाते हुए कार्यशील रहे। ऐसा इसलिए भी किया गया कि अंग्रेजों से स्वतन्त्रता के पश्चात् जहाँ धार्मिक और जातिगत संरचना के नेतृत्वकर्ताओं ने आम जनमानस के साथ विखण्डन के स्वरूप को निर्मित कर दिया था। फलस्वरूप जनता अविश्वास के स्वरूप को सुशासन के माध्यम से विश्वसनीयता के रूप में स्वीकारना चाहती थी।

भारत की न्यायिक व्यवस्था इस प्रकार की थी कि यहाँ विश्व के अन्य देशों की भाँति गुणवत्ता के प्रदर्शन की आशा केवल नेतृत्वकर्ता के ऊपर ही मानी जाती रही है। स्वतन्त्रता के पश्चात् जनतान्त्रिक व्यवस्था को इस प्रकार से लागू किया गया कि आम नागरिक इसमें न केवल राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से सहभागिता को प्रकट करें अपितु वह सहभागिता के अवसर को समानता के

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

\* शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में शासन के मान्य सिद्धान्त को सार्वभौमिक बनाने के लिए दलगत सुझावों और नीतियों को समावेशित करने का प्रयास किया गया। यह मानते हुए कि शासन का कोई भी सिद्धान्त तब तक प्रभावी नहीं रह सकता है। जब तक इसके वर्तमान स्वरूप की उपादेयता को सार्वजनिक रूप से संरक्षण तथा इसके प्रभावी परिणाम को स्वीकारा न जाए। भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् गरीबी, अज्ञानता, बीमारियों को समाप्त करने के लिए समृद्ध, लोकतान्त्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए सामाजिक रूप से वांछित तथा सकारात्मक स्वरूप एवं सहयोग को स्वीकारा गया। इसमें ऐसा माना गया कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय मूल्य को संरक्षित करेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अद्यतन उन ऐतिहासिक बिन्दुओं का भी अध्ययन किया गया जो देश के निर्माण में न केवल सार्थक सहयोग दे रहे हैं अपितु राष्ट्रीय एकीकरण की पृष्ठभूमि को भी धर्म निरपेक्षता के रूप समृद्ध किए हैं।

\* शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।



अवसर के रूप में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माताओं और कार्यकुशल लोकसेवाओं के माध्यम से क्रियाशील योजनाओं को समाज के अनुकूल निर्मित कर सके। 14 अगस्त सन् 1947 को पं० जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण के माध्यम से सुशासन सम्बन्धी चुनौती को प्रकट करने के लिए नियति से साक्षात्कार के रूप में कहा कि गरीबी, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता का खात्मा ही सुशासन और उसके उद्देश्यों को परिपूर्ण करेगा, जहाँ तक सुशासन की अवधारणा का प्रश्न है सुशासन का तात्पर्य सशक्त न्याय व्यवस्था की रक्षा करना, संरक्षण प्रदान करना, सशक्तिकरण, रोजगार और सेवाओं का प्रभावी निष्पादन करना है।<sup>1</sup>

सुशासन की व्यवस्था का क्रियान्वयन राजनीतिक परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप अधिक प्रभावी दिखाई पड़ती है, क्योंकि परियोजनाओं के अन्तर्गत संसाधनों की रूपरेखा का प्रभाव राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में जनसमूहों को समाहित करने से है। यह दृष्टिकोण नवोदित राष्ट्रों पर सार्थक होती है।<sup>2</sup>

भारत में राजनीतिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन समाज सुधार आन्दोलनों से प्रभावित रहा है क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व परियोजनाओं का लक्ष्य भारत को आजादी दिलाना था। फलस्वरूप स्वाधीनता संग्राम आन्दोलन के दौरान भारतीय समाज के परम्परागत विभेदों को नहीं उभरने दिया गया। इसका कारण था कि धार्मिक विभेद और परम्परागत विभेद आन्दोलनों को प्रभावित करेंगे। स्वतन्त्रता के पश्चात् जिस संसदीय प्रणाली को राष्ट्र ने अपनाया इस व्यवस्था ने विकासवादी स्रोतों को खोल दिया। प्रशासनिक सुधार हेतु भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में समता और सामाजिक न्याय को सर्वोपरि स्थान दिया गया। इस व्यवस्था ने जाति, लिंग, धर्म अथवा रंग के भेदभाव को अस्वीकार करते हुए, सभी नागरिकों को समान मौलिक अवसर प्रदान किया। उन्हें सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का भी आश्वासन दिया गया। संसदीय व्यवस्था प्रजातन्त्र को समृद्ध तथा नवीन राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण हेतु उर्वरा भूमि तैयार करने की शक्ति मानी गई। इस शक्ति ने राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान किया।<sup>3</sup>

### 17.1.1 सुशासन का स्वरूप

भारत की राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ प्रशासनिक सेवा से ओत-प्रोत रही है, क्योंकि कानून का शासन इस तथ्य के रूप में प्रशासन को संरक्षण देता रहा है कि औपचारिक कानूनी व्यवस्था क्रियाविधिक न्यायप्रणाली के रूप में सुरक्षित रहे। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था समन्वय रूप से इस प्रकार निर्मित है कि यहाँ लोक प्रशासन नवाचारों और सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को निर्मित करता है। इस व्यवस्था के

राजनीतिक हस्तक्षेप, सेवाओं के विस्तारण तथा विकास सम्बन्धी अवरोधों को समाप्त करना अथवा इन अवरोधों को समाप्त करने वाले विकल्पों को निर्मित करते हुए विकास के नवीन दृष्टिकोणों को लोकहित में नियोजित करके प्रकट करना है।

**'kkl u vks | qkkl u %**

शासन लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभावी शासन से सम्बन्धित होता है, जिसमें उस देश की व्यवस्था के विधिक पक्ष जैसे आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों का प्रबन्धन शामिल होता है, जिसमें निर्माण और निर्णय की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शासन की अवधारणा न केवल व्यापक अपितु जटिल भी हो गयी है। इसका कारण है कि वर्तमान में अनेक नए सिद्धान्त और इन सिद्धान्तों के पक्ष में प्रभावी तत्व सम्मिलित हो गए हैं। फलस्वरूप शासन का तात्पर्य सुशासन को प्रेरित करने वाला कारक माना गया है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शासन को तभी अधिक प्रभावी माना जाता है जब वह अपने सिद्धान्त के अनुरूप निर्मित आधारभूत प्रतिबद्धताओं को सक्षम, प्रभावशाली तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य करने में समर्थ होता है।

वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह दिखलाई पड़ता है कि शासन सरकार के औपचारिक कार्यक्षेत्रों से बाहर होकर लोक-प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न अंगों-उपांगों को नवीन आयाम प्रदान करने का एक प्रयास है। व्यापक प्रति के प्रभाव के कारण शासन का प्रभाव संस्थानों के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण दिखलाई पड़ता है। यह संस्थान चाहे सरकारी हो अथवा गैर सरकारी संस्थान हों, सभी शासन की व्यवस्था से प्रभावित होते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में यह माना जाता है कि सुशासन, शासन से संशोधित होकर नव विचारधारा और उन्मेषों को प्रकट करता है। यह व्यवस्था को निर्णय प्रक्रिया के समक्ष उसकी प्रति का मूल्यांकन कराता है। शासन के सन्दर्भ में यह माना जाता है कि इसकी प्रभावी व्यवस्था ही सरकार, लोक संस्थानों की संरचना तथा अपने कर्तव्यों का सूचक है। शासन वह माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार अपने कर्तव्यों का निष्पादन करती है। इसका कारण है कि सरकार पारम्परिक रूप से अधिकांश सेवा व्यवस्था का प्रबन्धन स्वयं करती है। वह यह मानती है कि सरकार जिन व्यवस्थाओं को कर रही है उसका प्रभाव मानवीय संवेदना और दृष्टिकोण पर आधारित होगी। केटल के अनुसार शासन लोक प्रशासन का एक ऐसा अभिगम है जिसमें वह अपनी भूमिका को लगातार कम करता है तथा उपसरकारों को लगातार बढ़ावा देता है। शासन की प्रक्रिया में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन न केवल विकास की मात्रा अथवा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि या आर्थिक समृद्धि से निर्धारित होता

है, वरन् इस सन्दर्भ में निर्धारण की प्रक्रिया में राजनीतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक तत्वों के सम्पूर्ण तथा व्यापक विकास से स्पष्ट होता है। ऐसी प्रक्रिया मानव जीवन के सम्पूर्ण पक्षों को समाहित करता है। प्रथम मानवीय विकास रिपोर्ट में तीन विशिष्ट पक्षों को शामिल किया गया है इसमें लम्बी उम्र, शिक्षा तथा प्रतिव्यक्ति आय को मानवीय विकास सूचकों के रूप में व्यक्त किया गया है।<sup>4</sup>

मानवीय विकास रिपोर्ट 2001 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मानवीय विकास का तात्पर्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि अथवा कमी नहीं है। इसका कारण है कि यह ऐसा परिस्थितिजन्य परिवेश है जहाँ समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी क्षमताओं व सम्भावनाओं के अनुरूप इसका पूर्ण उपयोग करते हुए अर्थपूर्ण तथा रचनात्मक मानवीय सुखों का उपभोग कर सके।<sup>5</sup>

शासन और सुशासन के परस्पर प्रभावों में विकास संवर्धन निहित होता है जो विकास के लिए आवश्यक होता है। इसका कारण है कि यह व्यवस्था को इस प्रकार बनाता है कि वंचित तथा कमजोर वर्ग इसका समुचित लाभ पा सके, ज्वलन्त समस्याओं तथा महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को चिह्नित करके उस सन्दर्भ में नई व्यवस्था का पोषण करे जिससे समस्याओं का समाधान बन सके। यूएनडीपी 1994 ने सुशासन से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलाप और विचारों को व्यापक स्तर पर वैचारिक सहमति बनाकर वैश्विक सरकार तथा प्रशासनिक तन्त्र में अपेक्षित कार्य कुशलता, प्रभावोत्पादकता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को उत्प्रेरित व सुसंगठित करने का सहमतिपूर्ण निर्णय सार्वभौमिक किया। फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों ने अपने-अपने यहाँ चल रही शासन व्यवस्था के अन्तर्गत अवरोधक विचारों का पुनः परीक्षण, मूल्यांकन तथा उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय हो गए।<sup>6</sup>

सुशासन के सन्दर्भ में यह माना जाता है कि इस व्यवस्था के परिणति होने के परिणामस्वरूप जीवन स्तर उत्थान से प्रेरित तथा लक्ष्योन्मुख होगा। सुशासन अपने शासनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम लाभ के लिए सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। टोनी बोआर्ड तथा लॉफसर (2003) ने सुशासन को समोन्नति लोक नीति, निष्कर्ष तथा समस्त शासन पद्धति से सम्बन्धित सिद्धान्तों के मुद्दों पर भागीदारी का मापक बताया है। इसका कार्यान्वयन और मूल्यांकन सभी क्षेत्रों द्वारा नियमित अन्तराल पर किया जाता है। वर्तमान सन्दर्भ में सुशासन के मूल्यांकन अनेक मापदण्डों का निर्धारण विश्व स्तर पर सम्परीक्षण तथा उपयोग में लाया जा रहा है।<sup>7</sup>

बोआर्ड तथा लॉफसर शासन के सन्दर्भ में इस विशेषताओं का उल्लेख किया जिनमें यह माना गया कि सम्मिलित यह योजनाएँ नागरिकों की सहभागिता, उनके उत्तरदायित्वों, क्रियान्वयन की पारदर्शिता, सामाजिक समावेशन, समानता का अधिकार, नैतिकता और ईमानदारी का आचरण, आदर्श साम्यता, वैश्विक परिवेश में प्रतिस्पर्धा का सामर्थ्य, प्रभावी कार्यनिष्पादन की क्षमता, सतत् विकास के साथ ही साथ कानूनगत शासन का पूर्ण सम्मान माना गया है। इस सन्दर्भ में आप के विचार अनेक दशाओं में स्वीकार्य करने के साथ ही साथ विवादित माने गए हैं, इसका कारण था कि लेखक ने जिन सुझावों को प्रतिपादित किया है उनमें से कुछ परिस्थितिजन्य आधार पर विवादित भी माने गए हैं।<sup>8</sup>

सतत मानवीय विकास के लिए शासन ने कुछ प्रमुख विशेषताओं को स्वीकार्य किया। यह विशेषताएँ सुशासन की पहचान के रूप में जानी जाती हैं। सामाजिक आधार पर समूह अथवा समुदाय की सहभागिता साथ ही इस सहभागिता में जनता के लिए निर्धारित दायित्वों की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए तौर-तरीकों तथा संसाधनों के विकास के माध्यमों से सामाजिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु संसाधनों के संग्रहण द्वारा सुनिश्चित किया जाना इस सन्दर्भ में कानून से शासन का परिचालन प्रेरक तथा सहयोगी वातावरण बनाते हुए नियन्त्रण के स्थान पर नियमन को स्वीकार्य किया जाता, सेवा उन्मूलन को सतत् विकास का प्रभावी हिस्सा जनता के पक्ष में स्वी.त किया जाता है। फलस्वरूप समता तथा समानता को बढ़ावा मिलता है और लैंगिक विभेद सन्तुलित रहता है जिससे कानून निर्मित उत्तरदायित्व पूरे हो जाते हैं।<sup>9</sup>

#### **Hkkjr esl qkkl u dh fLFkfr %**

भारत में सुशासन की स्थिति सुधारों की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है। इसका कारण 1950-60 के दौरान प्रशासनिक सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन था। प्रशासनिक यान्त्रिकियों और उनमें अनुप्रयोजित पारदर्शी विधाओं को लोकोन्मुख बनाने के लिए तथ्यगत विधियों और संवेदनाओं को महत्वपूर्ण माना गया। सुशासन व्यवस्था के अन्तर्गत नागरिक आचार संहिता और अधिकारों के सन्दर्भ में संवैधानिक संशोधन किए गए। यह संशोधन इस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर बनाया गया कि शासन प्रक्रिया में आम व्यक्तियों की भागीदारी सीधी तथा सुनिश्चित हो। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सरकारी तन्त्रों में आए आधुनिक परिवर्तन प्रायः उदारवादी के अन्तर्गत नव उदारवादी उपागम माने गए हैं। इस प्रक्रिया में व्यापकता का प्रभाव विकसित तथा विकासशील देशों में स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है।

### स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में जिन सरकारी यन्त्रों और कार्यालयी संस्कृति की व्यवस्था का हस्तान्तरण किया गया था। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा आय और संसाधनों के सन्दर्भ में था, जिसे उन्होंने स्वतन्त्रता के समय भारतीयों को हस्तान्तरित कर दिया। स्वतन्त्रता के पश्चात् हस्तान्तरित व्यवस्था को लोकोन्मुखी तथा लोककल्याणकारी बनाने के लिए संविधान की अंगीकृत व्यवस्था और मौलिक अधिकार के साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं पंचवर्षीय योजनाओं आदि को कानून और व्यवस्था के रूप में दर्शाया गया। इस दशा में ऐसी प्रस्थिति को विकसित किया गया कि वह सामाजिक कल्याण तथा जन सन्तुष्टि के कार्य करें। समितियों का गठन सामाजिक, राजनीतिक दायित्वों की प्रतिपूर्ति के सन्दर्भ में गठित किया गया। इन समितियों ने सरकार के सांगठनिक तन्त्र तथा प्रकार की व्यवस्थित एवं गहन जाँच की, इन समितियों में विभिन्न रिपोर्टों तथा संस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार का एक अलग मन्त्रालय गठित किया, केन्द्र तथा राज्य स्तर पर प्रशासनिक सुधार हेतु सरकारी तन्त्र के अन्तर्गत कार्मिक विभाग का गठन किया गया जिसे बाद में कार्मिक तथा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत, पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण के पूर्ण विकसित मन्त्रालय में परिवर्तित कर दिया गया।

भारत में सुशासन शासन व्यवस्था के नवीन स्वरूप को उदारीकरण के रूप में स्वीकार किया गया है यह समाज के विविध आयामों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कर्ताओं के क्रियाशीलता को संगठित कर उनका समन्वित मानवीय संवेदनाओं और समस्याओं का समाधान करते हुए निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचना और बदलते परिवेश में शासन व्यवस्था की अधिपत्यता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक शासन को प्रभावी सक्षम तथा दायित्वपूर्ण बनाने के सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि समाज में समुचित विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित किया जाए तथा जनता के माध्यम से चयनित प्रत्याशियों को जनता की समस्याओं के सन्दर्भ में दिए गए समाधान हेतु उत्तरदायी बनाया जाए। यह कार्य जन साक्षरता अभियान और जन जागरूकता के कारण ही सफल हो पाएगा। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत निष्पक्ष प्रभावी व्यवस्था और स्वतन्त्रता के साथ ही साथ स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा जिम्मेदार नौकरशाही को सुनिश्चित करके सुशासन के नए स्वरूप को मानवीय आवश्यकताओं के समुचित निवेश तथा वंचित व गरीब लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के माध्यम से राज्य संस्थानों को सशक्त बनाते हुए नागरिक समाज के समन्वय स्थापित किया जा सकता है।

जार्ज फ्रेडरिकसन ने शासन व्यवस्था के सन्दर्भ में जो विस्तृत पक्ष स्वीकार किया है वह केवल शासन व्यवस्था का प्रयोग करने वाले विद्वानों और सिद्धान्तकारों

तक ही सीमित नहीं है वह कहते हैं कि इसका मुख्य लक्ष्य परिवर्तन सुधार तथा व्यवस्था को दुरुस्त करना है जहाँ अव्यवस्था, अस्थायित्व और समस्यागत तत्वों का प्रभाव अधिक है तथा तथ्यगत मूल्यांकन करके इन समस्याओं के सन्दर्भ में क्रियाशील तथा तथ्यगत अवधारणाओं को सार्वभौमिक बनाया जाता है, जिससे सुधार की व्यवस्था और प्रक्रिया सातत्य रूप से परिवर्तित परिस्थितियों व मूल्यों के अनुरूप समायोजित व्यवस्था, राजनीतिज्ञ तथा नौकरशाही से सम्बन्धित होता है शासन व्यवस्था के अन्तर्गत अनेक ऐसे व्यापक क्षेत्र हैं जिनमें समस्याओं स्थिति परम्परागत आधार पर जटिल बनी हुई है। इसका कारण है कि अनेक समस्याओं धार्मिक तथा भावनात्मक संकल्पनाओं से ओत-प्रोत है, फलस्वरूप न्याय की व्यवस्था एकीत रूप में प्रभावी नहीं हो पाती। फेड्रिक्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन में शासन के अनुप्रयोग को विषय क्षेत्र के अनुरूप सुधारा जा सकता है।<sup>10</sup>

#### I Unhkz xJFk I pph %

1. बाल्मीक प्रसाद सिंह, भारत में सुशासन की चुनौतियाँ, योजना, जनवरी 2013, योजना भवन, 538, संसद मार्ग, नई दिल्ली
2. बृज बिहारी खरे, (1974), इण्डिया, पॉलिटिकल एप्टिट्यूट एण्ड सोशल चेंज, नई दिल्ली, लाईट एण्ड लाईट पब्लिसर, पृ0 42
3. धर्मवीर (2012) राजनीतिक समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
4. ह्यूमन डेवलपमेण्ट रिपोर्ट 1990
5. ह्यूमन डेवलपमेण्ट रिपोर्ट 2001
6. बाअवार्ड टॉनी एण्ड उल्के लॉफसर (2003) इवेल्यूटिंग द क्वालिटी पब्लिक गवर्नेंस इण्डिकेटर्स, मॉडल एण्ड मेथोडोलॉजी, इण्टरनेशनल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइन्सेज, वाल्यूम 691
7. यू0एन0डी0पी0 रिपोर्ट (1994), गुड गवर्नेंस एण्ड सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेण्ट आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क
8. सोमान, रहमत (ई0डी0) (1998) ट्वाईस ए थ्योरी ऑफ गवर्नेंस एण्ड डेवलपमेण्ट, लर्निंग फ्रांस ईस्ट एशिया द बांग्लादेश यूनिवर्सिटी, प्रेस, ढाका
9. बोआर्ड टोनी एण्ड लॉफसर (2002), मूविंग फ्राम एक्सेलेण्ट मॉडल्स ऑफ लोकल्स सर्विस डिलीवरी टू वैचमाकिंग गुड लोकल गवर्नेंस, इण्टरनेशनल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइन्सेज, वाल्यूम 671
10. फ्रेडक्सन, जार्ज एच0 वॉट एवर हैपण्ड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस एवरीयेर, सेमीनार पेपर, [www.rhul.ac.uk/nedws/and/evernts/seminar](http://www.rhul.ac.uk/nedws/and/evernts/seminar)



## PROMOTING HOLISTIC TOURISM IN HARIDWAR AND RSHIKESH

Abhishek Kumar Maurya\*  
Mandeep Bharti\*\*

### Abstract :

Uttarakhand has been well known for hundreds of years for its practice of yoga, ayurveda, wellbeing and fitness, a system that believes in not simply giving good health, It also provides inner development with ample happiness in their life. Uttarakhand is one of the few blessed regions in the world that is networked by many holy rivers with the beautiful mountain range of holy Himalaya. Uttarakhand is also known as Dev Bhoomi and it stretches up to almost 53,483 km<sup>2</sup> of which 86% is mountainous and 65% is covered by forest. Most of the northern part of the state is covered by high Himalayan peaks and glaciers. The area is probably one of the some places in the world where yoga is done in the purest form. This state is also the only place in India where people can find many types of tourism like Religious tourism, Pilgrimage tourism, Wellness tourism, Ayurveda tourism, Adventure tourism and many others. Being in the geographical wonder; Uttarakhand spread peace, gives happiness, cure the body and heals the mind, body and soul with the magical touch of Yoga, Meditation and Ayurveda. Holistic tourism is the traditional Indian system that has brought true health, happiness and well-being to millions of individuals throughout the ages. Haridwar and Rishikesh are the most famous religious, pilgrimage and wellness destinations of Uttarakhand. Haridwar is the place where the holy river Ganges touches the plane in the foothills of Himalaya. Rishikesh is the yoga capital of the world.

**Keywords:** Ample, Blessed, Cure, Heal, Wonder, Wellness.

---

\* Research Scholar, CMTHS, HNB Garhwal University.

\*\* Research Scholar, Department of Tourism, Kumaun University, Nainital, Uttarakhand.

**Introduction :**

*"...Tourism is a basic and most desirable human activity deserving the praise and encouragement of all people and all Government."*

This statement made at the XXI United Nations General Assembly in 1967, acknowledges the vital role in the development of the tourism industry. Tourism's contribution to the world economy is second only to that of oil and is set to better it in another few years. It is therefore a little wonder that many countries in the world are paying attention on the tourism sector to increase their economies. It was after the 2nd World War that tourism emerged as an industry pushed along by rapid advancements made in the field of communications and transport. This makes tourism the fastest growing industry worldwide. This "smokeless" industry acts as a catalyst for socio-economic development and also encourages mutual understanding by bringing into its fold a large variety of activities and individuals which include trades, businesses, shopping, lodging, catering, transport arts and crafts, religion etc. The tremendous positive impact created by this widely accepted and flourishing industry has stimulated various nations to channelize their efforts in developing their tourism industry and gear up to meet the ever escalating demand. There are many Contributions of Tourism Industry like: Economic development, Infrastructure development, Employment generation, Community development, Restoration of culture, Environmental preservation, Promotion of harmony and understanding towards the country and their people.

'Travel' was not allied with the term pleasure or leisure as it today for the early man. The word 'travel' has come from the word 'travail' meaning painful or laborious. The word 'holidays' can be said to have its origin from 'holy days or a time to unbend and delight, to be spent in celebrating festivals in the honor of our preserver saints. People have always travelled from one place to another for a different of reasons. Early travel was undertaken mainly for the purpose of trade, waging wars and prevailing over new lands, or for religious reasons. Pilgrimages and travel for treatment at natural springs or Spas was gaining popularity in the mid-seventeenth century when doctors advocated the healing



powers of mineral water. They soon became important meeting places for the gentry or elite. Travel for leisure dawned from the nineteenth century and tourism as a profession was born in the beginning of that century. From nomadic existence to present day economies, people have always been on the move. Be it explorers suddenly discovering a route (e.g. Vasco Da Gama) or a continent, travelers documenting history of countries (e.g. Hiuen Tsang), believers going on a pilgrimage (Canterbury Tales, ChaarDhaamYatra), people visiting relatives, visiting countries/cities for medical treatment, leisure or business, or those travelling distances, fired merely by the zest to travel, people have crisscrossed the globe integrating cultures and systems. However, the tourism in the present day, has become increasingly significant & organized (industry) as more and more people with increased disposable income, higher propensity to spend and changing social mores trot cities and countries due to variety of reasons. Along with the evolution of tourism, its definition has also formalized over the years and in the present parlance a visitor is considered to be a traveler taking a trip to a main destination outside his/her usual environment, for less than a year, for any main purpose (business, leisure or other personal purpose) other than to be employed by a resident entity in the country or place visited. A visitor (domestic, inbound or outbound) is classified as a tourist (or overnight visitor), if his/her trip includes an overnight stay, or as a same day visitor (or excursionist) otherwise. A traveler on the other hand is someone who moves between different geographic locations, for any purpose and any duration. The visitor is a particular type of traveler and consequently tourism is a subset of travel. However, "Tourism" refers to all activities of visitors, including both "tourists (over-night visitors)" and "same-day visitors". As per United Nation World Tourism Organization (UNWTO) despite occasional shocks, international tourist arrivals have shown virtually uninterrupted growth - from 25 million in 1950, to 278 million in 1980, 528 million in 1995, and 1,087 million in 2013 and the same is likely to reach 1.8 billion by 2030.

**The Meaning and Importance of Tourism:**

Tourism is the temporary short-term movement of people to destinations outside the place where they normally live and

work and includes the activities they indulge in at the destinations as well as all facilities and services specially created to meet their needs. Tourism does not only mean travelling to a particular destination but also includes all activities undertaken during the stay. Tourism is defined by the World Tourism Organization (UNWTO) as 'a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or business/professional purposes' (UNWTO, 2014). It furthermore defines the people taking part in these actions as visitors either tourists or excursionists. Moreover, tourism exhibits the activities visitors experience (UNWTO, 2014). Increasing essentially in the second half of the nineteenth century (Cooper, 2012) tourism reached its peak of one billion visitors in 2012 (UNWTO, 2012). Regardless, the economic importance of tourism the need for a sustainable development and management increased worldwide (Cooper, 2012). Disproving the general believe of tourism harming the environment Mensah and Amuquandoh (2010) state that tourism is still seen as the greatest engine for an economy to generate quick revenue. The resulting question is now whether tourism can be seen as a holistic or a malediction. This paper will provide an insight into the topic. It will be structured looking at the three areas of economic, cultural and environmental influence tourism has in different cases. Looking at the economic impacts of tourism an ever-increasing number of tourism expenditures can be listed (WTO, 2012). Due to a constantly growing number of destinations and investments in tourism the industry became a driver of economic progress. Moreover, other business sectors profit indirectly from tourism within a destination. An improved infrastructure is only one example. Export revenues of the tourism industry encompass six percent of the world's exports (WTO, 2013).




Fig.1: Impacts of Tourism

Tourism Bliss or Blight: this is the title of a book written some fifty-sixty years ago by George Young on the negative side of tourism. He was particularly averse to mass tourism which had affected local culture, way of life, beaches, national parks, mountains and rivers. The modern tourists were called the 'new barbarians', who annihilated ancient monuments by petty vandalism. They furtively chip away pieces of marble to take home as souvenirs. They steal artifacts from temples and churches. They gouge out mosaics from walls and to the top, they often carve their names into the ancient walls of temples and forts. Only two decades ago, Hermann Kahn, the well known futurologist described the rapidly growing tourism as "... next only to atomic power in its potential for environmental destruction". What George Young wrote sixty years ago is becoming more evident today with the emergence of mass tourism in many countries of the world. In a way, India is lucky that we do not have mass tourism as yet. Industrialization brought economic prosperity and led to tourism, both domestic and international, which can be a factor affecting the environments which we seek to protect. Millions of tourists are crowding the popular beach resorts, mountain treks, wildlife jungles and the ancient monuments in search of a holiday. How do tourists affect our environments? Some attractions are: the beautiful Dal lake of Kashmir has been reduced to half of its size in less than sixty years by human encroachments. The boatmen, who make use of the lake, throw all the garbage in the beautiful lake. Forty years ago, Manali in Himachal Pradesh was a small hill resort catering to the needs of people who loved nature. It was Jawaharlal Nehru's favorite hideout in the Himalayas. Now, it is an overcrowded city with ugly multistoried hotels built with concrete. Even the mighty Sutlej has been encroached upon and its view eclipsed. Precious wildlife-tigers, lions and other species have become virtually extinct in Indian jungles due to hunting and poaching. Laddakh in Kashmir was opened to tourists thirty five years ago. Now its mountain treks are jammed with litter left by tourists. Tourism has fireup prostitution in some countries of East Asia and South America which has become a menace to health. AIDS has spread through tourism to some extent.




Fig. 2 Economical Impact of tourism

The physical effects of tourism have become an emotional issue; we tend to forget what tourism can do for the people. Tourism has helped India to maintain and beautify the surroundings of some of our monument, memorials and places like-Tomb-stone Taj Mahal, Khajuraho, Konark, Ajanta and Ellora, Mahabalipuram, to name only a few. Wildlife sanctuary and national parks are protected against poachers and land grabbers. These sanctuaries and parks are now visited by thousands of people who love to see wildlife in its natural environments and shoot it only with their camera. Government of India was one of the first governments in the world to set up a Ministry of Environments and Forests and also was the first to ban the killing of tigers and lions.

Uttarakhand the 27th state of India, also known as 'Dev Bhoomi' or the 'Land of the Gods' was carved out of Uttar Pradesh in November 2000. The State is rich in natural resources especially water and forests with many glaciers, dense forests and rivers making it an ideal destination for adventure, leisure and ecotourism. It is endowed with topographic diversity, pristine natural beauty and religious shrines. Besides its natural beauty, Uttarakhand also offers many adventure tour opportunities in the

form of trekking, skiing, Para-gliding, camping, angling, mountaineering and rock climbing. The economy of the State has been largely dominated by the services sector including Tourism which contributes over 51% to the total GSDP from 2004-05 to 2013-14. Tourism is already a major driver of economic growth and livelihood promotion in Uttarakhand. Its contribution to State Gross Domestic Product (SGDP) is about 4.4 % and its share in employment is 2% according to estimates worked out by UNWTO. Uttarakhand Tourism Development Board (UTDB) had introduced its first Tourism Policy in 2001 with the objective of establishing world class infrastructure, attracting more private players and identification of new tourism destinations. A number of opportunities exist to tack the tourism potential of Uttarakhand through enhanced revenue, employment generation and integrating Tourism as a way of life for the local community of the State. Some of the important tourist destinations of Uttarakhand are: Mussoorie, Dhanauti, Haridwar, Rishikesh, Nainital, Corbett National Park, Mukteshwar, Ramgarh, Lansdowne, Gangotri, Dayara Bugyal, Tehri Lake, Binsar Wild Life Sanctuary, Almora, Ranikhet, Kedarnath, Badrinath, The Valley of Flowers National Park, Nanda Devi National Park, Devprayag, The Yamunotri, Auli etc. The details of the Haridwar and Rishikesh in a jiffy mentioned below:

Haridwar is an Eden for pilgrimage, adventure, nature-lovers, and wellness tourists. It gives blend of different types of tourism and also it termed as 'Gateway to Gods' as known as Mayapuri, Kapil and Gangadwar. The devotees of Lord Shiva (Har) and followers of Lord Vishnu(Hari) put into words this place Hardwar and Hardwar respectively as told by some. It is also a point of entry to Dev Bhoomi and Char Dham Viz. Badrinath, Kedarnath, Gangotri and Yamunotri. It is said that in stories the king Bhagirath the forefather of Lord Ram have brought the holy river Ganges from heaven to earth in order to provide salvation to his ancestors.

The king Bhagirath is said to have brought the river Ganges from heaven to earth in order to provide salvation to his ancestors. The religious and pilgrimage tourists feel that they can go to heaven by getting their salvation after a dip in the holy river Ganges at Haridwar. Haridwar is the place where Ganges emerges from

the mountains to touch the planes. Haridwar is also one of the four places; where Kumbh Mela occurs after rotation of every twelve Years and Ardh Kumbh after every six years.

Haridwar district, covering an area of about 2360 sq.km. is in the western part of Uttarakhand state of India. Its latitude and longitude are 29.58 degree north and 78.13 degree east respectively. The height from the sea level

is 249.7 mts. The district came into existence on 28th Dec. 1988. Prior to its inclusion in the newly created state of Uttarakhand, this district was a part of Saharanpur Divisional Commissioner. The district is ringed by Saharanpur in the west, Dehradun in the north and east, Pauri Garhwal in the east, Muzaffar Nagar and Bijnor in the south. As per the 2011 census, the population of the district is 18,90,422. Due to Haridwar's location on the bank of river Ganga, it has plenty of water resources and almost all kind of food grains are produced here in abundance.

Rishikesh is the place where the lord Vishnu did self-abasement. It is known as abode of sages also since hundred years. The Yoga capital of the world has many types of attractions for tourists. It has swashbuckling view of river Ganges who is passing from the beautiful hills decorated by the nature. It is often claimed as the 'Yoga Capital of the World'. Rishikesh has long been a spiritual centre. It is said that the sage Raibhya Rishi did severe penance here and as a reward, God appeared to him in the form of Rishikesh, hence the name. Rishikesh has several ashrams, some of which are internationally recognized as centers of philosophical studies, yoga and meditation. An international yoga week is organized here every year by Uttarakhand Tourism in the month of February. For the adventurous, there are opportunities for white water rafting on the Ganges. The climate here is



Fig.3 Map of Uttarakhand

continental type but its location in the foot hills gives it a pleasant weather throughout the year. One can visit Rishikesh any time of the year.

The Major beautiful Themes in which destinations across Haridwar and Rishikesh can be divided are: Adventure -Water sports, Pilgrimage & Festivals, Nature & Wildlife, Sightseeing, Health and Rejuvenation, Rural Tourism etc. The challenges faced by tourism are the unplanned infrastructure development. There are the poor parking facility and traffic management at major places of the city. There is lack of trained guides. Availability of Potable water at all destinations, Solid waste Management at Destinations, Availability of clean and adequate public convenience facility, Poor rail and air connectivity, Lack of Regulation Mechanism, Seasonality, Environmental Issues.

#### **Review of literature:**

The holistic approach to life is based in a balance between wellbeing in the body, mind and spirit (Smith & Puczkó, 2009). In order to meet the challenging needs of tourists, holistic tourism offers activities that combine therapies and counseling, pathways to spiritual development, creative enhancement and many other routes to the reconciliation of body, mind and spirit (Smith & Kelly, 2006). Few studies tried to verify the prerogative that individuals can seek spiritual fulfillment through tourism (Sharply & Jepson, 2011). Although the concept that tourism is a spiritual journey (Wilson, 2011), the spiritual dimension is included in new forms of tourism, such as wellness (Smith & Kelly, 2006; Steiner & Reisinger, 2006) or holistic tourism (Smith, 2003). Holistic refers to something that emphasizes the whole and the interdependence of its parts. It can be conceptualized as interdisciplinary: the claim that most social and economic phenomena cannot be fully understood or explained without adopting an approach that goes beyond the aims of a single scientific discipline. Walter Hunziker and Kurt Krapf were the first scholars to contribute to this concept in 1942, rejecting the perception of tourism as just an economic phenomenon. Instead, they approached it as a composite, human, and economic phenomenon (Williams 2004). Some years later, another pioneering contribution came from Leiper (1979). He advocates a systems approach as the only way to fully understanding

destinations, generating areas, transit zones, the environment, and tourist flows. Murphy (1985) highlights the need for a more comprehensive and integrated approach to tourism planning at local levels, including the community. Accordingly, if people have to live with the decisions of authorities, they must participate in their formulation and application. Sustainable tourism development can only succeed if the destination is able to supply a product that can be preserved and renewed in its singularity and if the interests of the different stakeholders are considered. One can claim that the concept of sustainable development itself is holistic and multi-sectarian, as suggested by Butler (1999). However, the concept has been used more in theoretical than empirical terms, due to the difficulty of its implementation. Sustainable tourism development requires that researchers continue seeking a broader understanding of tourism and making use of a variety of research tools of quantitative and qualitative nature, which will improve the rigor of the analysis. According to Yeoman, Rebecca, Mars and Wouters (2012), the future has already begun; however, its primary drivers will be wealth, resources, and technology.

Tourism industry enables tourists to enjoy the stay and, on the other, it provides employment opportunities to the people who are directly and indirectly involved in tourism activities (Ramona, 2007 and Tigu, Andreeva and Nica, 2010). This increases their income and hence improves their standard of living in general and their socio-economic condition in particular. Therefore it contributes to the growth of GDP to the host country (Eugenio-Marten et al., 20014 and Novelli and Burns, 2010). Tourism not only is helpful to overcome the serious problems of unemployment but also enables the people who are involved in tourism industry to expand their business and also involves others for the same. This study made by Reeder and Brown (2005) analyzes the effect of leisure activities and tourism development on socio-economic position in rural recreational countries. The finding shows that the development of tourism highly contributes towards the socio-economic welfare of rural people. It also concludes that tourism results in increasing employment and improvement of health and education (Reeder and Brown, 2005). There are a good number of studies which explain and examine the relationship between



development and tourism and also impacts of tourism in terms of employment, income generation and socio-economic development as well as need of infrastructural development for sustainable tourism (Blank et al., 1983; Liberto, 2010; Rivers and Leon, 2005; Yildirim, 2009 and Valerian Dragu and Ema Corodescu, 2010).

**Objectives of the Study:**

The holistic approach to life is based in a balance between wellbeing in the body, mind and spirit (Smith & Puczkó, 2009). In order to meet the challenging needs of tourists, holistic tourism offers activities that combine therapies and counseling, pathways to spiritual development, creative enhancement and many other routes to the reconciliation of body, mind and spirit (Smith & Kelly, 2006).

With the growing importance of tourism and the initiatives taken by government to promote holistic tourism, this paper:

- Estimate the key issues involved in the development of holistic tourism in Haridwar and Rishikesh.
- Examine the positive and negative aspects of holistic tourism development in the cities Haridwar and Rishikesh, Uttarakhand.
- Propound recommendations for the success of the holistic tourism approach at Haridwar and Rishikesh.
- An evaluation of the critical role of holistic tourism in developing tourism in Haridwar and Rishikesh.
- To embellish different novel ideas to improve holistic tourism in Haridwar and Rishikesh of the state Uttarakhand.

**Research Methodology:**

The study uses secondary data for analysis. It has used various annual reports published by the Directorate of tourism, Government of Uttarakhand, Dehradun, for the various years from 1990-2016. Data has also been collected from different tourism offices of Uttarakhand tourism development board particularly Dehradun and Haridwar. The data has been collected from different internet sources related to tourism of Uttarakhand. The researcher has also discussed with the scholars on this topic. Moreover studies aimed at studying and evaluating tourism of Uttarakhand, India and its pros and cons. The tourism is holistic? This research paper attempts to do just that.

A SWOT analysis of Tourism in Haridwar and Rishikesh has been presented below-Strengths:

- Incomparable and impressive blend of plain and mountain environment covering world famous foothill of Himalayas;
- Attendance of singular entry of holy river Ganges at land.
- Base point or origin place for all famous destinations of Uttarakhand.
- Existing range of adventure activities at Rishikesh.
- Strong conservation regulations as applied by Forestry Department have succeeded in curbing encroachment of development into natural areas.
- Maximum numbers of rooms located at Haridwar.
- Transportation facilities are good at Haridwar and Rishikesh.

**Weaknesses:**

- Unplanned infrastructure development;
- Almost all urban environments are very poor quality in terms of overall appearance, pollution/waste management, health/safety, urban design/congestion.
- Limited interpretation of the natural environment
- Little to no awareness of potential and needs of holistic tourism among many operators and Government agencies;
- Little design quality in development of tourism facilities as exemplified at many Government Guest Houses;
- Limited coordination among Government agencies;
- Lack of efficient public transportation;
- Lack of community understanding and participation in tourism in many areas;
- Lack of equitable distribution of benefits to the local communities.

**Opportunities:**

- The blend of many types of tourism at one destination can attract more sustainable tourists.
- Potential future market for luxury second homes / holiday homes.
- Uttarakhand is endowed with more than 550 species of avian fauna and bird watching is a segment that is gaining popularity in the state;
- Adventure Tourism activities like Camping, Trekking, Bungee Jumping etc have a huge potential for the surrounding markets of NCR etc

- Water sports like rafting, kayaking etc have good potential to be expanded to other rivers in the state, since the demand on the existing streams is very high;
- Rural Tourism has great potential to be developed in Haridwar and Rishikesh. Cultural distinctiveness in dress, folklore and local products can promote village development if well presented, interpreted and subject to sensitive commercialization.
- These will also open up employment opportunities for the locals

**Threats:**

- Exceptionally high peaks of Tourist inflows during vacations
- Unorganized Yatra tourists especially at destinations
- Additional traffic and pollution from vehicles lead to serious congestion, pollution and solid waste management issues in towns and villages
- Continued poor maintenance of roads will make accessibility a key constraint for improving quality and numbers of tourists;
- Infrastructure development without any proper planning.

**Holistic Tourism Heed:**

- It necessitates a type of use that maximizes positive impacts on socio-economical and environmental aspects at the destination and on local people.
- It increases the awareness and understanding of benefits of tourism towards community.
- It contributes to the development of sustainable and responsible tourism in positive way.
- It maximizes the early and long term participation of locale people in the decision making process that determines the kind and amount of holistic tourism that should occur.
- It directs economic, environment and other benefits to locale people.

**Holistic Tourism movements:**

Government, scholars, NGOs, tour operators with stakeholders is ideally placed to provide the guidelines which upgrade a normal tourism operation into a holistic tourism operation.

- Boost awareness and interest about holistic approach for tourism, including the desire to be perceived by others as environmentally sensitive.

- Increasing responsible tourism at the destination.
- Spread media exposure to natural areas around the world.
- Build-up the desire to save the destinations or tourist spots.
- Upturn the value of the destination is more important than the religious beliefs and carelessness towards destination.

#### **Probable privileges and outlay of Holistic Tourism:**

The holistic tourism sector suggests that there is an increasing desire to focus on the self rather than the other, and 'existential' rather than 'objective' authenticity (Wang 1999). This represents escapism of a different kind—a paradoxical desire to escape but in order to 'find' one! Numerous factors have precipitated this growth, not least the apparent anomie of postmodern society. The way, in which holistic products are being developed to meet the changing needs of tourists, considering some of the factors that have apparently engendered this development. This will include an analysis of typologies of activities, profiles of consumers and typical motivations. Holistic retreats tend to offer combinations of therapies and counseling, pathways to spiritual development, creative enhancement, and many other routes to the reconciliation of body, mind and spirit.

#### **Probable privileges:**

- Job creation for local residents.
- Development of sustainable and responsible tourism.
- Tourists respect the feelings of locals and obey the dos and don'ts at destinations.
- The positive acculturation can be seen at destinations.

#### **Outlay of Holistic Tourism:**

- Environmental degradation.
- Economic instability and inequity.
- Socio-cultural changes in negative ways can be seen also.
- Loss of some typology of tourism like sex tourism, wine tourism and etc.
- Demonstration effects on locals and stakeholders.

#### **Conundrum of holistic tourism at Haridwar and Rishikesh:**

- The increase of domestic tourism can be hindrance for the inbound tourism.
- Superfluous use of natural areas.
- Impingement of buildings, facilities and roads close to the tourist spots.

- Pollution by waste, garbage, noise, traffic emission.
- Intersectional competition and conflict between locals and stakeholders.
- Displacement of local population.
- Creation of restricted exclusive zones those are off-limits to the locals.
- Loss of business by local enterprises.

**Elucidations for holistic tourism at Haridwar and Rishikesh:**

- Harmonizing the local economy by giving priority to locals.
- Desegregating social, cultural and natural awareness of tourists through interactions with locals.
- Safeguarding cultural values.
- Maintenance of public access to the main attractions.
- Limits to sale of property and land for the constructions.
- Enhancement of public transport infrastructure.
- Setting of ideal carrying capacities on the basis of the image of the destination.
- Ensure effective implementation of the holistic approach for tourism with the essence of responsible and sustainable tourism.
- Strict environmental standards for solid, liquid and gaseous waste emissions.
- Taking the integrity of mountain values and resources into account.

**Auxiliary Recommendations:**

- Pro-poor and responsible tourism activities should be promoted in Haridwar and Rishikesh.
- Destinations could be promoted for soft, adventure, meditation, yoga, wellness, religious and pilgrimage tourism.
- Decent mapping and documentation of the region is required to identify the destinations, their distances, trekking routes, available tourism resources.
- Specialized guides training should be to locale youth in the tourism areas related knowledge.
- Policy level intervention is required to selling of land for unplanned infrastructure development.
- Proper training is required to villagers and stakeholders regarding hospitality services.

- Information pertaining to various spots of Haridwar and Rishikesh should be made available to publicity section of tourism department for publication in various promotional materials.
- The destination needs to be promoted through tie-up with tour operators.
- Control the planning, sitting, design and construction of tourism facilities and infrastructure development.
- Work with governments to promote holistic tourism.
- Respect local code of conducts and visitor management plans in service areas.
- Support local tourism and try to increase pro-poor and community based tourism.

**Discussion on Present Scenario:**

Mahatma Gandhi said, "The Earth has enough for everyone's need, but not for everyone's greed." A range of social and economical benefits have come from tourism. Indeed, tourism boosts the local economy and support the life style of locals. In addition, acculturation can be seen at destinations. Tourists can feel our culture and broaden their horizons. People can keep away themselves from their "humdrum routine" or "hustle and bustle? city life and take a time-out in one of our more quiet corners. Therefore, tourism can be considered a value-added industry in human aspects. On the other hand, tourism has lead to environmental and socio-cultural problems. Critics point to the pollution it creates and the negative effects it can have on rural communities. To raise the competitiveness of our tourism industry, more attractions are developed. Rubbish is produced by these projects, creating solid and non-solid waste. This further degrades our natural environment. If endangered and rare species lose their habitats they will become extinct. The lifestyles of local people are also likely to be affected, especially in rural villages. Tourism has the potential to generate cultural and rural decay.

The number of tourists visiting Haridwar and Rishikesh has consistently increased. But in the year 2013, the State was washed away by devastating floods and landslides that resulted in significant 30% decline in tourist arrivals. In 2014, the State regained its momentum and witnessed 10% growth in total tourist

arrivals. A short snap survey conducted by UNWTO revealed that about 58.2% of the foreign tourist visits were for holiday/sightseeing, 21.9% for health/yoga and about 19.4% for pilgrimage/religious functions. About 59% of the holiday tourists were attracted by scenic beauty, 51.3% by trekking facilities and 52.1% by spiritual centers. The major source markets of Uttarakhand are the United States of America, Israel, Australia, Italy, Germany and Nepal. The most popular destinations for foreign tourists to Uttarakhand are Rishikesh, Haridwar, Gangotri, Uttarkashi, Kedarnath, Badrinath, Auli, Nainital and Gaumukh. For domestic tourists, the main purpose of 44.2% of the tourist visits was pilgrimage/religious while that of 43.6% was holiday/sightseeing. The main sources of attraction for holiday tourists were scenic beauty and trekking even in the case of domestic tourists. The main states of origin of domestic tourists visiting Uttarakhand were Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Gujarat, Rajasthan and Maharashtra in that order. The most popular destinations for domestic tourists are Haridwar, Rishikesh, Nainital, Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Uttarkashi, Mussoorie, Yamunotri, Almora, Ranikhet and Dehradun.

**Conclusion:**

Haridwar and Rishikesh attract thousands of tourists because it has holy river Ganges, beautiful Ghats, mountains, temples and more the very rich history related to yoga and wellness. India is already facing problems relating to environment mainly due to pressure of population and only partly due to tourism. Tourism is always blessings it cannot be blight if it's managed in a good manner with proper planning and policy. There are many positive impacts of the tourism on the host population. Mark Twain said on India: "The one land that all men desire to see and having seen once, by even a glimpse, would not give the glimpse for all the shows of all the rest of the globe combined." Haridwar and Rishikesh are the essential tourism destinations of the state Uttarakhand and it has many potential in flourish as a global holistic tourism destination. A couplet in the Artharvaveda says, "Whatever I take from the earth may that have quick growth again. O Purifier, may we not injure the vitals of thy heart." The Artharvaveda pronounced these words more than five thousand years ago

when Indian culture was being formed in the magnificent forests teeming with wildlife. It is remarkable that people in that age realized that the resources of the earth were not something which could be damaged. Tourism has also two sides of effect on the society and the nation. If we try to establish the sustainable tourism in the state or in the country then definitely its blessings for us but if we don't pay attention on responsible and sustainable tourism then its blight for us. As I have discussed above mass tourism is always harm the destination, society and monetary value of the state or country. Therefore the outcomes of the research paper are initiate holistic, sustainable and responsible tourism in Haridwar and Rishikesh and use it as a catalyst for the development of the state. There is the need to save the environment of the state because the environment plays the vital role in the tourism industry of the state. Haridwar and Rishikesh now provides a great holiday mix for visitors like; Eco tourism, wellness tourism, Religious tourism, Pilgrimage tourism and Adventure tourism will always remain as the prime attraction and will pay the important role in the development of the host and the state and in last will prove itself as a holistic.

**Reference :**

1. Singh, S.P. (1999). International tourism and Sustainable tourism, Anmol Publications, New Delhi.
2. Aggarwal, J. C., Agrawal, S. P., & Gupta, S. S. (Eds.). (1995). Uttarakhand: past, present, and future. New Delhi: Concept Pub. Co
3. Guha, R. (2000). The unquiet woods : Ecological change and peasant resistance in the Himalaya (Expanded ed.). Berkeley, Calif.: University of California Press
4. Mohanty, P. (1992): Hotel Industry and Tourism in India, Ashish Publishing House, 8/81, Punjabi Bagh, Delhi, p.43-45.
5. Kandari, O. P., & Gusain, O. P. (Eds.). (2001). Garhwal Himalaya: Nature, Culture & Society. Srinagar, Garhwal: Transmedia
6. Roday, Sunetra; Biwal, Archana and Joshi Vandana: Tourism Operations and Management. Oxford University Press, 2012.



7. India 2016; Publication Division; Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
8. [http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism\\_in\\_India](http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_India)
9. [www.tourism.gov.in](http://www.tourism.gov.in), accessed on 10thfeb 2017
10. Kant, Amitabh; Branding India
11. Seth, PranNath, Successful tourism. New Delhi: Sterling publishers' pvt. Ltd.
12. Chopra, Ravi; Uttarakhand: Development and ecological society; India, Oxfame (2005)



# इच्छा (Intention) और इच्छापूर्वक क्रिया, द विचारक क्रिया; व/; ; u इच्छापूर्वक क्रिया; oLFkk ea vijk/k o mUkjnkf; Ro ds fu/kkj .k ds I UnHkZ ea

MKK I kE; k ;kno\*

यदि इच्छाओं, विश्वासों, दूरदृष्टि, इरादा या इच्छा (intentions) और इरादतन या ऐच्छिक कार्यों (Intentional actions) के अंतर्सम्बन्धों को समझने के प्रयासों के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाये, तो हम यह पाते हैं कि यह प्रयास अरस्तु की Nicomachean Ethics से आरंभ प्रतीत होता है, जिसमें वे स्वैच्छिक क्रिया (Voluntary action) के विषय में चर्चा करते हैं। जहाँ कुछ दार्शनिक मुख्यतः इसी विषय में रुचि रखते हैं कि ऐच्छिक क्रिया का हेतु विज्ञान या हेतुकी (etiology) क्या है अर्थात् वे मनोवैज्ञानिक घटनाएँ एवं प्रक्रियाएँ कौन सी हैं, जो ऐच्छिक क्रिया या इरादों (intentions) को जन्म देती हैं।

वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विचारक हैं जिनकी रुचि इस विषय में है कि ऐच्छिक क्रिया व इच्छा या इरादा नैतिक और वैधानिक विमर्श में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। इस रुचि का प्रमुख कारण यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य के लिये उसे कितनी प्रशंसा या दण्ड मिलना चाहिये, यह निर्धारित करने से पूर्व उसकी उपरोक्त मानसिक स्थिति व प्रक्रियाओं को समझना अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरण के लिये क्या एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाले कार्य को यह जानकर भी करता है कि इससे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और यदि वह ऐसा अनिच्छापूर्वक करता है, तो क्या वह हत्या के लिये उसी प्रकार का अपराधी माना जायेगा जहाँ एक व्यक्ति ऐच्छिक रूप से जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष की हत्या करता है।

उपरोक्त समस्या या परिस्थिति के विषय में बहुत से विचारकों ने विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किये हैं। इनमें से तीन विचारकों को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुयी है, जिनमें बॉन बटलर, गिलबर्ट हरमन एवं जेरेमी बेंथम के विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बटलर के इस विषय में विचार बटलर द्वारा प्रस्तुत एक उदाहरण

---

\* असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

में देखे जा सकते हैं, जिसे आमतौर पर Butler's Problem के रूप में जाना जाता है, जो कि इस प्रकार है—

"Butler's Problem -If Brown in an ordinary game of dice hopes to throw a six and does so, we do not say that he throw the six intentionally. On the other hand, if Brown puts cartridge into six chambered revolver, spins the chamber as he aims it at smith and pulls the trigger hoping to kill Smith. We would say if he succeeded that he had killed Smith intentionally. How can this be so, since the probablility of the desired result is the same?"

*Bon Butler, 1977:113*

अर्थात् यदि ब्राउन नामक व्यक्ति पासे खेलने के एक साधारण खेल में छः नम्बर लाने के उद्देश्य से पासा फेंकता है, तो हम यह नहीं कहते कि वह अपनी इच्छा से छः अंक लाया है, वहीं दूसरी ओर यदि ब्राउन छः गोलियों वाले रिवाल्वर में मात्र एक गोली डालता है और उसके चैम्बर को धुमा देता है, जिससे उसे यह नहीं पता रहे कि वह गोली कहाँ पर है और स्मिथ की ओर निशाना तानकर उसे मारने की आशा में ट्रिगर दबा देता है और यदि वह उसे मारने में सफल रहता है, तो हम यह कहते हैं कि उसने स्वेच्छा से स्मिथ की हत्या की। परन्तु यह कैसे हो सकता है, जबकि दोनों ही उदाहरणों में इच्छित परिणाम पाने की संभावना समान है।

स्पष्ट है कि उपरोक्त उदाहरण में हम पासे फेंके जाने की परिस्थिति में यह नहीं मानते कि ब्राउन इरादतन छः अंक लाया है। किन्तु गोली मारे जाने की परिस्थिति में हम यह मानने के लिये तत्पर रहते हैं कि ब्राउन ने स्वेच्छा से हत्या की है जबकि उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पासे फेंकने पर छः अंक आने की संभावना और गोली चलाये जाने पर जिस एकमात्र चैम्बर में गोली है, उस चैम्बर से गोली चलने की संभावना समान है तो भी हम ऐसा मानते हैं कि ब्राउन ने जानबूझकर के स्मिथ को गोली मारी है। हमारे ऐसे मानने के पीछे समाज में प्रचलित नैतिक मूल्यों और जनसाधारण में प्रचलित इरादतन किये गये कार्य (intentional action) की अवधारणा का अत्यधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

इसी सन्दर्भ में गिलबर्ट हरमन द्वारा दिया गया उदाहरण जो Harman's Sniper के नाम से जाना जाता है, उल्लेखनीय हैं—

"In firing his gun, a sniper (who is trying to kill a soldier) knowing alerts the enemy to his presence. He does this (i.e.; alerts the enemy) intentionally, thinking that the gain is worth the possible cost. But he certainly does not intend to alert the enemy to his presence."

Herman, Gilbert. (1976) "Practical Reasoning"s Review of Meta-physics 79, (431-63)

अर्थात् जब एक स्नाइपर दुश्मन को मारने के लिये अपनी बन्दूक चलाता है, तब वह यह जानते हुये भी ऐसा करता है कि उसके गोली चलाने से दुश्मन चौंकना हो जायेगा और उसकी उपस्थिति के विषय में जान जायेगा। तब, भी वह गोली चलाता है क्योंकि वह ऐसा मानता है कि गोली चलने से प्राप्त होने वाला लाभ उससे उत्पन्न होने वाली हानि की तुलना में ज्यादा है। किन्तु उसका इरादा दुश्मन को सावधान करना और अपनी उपस्थिति के विषय में चेतावनी देना कभी नहीं होता है।

उपरोक्त उदाहरण में स्नाइपर जो कि अज्ञानतावंश या दुर्घटना वश या संयोगवश दुश्मन को सावधान नहीं करता है। ऐसे में यह कहना तार्किक प्रतीत होता है कि यह सही नहीं होगा यदि हम यह कहें कि उसने दुश्मन को अनजाने में सावधान कर दिया। किन्तु ऐसा कहना भी सही नहीं है कि उसने ऐसा किसी दुश्मन को सावधान करने के लिये किया था। इस परिस्थिति को समझने के लिये एक मध्यम मार्ग उपलब्ध है, जिसे 'Side effect of Actions' का नाम दिया जा सकता है। इस वर्ग में ऐसे कार्यों को रखा जा सकता है जोकि अज्ञानतावश नहीं किये गये हैं। इसलिये उन्हें पूर्णतः Unintentional अनैच्छिक या गैर इरादतन नहीं कहा जा सकता। परन्तु चूँकि व्यक्ति ऐसे परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उन कार्यों को नहीं कर रहा है, इसलिये उन्हें intentional ऐच्छिक कार्य भी नहीं कहा जा सकता। अतः ऐसे कार्यों को हम Non-intentional कह सकते हैं। अर्थात् जिस उद्देश्य से कार्य किया गया था, उस उद्देश्य के परिणाम के अतिरिक्त उत्पन्न होने वाले परिणामों को उस कार्य के 'पकम मॉमिबजे' का नाम दिया जा सकता है।

ऐंलों अमेरिकन व्यवस्था पर आधारित अपराधिक कानून व्यवस्था में अपराध का निर्धारण करते समय intention इरादे या इच्छा को महत्व दिया जाता है। अर्थात् किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य को उस व्यक्ति ने किस उद्देश्य से किया था, यह तत्व उस व्यक्ति द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता का निर्धारण करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरणस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर की गयी हत्या या असावधानीपूर्वक किये गये कार्य के कारण किसी व्यक्ति की अनैच्छिक मृत्यु को इस दण्ड प्रणाली में भिन्न-भिन्न अपराध माना गया है और इसके लिये अलग-अलग सजा का प्रावधान भी है। इस दण्ड प्रणाली में सजा की गंभीरता और अपराधी द्वारा अपराध करने के इरादे की स्पष्टता के बीच सीधा

संबंध देखा जा सकता है अर्थात् यदि व्यक्ति ने हत्या इरादतन या जानबूझकर की है, तो उसके लिये गंभीरतम दण्ड की व्यवस्था है।

आधुनिक संवैधानिक विधि-व्यवस्था में विधि निर्माण का कार्य विधानसभाओं और संसद द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा विधि-निर्माण की प्रक्रिया में किन तत्वों या विचारों को कैसा और कितना महत्व देना है, इसका मार्गदर्शन विभिन्न विचारकों द्वारा किया गया है। अपराधिक विधि निर्माण की प्रक्रिया में विशेषतः अपराध की परिभाषा को निर्धारित करते समय अन्य विचारकों के साथ-साथ बेंथम द्वारा रचित कृति 'An Introduction to the principles of morals and Legislation' विशेष रूप से मार्गदर्शन का कार्य करती है। इस रचना को इसके स्वतंत्र अस्तित्व के उद्देश्य से नहीं लिखा गया था, बल्कि इसे बेंथम द्वारा दण्ड संहिता के प्रस्तावना के रूप में लिखा गया था। इस कृति में बेंथम द्वारा अपराध की गंभीरता के मापन के उद्देश्य से अन्य तत्वों के अतिरिक्त Intention o Intentionality के महत्व को भी विस्तार से लिखा गया है, जिससे हमें एंग्लो-अमेरिकन विधि व्यवस्था में अपराध की परिभाषा व उसके लिये विभिन्न दण्डों के निर्धारण की प्रक्रिया के पीछे कार्यशील तर्क को समझने में सहायता मिलती है। इस व्यवस्था में उमदे तपं (अपराधी मन) की अवधारणा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और किसी भी विधि विरुद्ध कृत्य में इसके होने या न होने, अधिक या कम मात्रा में होने के अनुसार ही अपराध की गंभीरता का मापन और दण्ड की कठोरता का निर्धारण किया जाता है। इस अर्थ में उमदे तपं की अवधारणा एंग्लो अमेरिकन व्यवस्था पर आधारित विधि व्यवस्था में केन्द्रीय भूमिका रखती है और इसके उद्गम व विकास की प्रक्रिया को समझने के लिये बेंथम द्वारा रचित कृति 'An Introduction to the principles of Morals and Legislations 1780' में Intention और Intentionality की अवधारणा को समझना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसकी संक्षिप्त विवेचना इस प्रकार है :-

किसी व्यक्ति के कार्य में पदजमदजपवद ज्ञात करने के दो तरीके हो सकते हैं -

प्रथम: स्वयं उसके कार्य की जाँच करके।

द्वितीय: जिन परिस्थितियों में वह कार्य किया गया है, उनका अध्ययन व निरीक्षण करके।

किसी भी व्यक्ति की intention or will इच्छा या इरादा में दो तत्व साम्मिलित होते हैं, प्रथम-व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।

द्वितीय-उस कार्य से उत्पन्न परिणाम बेंथम के अनुसार किसी व्यक्ति के कार्य में इरादा या इच्छा ज्ञात करने के दो उपाय हैं-

1. स्वयं व्यक्ति के कार्य की जाँच-पड़ताल करके।
2. व्यक्ति के कार्य से उत्पन्न परिणामों का निरीक्षण करके।

यदि निरीक्षण करने के पश्चात् हमें व्यक्ति के कार्यों में intention इच्छा या इरादा दिखायी देता है, तो हम उसके कार्य को intentional एच्छिक या इरादतन कार्य कहेंगे और यदि हमें उसके कार्यों से उत्पन्न परिणामों में intention दिखायी देता है तो हम उसके परिणामों को intentional ऐच्छिक परिणाम कहेंगे और यदि हमें व्यक्ति के कार्य और परिणाम दोनों में intention दिखायी देता है, तब उसके सम्पूर्ण (action) कार्य को intentional कहा जायेगा और उसके सम्पूर्ण कार्य के जिस भाग में चाहे वह कार्य हो या परिणाम— हमें intention नहीं दिखायी देगा, उसे हम un intentional अनैच्छिक या गैर इरादतन कहेंगे।

बिना कार्य के परिणामों पर विचार किये किसी व्यक्ति का कार्य सरलता से intentional एच्छिक हो सकता है और प्रायः ऐसा होता भी है। जैसे—आप किसी व्यक्ति को आहत करने की इच्छा रखे बिना उसे स्पर्श करने की इच्छा को रख सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा उस व्यक्ति को स्पर्श किये जाने पर यह भी संभव है कि वह व्यक्ति आहत हो जाये। तो ऐसी स्थिति में यहाँ व्यक्ति का कार्य intentional एच्छिक कहा जायेगा, परन्तु उसके कार्य के परिणाम Unintentional माने जायेंगे।

ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति के कार्य में हमें कोई इरादा न दिखायी दे अर्थात् उसके सम्पूर्ण कार्य में या उसके कार्य को संपन्न करने के समस्त चरणों में संभव है कि हमें कोई इरादा या इच्छा न दिखायी दे, लेकिन फिर भी व्यक्ति के इस कार्य से उत्पन्न परिणाम ऐच्छिक हो सकते हैं। (यद्यपि यह स्थिति प्रथम स्थिति की अपेक्षाकृत कम ही दिखायी देती है।)

उदाहरणार्थ— आप किसी व्यक्ति को आहत करने की intention या इच्छा/इरादा रखते हैं। इसके लिये आप यह योजना बनाते हैं कि आप उस व्यक्ति के सामने दौड़ते हुये आयेंगे और उसे चोटिल करके घायल कर देंगे। इसी इरादे को रखते हुये आप सामने से दौड़ते हुये आते हैं लेकिन इससे पहले कि आप उस व्यक्ति तक पहुँच पाते एक दूसरा व्यक्ति बीच में आ जाता है और आप उससे टकरा जाते हैं और फिर वह दूसरा व्यक्ति आपके टकराने से सामने वाले व्यक्ति (जिसे आप आहत करना चाहते थे) के ऊपर गिरकर उसे चोट पहुँचा देता है। इस प्रकार व्यक्ति का कार्य कई बार intentional एच्छिक नहीं होता, लेकिन उसके कार्य से उत्पन्न परिणाम intentional एच्छिक हो सकते हैं।

किसी कार्य का परिणाम तब तक एच्छिक नहीं माना जा सकता जब तक कि व्यक्ति ने अपनी इच्छा की प्राप्ति की नीयत से कोई कार्य न किया हो। यदि आप किसी विशिष्ट परिणाम को प्राप्त करने की इच्छा से भविष्य में किसी कार्य

को विशेष प्रकार से करने की इच्छा रखते हैं। किन्तु यदि वर्तमान में आपने कोई ऐसी क्रिया नहीं की है, जिससे वह एच्छिक परिणाम प्राप्त हो सके, तो आपकी एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने की इच्छा को एक इच्छा ही माना जायेगा और यदि किसी मात्र अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को करने से आपको इच्छित परिणाम प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उस कार्य से उत्पन्न परिणाम का संबंध आपसे नहीं जोड़ा जा सकता। और यह नहीं कहा जा सकता कि यह आपका इच्छित कार्य है क्योंकि उस परिस्थिति में आपने केवल एक विशिष्ट इच्छा रखी थी। लेकिन उसे पूर्ण करने के लिये कोई कार्य नहीं किया था।

उदाहरण के लिये हम पूर्व उदाहरण को ही लेते हैं कि हम जिस व्यक्ति को धक्का मारकर गिराने व चोट पहुँचाने की इच्छा रखते हैं और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमने दौड़ना भी आरंभ नहीं किया था, इससे पहले ही कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ दौड़ता हुआ आता है और उस व्यक्ति को धक्का मारकर गिरा देता है। तो इस परिस्थिति में हमने अपना इच्छित परिणाम तो प्राप्त हो गया, परन्तु उस परिणाम को हमारा इच्छित कार्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमने अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिये कोई कार्य नहीं किया था।

द्वितीय इच्छित परिणाम या तो हमारे कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम हो सकता है या फिर उसका अप्रत्यक्ष या असंभावित परिणाम हो सकता है। किसी कार्य का परिणाम प्रत्यक्ष परिणाम उसी परिस्थिति में कहा जा सकता है, जब उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गये कार्य के प्रत्येक चरण को करने का उद्देश्य वही परिणाम उत्पन्न करना हो।

वहीं दूसरी ओर किसी कार्य के किसी परिणाम को अप्रत्यक्ष या संभावित परिणाम तभी कहा जायेगा जब कार्य करने वाले को यह पता हो कि उसके उस विशिष्ट कार्य को करने से ऐसा परिणाम उत्पन्न होने की संभावना है किन्तु उस परिणाम और उसके द्वारा किये गये कार्य के प्रत्येक चरण के समग्र में कोई अन्तर्सम्बन्ध नहीं है, तो ऐसे परिणाम को व्यक्ति के कार्य का अप्रत्यक्ष/दूरस्थ/संभावित समानान्तर परिणाम कहा जायेगा जो कि प्रत्यक्षतः इच्छित परिणाम से अत्यन्त भिन्न है।

किसी भी घटना के प्रत्यक्षतः इच्छित परिणाम को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—प्रथम— वह अन्तिम इच्छित परिणाम था। द्वितीय—वह घटना का अन्तिम इच्छित परिणाम नहीं था बल्कि किसी अन्य उद्देश्य से किये जाने वाले कार्य का तत्कालिक परिणाम था।

किसी भी घटना का अन्तिम इच्छित परिणाम हम उस परिणाम को कहेंगे,

जिसे प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी क्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा किया जाता है और उन चरणों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें करने से मात्र वहीं इच्छित परिणाम उत्पन्न होगा। किसी क्रिया के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने से उत्पन्न परिणाम को प्रत्यक्षतः इच्छित Directly/lineally intentional परिणाम तभी कहा जायेगा, जब उस व्यक्ति ने वह कार्य जिन कारणों या उद्देश्यों से किया हो, उसके साथ उसके कार्य से उत्पन्न परिणाम का कोई तार्किक संबंध स्थापित किया जा सकता हो।

किसी कार्य से उत्पन्न परिणाम को *obliquely intentional* आंशिक/अंशतः या अप्रत्यक्षतः इरादतन या इच्छिक तभी कहा जायेगा यदि भले ही हमें वह परिणाम सोच समझकर प्राप्त किया गया प्रतीत हो अर्थात् भले ही हमें यह लगे कि व्यक्ति को पहले से ही ज्ञात था कि उस कार्य को करने से वह विशिष्ट परिणाम प्राप्त होगा ओर उसने काफी लम्बे समय तक सोच विचार कर वह कार्य किया है। लेकिन यदि हम उस परिणाम को प्राप्त करने का कोई विशेष कारण या तार्किक संबंध उसके उस कार्य के साथ स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो उस कार्य से उत्पन्न परिणाम को अंशतः या अप्रत्यक्षतः *एच्छिक intentional* कहा जायेगा।

तृतीय, एक घटना जिसे हम *directly intentional* प्रत्यक्षतः *एच्छिक* कहते हैं, वह *Ultimately intentional* भी हो सकती है और *mediately intentional* भी। किसी भी घटना को पूर्णतः इच्छित *Ultimately intentional* तब कहा जायेगा जब उस घटना को उत्पन्न करने वाली प्रेरणाओं या कारकों में हमें एक तार्किक संबंध दिखायी देता है, जिसके कारण उस घटना से किसी अन्य परिणाम के उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है, तो उस परिस्थिति में उस घटना या कार्य से उत्पन्न परिणाम को हम उस घटना या कार्य का पूर्णतः अन्तिम इच्छित परिणाम (*ultimately intended consequence*) कहेंगे।

किसी घटना से उत्पन्न परिणाम को *mediately intentional* तत्कालिक या अप्रत्यक्षतः इच्छित परिणाम तब कहा जायेगा जब किसी कार्य से उत्पन्न परिणाम अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं है बल्कि वह किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में किये गये कार्य का एक अंतरिम परिणाम मात्र है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि घटनाक्रम में अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति से किसी कार्य को किया जाता है, जिससे एक तत्कालिक परिणाम उत्पन्न होता है, जिसे प्राप्त करना उस घटना को कारित करने वाले व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य नहीं है, बल्कि वह अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने की एक सीढ़ी मात्र है। अर्थात् यदि उस तत्कालिक परिणाम के कारण *ultimate* अन्ततः इच्छित उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही होती,



तो हम उस तत्कालिक परिणाम उत्पन्न करने वाली घटना या कार्य को संपन्न ही नहीं करते।

उदाहरणार्थ—यदि हम उपरोक्त एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को धक्का दिये जाने के उदाहरण को ही लेते हैं और यह मान लेते हैं कि तीनों व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं और यह भी मान लेते हैं कि तीसरे क्रम में खड़े व्यक्ति का उद्देश्य पहले क्रम एक नम्बर पर खड़े व्यक्ति को हानि पहुँचाना है और वह दूसरे नम्बर पर खड़े व्यक्ति को चोट पहुँचाये बिना एक नम्बर पर खड़े व्यक्ति को धक्का या हानि नहीं पहुँचा सकता, तो इस स्थिति में यदि वह दूसरे नंबर पर खड़े व्यक्ति को धक्का देता है तो यह उसका अंतरिम प्रत्यक्षतः उद्देश्यित कार्य कहा जायेगा जोकि उसके अंतिम प्रत्यक्ष उद्देश्य एक नम्बर पर खड़े व्यक्ति को हानि पहुँचाने को पूरा करने के लिये आवश्यक है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रत्यक्षतः अन्तरिम उद्देश्य प्राप्त करने वाले कार्य की उपयोगिता अन्तिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये है। इसलिये यदि उससे अन्तिम उद्देश्य को पूर्ण करने की संभावना नहीं होती, तो उस कार्य को पूर्ण ही नहीं किया जाता।

चतुर्थ, प्रत्यक्षतः ऐच्छिक घटना या तो विशिष्ट रूप से ऐच्छिक (exclusively intentional) हो सकती है अथवा अविशिष्ट रूप से (inexclusively) विशिष्ट रूप से ऐच्छिक घटना होने से हमारा अर्थ ऐसी घटना या परिस्थिति से है जो किसी विशिष्ट परिणाम को प्राप्त करने की इच्छा का निर्माण करने के लिये अकेले स्वयं में ही पर्याप्त हो। अर्थात् वह घटना अपने आप में इतनी पर्याप्त हो कि उस के कारण किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने वाली इच्छा का निर्माण करने के लिये किसी अन्य घटना या कारक का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़े तब उस घटना को (exclusively directly intentional) विशेष रूप से प्रत्यक्षतः ऐच्छिक परिणाम उत्पन्न करने वाली घटना कहा जायेगा।

वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएँ जो उस अविशिष्ट कार्य को करने की इच्छा के निर्माण में सहायक भूमिका निभाती हैं, उन्हें हम *inexclusively directly intended* घटना कह सकते हैं।

(*Inexclusively intentional*) अविशिष्ट रूप से ऐच्छिक घटना को हम तीन वर्गों में बाँट सकते हैं— *conjunctive, disjunctive, or indiscriminate*.

सम्बद्ध ऐच्छिक घटनाएँ या संयुक्त ऐच्छिक घटनाएँ— किसी घटना को संयुक्त रूप से ऐच्छिक घटना तब कहा जायेगा जब उस घटना का उद्देश्य संभावित दोनों संयुक्त परिणाम उत्पन्न करने का हो।

*Disjunctive* वियोजित/पृथक घटनाएँ—उस घटना को कहा जायेगा जिसका

उद्देश्य दोनों संभावित परिणामों में से किसी एक ही परिणाम उत्पन्न करने का हो किन्तु किसी भी परिस्थिति में दोनों परिणाम उत्पन्न करने का नहीं हो।

Indiscriminate, अव्यवस्थित एच्छिक घटना उस घटना को कहा जायेगा, जिसमें परिणाम पर ध्यान नहीं दिया जाता अर्थात् जिसमें intention इस बात से पूर्णतया संवेदनहीन है कि उस कार्य से कोई विशेष परिणाम उत्पन्न होगा या नहीं या दोनों परिणाम उत्पन्न होंगे अथवा यदि कोई एक परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो कौन सा परिणाम उत्पन्न होगा।

जब दो परस्पर असम्बद्ध घटनाएँ कारित करने की इच्छा होती है। तब उस स्थिति में दो किस्म की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। प्रथम परिस्थिति वह है, जिसमें हम दोनों घटनाओं में से एक घटना को प्राथमिकता देते हैं और चाहते हैं कि दूसरी घटना भले ही घटित हो या न हो, लेकिन पहली घटना या उनमें से कोई भी विशेष घटना अवश्य घटित हो जाये, तो इस स्थिति को हम असम्बद्ध वांछित घटनाओं में प्राथमिकता की स्थिति कहेंगे। दूसरी परिस्थिति वह है, जब हम दो असम्बद्ध वांछित घटनाओं को कारित करना चाहते हैं, किन्तु हम इन दोनों में से किसी एक के कारित होने को प्राथमिक नहीं देते, और यदि दोनों घटनाओं में से कोई भी एक घटना घटित हो जाती है, तो हम अपनी इच्छा को पूर्ण मान लेंगे, तो इस स्थिति को असम्बद्ध वांछित घटनाओं में प्राथमिकता विहीन होने की परिस्थिति कहेंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों को एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है—  
उदाहरणार्थ— इंग्लैण्ड के राजा विलियम द्वितीय जब एक बार शिकार पर गये, तो उन्हें सर वॉल्टर टायरल के द्वारा एक जखम प्राप्त हुआ, जिसके कारण अन्ततः राजा की मृत्यु हो गयी। इस केस को हम उदाहरण स्वरूप लेते हैं और उसकी व्याख्या उपरोक्त परिस्थितियों के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे—

1. प्रथम परिस्थिति वह है जिसमें Tyrel के मन में राजा की मृत्यु के विषय में कोई विचार नहीं था और यदि ऐसा विचार उसके मन में कभी आया भी होगा तो भी उस समय उसके मन में यह विश्वास था कि उसके अपने कार्य से (तीर चलाने से) राजा की मृत्यु होने का कोई खतरा या संभावना नहीं थी। इन दोनों ही परिस्थितियों में टायरल के हाथों राजा के मारे जाने की घटना को पूर्णतः अनैच्छिक (Unintentional) माना जायेगा।
2. टायरल ने हिरन को एक विशिष्ट दिशा में भागते हुये देखा और उसने उसी समय यह भी देखा कि राजा भी उसी दिशा में घुड़सवारी कर रहे हैं। जब टायरल ने हिरन को मारने के लिये निशाना लगाया, तब उसके मन में राजा

को मारने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन उस समय वह यह भी जानता था कि क्योंकि यदि उस समय उसने तीर चलाया तो इस बात की भी संभावना है कि हिरन के स्थानपर राजा की मृत्यु हो जाये। यह जानते हुये भी उसने हिरन को मारने के लिये तीर चलाया, जिससे हिरन के स्थान पर राजा की मृत्यु हो गयी। इस परिस्थिति में राजा को मारने की घटना intentional एच्छक मानी जायेगी। परन्तु इसे अंशतः या अप्रत्यक्ष या आंशिक संभावित एच्छक, घटना (obliquely intentional) माना जायेगा।

3. तीसरी परिस्थिति वह है जिसमें टायरल राजा के प्रति अत्यधिक धृणा का भाव रखता है इसलिये और किसी कारण से नहीं बल्कि उसे नष्ट करने का सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से राजा की हत्या कर देता है। तो इस परिस्थिति में राजा की हत्या की यह घटना पूर्णतः एच्छक (ultimately intentionl) मानी जायेगी। क्योंकि उस घटना या कार्य का उद्देश्य राजा की हत्या करना ही था।
4. चौथी परिस्थिति वह है, जिसमें टायरल राजा के प्रति अपने मन में कोई धृणा का भाव नहीं रखता था, लेकिन वह राजा की हत्या करने के बाद उसे लूटने का इरादा या इच्छा अवश्य रखता था, और इसी इच्छा की पूर्ति के लिये उसने राजा की हत्या कर दी। इस परिस्थिति में राजा की हत्या की घटना प्रत्यक्षतः एच्छक घटना तो मानी जायेगी लेकिन वह Ultimately intentional न होकर के (mediatey intentional) अंतरिम एच्छक घटना मानी जायेगी। चूंकि टायरल था उद्देश्य राजा की हत्या करना नहीं था, बल्कि राजा की हत्या के बाद उसको लूटना था। इस स्थिति में राजा की हत्या की घटना को mediatey intentional अंतरिम एच्छक घटना माना जायेगा।
5. पाचवीं परिस्थिति वह है, जिसमें टायरल का इरादा स्पष्ट रूप से राजा की हत्या करना था। इसके अतिरिक्त उसकी कोई अन्य इच्छा जैसे लूटना, घायल करना या प्रतिशोध लेने की भावना उसमें नहीं थी और न ही उसके मन में उसके प्रति कोई घृणा का भाव था। उसकी एकमात्र, स्पष्ट व सुनिश्चित इच्छा राजा की हत्या करना था। इस परिस्थिति में टायरल के द्वारा किये गये कार्य को प्रत्यक्षतः ओर विशेष रूप से एच्छक माना जायेगा।
6. छठी परिस्थिति वह है जब राजा अपने दायें पैर में चुभे हुये काटे को अपने बायें हाथ से बाहर निकाल रहे थे, उस समय वॉलटर ने राजा के दायें पैर को निशाना बनाकर तीर चलाया। ऐसी स्थिति में वॉलटर का इरादा राजा

के दायें पैर और बायें हाथ दोनों को एक साथ घायल करने का था। इस परिस्थिति में राजा के पैर में तीर चलाने की घटना एच्छिक थी जिसमें एक और उद्देश्य भी सम्बद्ध था' (वह था राजा के हाथ को घायल करना, जो कि वस्तुतः पूर्ण नहीं हो पाया)।

7. यदि टायरल की इच्छा राजा के हाथ या पैर में से किसी एक अंग को घायल करने की थी किन्तु दोनों अंगों को घायल करने की नहीं थी और हाथ या पैर में से भी उसकी प्राथमिकता हाथ को घायल करने की थी तो इस परिस्थिति अर्थात् हाथ और पैर को घायल करने की इच्छा, जिसे हम असम्बद्ध रूप से समानान्तर घटना कारित करने की इच्छा कह सकते हैं, जिसमें उसने हाथ को घायल करने को प्राथमिकता दी। इसलिये उसकी हाथ को घायल करने की इच्छा प्राथमिकता से संचालित किन्तु असम्बद्ध समानान्तर घटना (disjunctively concurrent incident with preference) कही जायेगी।
8. यदि टायरल की इच्छा राजा के हाथ या पैर में से किसी एक अंग को घायल करने की थी। किन्तु दोनों अंगों को घायल करने की नहीं थी और साथ ही हाथ या पैर में से किसी एक विशेष अंग को घायल करने की उसकी प्राथमिकता भी नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में टायरल की इच्छा (intention) को disjunctive व inexclusive प्राथमिकता विहीन। अविशिष्ट व असम्बद्ध कहा जायेगा।
9. यदि टायरल का intention राजा के हाथ या पैर को अथवा दोनों अंगों को घायल करने का था, तो इस परिस्थिति में उसके intention का indiscriminately Concrurent अव्यवस्थित रूप से प्राथमिकता विहीन संयुक्त इच्छा वाला intention कहा जायेगा।
10. ऐसा देखा गया है कि कार्य अपने किसी एक या कुछ अवस्थाओं में अनैच्छिक (Unintentional) रहा हो जबकि वह उस अवस्था या अवस्थाओं से पहले की अवस्था में एच्छिक रहा हो इसी प्रकार से कोई कार्य अपनी कुछ प्रारम्भिक अवस्थाओं में एच्छिक हो सकता है किन्तु बाद की अवस्थाओं में वह अनैच्छिक भी हो सकता है। किन्तु उस कार्य का परिणामों के सन्दर्भ में उस कार्य के प्रारम्भिक चरणों में या बाद के चरणों में कार्य का अनैच्छिक होना पूर्णतः महत्वहीन हो जाता है अर्थात् व्यक्ति के अपने कार्य के प्रत्येक चरण की परिस्थिति को साबित करने वाले सबूत (अर्थात् वह कार्य एच्छिक था या अनैच्छिक) ही अन्त में महत्वपूर्ण रह जाते हैं।

किसी कार्य के जितने अधिक आरम्भिक चरण अनैच्छिक होंगे, उससे यह सिद्ध करने में उतनी ही अधिक सहायता मिलेगी और उतनी ही अधिक इस बात की संभावना रहेगी कि उसके कार्य के अंत के चरण या अवस्थाएँ भी अनैच्छिक थीं। उदाहरणार्थ—एक व्यक्ति जिसका इरादा दूसरे व्यक्ति के गाल पर थप्पड़ मारना है परन्तु उसका वार उस दूसरे व्यक्ति के गाल पर न होकर आँख पर होता है। जिससे दूसरे व्यक्ति की आँख की क्षति होती है। तो इस परिस्थिति में संभवतया पहले व्यक्ति अर्थात् हमलावर के लिये यह साबित करना कठिन होगा कि उसका इरादा दूसरे व्यक्ति की आँख को क्षति पहुँचाने का नहीं था। इसके स्थान पर उसके लिये यह सिद्ध करना अधिक सरल होगा कि उसका इरादा वास्तव में उसको मारने का नहीं था। बल्कि यह सिद्ध करना उसके लिये और भी अधिक सरल होगा कि उसका किसी को भी मारने का इरादा नहीं था।

हम प्रायः लोगों की अच्छी नीयत और बुरी नीयत के विषय में चर्चा करते हुये सुनते हैं। अक्सर किसी व्यक्ति की नीयत के अच्छी और बुरी होने के विषय में बात की जाती है अर्थात् यह एक ऐसी परिस्थिति है, जिस पर साधारण बोलचाल में अत्याधिक महत्व दिया जाता है। यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है, परन्तु और गहराई से समझा जाये तो इसका महत्व अन्तिम विमर्श में अस्पष्ट ही रहता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो किसी भी चीज या बात को स्वयं में अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। जबकि पीड़ा व आनन्द के विषय में हम ऐसा कह सकते हैं अर्थात् पीड़ा व आनन्द ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जो स्वयं में अच्छी या बुरी कही जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों को भी कुछ सीमा तक इस श्रेणी में रखा जा सकता है। किन्तु आमबोलचाल की भाषा में किसी परिस्थिति, घटना या वस्तु को अच्छा या बुरा उसको कारित करने वाले कारणों के आधार पर भी कहा जाता है।

किसी विशेष प्रतिकूल को प्राप्त करने की इच्छा से किये गये कार्य से जो अन्ततः परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसे हम उस कार्य का परिणाम कहते हैं। उस विशेष प्रतिफल या परिणाम को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्ति के मन में जिन कारणों से उत्पन्न होती है, उन कारणों को हम motives प्रेरणाएँ या प्रेरक तत्व कहते हैं।

किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के कार्य को अच्छा या बुरा कहने के दो आधार हो सकते हैं। प्रथम—उस कार्य से किस प्रकार के परिणाम उत्पन्न हुये। द्वितीय— उस कार्य को करने के पीछे व्यक्ति के क्या उद्देश्य व प्रेरणाएँ थी। अर्थात् यदि हम व्यक्ति के किसी कार्य को अच्छा या बुरा कह रहे हैं, तो इसलिये

कि उसके उस कार्य से कोई अच्छा या बुरा परिणाम उत्पन्न हुआ अथवा उस कार्य को करने के पीछे व्यक्ति का उद्देश्य या प्रेरणाएँ अच्छी या बुरी थी। किन्तु परिणाम का अच्छा या बुरा होना परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और परिस्थितियों पर व्यक्ति की इच्छा या इरादे (intention) का नियंत्रण नहीं होता है। एक व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करने की इच्छा रखता है और अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिये वह कोई न कोई कार्य करता है। किन्तु परिस्थितियों को वह अपनी इच्छा से नियंत्रित न ही कर सकता है। नहीं वह परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है।

यदि आकस्मिक रूप से व्यक्ति कुछ परिस्थितियों के निर्माण का एक कारक रहा है। तब वह अपनी पिछली इच्छाओं से प्रेरित होकर उन परिस्थितियों के निर्माण में अपनी सीमित भूमिका निभा रहा था। अपनी पिछली इच्छाओं से प्रेरित होकर उसने कुछ ऐसे कार्य किये थे, जिसके परिणामस्वरूप वह परिस्थिति उत्पन्न हुयी, जिसमें वह आज स्वयं को पाता है। कोई भी कार्य व उसके परिणाम व्यक्ति की इच्छा से संचालित होते हैं। बल्कि वे मात्र उसकी इच्छा से ही नहीं, अपितु उसकी समझ व इच्छा दोनों से संचालित होते हैं। किन्तु परिस्थितियाँ व मनुष्य के संबंध को निर्धारित करने में मनुष्य की समझ की ही एकमात्र भूमिका होती है। उसकी इच्छा की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति का क्या अर्थ लगाता है या उसे किस प्रकार देखता है यह पूर्णतया उसकी समझ पर निर्भर करता है। वह अपनी इच्छा से उस परिस्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता। परिस्थितियों के सन्दर्भ में व्यक्ति मात्र इतना ही कर सकता है कि वह उन परिस्थितियों के सभी पक्षों को जान सकता है अथवा नहीं जान सकता है।

### **fu"d"kl %**

आधुनिक भारत की विधि-व्यवस्था अंग्रेजी विधि-व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें आधुनिकता का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गुण समान सार्वभौमिक मापदण्ड को महत्व दिया जाता है अर्थात् वैधानिक व्यवस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगी। किन्तु बहुत सी समान प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में बहुत से तत्वों के आधार पर अन्तर किया जाता है, इनमें से किसी कार्य को करने की इच्छा या अनिच्छा (intention) एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व है। अपराधिक विधि में इसकी अभिव्यक्ति mens rea के रूप में होती है। संविदा संबंधी कानून में इसकी अभिव्यक्ति Free will या स्वतंत्र इच्छा के रूप में होती है। उपरोक्त वाणिज्य mens rea या free will, इच्छा या इरादे (intention) के कम या अधिक होने अथवा होने या न होने के आधार पर ही अपराधिक विधि व्यवस्था में अपराधी के अपराध की गंभीरता

कम व अधिक आँकी जाती है और संविदात्मक विधि—व्यवस्था में free will के होने या न होने का असर संविदा की वैधता या अवैधता को निर्धारित करता है। इस सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखने पर बैथम के intentionality संबंधी विचारों का महत्व अधिक बढ़ जाता है और बैथम द्वारा किया गया सूक्ष्म विश्लेषण इस intention संबंधी अवधारणा के विभिन्न पक्षों को अद्वितीय रूप से स्पष्ट स्वरूप में प्रस्तुत करता है।

#### References :

1. Bentham, J. 1789, 'An Introduction to the Principles of Morals and legislations', J.Burns and H.L.A. Hart (eds). Oxford: Oxford University Press, 1970, First Published in 1789.
2. Nadel offer III, Thomas Allen: 'Intentions and Intentional Actions in Ordinary Language and the Criminal Law', 2005, Electronic thesis, Treatises and Dissertations, The Graduate School, Florida State University, Digital Library.
3. Mele & Moser -'Intentional Action', *Nous* 28:1 (1994) 39-68.
4. Herman, Gilbert, (1976), "Practical Reasoning", *Review of Metaphysics* 79, 431-63.
5. Pitcher , G. 1970, "In Intending and Side Effects". *The Journal of philosophy*, 67: 659-668.
6. Ross, D. 1978, "He loads the Gun, not the Dice," *Analysis* 38:114-115.
7. Stiffler, E. 1982, "Lowe on Intentionality", *the Philosophical Quarterly* Vol. 32, No. 126:70-73.



## हकीमत; इतिहास=द 0; oLFk ea l qkl u dh I eL; k , oa l ek/kku % , d l ekt'kkL=h; fo'yšk.k

MKD i# "kkLke yky fot; \*

सुशासन की मूल संकल्पना यानी शत-प्रतिशत लोकहित को समर्पित और लोगों के साथ अपनत्व का भाव पैदा करने वाली जो भी राज्य व्यवस्था होगी वह सुशासन की श्रेणी में आएगी। सामान्यतः यह अंग्रेजी के 'गुड गवर्नेस' शब्द के हिन्दी रूपांतरण के रूप में प्रयुक्त होता है। यह शब्द वर्तमान लोकतंत्र के साथ अभिन्न है। हम जिस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं वह अंग्रेजी के 'डेमोक्रेसी' शब्द का हिंदी रूपांतर है और इसका उद्भव भी पश्चिम के देश है, इसलिए हम इस लोकतंत्र के साथ उनसे जुड़े दूसरे शब्द भी उसी अनुरूप लेते हैं। इस समय सुशासन की ज्यादातर अवधारणाएं और विचार विश्व के पश्चिमी विकसित देशों को आदर्श बनाकर पेश करती हैं। उनका राजनीतिक ढाँचा, आर्थिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उनका व्यवहार, उनके मानवाधिकार, उनकी न्याय प्रणाली, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य ढाँचे आदि सुशासन के आदर्श हैं जिनका अनुकरण करके हमें भी अपने देश या राज्य को उसी तरह बनाना है। ऐसा करने में हम जितने सफल होंगे, सुशासन के मापदंड पर भी हम उतने सफल माने जायेंगे। आज का सच यही है कि पूरी दुनिया के लिए सुशासन के उपर्युक्त मॉडल स्वीकृत है और ज्यादातर देश उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सुशासन की कल्पना दी है यानि-लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों, बच्चों, वृद्धों और महिलाओं की संरक्षा, मानवाधिकार, श्रम के नियम, व्यापार के नियम, न्यायप्रणाली आदि सारे मॉडल उन देशों द्वारा ही तैयार किए गए हैं। यूनान के दार्शनिक प्लेटों ने अपने आदर्श राज्य, राजा, न्याय व्यवस्था आदि का विस्तृत वर्णन किया है।

अरस्तू के चिंतन में राज्य, संविधान, कानून, शासक, नागरिक आदि का उस समय के संदर्भ में विशद वर्णन है। अरस्तू की कुछ पंक्तियों पर नजर दौड़ाए तो- "राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्म निर्भर जीवन की प्राप्ति है।" राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है।" राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है अतः

\* असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, गंगापुर परिसर, वाराणसी।



इसका कार्य बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं वरन् मानव को नैतिकता और सदगुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। हम कह सकते हैं कि अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर में राज्य राजा, प्रजा अधिकारी सबके कर्तव्य का जो वर्णन है वही वस्तुतः सुशासन है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सुशासन के दस निर्देशक तत्व प्राप्त होते हैं। कौटिल्य के अनुसार 'राजा राज्य का सेवक है जिसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती।' वे कहते हैं— 'राजा का दिल ही प्रजा का शील है। राजा या राज्य के अधिकारी जैसे होंगे प्रजा भी वैसी ही होगी।' इसलिए वे राजा की योग्यता से लेकर अधिकारियों की नियुक्ति तक का विस्तृत मापदण्ड पेश करते हैं। इन सबका उद्देश्य राज्य को न्यायपालन एवम् सर्वकल्याणकारी बनाना है यही ही तो सुशासन है।

भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकार करते हुए सत्यमेव जयते शब्द यों ही नहीं अपनाया। उसके पीछे की कल्पना वही थी कि राज्य यानी शासन हमेशा सत्य के अनुपालन और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए ही काम करती रहेगी। स्वतंत्रता के बाद जिनके हाथों भारत के पुनर्निर्माण का अवसर आया उनसे हमारी आपकी कई मामलों में असहमति हो सकती है पर वे भारतीय परम्परा में राज्य की, शासन की क्या भूमिका होनी चाहिए और सुशासन क्या होगा इसे अच्छी तरह से समझते थे।

मानव इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में सुशासन के प्रमाण मिलते रहे हैं। यदि भारतीय संदर्भ में देखें तो इसके इतिहास में मौर्य प्रशासन, हर्ष व मुगल प्रशासन सुशासन के अच्छे उदाहरण माने जा सकते हैं। एडेरियन लेटविक रेखांकित करते हैं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट 'राज्य से बाजार तक' में 1989 में सर्वप्रथम 'सुशासन' शब्द का प्रयोग किया गया था। विश्व बैंक द्वारा एशिया व अफ्रीका के विकासशील देशों को प्रदान किए गए विकास ऋणों के उपयुक्त ढंग से प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु 'सुशासन' को एक शर्त के रूप में रखा गया। इस रिपोर्ट में सुशासन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपयुक्त प्रबन्धन, नया विधिक ढाँचा, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता व सूचना के अधिकार जैसे सुधार को अमल में लाने पर बल दिया गया था। विश्व बैंक ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट 'विकास और अभिशासन 1992' में सुशासन के निम्न तत्वों का उल्लेख किया— शासन का अधिाक लोकतांत्रिक स्वरूप, मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयुक्त दोहन तथा विकासोन्मुख व दीर्घकालिक नीति— निर्माण व क्रियान्वयन हेतु सक्षमताओं का निर्माण इत्यादि।

सुशासन के द्वारा लोक प्रशासन में कुछ नये तत्वों का समावेशन किया गया है ताकि प्रशासन समाज के लिए अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके। मनीला अभिघोषणा 1999 ने सुशासन हेतु अग्रलिखित तत्वों की पहचान की है –

- ◆ सहभागिता
- ◆ पारदर्शिता
- ◆ समता
- ◆ सहनशीलता
- ◆ सेवानुखता
- ◆ विधि का शासन
- ◆ सतत विकास व विनियामक अभिशासन इत्यादि।

सार के रूप में सुशासन के आठ मुख्य तत्व माने जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं –

सहभागिता, आम सहमति, उन्मुखी, समावेशी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी व सक्षम अनुक्रियात्मक और विधि का शासन आदि। इस प्रकार सुशासन के लिए कुछ ऐसे मार्गदर्शक गुणों का विकास किया गया है जिसके द्वारा प्रशासन को अधिक सजग व संवेदनशील बनाया जा सके।

मैं राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार को सुशासन की प्रमुख चुनौतियों के रूप में संदर्भित करना चाहूंगी— राजनीति प्रक्रिया का अपराधीकरण और नेताओं, लोकसेवकों और व्यापारिक घरानों के बीच की सांठ-गांठ का शासन और लोकनीतियों के कार्यान्वयन पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। राजनीतिक जमात तो अपना आदर ही खो रही है।

भारत में उच्च स्तर का भ्रष्टाचार शासन की गुणवत्ता को बढ़ाने में बड़ी रूकावट साबित हो रहा है। जहाँ मानवीय लालच स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, वही आधारभूत कारक और भ्रष्ट व्यक्ति को सजा देने की लचर प्रणाली से देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।

सामाजिक समरसता में धर्म और संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती है। धर्म की शांत और सहनशील प्रवृत्ति और बहुलवादी सांस्कृतिक मूल्य सुशासन के मूलभूत आधार है। बावजूद इसके धर्म और लोकतंत्र में कोई विभिन्न सम्बन्ध नहीं है। लोकतंत्र किसी धर्म का नहीं होता। भारतीय लोकतंत्र स्वाधीनता आंदोलन की देन है जो बहुलवादी मूल्यों और विभिन्न विश्वास और जातीय पृष्ठभूमि के लोगों के साथ समान व्यवहार को प्राथमिकता देता है। इसकी गारंटी संविधान देता है न्यायपालिका इसे संरक्षित रखती है और इसी मूल्य प्रणाली में नेतृत्व का विश्वास भी है।

भारतीय लोकतंत्र शासन की संरचना के केन्द्र में है। यह अवसर का सृजन करता है, नेतृत्व को ताकत देता है और आशा का संचार करता है। भारत की राष्ट्रीय मूल्य प्रणाली के बड़े विचलनों ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली के साथ-साथ लोकसेवा के बौद्धिक ढाँचे पुलिस और न्यायपालिका पर भी अपना प्रभाव डाला है। इस बात से हम सभी सहमत हैं कि सुशासन न सिर्फ अच्छी नीतियों पर निर्भर है बल्कि प्रविधि और अच्छी नीतियों की संरचना और विश्वास क्रियान्वयन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्धिजीवी के साथ-साथ प्रशासक भी इस बात से सहमत हैं कि निर्णय लेने में सार्वजनिक क्षेत्रों के क्षमता निर्माण और कानून का शासन में लोक समाज की भागीदारी से सेवाओं का निष्पादन गुणवत्तापूर्ण और सही समय पर सुनिश्चित किया जा सकता है।

देश में सुशासन की अवधारणा और क्रियान्वयन इस बात की मांग करता है कि एक ऐसी रचनात्मक यांत्रिकी और प्रविधि हो जो एक दूसरे की क्षमताओं के क्षतिपूर्क के रूप में तीन प्रमुख कारकों को सशक्त बनाए। ये कारक हैं – सरकार, बाजार और लोक समाज/केन्द्र और राज्यों के सभी शासन के कार्यों में स्पष्ट रूप से बड़े हित समूहों का खुलासा हुआ है जिसकी यथास्थिति बनाए रखने में रुचि है। यह सरकार के बदलाव के प्रभावी कारक और सामाजिक न्याय के रास्ते में आड़े आता है।

सामाजिक व्यवस्था में बाजार एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सच यह है कि बाजार के सिद्धान्तों को समाज और राजनीति में शामिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जाहिर है, कोई भी लोकतांत्रिक सरकार बाजार को अनियंत्रित और नियमनों से मुक्त नहीं छोड़ सकती। ऐतिहासिक असमानताओं की वजह से गरीब, गरीब ही है। ऐसा राज्य द्वारा उन्हें सशक्त करने में असक्षम रहने और उन्हें उनका देय नहीं मिल पाने के कारण भी है। लोकतांत्रिक शासन की मांग है कि राज्य लंबे समय तक सिर्फ समाज के सम्पन्न और संगठित क्षेत्रों की जरूरतें ही पूरी न करें और दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की असंगठित और गरीब होने के कारण उपेक्षा न करे। शासन में बहुक्षेत्रीय दृष्टि जो बढ़ोत्तरी में सहायक है उसके साथ-साथ समदृष्टि से ही सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। गैर-सरकारी संगठन, स्वसहायता समूह महिला समूह, कानूनी सहायता संगठन और अन्य कई नागरिक समाज के तत्व इसमें प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक उसी तरह, जैसे सरकार बाजार को नियंत्रित करती हो, ताकि इसके दुरुपयोग का असर समाज पर न पड़े, नागरिक समाज की भूमिका यह सुनिश्चित करने में है कि सरकार न सिर्फ नागरिकों के प्रति जवाबदेह और

उत्तरदायी हो, बल्कि यह सामाजिक न्याय की गारंटी देने के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह भी करें।

यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है कि राष्ट्रीय और कई राज्य सरकारों के दृढ़निश्चय की वजह से आर्थिक पिरामिड के निचले हिस्से पर एक सुरक्षा जाल तैयार हुआ है। परमिट, कोटा, लाइसेंस राज के पश्चात् के दिनों में मध्यम वर्ग आर्थिक प्रयासों से खासा लाभान्वित हुआ है।

लोकतंत्र की गुणवत्ता और कार्यपालिका और न्यायपालिका से जुड़े लोकसेवकों की क्षमता और प्रतिबद्धता ही देश के प्रदर्शन के तीन प्रमुख क्षेत्रों सशक्तीकरण रोजगार और सेवाओं के प्रभावी निष्पादन को निर्धारित करेगी। विकास की रतार बढ़ाने में गैर सरकारी संस्थाएँ, गिल्ड, विश्वासी संगठन जैसे नागरिक समाज सभी जरूरी हैं। लोगों की भागीदारी के बगैर उनके प्रतिनिधित्व के बगैर कोई भी कार्यक्रम सिर्फ यांत्रिक रूप से ही संचालित किया जा सकता है। आज हमें खासकर दो क्षेत्रों— महिला और जीवनोपयोगी कार्यक्रमों में आविष्कारों की जरूरत है। महिलाएँ सुशासन की कुंजी हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनके बढ़ते प्रतिनिधित्व से भारतीय राजनीति को स्थायित्व मिला है। महिलाएँ मेज पर रचनात्मक, क्रियात्मक और संपोषित समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं। आर्थिक कार्यक्रमों में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं में हमें परिणाम देने वाले, शिक्षाप्रद और संभालने योग्य नेतृत्व मिल सकते हैं। दूसरा आशय जीवन—यापन है। जीवन—यापन का मतलब फैक्ट्री में की जाने वाली नौकरी नहीं है। इसे सामाजिक—आर्थिक और स्थानीय संसाधनों से भी जोड़ा जाना चाहिए। इसका मतलब उन पारंपरिक क्षमताओं के उन्नयन से भी है, जो अनंतकाल से लोगों ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कपड़ा उद्योग आदि से हासिल किया है। ऐसे कौशल के उन्नयन से निवेश से प्रकृति के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने में भी मदद मिलेगी।

भारत में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में शासन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार की जरूरत को रेखांकित किया गया ताकि समावेशी विकास, गरीबी में कमी और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विसंगतियों को कम करने के लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ा जा सके। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विभिन्न स्तरों पर निष्पक्षता के साथ निर्वाचित सरकारों के गठन के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करना भी सुशासन की अनिवार्य शर्त है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सुशासन के लिए निर्धारित की गई रणनीति में निम्नलिखित बातें शामिल थी :

1. पंचायती राज संस्थाओं का विकेन्द्रीकरण व सुदृढीकरण।

2. केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर कमियां दूर करना और इसमें ढाँचागत सुधार लाना।
3. जिला स्तर पर नियोजन को बढ़ावा देना।
4. सामुदायिक व स्वैच्छिक संगठनों के बीच भागीदारी व परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना।
5. धन या संसाधन लगाने पर जोर देने के बजाए लगाए जाने वाले धन के उपयोग एवम् अंततः उपलब्धियों पर ध्यान देना।
6. निगरानी व मूल्यांकन तंत्र का सुदृढीकरण।
7. बेहतर नागरिक सुविधाओं को सुलभ करवाने के लिए ई-शासन को बढ़ावा देना।
8. भ्रष्टाचार दूर करने के कदम।
9. नागरिकों की सेवा की दृष्टि से नौकर शाही में वांछित सुधार।
10. नियामक एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना व उनकी स्वायत्तता को बढ़ावा देना।
11. पुलिस व न्यायपालिका में सुधार कर विधि के शासन को सुनिश्चित करना।  
ग्यारहवीं योजना के क्रियान्वयन के दौरान इनमें से कुछ के अमल की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई परन्तु कुछ में खास प्रगति नहीं हुई। इसमें संदेह नहीं है कि राशन कार्ड बनाने, निवास प्रमाण पत्र हासिल करने, भूमि का पट्टा हासिल करने व पासपोर्ट बनवाने जैसे कामों में लोगों को अड़चनों व भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता रहा है। यह महसूस किया गया है कि ई-शासन के तहत कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से लोगों को कठिनाइयों से बचाया जा सकता है और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएँ दी जा सकती हैं। इन सेवाओं को सुलभ करवाने की समय-सीमा निर्धारित करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के कानूनी उपाय भी जरूरी समझे गये हैं। इनमें से कुछ मामलों में अच्छी प्रगति हुई है। कुछ अन्य सेवाओं को भी इसी दायरों में लाकर सुशासन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

ग्यारहवीं योजना पर अमल के दौरान सुशासन की दिशा में एक कदम के रूप में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए 15 पहलुओं के बारे में की गई सिफारिशों को शामिल किया जा सकता है ये सिफारिशें :-

- ◆ सूचना के अधिकार
- ◆ शासन में नैतिकता
- ◆ ई-शासन

- ◆ मानव-पूँजी को अवमुक्त करने
- ◆ आपदा-प्रबंधन
- ◆ आम व्यवस्था
- ◆ स्थानीय शासन
- ◆ आतंकवाद से निबटने
- ◆ टकरावों से निबटने की क्षमता पैदा करने
- ◆ नागरिक केन्द्रित प्रशासन
- ◆ भारत सरकार के प्रशासनिक ढाँचे
- ◆ वित्तीय प्रबन्धन
- ◆ राज्यों व जिलों के प्रशासन के क्षेत्र में सुधार के बारे में है।

सरकार व इसके विभिन्न मंत्रालय इन सुधारों पर धीरे-धीरे अमल आरम्भ कर प्रशासनिक सुधार कर सुशासन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इससे आम नागरिक के प्रति सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

भले ही इन्सान प्रौद्योगिकियाँ ईजाद करता है और इस्तेमाल करता है, परन्तु यह एक सीमा तक व्यक्ति निरपेक्ष होती है। इस दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। इसके इस्तेमाल से प्रशासन के अनेक क्षेत्रों में पारदर्शिता और दक्षता लाना संभव हुआ है और भ्रष्टाचार की संभावनाओं में कमी आई है। सूचना के अधिकार के बढ़ते उपयोग ने सरकारी महकमों को चौकन्ना कर दिया है और भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया है। इस क्षेत्र में सक्रिय जनसंगठनों और मीडिया की भूमिका ने सूचना के अधिकार को धारदार बनाया है। न्याय पालिका ने भी इस कानून के तहत सूचना देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं न्यायाधीशों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों के बारे में सार्वजनिक रूप से ब्यौरे भी दिए गये हैं इससे पारदर्शिता और सुशासन के बारे में नए मानदण्ड स्थापित करने में मदद मिली है।

सुशासन के विचार पर बल देने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भ्रष्टाचार या कुप्रशासन के उन्मूलन और सुशासन के उद्देश्यों को जोड़ने के प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लाने के लिए पैक्ट (प्रोग्राम फार एकाउंटिबिलिटी एंड ट्रांसपैरेंसी) नामक कार्यक्रम चलाया। सुशासन की महत्ता पर इससे ज्यादा क्या कहा जाए कि इस स्थान पर पहले कभी ऐसी कोई अवधारणा नहीं पहुंची जिसे विकसित, विकासशील व अल्पविकसित देशों समेत समस्त विश्व में इतनी अधिक स्वीकृति प्राप्त हों।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक स्तरों पर निबटने की आवश्यकता है। जहाँ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर दक्षता और पारदर्शिता लाने की जरूरत है वहीं प्रशासनिक स्तर पर सुधार कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने, फैसले लेने में तेजी और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दरकार है। राजनीतिक स्तर पर भी इच्छाशक्ति व संकल्प की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर स्वीकार न किया जाय तथा दोषियों को दण्डित किया जाय। भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन और शीघ्र न्याय को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2012 की रिपोर्ट में सबसे बेहतर माने गए देशों—डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड में भी भ्रष्टाचार सूचकांक 90 के स्तर पर है। इसके बाद जिन देशों—स्वीडन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड आदि का स्थान है वे भी 88,87 व 86 के सूचकांक पर है। स्पष्ट है कि इन देशों में भी किसी सीमा तक भ्रष्टाचार की समस्या है। परन्तु यह तथ्य भारत के लिए कत्तई संतोष की बात नहीं हो सकती है। भारत को भ्रष्टाचार की गर्त से निकालना होगा। जिसके लिए सरकार, प्रशासन, नौकरशाही के तौर—तरीकों में सुधार करना होगा तभी हम भारत को सुशासन वाले देश के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए दृढसंकल्प के साथ सतत् प्रयास करना होगा।

#### I UnkZ xJfK I ph %

1. अग्रवाल, जी0के0 एण्ड पाण्डेय, एस0एस0: ग्रामीण समाजशास्त्र एस0वी0पी0डी0 पब्लिशिंग हाऊस आगरा 2011.
2. फाड़िया, बी0एल0 : लोक प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, 2002
3. अवस्थी एवं अवस्थी : भारतीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2005.
4. शर्मा, एम0पी0 और सडाना, बी0एल0 : लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, किताब महल एजेन्सीज इलाहाबाद 2004
5. योजना, 'सुशासन' प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, जनवरी 2013
6. पाण्डेय, एस0एस0 : समाजशास्त्र, टाटा मैकग्राहिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली 2010
7. ओझा, एन0एन0 : भारत की सामाजिक समस्याएँ, क्रानिकल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.



## **A STUDY OF CUSTOMERS' SATISFACTION ON BANKING SERVICES OF SBI AND ICICI BANK**

**Dr. Reeta\***

### **Abstract :**

Banking industry plays a significant role in the economic development of a country but it is facing huge challenges due to increased competition, technological developments, changing customers' needs and policies of government. In this competitive and fast changing era, it becomes essential for a bank to satisfy the needs of the customers. Satisfying customers is the key to keep them for a longer period. Banks need to frame policies and strategies for satisfying and retaining customers by their banking services. The cost of making new customers is high than the cost of retaining customers. The banks are spending a lot of time and energy to frame policies about customer satisfaction. The study has been conducted to compare the customers' satisfaction on banking services of SBI i.e., Public Sector Bank and ICICI bank i.e., Private Sector Bank. The study will provide information about the differences in satisfaction level of customers of both the banks about banking services and it will be helpful for framing new policies relating to the banking services which is preferred by the customers. The study has included two banks i.e., SBI and ICICI bank in Varanasi city area.

**Keywords:** Customer, Customer Satisfaction, banking services, SBI, ICICI bank

### **Introduction :**

The origins of State Bank of India date back to 1806 when the Bank of Calcutta (later called the Bank of Bengal) was established. In 1921, the Bank of Bengal and two other banks (Bank of Madras and Bank of Bombay) were amalgamated to form the Imperial Bank of India. In 1955, the Reserve Bank of India acquired the controlling interests of the Imperial Bank of India and SBI was created by an act of Parliament to succeed

---

\* Assistant Professor, Department of Commerce, MGKVP, Gangapur Campus, Varanasi.



the Imperial Bank of India. The SBI group consists of SBI and five associate banks. The group has an extensive network, with over 20000 plus branches in India and another 186 offices in 34 countries across the world. The group commands over 23% share of the domestic Indian banking market. it provide wide ranging services, which include life insurance, merchant banking, mutual funds, credit cards, factoring services, security trading and primary dealership, making the SBI Group a truly large financial supermarket and India's financial icon.

ICICI bank is India's second-largest bank with total assets of about Rs.1,67,659 crore at March 31, 2005 and profit after tax of Rs. 2,005 crore for the year ended March 31, 2005. ICICI bank has a network of about 560 branches and extension counters and over 1,900 ATMs. ICICI bank offers a wide range of banking products and financial services to corporate and retail customers through a variety of delivery channels and through its specialized subsidiaries and affiliates in the areas of investment banking, life and non-life insurance, venture capital and asset management.

**Research Methodology :**

**Objective:**

- ♦ To examine the customers' view on bank's services which strikes first to the mind
- ♦ To study the customers' perception on availability of banking services
- ♦ To examine the customers' opinion on safety for valuable money by investing in banking services

**Data Collection:**

The data has been collected through primary sources. The primary data has been collected through a structured questionnaire.

**Sampling Area:**

The study has been conducted in Varanasi city area.

**Data Collection Instrument :**

The data has been collected through a structured questionnaire. The customers have been asked to describe their satisfaction level on five point scale from strongly disagree to strongly agree.

**Limitation of the Study :**

The study is mainly based on primary data collected by researcher and as such limitations of primary data essentially creeps in.

- ♦ This study covers only Varanasi City area.
- ♦ This study takes only two banks namely SBI and ICICI bank, which one from public sector and second from private sector respectively.
- ♦ The study is based on the perceptions on banking services of both the bank.
- ♦ Accuracy of the study is respectfully based on the information as given by the respondents.

**Table: 1****Customers' view on bank's services which strikes first to the customers' mind**

Services	Banks						
	SBI			ICICI			
	Number of Respondents	Percent	Rank	Number of Respondents	Percent	Rank	
Personalised services	-	-		-	-		
Wide branch network	56	11.2	2	32	6.4	3	
Customer services	377	75.4	1	400	80.0	1	
Computerised services	42	8.4	3	38	7.6	2	
Core (central) banking	25	5.0	4	30	6.0	4	
Total	500	100.00		500	100.00		
$\chi^2 = 7.88,$						$d.f. = 3,$	$P < 0.05$

Source: Primary Data

The above table revealed that 377 respondents (75.4 percent) of SBI argued that customer service first comes whenever they think about their bank but in case ICICI bank is concerned it is 400 respondents (80.0 percent). The second position is wider branch network in case SBI bank consists of 56 respondents (11.2 percent) but in case of ICICI bank it is 32 respondents (6.4 percent). Computerised service is the third position consists of 42 respondents (8.4 percent) in SBI and in case of ICICI bank it is 38 respondents (7.6 percent). Core banking is fourth place in case of SBI is concerned it consists of 25 respondents (5.0 percent) and in case of ICICI bank is concerned it consists of 30 respondents (6.0 percent). Statistically, the difference in proportion of view regarding bank's services

which strikes first by the customers of both the banks in SBI and ICICI is found significant. Therefore, this test rejects the null hypothesis. It is hereby inferred that in case first thought by the customer about the bank is customer service. The other ranks are varied on the basis of their preference. Therefore, it is appreciated that both the banks are performing their customer's services perfectly and they must also pay attention in other areas also.

**Table: 2**  
**Customers' perception on availability of banking services**

View	Banks						
	SBI			ICICI			
	Number of Respondents	Percent	Rank	Number of Respondents	Percent	Rank	
Strongly Disagree	7	1.4	4	13	2.6	4	
Disagree	13	2.6	3	17	3.4	3	
Can't Say	4	0.8	5	11	2.2	5	
Agree	290	58.0	1	396	79.2	1	
Strongly Agree	186	37.2	2	63	12.6	2	
Total	500	100.0		500	100.0		
$\chi^2 = 82.74,$						$d.f. = 4,$	$P < 0.001$

Source: Primary Data

The above table depicts the banking services of both the banks. The maximum numbers of customer are agreeing with availability of the banking services in case of ICICI bank consists of 396 respondents (79.2 percent) but in case of SBI consists of 290 respondent (58.0 percent). The second level is strongly agreeing consists of 186 respondents (37.2 percent) in case of SBI but 63 respondents (12.6 percent) in case of ICICI bank. The third level is disagreeing consists of 17 respondents (3.4 percent) in case of ICICI bank whereas 13 respondents (2.6 percent) in case of SBI. The fourth level is strongly disagreeing consists of 13 respondents (2.6 percent) in case of ICICI bank and 7 respondent (1.4 percent) in case of SBI. The final level is can't say consists of 11 respondents (2.2 percent) of ICICI bank but 4 respondents (0.8 percent) of SBI. Statistically, the difference in proportion of view regarding the availability of banking services by the customers of both the banks is found highly significant. Therefore, this test rejects the null hypothesis. It is hereby

concluded that maximum customers i.e., 58 percent of SBI agreed with the availability of banking services and 79.2 percent in ICICI bank. Therefore, it is hereby suggested that the SBI must take adequate steps to increase the usage of banking services among customers.

**Table: 3**  
**Customers' opinion on safety for valuable money by investing in banking services**

View	Banks						
	SBI			ICICI			
	Number of Respondents	Percent	Rank	Number of Respondents	Percent	Rank	
Strongly Disagree	43	8.6	5	32	6.4	4	
Disagree	47	9.4	4	21	4.2	5	
Can't Say	50	10.0	3	47	9.4	3	
Agree	137	27.4	2	164	32.8	2	
Strongly Agree	223	44.6	1	236	47.2	1	
Total	500	100.0		500	100.0		
$\chi^2 = 14.44,$						$d.f. = 4,$	$P < 0.01$

Source: Primary Data

The above table observed that 236 respondents (47.2 percent) in case of ICICI bank and 223 respondents (44.6 percent) in case of SBI are strongly agreeing with safety for valuable money by investing in banking services whereas 164 respondents (32.8 percent) of ICICI bank and 137 respondents (27.4 percent) of SBI are agreeing. The third level is consists of 50 respondents (10.0 percent) of SBI and 47 respondents (9.4 percent) of ICICI bank having can't say with the above statement. The fourth level is consists of 9.4 percent of SBI customers whereas 4.2 percent of ICICI bank customers are disagreeing with above statement. In final level is consists of 8.6 percent of SBI customers whereas 6.4 percent of ICICI bank customers are disagreeing with above statements. Statistically, the difference in proportion of view regarding the banking services is safe the money by the customers of both the banks is found highly significant. Therefore, this test rejects the null hypothesis. It is hereby concluded that 47.2 percent in ICICI bank and 44.6 percent in SBI are strongly agreed with banking services of bank are safe for money. Since 72 percent (44.6+27.4) of SBI customers are agreed about banking investment safe for money and 80 percent (47.2+32.8)

of the ICICI bank customers having the opinion of safety value for money. Therefore, it is hereby concluded that the SBI must take adequate steps to make confident on the safe investment for money in banking products among their customers.

**Conclusion :**

In case first thought by the customers', which strikes first to the customers' mind to observe the banking services, it is appreciated that both the banks are performing their customer's services perfectly and they must also pay attention in other areas also. In case of customers' perception on availability banking services, it is hereby suggested that the SBI must take adequate steps to increase the usage of banking services among customers. In case of customers' opinion on safety for valuable money by investing in banking services, the SBI must take adequate steps to make confident on the safe investment for money in banking products among their customers.

**References :**

- ♦ "A Comparative Study of Customer Satisfaction in SBI and ICICI Bank", Global Journal of Enterprise Information System, vol. 9 | Issue 1 | January-March 2017
- ♦ Irina BENA, "Evaluating Customer Satisfaction in Banking Services", Management & Marketing (2010) Vol. 5, No. 2, pp. 143-150
- ♦ G, Ayyanar 2012, '(Case Study): Customers' Satisfaction in Public and Private Sector Banks and their Comparison', Advances in Management, vol. 5, pp. 47-53.
- ♦ Gaur, Arti 2009, 'Customer Satisfaction Regarding Home Loans-A Comparative Study of ICICI Bank and SBI Bank', International Journal of Information Technology and Knowledge Management, vol.2, no.2, pp. 379-381.
- ♦ Goyal, Er Vishal Mohan and Goyal, Gania 2012, 'Customer Perception towards Internet Banking w.r.f. to Private and Foreign Banks in India', International Journal of Computing & Business Research.
- ♦ Santhiyavalli, G 2011, 'Customer's perception of service quality of State Bank of India - A Factor Analysis', International Journal of Management & Business Studies, vol. 1, issue 3, pp.78-84.



## **TOURISM AND INDIAN SOCIETY : A SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS**

**Dr. Bharti Rastogi\***

### **Introduction:**

Tourism is the continuously growing and developing sector worldwide because it is recognized not only as an entertainment activity but also as the effective source of economic gains and social change. The World Tourism Organization defines tourists as people travelling to, and staying in places outside their usual residence and environment for short period for leisure, business and other purposes. Curiosity to explore new geographical areas or environment and enjoy new experiences increased the desire to travel and made travel more enjoyable (Hudman and Hawkins, 1989). Tourism has been divided into various categories such as: cultural tourism, eco-tourism, geo-tourism, heritage tourism, wildlife tourism, adventure tourism, religious tourism, medical tourism and educational tourism etc. All these types of tourism preserve the culture, knowledge, religion, historical evidences and conserve environment. Tourism stimulates cultural activities and leads to improved understanding of each other and better relations between the tourists and the hosts.

In the present age of globalization, tourism has become an industrial venture, in fact a full-fledged industry. Tourism industry in any country flourishes with developed infrastructure including proper accommodation, transport, and recreation etc. For growth of the tourism, the role of various stake holders' right from central and state governments to entrepreneurs and society as a whole is very significant. At present India's tourism is experiencing a period of faster growth than the past, driven by growing Indian middle class, expansion of Education, promotion of media, growth of high spending foreign tourists and efforts of the governments. Major objective of the present paper is to analyze the pattern of growth of the tourism and its socio- economic effects in India. The paper is mainly based on secondary data collected from the ministry of tourism, government of India, bureau of immigration, India, Five year plans of India and other relevant research reports,

---

\* Assistant Professor, Department of Sociology and Associate Director, Institute of Tourism Studies, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.

periodicals and journals.

### **Growth Patterns :**

India is a country with a rich cultural heritage which has always fascinated travelers. It is unique land of diversities where all kinds of natural beauty including desert, sea, forests, mountains, rivers, flowers and wildlife is present within a single geographical boundary of a country. Majestic Himalayas call attention of every one. The innumerable temples of India attract to both pilgrims and cultural tourists. Villages with various traditional ways of living and working are also places of attraction in the country. The unique tribal culture distinct by its intimacy with nature is a treasure for ethno tourism in many states of India which attract 'ethnic tourists' from the west. These features indicate that the potential for India to attract tourists is unlimited.

As India is attractive tourist destination, the tourism industry is rapidly growing in the country. Table: 1 shows number of Foreign Tourist Arrivals (FTAs) in India during 2014 increased to 7.70 million as compared to 2.65 million in the year 2000. The number of FTAs in the country during 2013 increased to 6.97 million as compared to 6.58 million in 2012. The growth rate in FTAs during 2013 over 2012 was 5.9 percent.

**Table:1**

Foreign Tourists Arrivals in India (2000-2014)

Years	Numbers of FTAs (In Millions)	Annual Growth Rate (Percentage)
2000	2.65	6.7
2001	2.54	-4.2
2002	2.38	-6.0
2003	2.73	14.3
2004	2.46	26.8
2005	3.92	13.3
2006	4.45	13.5
2007	5.08	14.3
2008	5.28	4.0
2009	2.17	-2.2
2010	5.78	11.8
2011	6.31	9.2
2012	6.58	4.3
2013	6.97	5.9
2014	7.70	10.6

**Source :** Bureau of Immigration, India.

The top ten countries as source of foreign tourist arrivals with their percentage share in total arrivals during 2013 can be seen in Table: 2. The table shows that highest proportion of tourists arrived from USA (15.6%) followed by U.K.(11.6%) and Bangladesh (7.5%). Such proportions of FTAs ranged between 3 to 4 per cent for countries Sri Lanka, Russia, Canada, Germany, France, Malaysia and Japan. These top ten countries accounted for about 60 per cent of the total FTAs in India.

**Table:2**

Percentage share of top ten source countries in total foreign tourists arrivals in India (2013)

Rank	Country	Number	Share in percent
1.	United States	1085309	15.58
2.	United Kingdom	809444	11.62
3.	Bangladesh	524923	7.53
4.	Sri Lanka	262345	3.77
5.	Russia	259120	3.72
6.	Canada	255222	3.66
7.	Germany	252003	3.62
8.	France	248379	3.56
9.	Malaysia	242649	3.48
10.	Japan	220283	3.16
	Total Top Ten	4159677	59.70
	Other Countries	2807927	40.30
	<b>Grand Total</b>	<b>6967601</b>	<b>100.00</b>

Sources : Bureau of Inngration, India

Out of total foreign tourist visits during 2013, the highest percentage of foreigners visited Maharashtra (20.8%) and Tamilnadu (20.0%). Between 10 to 12 percent visited Uttar Pradesh and Delhi. Rajasthan was visited by 7 per cent of the foreign tourists while West Bengal and Kerala by 6 and 4 per cent respectively (Table: 3). Ten states as mentioned in Table: 3 were visited by 90 per cent of the foreign tourists.



**Table:3**

Share of Top Ten states/Union territories in total number of foreign/domestic tourists visiting in India during 2013

S.N.	Foreign Tourists visits			Domestic Tourists visits		
	States UTs	Numbers of visits	Share (%)	States UTs	Numbers of visits	Share (%)
1	Maharashtra	4156343	20.8	Tamil Nadu	244232487	21.3
2	Tamil Nadu	3990490	20.0	Uttar Pradesh	226531091	19.8
3	Delhi	2301395	11.5	Andhra Pradesh	152102150	13.3
4	Uttar Pradesh	2054420	10.3	Karnataka	98010140	8.6
5	Rajasthan	1437162	7.2	Maharashtra	82700556	7.2
6	West Bengal	1245230	6.2	Madhya Pradesh	63110709	5.5
7	Kerala	858143	4.3	Rajasthan	30298150	2.6
8	Bihar	765835	3.8	Gujarat	27412517	2.4
9	Karnataka	636378	3.2	West Bengal	25547300	2.2
10	Goa	492322	2.5	Uttaranchal	22801031	2.0
	Total of Top Ten States	17937718	89.9	Total of Top Ten States	972746131	84.94
	Others	2013308	10.1	Others	172534312	15.06
	Total (India)	19951026	100.00	Total	1145280443	100.00

**Note :** For visits of domestic tourists Chandigarh has draw 10th rank with 2 percent share in total visits.

**Source :** Government of India, Ministry of Tourism ; Tourism Statistics.

The domestic tourism has played an important role in overall tourism development of the country. Like increase in foreign tourist arrivals, the domestic tourist visits also increased rapidly during the past. The number of domestic tourists who visited different states of the country jumped from 563.0 million in 2008 to 1145.3 million in 2013 (Government of India, 2013). During these five years (2008 to 2013) visits by domestic tourists were doubled. After 2008, the domestic tourist visits have been continuously increasing from 669 million in 2009 to 740 million in 2010, 850 million in 2011, 1045 million in 2012 and 1145 million in 2013.

In total domestic tourist visits during 2013, the contribution of top ten states was about 85 per cent (Table:3). The states of Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh with percentage share in total visits of domestic tourists as 21.3 per cent, 19.8 per cent and 13.3 per cent respectively accounted for more than half of such visits .The proportions of the visits of such tourists ranged between 2.0 to 2.6 per cent in Rajasthan, Gujarat, West

Bengal and ChhatisGarh. Most of the states and Union Territories were visited by less than 2 per cent of the domestic tourists. At present the goal is to achieve 1450 million visits of the domestic tourists by the end of 12th Five Year Plan (2016-17). For achieving this goal, efforts are needed to ensure development of tourism industry in different states which have natural, historical, and religious and various other attractions. For example Orissa has beautiful beaches, lakes, forests, innumerable temples, rich cultural heritage, mountains and colorful fairs and festivals etc. but insignificant proportions of the foreign tourists (0.3%) and domestic tourists (0.9%) visited the state during 2013. There are many other states having high potential for tourism with small proportion of tourists.

The north-eastern states (Assam, Tripura, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Nagaland) have enormous scope for development of tourism because of their natural beauty, forests, rivers, tributaries, lakes and district social, cultural and religion peculiarities. But of the total tourists visits in India, the percentage of total visits in these states is less than one percent for domestic as well as foreign tourists (Government of India, 2013). The analysis indicates that the states with immense attractions but least visited by the tourists should be identified for faster growth of tourism through effective plans and measures.

#### **Socio-Economic Development :**

In developing countries like India, tourism has become one of the major sectors of economy, contributes to a large proportion of the national income and generating huge employment opportunities. The planning commission of India in the Eleventh Plan document has stated that tourism is the largest service industry in India and it is an important instrument for economic development and employment generation, particularly, in the remote and backward areas. Tourism has a tremendous potential for promoting business activities like transport, hotel industry, shopping, food, production, crafts and entertainment services. It is also a significant source of increasing tax. Tourism helps in poverty alleviation, environmental regeneration, advancement of women and other disadvantaged groups. Tourism increases opportunities of earning for women through greater demand for

goods and commodities made by them. Visitors from different regions, countries and varying cultures influence and are influenced in respect of life style, social values, attitudes and behavior etc.

Tourism continues to play an important role as a foreign exchange earner for the country table-4 shows that foreign exchange earnings from the tourism sector have been steadily rising during the last few years. These earnings from the tourism sector have jumped from US\$ 14193 million (Rs. 64889 Crores) in 2010 to US\$ 19756 million (Rs. 120083 Crores) in 2014 which is an increase of more than 39 percent. The table shows that the foreign exchange earnings increased every year (during 2010-2014) as compare to the preceding years.

**Table:4**

Foreign exchange earnings from tourism in India  
during 2010-2014

Year	In US \$ (Million)	% change over previous year	In rupees (Crores)	% Change over previous year
2010	14193	27.5	64889	20.8
2011	16564	16.7	77591	19.6
2012	17737	7.1	94487	21.8
2013	18445	4.0	107671	14.0
2014	19756	6.6	120083	11.5

**Sources :** Government of India, Ministry of Tourism, Tourism Statistics.

At present, one in every eleven people worldwide is employed by the tourism sector, with the industry generating US\$ 7.6 trillion or 10 percent of the global GDP in 2014 (World Travel and Tourism Council, 2015). The WTTC also calculated that tourism contributed 6.6 percent of India's GDP in 2012. It supported 39.5 million jobs in the country, 7.7 percent of its total employment. A research report on manpower requirements by ministry of Tourism, Government of India for casts employment of 3.5 million people in hotels, 2.73 million in restaurants, 1.3 million in small restaurants and Dhabas on Highways and 0.24 million in travel trade by 2020. The tourism industry has high potential of job opportunities for the young population aged below 40 years. The employment generation capability of tourism sector can transform the future of India's large young population (Chaudhary, 2010).

The planning commission of India in its Twelfth Five Year Plan 2012-17) stated that "the tourism sector has a major role to play to promote a faster, sustainable and more inclusive economic growth. It has better prospects for promoting pro-poor growth than many other sectors". The growth of the tourism sector will have a direct and tangible impact on the Indian economy in terms of spreading benefits across the country including remote areas and providing employment and entrepreneurial opportunities to youths, women, marginalized sectors of the society and those in informal sector. Tourism being a highly labour intensive industry offers employment to both the unskilled and semiskilled local population. In addition, tourism will facilitate the preservation of cultural and historical traditions.

Social development is promoted through the growth of tourism in many ways. Growth of infrastructure like air-ports, railways, waterways, roads and other amenities such as electricity and water supply etc. by larger investment by Government to promote tourism ultimately helps in different aspects of social development (Sharma, Kukreja and Sharma, 2012). Tourism with positive impact on economic growth, employment generation and sustainable development, therefore, plays a significant role in achievement of U.N. Millennium development goals, in particular those relating to eradication of poverty, gender equality, environmental sustainability and global partnership for development. It has been suggested by honey and Gilpin that the tourism industry can help promote peace and stability in a developing country like India by providing jobs, generating income, diversifying the economy, protecting environment and promoting cross cultural awareness (Honey and Gilpin, 2009). Domestic tourism plays a big role in the national objective of promoting social and cultural cohesion and national integration (Government of India, 1985).

Above analysis indicates that the tourism has various social and economic benefits for people of the country. But, sometimes it has negative impact such as adverse effects on environment and ill-effects on social life. Increased tourists flow and greater transport activities led to air, noise and water pollution, increased solid based dumping, releases of sewage and deforestation etc. in certain areas, the tourism has led to undesirable social and cultural change. From the late 60's to the early 80's when the

hippy culture was at its peak, Goa was a heaven for such hippies. Here, they came in large numbers and changed the culture of the state leading to a rise in the use of drugs, prostitution and human trafficking (Lalnunmawia, [www.trocollege.net/articles/74](http://www.trocollege.net/articles/74)). AIDS, a dreaded disease is being detected in states like Maharashtra, Goa and Tamilnadu etc. which is supposed to be transferred through the tourists coming from all over the world (Naik and Jangir, 2013). Crime and consumption of liquor, charas, ganja, and heroine have been to increase in these states. If such ill effects are checked through the effective measures, the tourism sector is expected to be more helpful in promoting socio-economic development of the country.

**Major Obstacles :**

Keeping in view the potential of tourism in India, the growth of this sector is not satisfactory. In many states and regions poor infrastructure is the major problem for expansion of the tourism industry. Social infrastructure including cleanliness, hygiene, safety, welcoming attitudes towards the visitors etc. are not at the level of appreciation. Core infrastructures which includes roadways, railways, air transports and waterways etc. is in poor conditions in many regions, particularly backward states like Orissa, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh etc. shortage in the supply of electricity is also a problem for development of tourism in different states. Sometimes the problem of safety and security of the tourists is felt. The lack of proper hotels and other accommodation facilities with efficient civic amenities in many tourist places is a serious problem in rapid growth of the tourism sector in India.

The tourism industry faces the problem of manpower shortage as different skill-levels. There is struggle to meet its demand for qualified and competent personnel. Greater efforts are needed to strengthen tourism-related human resource development programmes according to skill - needs of the industry. Well qualified manpower is not sufficiently attracted towards the tourism industry due to job insecurity, comparatively lower pay (below the national average), jobs instability, limited career opportunities, poor working conditions and irregular working hours etc. (International Labor Organization ILO, 2010). Tourism industry faces the problem

attrition as its human resources flow to other high paying service industries with better working conditions (Chaudhary, 2010). These problems may be solved by raising wages/salaries and improving working conditions in the tourism industry.

#### **Concluding Observations :**

Above analysis shows the rapid growth of tourism industry in India which has tremendous potential for raising income of the people, earning foreign exchange, generating employment and promoting over all socio-economic development. If tourism industry in India is to grow to bring social and economic change, the infrastructural facilities in the form of road transportation, railways, airways and waterways etc. need to be substantially improved and provided wherever necessary. More attention is needed to improve sanitary and hygienic condition at the places where tourists visit. Better infrastructural conditions will not only promote tourism industry but also other economic and social activities in the regions concerned. Social infrastructure should be strengthen through training personnel hospitality and welcoming attitudes Programmes related with human resource development should be strengthened according to skill-needs of the tourism industry. Better remedial measures for safety and security of the tourists should be adopted by the government on the priority basis. The policy of tourism development should be formulated in such a way that employment is generated for poor and unskilled manpower. Greater efforts are needed to attract qualified and competent personnel towards tourism industry by raising wages/ salaries and improving working conditions.

The promotion of tourism should aim at changing social values, attitudes, norms and behaviour for positive social change through interaction and communication between the tourists and the host people of India.

#### **References :**

1. ChaudharyManjula (2010), "Training men to Manage Tourism", Yojana Vol. 54, May.
2. Government of India, Planning Commission (1985) Seventh Five Year Plan (1985-90), Vol. II, SectoralProgramms of Development, New Delhi.

3. Government of India (2013), Ministry of Tourism, Tourism Statistics.
4. Hudman, L.E., Hawkins D.E., (1989), Tourism in contemporary society, Prentice Hall, New Jersey.
5. Honey, Martha and Gilpin Raymond, (2009), Special Report : Tourism in the Developing World Promoting peace and reducing poverty.
6. International Labour Organization (ILO) (2010), Sectoral Activities Programme : Development and Challenges in the Hospitality and Tourism Sector, Paper for Global Dialogue, from 23-24 November 2010.
7. Lalnunmawia H., "Development and Impact of Tourism Industry in India" ([www.trcollege.net/articles/74](http://www.trcollege.net/articles/74)).
8. NaikAshishAnkush and Jangir Sunil Kumar, (2013). "A Social Aspect of Tourism Development in India" International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, Vol. 3, Issue 12, December (2010) (also see [www.ijaresse.com](http://www.ijaresse.com))
9. Sharma Anupama, KukrejaSmita, Sharma Anjana, (2012), "Role of Tourism in Social and Economic Development of Society, International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, Vol. 1, No. 3, September (Also See website - [www.garph.co.uk](http://www.garph.co.uk).), Graph Publications.
10. World Travel and Tourism Council, (2015), Travel and Tourism: Economic Impact.



## HUMAN RIGHTS : STATUS OF WOMEN IN INDIA

Dr. Parantap Kumar Das\*  
Arun Kumar Singh\*\*

### Introduction:

Human Rights: The expression 'Human Rights' can be defined as those minimum rights which are compulsorily obtainable by every individual as he/she is a member of human family. Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, color, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible.

Universal human rights are often expressed and guaranteed by law, in the forms of treaties, customary international law, general principles and other sources of international law. International human rights law lays down obligations of Governments to act in certain ways or to refrain from certain acts, in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms of individuals or groups. Human Rights are universal and inalienable, Interdependent and indivisible, equal and non-discriminatory, and which involves both rights and obligations.<sup>1</sup>

Among the core principles of human rights discourse and values of United Nations, the principle of Gender equality has placed at a pivotal position and undergone transformation over a changing times and globalization. The fundamental principle of the United Nations Charter as adopted by world leaders in 1945 is "equal rights of men and women", and protecting and promoting women's human right is the responsibility of all States. At the United

---

\* Assistant Professor, Noida International University, Greater Noida Gautam Budh Nagar (U.P.)

\*\* Assistant Professor, Noida International University, Greater Noida Gautam Budh Nagar (U.P.)

---

1. United Nations-Human Rights Office of the High Commissioner available at <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx> (accessed on 13th March 2017)



Nation's Fourth World Conference on Women in Beijing on September 5, 1995, the then first lady of the United States Hillary Clinton used the term "Women's Rights are Human Rights". Her speech in effect made a forceful argument that it is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. And rightly so, there cannot be any distinction between men and women as far as human rights are concerned.

At a domestic space, post-independence in India, founding fathers of the nation were very determined to provide equal human rights for men and women by eliminating the age-old superstitious beliefs and dogmatic religious oppression of women by men including banning of women into the premises and sanctum sanctorum of temples and shrines by adopting appropriate legal measures including the Constitution of India, which is one of the finest "equality documents" in the world. It not only makes serious attempt to secure equality in general and gender equality in particular but through various articles it tries to safeguard women's rights by putting them at par with men socially, politically and economically. In this endeavour, the Constitution of India prescribes several general and special safeguards in Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy and others with the chief objective of securing just human rights of women.

However, the question arises whether these Constitutional protections are sufficient and achieved its objective of gender equality in our society in the past 65 years of post-Constitutional period. Therefore, it is pertinent to study and analyse the role of the Supreme Court in checking human rights violations of women and in upholding constitutional provisions on gender justice. This article makes an attempt to analyse the said constitutional provisions and the role of the Supreme Court in securing gender justice.

#### **Women Rights and United Nation Charter:**

UN support for the rights of women began with the Organization's founding Charter. Among the purposes of the UN declared in Article -1 of its Charter is "To achieve international co-operation in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion." Within the UN's first year, the Economic and Social Council established its Commission on the Status of

Women, as the principal global policy-making body dedicated exclusively to gender equality and advancement of women.

The adoption of the Universal Declaration of Human Rights<sup>2</sup> in 1948 "was the first occasion on which the organized community of nations which made a Declaration of human rights and fundamental freedoms of men and women".

"Conceived as a common standard of achievement for all peoples and all nations, the Universal Declaration has become just that: a yardstick by which to measure the degree of respect for, and compliance with, international human rights standards".

"In the Proclamation of Teheran, adopted by the International Conference on Human Rights in 1968, the Conference agreed that 'the Universal Declaration states a common understanding of the peoples of the world concerning the inalienable and inviolable rights of all members of the human family and constitutes an obligation for the members of the international community.'"

The Convention of the Political Rights of Women<sup>3</sup>, 1954 was to implement the principle of equality of rights for men and women contained in the charter of the UN, recognizing that everyone has the right to take part in the government of his country directly and indirectly through freely chosen representatives, and has right to equal access to public service in his country and desiring to equalize the status of men and women in the enjoyment and exercise of political rights.

#### **Women Rights under Constitution of India:**

Equal rights have been granted to the men and women by the Constitution of India But in present scenario, it has been observed that there is a wide bay between theory and its implementation in practice. In India the women have always been considered inferior to men. Though the provisions of the articles contained in the constitution mandates equality and non-discrimination on the grounds of sex but women is always discriminated

---

2. Adopted by the United Nations on 10th December 1948.

3. The Convention was opened for signature and ratification by General Assembly resolution 640 (VII) on 20th December'1952 and entered into force from 7th July'1954.

and dishonoured in Indian society. Although the Government of India and States has taken various measures to improve the status of women in India but the constitutional dream of gender equality is miles away from becoming a reality.

Various provisions have been introduced through constitution to ensure dignity and self - respect to the women at large. Dr. B. R. Ambedkar, Chief Architect of Indian constitution, makes sure that Constitution of India safeguards the social and economic rights of women. Mentioned below are some of the provisions enacted in favour of Indian women, in the Constitution of India:

**Article 14:-** Article 14 of Constitution of India ensures equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. This is a very important provision which provides equal legal protection to women against any women based crime. This provision also paves way for the introduction of various laws and acts to ensure protection and enforcement of legal rights of women in India<sup>4</sup>.

**Article 15:-** Article 15 of the Constitution of India ensures that no one should create any sort of discrimination only on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth or any of them within the territory of India. At the time of Independence there was a severe practice of discrimination in India against women which gradually abolished after introduction of Article 15. As per Article 15(3) of the Constitution State has the authority to make any special provision for women and children.

**Article 16:-** Article 16 of the Constitution of India ensures equal employment opportunity to every citizen of India. As per article 16 there should not be any discrimination in respect of employment opportunity under the State only on grounds of religion, race, caste, sex<sup>5</sup>, descent, and place of birth, residence or any of them. Now we can see women are doing really good work in politics and in corporate sector. Presently they are holding responsible positions in Government and Government run institutions.

---

4. Air India v. Nergesh Meerza AIR 1981 SC 1829.

5. Ms. Mackinnon Mackenzie and Co. Ltd. v. Audrey D'Costa AIR 1987 SC 1281.

**Article 39:-** Article 39 of the Constitution of India ensures the benefit of the directive principles of state policy to the women. Directive principles of state policy mean guiding principles for the framing of laws by the government at state level. Article 39(a) of directive principles of state policy ensures and directs a state to apply policies which focus on men and women have an equal right of adequate means of livelihood and article 39(c) ensures equal pay for equal work for both men and women.

**Article 42:-** Article 42 of the Constitution of India casts a duty on every employer to ensure just and humane conditions of work and for maternity relief. In reality the position and treatment of women in corporate offices is really bad and in fact they are exploited by their seniors and bosses. In this scenario the provisions of article 42 are very important and now it is duty of employer to provide good working conditions to all the employees.

**Article 44:-** The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. The Hon'ble Supreme Court has given a historical judgment<sup>6</sup> for Uniform Civil Code and directed the Government to take a fresh look at Article 44.

**Article 243:-** Article 243 of the Constitution of India ensures reservation of seats in gram panchayat for women. This opportunity of being a part of local level administration process though, the constitution of India guarantees the equality of rights of men and women. However, in the sphere of women's human rights in India, there exists a wide gulf between theory and practice. Indian society is a male dominated patriarchal society where men are always assumed to be superior in society. The women in India very often have to face discrimination, injustice and dishonour. Though women in India have been given more rights as compared to men, even then the condition of women in India is miserable. The paper will throw light on the human rights of women in India and that how all the fundamental rights given to the women are being violated in India, by focusing on the various crimes done against them.

---

6. Sarala Mudgal v. Union of India (1995) 3 SCC 635

**Crime against Women in India:**

Though, Human Rights are the minimum rights which are compulsorily obtainable by every individual as he/she is a member of human society. But it has been found that each and every right of the women is being violated in one or another way. The crimes against women in India are increasing at a very fast pace. The National Crime Records Bureau (NCRB)<sup>7</sup> had reported increase in growth rate of crime against women. The total number of cases against women reported in the year 2015 is 3,27,394 of which 'Cruelty by Husband or His Relatives' accounted for about 34.6% followed by 'Assault on Women with Intent to Outrage her Modesty'(25.2%), 'Kidnapping & Abduction of Women' (18.1%) and 'Rape'(10.6%) during 2015. It further reported that the proportion of IPC crimes committed against women with respect to total IPC crimes has increased during last 5 years from 9.4% in the year 2011 to 11.1% during the year 2015. Also, it reported that the state of Uttar Pradesh reported 10.9%(35,527 out of 3,27,394 cases) of total cases of crimes against women followed by West Bengal (10.1%) (33,212 cases) during 2015. Delhi UT reported the highest crime rate (184.3) compared to the national average rate of 53.9 during the year 2015.<sup>8</sup>

**Women Human Rights:**

There is a need to discuss the rights of the women separately as women represents more than half the population of India, yet she is discriminated and violated in every sphere of her life. Only women are a prey to crimes such as rape, dowry, bride burning, sexual harassment, selling and importation, prostitution and trafficking etc.

**Women Human Rights in India:**

- Right to equality
- Right to education
- Right to live with dignity

7. National Crime Records Bureau, an attached office of Ministry of Home Affairs, Government of India was established in 1986 with a mandate to empower Indian Police with information technology solutions and criminal intelligence to enable them to enforce the law effectively.

8. NCRB Crime in India , available at <http://ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2015/FILES/Snapshots-11.11.16.pdf> (Accessed on 12th March 2017)

- Right to liberty
- Right to politics
- Right to property
- Right to equal opportunity for employment
- Right to free choice of profession
- Right to livelihood
- Right to work in equitable condition
- Right to get equal wages for equal work
- Right to protection from gender discrimination
- Right to social protection in the eventuality of retirement, old age and sickness
- Right to protection from inhuman treatment
- Right to protection of health
- Right to privacy in terms of personal life, family, residence, correspondence etc. and
- Right to protection from society, state and family system.

#### **Women Rights and Legal/Parliamentary Provisions:**

After Independence there was need to introduce some statutory laws to ensure safety and protection of women. Keeping in view of this requirement, by virtue of enabling constitutional provisions, various parliamentary steps have also been taken by the law of India in order to ensure dignified life to the Indian Women. Parliamentary steps means and includes the enactment of various laws and statutory acts to protect the interest of women and to stop the crime against women. These acts have proved really useful towards progress and safety of women, and more notably preventing crime against women in society. Few illustrative statutes enacted with regards to achieving gender justice are:-

#### **Legal Legislations:**

##### **Women- Specific Legislations:**

1. The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
2. The Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961) (Amended in 1986)
3. The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986
4. The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988)
5. Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
6. The Sexual Harassment of Women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013
7. The Criminal Law (Amendment) Act 2013

**Women Related Legislations:**

1. The Indian Penal Code, 1860
2. The Indian Evidence Act, 1872
3. The Indian Christian Marriage Act, 1872 (15 of 1872)
4. The Married Women's Property Act, 1874 (3 of 1874)
5. The Guardians and Wards Act, 1890
6. The Workmen's Compensation Act, 1923
7. The Trade Unions Act 1926
8. The Child Marriage Restraint Act, 1929 (19 of 1929)
9. The Payments of Wages Act, 1936
10. The Payments of Wages (Procedure) Act, 1937
11. The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937
12. Employers Liabilities Act 1938
13. The Minimum Wages Act, 1948
14. The Employees' State Insurance Act, 1948
15. The Factories Act, 1948
16. The Minimum Wages Act, 1950
17. The Plantation Labour Act, 1951 (Amended by Acts Nos. 42 of 1953, 34 of 1960, 53 of 1961, 58 of 1981 and 61 of 1986)
18. The Cinematograph Act, 1952
19. The Mines Act 1952
20. The Special Marriage Act, 1954
21. The Protection of Civil Rights Act 1955
22. The Hindu Marriage Act, 1955 (28 of 1955)
23. The Hindu Adoptions & Maintenance Act, 1956
24. The Hindu Minority & Guardianship Act, 1956
25. The Hindu Succession Act, 1956
26. The Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961)
27. The Beedi & Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966
28. The Foreign Marriage Act, 1969 (33 of 1969)
29. The Indian Divorce Act, 1969 (4 of 1969)
30. The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970
31. The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971)
32. Code of Criminal Procedure, 1973
33. The Equal Remuneration Act, 1976
34. The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1979
35. The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979

36. The Family Courts Act, 1984
37. The Muslim women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986
38. Mental Health Act, 1987
39. National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990)
40. The Protection of Human Rights Act, 1993 [As amended by the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2006 - No. 43 of 2006]
41. Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000
42. The Child Labour (Prohibition & Regulation) Act
43. The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994
44. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006

Further, the National Commission for Women has been founded as an apex national level organization of India with the mandate of protecting and promoting the interests of women

#### **Violation of Women Human Rights:**

It has been repeatedly said these days that women in India are enjoying the rights equal to men. But in reality, the women in India have been the sufferers from past. Not only in earlier times but even now days also, women have to face discrimination, injustice and dishonour. Let us now discuss the crimes done against the women in spite of being given rights equal to men. These points will explain that continues violation of human rights of women in India.

#### **Violation of Women Human Rights in Past:**

The Indian women exploitation is not the present phenomenon. Rather she is being exploited from the early times. The women in Indian society never stood for a fair status. The following crimes were done against the women in the past times.

- **Devadasis:** Devadasis was a religious practice in some parts of southern India, in which women were married to a deity or temple. In the later period, the illegitimate sexual exploitation of the devadasi's became a norm in some part of the country.
- **Jauhar:** Jauhar refers to practice of the voluntary immolation of all wives and daughters of defeated warriors in order to avoid capture and consequent molestation by the enemy. The practice was followed by the wives of Rajput rulers, who are known to place a high premium on honour.



- **Purdha:** Purdah is a practice among some communities of requiring women to cover their bodies so as to cover their skin and conceal their form. It curtails their right to interact freely and it is a symbol of the subordination of women.
- **Sati:** Sati is an old custom in Indian society in which widows were immolated alive on her husband's funeral pyre. Although the act was supposed to be voluntary on the widow's part, it is believed to have been sometimes forced on the widow.

**Violation of Human Rights in general:**

India is the world's most populous democracy, has been facing significant human rights problems despite making commitments to tackle some of the most prevalent abuses. The Constitution of India provides independent organs of the democracy, legislature, executive and judiciary and at the same time both the legislature and executive has shown step motherly treatment towards judiciary contributing more pendency of cases and thereby affecting women rights in particular. However, the nation with a prosperous civil society, free media, and an independent judiciary has failed to contain established insulting practices, corruption, and lack of accountability for perpetrators promote human rights violations.

The Indian government's inability to protect women and children from rape and sexual violence undermines its commitment to uphold the rights of all Indians, Human Rights Watch said in its World Report 2014. During 2013 the authorities also failed to enforce laws that protect vulnerable communities including Dalits, religious minorities, and tribal groups. Government efforts to increase mass surveillance raised concerns over rights to privacy and free speech.

"International attention to sexual violence on women in India led to a new law, but should have spurred the government towards systemic changes to make real progress on this issue," said Meenakshi Ganguly, South Asia director at Human Rights Watch. "The government has also failed to keep its promises of reforms to create a responsive police force, and to repeal laws that protect the armed forces from prosecution."

It has been frequently said these days that been the sufferers from ancient times. Not only in earlier times but even now

days also, women in India are enjoying the rights equal to men. But in reality, the women in India have are facing problem of discrimination, injustice and dishonour etc.

**Major Crimes Violating Women Rights:**

Although women may be victims of any of the general crimes such as murder, robbery, cheating etc, only the crimes which are directed specifically against women are:

**Female foeticides & infanticides:** Female foeticide means identifying and killing of female foetus before birth and infanticides means killing female child just after birth. These are the most brutal way of killing women. The custom of female foeticide is practiced by the society from ancient times and it is really shameful to note that even today, when we considers ourselves educated and civilized, this custom is practiced in a big manner in violation of Pre conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex detection) Act, 1994. The Government has taken so many steps to spread awareness among people about the consequences of this crime. Many awareness programs are conducted by the Government to spread the awareness about the physical, mental and social effect of this practice. Punishment of 3 years imprisonment and Rs. 10,000 fine has been prescribed by Pre conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex selection) Act, 1994, for the offence of Female foeticides.

In a recently development Maharashtra government has recommend to the centre that the crime of female foeticide should be treated as murder. To ensure this amendment in Pre conception and Pre Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex selection) Act, 1994, would become necessary. This provision will bring this crime within the category of murder under section 302 of the Indian Penal Code.

**Child marriage:** Child marriage is a very awful and inhuman offence<sup>9</sup> against child as it does not only harms the future of child but also damage social values and health of the child. Child marriage restricts the social development along with reduction in the educational and employment opportunities in the

---

9. As per the provisions of the Child Marriage (Restraint) Act' 1929.

global market. It was like a burden on society to practice this unwritten custom. The major step was taken by the Law Commission of India by fixing the minimum age for marriage which is 18 years for girls and 21 years for boys.

Another major step was mandatory primary education and moreover for girls provision for free education provided by the Government of India.

Child marriage has been traditionally prevalent in India and continues to this date. Discrimination against the girl begins even before their birth and continues as they grow. According to the law, a girl cannot be married until she has reached the age of 18. But the girl in India is taken as a burden on the family. Sometimes the marriages are settled even before the birth of the child. In south India, marriages between cousins is common as they believe that a girl is secured as she has been married within the clan. Parents also believe that it is easy for the child bride to adapt to new environment as well as it is easy for others to mould the child to suit their family environment. Some believe that they marry girls at an early age so as to avoid the risk of their unmarried daughters getting pregnant. This shows that the reasons for child marriages in India are so baseless. Basically, this phenomenon of child marriage is linked to poverty, illiteracy, dowry, landlessness and other social evils.

The impact of child marriage is widowhood, inadequate socialisation, education deprivation, lack of independence to select the life partner, lack of economic independence, low health/nutritional levels as a result of early/frequent pregnancies in an unprepared psychological state of young bride. However, the Indian boys have to suffer less due to male dominated society.

Around 40% child marriages occur in India. A study conducted by "Family Planning Foundation" showed that the mortality rates were higher among babies born to women under 18. Another study showed that around 56% girls from poorer families are married underage and became mothers.

So, all this indicated that immediate steps should be taken to stop the evil of Child Marriage.

**Honour Killing:** The recent killing of women who fell in love and marrying outside their caste and Community by their par-

ents and relatives is gruesome and detrimental to the Constitution of India in achieving a free and casteless society. This malice in the society exposes the deep rooted caste prejudice especially in the rural hinterland.

**Adultery:** Adultery is a very serious crime against women in India and affects married women by and large. In simple words adultery means having voluntary sexual relationship with a married person other than the spouse. The offence of adultery is dealt with by section 497 of the Indian penal Code, 1860, which says adultery means sexual intercourse of a man with a married woman without the consent of her husband when such sexual intercourse does not amount to rape. However we may find different meaning of adultery in different laws in different countries. Initially only men were punished under the law of adultery in India but now men and women both are equally responsible for committing the crime of adultery<sup>10</sup>.

**Trafficking and Prostitution:** Trafficking means import and export of humans for sex business. It is indeed very sad to learn that in India, where women are recognized as Devi and prayed by all Indian's as Devi Shakti, they are also treated as a source of earning by unethical means. Prostitution is one of the biggest problems in this world which is damaging the women in many ways. In general, the term prostitution means offer of sexual services for earning money. Prostitution is a problem which exists across the world. The Supreme Court of India has always taken serious view in these matters and issue several directions<sup>11</sup> to control prostitution. There are quite a few laws in India in order to prevent the crime of prostitution like Suppression of Immoral Traffic in Women and Girl Act 1956 and Immoral Traffic (Prevention) Act 1956. There are few commissions are made by state Government to save women and specially girls to protect them from this practice.

**Domestic Violence:** Domestic violence has become a very serious problem for women. In general the term Domestic violence means mental, physical, emotional and economical ha-

---

10. Smt. Sowmitri Vishnu v. Union of India, AIR 1985 SC 1618.

11. Gaurav Jain v. Union of India, AIR 1990 SC 292.

rassment of a woman by family members. For the purpose of domestic violence family includes spouse, his mother, father, brother, sister, his relatives and sometimes even friends. We call ourselves educated and talk too much about morality, ethics and civilization and expect others to be good to create a dream world but forget that without giving due respect to the women, a nation's growth is impossible. Now in India domestic violence is recognized as a criminal offence under section 498A of Indian Penal Code, 1860. Domestic violence means cruelty by husband towards women. Cruelty can be done by physically, mentally, economically or emotionally.

An Act called Domestic Violence Act, 2005 was introduced to handle the cases of Domestic violence in India. This act is a very noteworthy attempt in India to recognize domestic violence as a punishable offence. Before the introduction of this act two kinds of remedies were available to a women affected by Domestic violence. These two remedies were divorce through civil courts and application of Section 498A through criminal courts.

**Eve Teasing:** It is a general perception that eve teasing is not a big crime like rape or murder and may be because of that we don't take it seriously. But from a women's point of view eve teasing is also a very big crime as this activity does make her feel uncomfortable most of the times. Eve teasing usually involves teasing women, passing lewd comments on women and making vulgar signs and staring at them and which also includes stalking women. A woman has to face this kind of irritating behaviour and deal with this on daily basis. She can't even fight back due to fear of disrespect by others as everyone will blame her and say that you must have done something to invite them. In case of eve teasing girl should not remain silent and raise her voice. She should inform her family members and simultaneously file a complaint in the nearest police station. In this case family should also support the women instead of locking her at home.

**Acid Throwing:** Recently the issue of acid throwing on girls has also become a big issue. There are few types of acids and all are very dangerous for human flash and burn. This acid attack sometimes is so dangerous that even bones and eyes are also got damaged due to acid. Few victims are forced to leave their education or occupation due to the results of acid throwing.

Now a days this has become very easy for people to get these acids and the cases of acid throwing has become very regular in daily life.

It is quite sad that despite of so many cases of acid attacks on women, we do not have a dedicated and specific law to deal with such cases. The National Commission for Women is asked for a well-defined law to deal with such casualties. The NCW has introduced a draft of the Prevention of Offences (by Acids) Act, 2008, which is with now with the Union Ministry of Women and Child Development for the purpose of vetting and final recommendations. Once the Union Ministry of Women and Child Development approved the Bill, it will be sent to the law ministry to be tabled in Parliament. After the approval in Parliament it will become applicable as law. However, the latest amendment to the Indian Penal Code, 1860, has added the offence of acid throwing to prosecute the offenders vide Sections 100, 326A, and 326B.<sup>12</sup>

**Fraudulent Marriage:** Before going into the details of Fraudulent Marriage let me explain the general meaning of fraud in relation to crime against women. Fraud means hiding something or giving false impression about something which a person knows that knowing the fact may harm his prospective marriage. The scope of fraudulent marriage has increased in the recent past as in India parents of a girl are very fond of NRI son in law. Parents want to settle their daughter with any rich NRI. Parents of brides don't inquire too much about the NRI groom as they are happy that their daughter is going to marry a rich person who will fulfil her all demands and she will live a luxurious life in abroad. There blind faith on NRI's may invite problems like false commitments, false details, second marriage and infertility. This is not necessary that fraudulent marriages only took place in case of NRI's even Indian grooms also do the same for money or for boy child or for any other reason. The Supreme Court of India made very creative use<sup>13</sup> of Sections 405 and 406 of the Indian Penal Code and introduced the concept of criminal breach of trust<sup>14</sup> into matrimonial law.

---

12. Criminal Law (Amendment) Act, 2013.

13. Pratibha Rani v. Suraj Kumar (1985) 2 SCC 370.

14. Bodhisatva Gautam v. Charraborthy (1996) 1 SCC 490.

**Exploitation at work Place:** We all accept the truth that in today's world women has come out of her image of house wife and proved herself as a better administrator then a man. In all sectors women are working hard and getting awards and rewards for that. She has crossed all the boundaries and shut the mouth of all those peoples who has ever questioned her working calibre.

Vishaka case of sexual harassment at workplace is a case of landmark judgement<sup>15</sup> by Supreme Court of India. Not because it was attack on working women's fundamental right to work without fear and prejudice. Not because it is a saga of immense torture of a naïve working woman. Not because a woman showed exemplary courage to fight against the male ego our immoral society. It is a landmark case because first time ever it was officially recognized at such a high level of need for laws for sexual harassment and laying down of guidelines of sexual harassment of working woman

**Rape, Marital Rape and Murder:** Rape is another very serious crime against women and this crime is increasing day by day like anything. Reporting of rape and abduction cases has become very common in print and electronic media which is indeed a very sad affair for all of us. In general, most of these kinds of crimes are not reported to the police authorities for fear of social ostracisms and lack of faith in police and protracted judicial proceedings. Increasing rape cases are enough to prove that our moral values are still very low and we still to learn how to respect the dignity of women at large.

In simple terms the word 'Rape' means sexual intercourse or sexual penetration, by another person without the consent of the other person or victim. Marital Rape means of sexual intercourse with a woman by her husband without her consent and which is not an offence in India drawing condemnation from human rights activists. Provisions related to rape are given in section 375 and 376 of the Indian Penal Code, 1860. Section 375 explains the pre-condition which are necessary to prove the offence of rape whereas section 376 provides punishment for the

---

15. Vishaka and others v. State of Rajasthan and others AIR 1997 SC 3011.

offence of rape. As per section 376, whoever commits the offence of rape shall be punished with imprisonment of either for a term which shall not be less than seven years but which may be for life or for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine. However, the latest amendment to the Indian Penal Code, 1860, has made the punishment stringent for the offence of rape by substituting new sections for sections 375, 376, 376 A-D. The recent social evil of Gang Rape has been added to this latest amendment vide Section 376D and stipulated minimum 20 years to life imprisonment.<sup>16</sup>

**Dowry:** The system of dowry is another social evil which dragging women back from 100 of years as this evil has a very long history especially in India. There are ample legal provisions in India including Dowry Prohibition Act, 1961 to provide relief to women in case of dowry based domestic violence cases. Further Indian Penal Code, 1860 has introduced Sections 304B and 498A, which allows women to file complaint and seek restoration of her rights from serious harassment by the husband's family.

The demand of dowry by the husband and his family and then killing of the bride because of not bringing enough dowry to the in-laws has become a very common crime these days. In spite of the Dowry prohibition Act passed by the government, which has made dowry demands in wedding illegal, the dowry incidents are increasing day by day. According to survey, around 5000 women die each year due to dowry deaths and at least a dozen die each day in "kitchen fires".

#### **Violations of Constitutional Principles:**

**Violation of "Right to Equality" And "Right to Protection against Gender Discrimination:** Discrimination against the girl child starts the moment she enters into the mother's womb. The child is exposed to gender differences since birth and in recent times even before birth, in the form of sex-determination tests leading to foeticide and female infanticide. The home, which is supposed to be the most secure place, is where women are most exposed to violence. If a girl child opens her eyes in any way, she is killed after her birth by different cruel methods in

---

16. Criminal Law (Amendment) Act, 2013.



some parts of the country. Thus the very important "right to life" is denied to women. In India, men are always assumed to be superior to women and are given more preference.

The "World Human Rights Conference in Vienna" first recognized gender - based violence as a human rights violation in 1993. The same was declared by "United Nations Declaration" in 1993.

**Violation of "Right to Education":** Education is considered as means of development of personality and awareness. Education is one of the most important human rights but the position of women's education in India is not at all satisfactory. Young girls may be brought up to believe that they are suited only to certain professions or in some cases to serve as wives and mothers.

Despite in the improvement in the literacy rate after independence, there continues to be large gap between the literacy levels of men and women. Almost half the women populations are even unable to recognize language characters. At least 60 million girls lack access to primary education in India. Due to large percentage of uneducated women in India, they are not even aware of their basic human rights and can never fight for them.

**Violation of "Political Right":** The political status of women in India is very unsatisfactory, particularly their representation in higher political institutions - Parliament and provincial Legislation which is of great under - representation which hampers their effective role in influencing the government initiatives and policies regarding women's welfare and development. Their representation has been unable to reach even 10% in Lok Sabha. Thus it is clear that: a)

There is male domination in Indian politics and almost all the parties give very little support to women in election despite their vocal support for 33% reservation of seats for women in Parliament and Provincial Legislation. b) Women have made initiatives in political participation but they have not been accepted in politics.

**Violation of "Right to Property":** In most of the Indian families, women do not own property in their own names and do not get share of parental property. Due to weak enforcement of laws protecting them, women continue to have little access to

land and property. In fact, some of the laws discriminate against women, when it comes to land and property rights. Though, women have been given rights to inheritance, but the sons had an independent share in the ancestral property, while the daughter's shares were based on the share received by the father. Hence, father could anytime disinherit daughter by renouncing his share but the son will continue to have a share in his own right. The married daughters facing harassment have no rights in ancestral home.

**Violation of "Right To Protection Of Health":** According to the World Bank report, malnutrition is the major cause of female infertility. The presence of excessive malnutrition among female children as compared to male children is basically due to differences in the intra - family allocation of food between the male and female children. Normally, the male members are fed before the female members of the family. According to Human Development Report, in rural Punjab, 21% of girls in low income families suffer from severe malnutrition as compared with 3 % of boys in the same family. Even the low income boys are far better than upper income girls. Girl babies are even less breastfed than boy babies. 60% of girl babies are born with low birth weight. Sometimes due to economic distress and natural calamities like floods, droughts or earthquakes, the discrimination against the female child increases. Moreover it has been confirmed by various studies that the girl's diet is inferior to the boy's diet both in quality and quantity. Boys are given more nutritive foods like milk, eggs, butter, ghee, fruits, and vegetables as compared to girls. Due to this inferior quality diet, girls are more vulnerable to infections and diseases. The reason again is that families spend less on medication for girls than for boys.

**Violation of "Right to Equal Opportunity for Employment" and "Right to Get Equal Wages for Equal Work":** The employment of the women in agriculture, traditional industries and in sizeable section of new industries is declining at a very fast rate. The reason is that the adoption of new technological changes requires new skill, knowledge and training. And women in India, who constitute a large share of world's illiterate lacks such skills and knowledge. The studies have also showed that

for the same task, women are paid less than the males. Technological changes in agriculture and industry are throwing out women from the production process. The women workers are concentrated only for certain jobs which require so called female skills. Thus, Indian labour market is adverse to women workers. It shows that, the role of women in large scale industries and technology based businesses is very limited. But even in the small- scale industries their participation is very low. Only 10.11% of the micro and small enterprises are owned by women today. Statistics show that only 15% of the senior management posts are held by the women. In agriculture where women comprise of the majority of agricultural labourers, the average wage of women on an average is 30 - 50 % less than that of men.

**Violation of "Right to Live with Dignity" Eve teasing and Sexual Abuse:** Eve teasing is an act of terror that violates a woman's body, space and self - respect. It is one of the many ways through which a woman is systematically made to feel inferior, weak and afraid. Whether it is an obscene word whispered into a woman's ear; offensive remarks on her appearance; any intrusive way of touching any part of women's body; a gesture which is perceived and intended to be vulgar: all these acts represent a violation of woman's person and her bodily integrity. Thus, eve teasing denies a woman's fundamental right to move freely and carry herself with dignity, solely on the basis of her sex. There is no particular places where eve -teasers congregate. No place is really "safe" for women. Roads, buses, train, cinema halls, parks, beaches, even a woman's house and neighbourhood may be sites where herself-worth is abused.

Thus, all these violence done against women raises the question mark that how these special rights being given to women are helping them? What are the benefits of framing such laws for the women? Are they really helping them? Will the women really be given an equal status to men one day? All these questions are still unanswered. There is still long way to go to answer such questions.

**Judiciary and Gender Justice:** The Supreme Court of India has held in catena of cases that provisions of reservation in matters of admission and employment to public offices includ-

ing in local bodies can be validly made by the legislature. The following such illustrative cases exhibit the role of Supreme Court of India and High Courts in their attempt to promote women development as laid out in the Constitution of India.

1. Rajesh Kumar Gupta v. State of Uttar Pradesh, AIR 2005 SC 2540
2. Union of India v. K. P. Prabhakaran, (1997) 11 SCC 638
3. Girdhar v. State, AIR 1953 MB 147
4. Yusuf v. State of Bomabay, AIR 1954 SC 321 (322)
5. Choki v. State of Rajasthan, AIR 1957 Raj 10
6. Shahbad v. Abdulla, AIR 1967 J &K 120 (127)
7. Dattatraya v. State of Bombay, AIR 1953 Bom 311
8. Sagar v. State of Andhra Pradesh, AIR 1968 AP 165, 174
9. Vishaka v. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011
10. State of Maharashtra v. Rajendra J Gandhi (1997) 8 SCC 386

**Select Intervention of National Human Rights Commission:**

Functioning of the Government Protective Home (Women), Agra As per the directions of the Supreme Court of India in the Writ Petition No.1900/81 - Dr. Upendra Bakshi & Others v. State of Uttar Pradesh vide Order dated 11-11-1997, the National Human Rights Commission<sup>17</sup> has been supervising the functioning of the Government Protective Home (Women), Agra. The District Judge of Agra has been entrusted with the responsibility of conducting monthly inspections and submitting a visit report to the Commission. The Reports are scrutinized by the Commission and appropriate directions given to the State Government for overall improvement of the functioning of the Home.

A Member of the Commission as well as a Special Rapporteur of the Commission frequently visits the Home to make a broad assessment of the functioning of the Institution. The Home was last visited on 5th May, 2003 and certain discrepancies were noticed during the visit. The Commission has taken up the matter with the State Government.

---

17. Constituted u/s 3 of the Protection of Human Rights Act, 1993 and is functioning from Manav Adhikar Bhawan Block-C, GPO Complex, INA, New Delhi - 110023, and Shri Justice H L Dattu is the Present chairman.

The Commission called the Director (Women's Welfare), Govt. of Uttar Pradesh for a discussion along with the Superintendent of the Home and the District Probation Officer, Agra to review the functioning of the Home on 20-01-2004. The Director (Women's Welfare) was directed to take pro-active steps in Agra and elsewhere in the State for effective cooperation between the concerned wings of the administration for effective implementation of the Immoral Trafficking Prevention Act. The Director (Women's Welfare) was asked to draw up an action plan within a given time frame for implementation of the Act in law and spirit.

**Rehabilitation of Marginalized and Destitute Women in Vrindavan:** The National Human Rights Commission, since 2000, has been monitoring the implementation of its recommendations for the rehabilitation of marginalized and destitute women residing in Vrindavan. In this context, it had also directed the concerned officials of the Government of Uttar Pradesh to regularly apprise the Commission about the overall progress made towards improving the condition of destitute and marginalized women.

In order to have first hand information about the status of marginalized and destitute women in Vrindavan, Members and senior officials of the Commission, have been visiting Vrindavan from time to time and reiterating Commission's directions regarding grant of pension, accommodation, LPG connections, ration cards, health care & sanitation, cremation fund, vocational training, social security cards and recreational facilities to the concerned officials so that expeditious action is taken on the matter.

**Combating Sexual Harassment of Women at the Work Place:** The National Human Rights Commission has taken a keen interest with regard to the implementation of the guidelines and norms prescribed by the Supreme Court on preventing and combating sexual harassment at the workplace (1997 VII AD S.C. 53), popularly known as the Vishaka guidelines. Due to its persistent perseverance and supervision, all the States and Union Territories have forwarded their compliance reports confirming thereby the constitution of complaints mechanism and the required amendments in the Conduct Rules for their employees.

**Harassment of Women Passengers in Trains:** The National Human Rights Commission has been deeply concerned

about harassment of women passengers in trains. In order to find a solution, it held several meetings with the officials of the Ministry of Railways, Railway Protection Force, Government Railway Police and representatives of NGOs. In pursuance of the decisions taken in those meetings, the Ministry of Railways have made available FIR forms in Hindi, English and a few regional languages in trains. It has also incorporated a module on gender sensitisation in the training programmes for the Probationers of the Traffic and Security Department of the Railways. The Commission also recommended to the Ministry of Railways the following - (i) availability of FIR forms in all other regional languages, (ii) preparation and display of messages in the railway coaches, (iii) preparation and display of graphics and other publicity materials at the railway platforms, (iv) printing of the message on the back of the ticket saying that sexual harassment of women in trains is a crime, and (v) preparation of power point presentation that could be made in software for the television showing briefly the issue and its implications.

**National Commission for Women:** The National Commission for Women was set up as statutory body in January 1992<sup>18</sup> to:

- Review the Constitutional and Legal safeguards for women
- Recommend remedial legislative measures
- Facilitate redressal of grievances and
- Advise the Government on all policy matters affecting women.

In keeping with its mandate, the Commission initiated various steps to improve the status of women and worked for their economic empowerment during the year under report. The Commission completed its visits to all the States / UT's except Lakshdweep and prepared Gender Profiles to assess the status of women and their empowerment. It received a large number of complaints and acted suo-moto in several cases to provide speedy justice.

It took up the issue of child marriage, sponsored legal awareness programmes, Parivarik Mahila Lok Adalats and reviewed laws such as Dowry Prohibition Act, 1961, PNDT Act 1994, Indian

---

18. National Commission for Women Act, 1990 ( Act No. 20 of 1990 of Govt. of India)

Penal Code 1860 and the National Commission for Women Act, 1990 to make them more stringent and effective. It organized workshops/consultations, constituted expert committees on economic empowerment of women, conducted workshops / seminars for gender awareness and took up publicity campaign against female foeticide, violence against women etc. in order to generate awareness in the society against these social evils.

**Emerging Issues of Women Rights:** In India, women across various religions except Buddhist denomination have exposed to certain gender issues. The entry of women is prohibited in certain Hindu Temples such Saniswaran Temple, Sabarimala etc. Similarly Muslim women are barred from entering certain Durgahs, the case of involving Haji Ali Dargha is an example. Further, Muslim women are exposed to pathetic conditions in matters of divorce involving the practice of Triple Talaq. There are allegations of young female children among Jains undergoing fasting and sometimes results in death of innocent children. These matters except Jains issue are sub- judice in Hon'ble Supreme Court of India.

**Conclusion:**

Protection of human rights has got a wide recognition in the present day world of human rights revolution. Human rights jurisprudence gets power only if the concept of social justice is promoted according to the socio economic development of the State.

The change in the administration of a State from Laissez faire to welfare system, and inclusion of the declaration of rights in the Constitutions of most of the countries after the Second World War increased the responsibility of the States in protecting the human rights of the people. But when it comes to enforcing these rights against the State for its violations the principle and procedure seems to be inadequate.

Violence against women and girls is rooted in age old customs which leads to gender- based discrimination and social norms and gender stereotypes that perpetuate such violence. Given the devastating effect violence has on women, efforts have mainly focused on responses and services for survivors. However, the best way to end violence against women and girls is to prevent it from happening in the first place by addressing its root and structural causes.

Prevention should start early in life, by educating and working with young boys and girls promoting respectful relationships and gender equality. Working with youth is a "best bet" for faster, sustained progress on preventing and eradicating gender-based violence. While public policies and interventions often overlook this stage of life, it is critical times when values and norms around gender equality are forged. Working with men and boys helps accelerate progress in preventing and ending violence against women and girls. They can begin to challenge the deeply rooted inequalities and social norms that perpetuate men's control and power over women and reinforce tolerance for violence against women and girls. Prevention entails supporting the implementation of the agreed conclusions of the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW) that placed a strong focus on prevention through the promotion of gender equality, women's empowerment and their enjoyment of human rights. It also means making the home and public spaces safer for women and girls, ensuring women's economic autonomy and security, and increasing women's participation and decision-making powers in the home and relationships, as well as in public life and politics. Awareness raising and community mobilization, including through media and social media, is another important component of an effective prevention strategy.

In conclusion it can be said that Indian women has covered a long way to prove that she is capable of doing anything and equal partner in the economics of developmental growth and prosperity of the nation. Women are the pillars of the society and without them the imagination of the society is impossible. Now it is the right time for all of us to understand the power of women. It is incorrect to say that behind every successful man there is a woman. The correct portrayal by harmonizing the inter-relationships and equality of men and women is begins with saying that with every successful man there is a woman.

This saying is enough to prove that man and women both are necessary element of society. Women plays different role in her life which is not an easy task. During her life she acts as daughter, wife, sister and mother at different stages of life. So we must give them due care and respect and understand their efforts towards welfare of the society at large.



**References:**

1. Kapoor. S. K., International Law and Human Rights, 19th Edition 2014.
2. Baxi, Upendra, The Future of Human Rights , 2nd Edition 2006.
3. Malik. Krishna Pal, Women and Law , 1st Edition 2009.
4. Mallik. Bsant Kumar, Ambedkar on Women's Progress, (Ed), Deep & Deep Publications, 1993.
5. Crimes in India -, NCRB, Ministry of Home Affairs.
6. Jalbert. E. Susanne, 2000. Women Entrepreneurs in the Global Economy, March 17, 2000.
7. Krishan. Shashi, July 1, 2008. Indian Democracy and Women's Human Rights. Madhya Pradesh Journal of Social Sciences.
8. United Nations Department of public Information DPI/1772/HR - February 1996.
9. Dhanda. Poonam, 2012. Status of Women in India. RBSA publications.
10. Madhurima. 2010. Readings in sociology. New Academic Publishing Co.



## वैदिक साहित्य का विकास | एक नया दृष्टिकोण

Dr. K. K. Chakrabarti\*

वेद भारतीय संस्कृति का उत्स है। वेद की भारतीय धर्म में प्रतिष्ठा का ज्ञान इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि हम ईश्वर विरोध को तो सहन कर सकते हैं किन्तु 'वेद' का आंशिक विरोध भी हमारी-दृष्टि में नितान्त असह्य है। 'वेद' आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि से सम्बन्धित तत्त्वों का विशाल-विमल भण्डार होने के साथ ही वैज्ञानिक तत्त्वों से भी परिपूर्ण है।

'वेद चतुष्टय' से वेद चार माने जाते हैं- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। ऋग्वेद का विषय 'मन्त्र' है, यजुर्वेद का यज्ञकर्म, सामवेद का 'स्तुतिस्तोत्रम्' व अथर्ववेद में वेदत्रयी (ऋक् यजुर्वेद व साम) के विषय के साथ ही 'प्रायश्चित' आदि इहलौकिक विषयों का प्रातिपादन किया गया है।

वेदों में अथर्ववेद की एक भूयसी विशिष्टता है। ऋग्वेदादि वेदत्रयी में मन्त्रों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति आदि पारलौकिक विषयों का प्रतिपादन किया गया है, किन्तु अथर्ववेद में पारलौकिक विषयों के साथ ही एहलौकिक विषयों का भी सन्निवेश किया गया है। इस मानव जीवन को सुखमय तथा दुःख-विरहित बनाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी सिद्धि के लिए नाना अनुष्ठानों का विधान अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद का ऋत्विक् ब्रह्मा है।

अथर्ववेद में सामाजिक, याज्ञिक कर्मकाण्ड, संस्कार आदि के साथ ही वैज्ञानिक तत्त्वों जैसे-आयुर्वेद, रसायन, जल विज्ञान आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। हम यहाँ भौतिकी सम्बन्धी कुछ तत्त्वों का उल्लेख करेंगे।

वेद में ऋत और सत्य को सृष्टि का आधार कहा गया है। शाश्वत प्राकृतिक नियम 'ऋत' पद से अभिहित किये गये हैं। ये प्राकृतिक नियम ही सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का नियन्त्रण व संचालन करते हैं-  $\text{r}^{\text{pl}} \text{R}; \text{peh} \text{kr-ril ks}; \text{tk}; \text{rA}$

अतएव अथर्ववेद में कहा गया है-;  $\text{RI R}; \text{u n} < \text{dirk i ffkoh} \text{rsu} \text{pkfnR}; \text{k} \text{I R}; \text{uk} \text{I kferk Hk} \text{ie} \% \text{rsu} \text{vkfnR}; \text{kfLr} \text{BflrA}^2$

भौतिक विज्ञान में सूर्य की प्रमुखता से चर्चा होती है। वेदों में सूर्य की सात किरणें या रश्मियाँ हैं तथा रश्मियाँ ये ही सूर्य के 'अश्व' कहे गये हैं। अतएव सूर्य को 'सप्तसप्तिः' अथवा 'सप्तरश्मिः' से भी सम्बोधित किया गया है। ये सप्तरश्मियाँ वर्षा के कारण आकाश जल की वृष्टि करती हैं-  $\text{vo fnoLrkj}; \text{flr} \text{I lr} \text{I} \text{wLr}$

\* शोध छात्रा, संस्कृत, दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

**j' ; e% vki %l efnz k /kjk%A<sup>3</sup>** उपर्युक्त मन्त्र में 'समुद्रिया' पद से यह बोधित होता है कि सूर्य समुद्र से जल को वाष्प रूप में ग्रहण करता है, इसी बात को अन्यत्र स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि सूर्य की किरणें जल को ऊपर आकाश में ले जाती है— **gj ; %l q .kkz v iksol kuk fnoe~mRi rflrA<sup>4</sup>**

अथर्ववेद में सप्तसूर्यो का उल्लेख किया गया है, ये सप्तसूर्य, सूर्य के साथ ही रहते हैं— **d' ; i---; fLeu~l w k z vfi r k %l Ir l kdeA<sup>5</sup>**

तैत्तिरीयारण्यक में इन सप्तसूर्यो के नामों का उल्लेख किया गया गया है। ये निम्न हैं— 1. आरोग, 2. स्वर्ण, 3. म्राज, 4. ज्योतिषीमान्, 5. पटर, 6. विभासा 7. पतंग। ये सप्तसूर्य अष्टमसूर्य 'कश्यप' जो स्थिर है और इनसे प्रमुख है, के सप्त अंग माने गये है।

सूर्य की किरणें ऊर्जायुक्त और अति तीव्रगतिवान् है— **'kpaogflr gj ; ks j?kq ; n%A<sup>7</sup>**

सूर्य की किरणें सभी वस्तुओं में रूपयुक्त होकर उन्हें धारण करती है— **l w k z : i ad .kqs | ks i LFkA<sup>8</sup>**

अथर्ववेद के अध्ययन में एक अतिमहत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य सामने आता है कि सूर्य से चन्द्रमा में प्रकाश आता है। मन्त्र का कथन है कि चन्द्रमण्डल के सूर्य की गुप्त किरणें प्रवेश करती है— **v=kg xkjellor uke Ro"Vq hp ; eA bRFk plnæl ks xgA<sup>9</sup>**

अथर्ववेद के एक मन्त्र में भौतिक विज्ञान से सम्बन्धी प्रमुख तत्त्व सौर ऊर्जा का उल्लेख है। देवता विराज ब्रह्मा की ऊर्जा रूप में कहे गये है। उसे सविता ने दुहा एवं ऊर्जा को प्राप्त किया तथा इसी सौर ऊर्जा से ही देवता जीवित रहते हैं—

**rkans%l fork /kcd~rke-Åtklæk/kcdA  
rke-Åtklæk mi thoflra<sup>10</sup>**

अथर्ववेद में 'अग्नि' को ऊर्जा का आधार कहा गया है। 'अग्नि' ही विश्व के प्रत्येक वस्तु में विकास को धारण करता है। पृथ्वी में अग्नि है, अतएव पृथ्वी गतिशील है। मनुष्य में अग्नि तत्त्व की उपस्थिति ही उसकी क्रियाशीलता को बताता है। मनुष्यों के उदर में स्थित अग्नि भोजन को पकाता है। यही जल अग्नि में विद्यमान है, यह जल घर्षण से ही औषधियों में, वृक्षों में, वनस्पतियों में भी अग्नि है। इसी अग्नि वृक्षों का रस पकता है और वृक्षादि विकसित होते है। अतः अथर्ववेद का कथन है कि अग्नि भूमि में, औषधियों में जल में, पाषाण में, मनुष्य और गायों में है— **vfxuhkA ; ke-vkSk/ki"ofxueA<sup>11</sup>**

मनुष्य के हृदय में अग्नितत्त्व है, यही मानव के हृदय को चेतना प्रदान करता है। यह अग्नि इस नश्वर शरीर में और अनश्वर शरीर में अमर होकर रहता है —

; ksuksvfxu%fi rjksâRI ĩ vUrkfoosk verkeRL; žk<sup>12</sup>

सूर्य च चराचर दोनों को आत्मा कहा गया है, इसका यह अभिप्राय है कि जंगम और स्थावर जगत सूर्य के समीप ही जाता है—l wlvkrek txrLrLFkk'pA<sup>13</sup>

जंगम व स्थवर जगत के समस्त तत्त्वों का विकास सूर्य से ही होता है और सूर्य का आधार लेकर ही इनके अस्तित्व को अथर्ववेद में तीव्रगतिवान् यान को 'अंजोयानम्' कहा गया है — v' tks ku% i fFkfkLr= xPNreA<sup>14</sup>

अग्नि व चन्द्रमा से यान के समान चलने वाले अनेक प्रकार के नौकाओं अथवा पोतकों द्वारा दीर्घयात्रा का उल्लेख किया गया है— uoek: {k%'krkfj=ka LoLr; A<sup>15</sup>

अथर्ववेद में एक ऐसे वर्णन का उल्लेख है जिसे वर्तमान काल में 'वातानुकूलित' कहा जा सकता है कि जो धर के चारों ओर हिमाच्छदित हो, मध्य में शीतल जल वाला तडाग हो और शीतलता को दूर करने के लिए अग्नि उपलब्ध हो —

fgel; Rok tjk; qkk 'kkysi fj0; ; kefl A

'khrânk fguksHkø%vfxu"d'. ksrqHkSkteAA<sup>16</sup>

यजुर्वेद में आकाश में विचरण करते हुए विमान की कल्पना की गयी है। अथर्ववेद अग्नि के अविष्कार के तीनों चरणों का ज्ञान होता है और सबसे पहले प्रस्तर घर्षणा से अग्नि उत्पादित है— ; ks v' eukjUrkjfxua t tkuA<sup>17</sup>

तत्पश्चात् अरणी वृक्ष के लकड़ियों के घर्षण से अग्नि उत्पादित है—v j. kh; kh; ka fueF; rsol A<sup>18</sup>

अन्त में जलघर्षण से अग्नि विद्युतवत् उत्पादित है — vXusfi Ūkei kefl A<sup>19</sup>

एक मन्त्र में भूमि की आद्यावस्था का ज्ञान होता है। पृथिवी की अवस्था क्षुब्धा थी। पर्वत भी चंचल थे, धीरे-धीरे पृथिवी शान्त हो गयी और पर्वत भी स्थिर हो गये— ; %i fFkoh 0; Fkekuke-vnagrA<sup>20</sup>

एक मन्त्र में चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से कही गयी है, अतएव चन्द्रमा का महत्त्व समुद्र में दृष्टिगोचर होता है— vll qrs tle-----l epšvUreĭgek rs--A<sup>21</sup>

इस प्रकार अथर्ववेद में कुछ प्रमुख भौतिक तत्त्वों का उल्लेख किया गया है, जो वर्तमान में भी विद्वानों द्वारा शोध का विषय बना है।

I UnHKz xJFk I ph %

1. ऋग्वेद, 10/190/1
2. अथर्ववेद, 14/1/1

3. अथर्ववेद, 7 / 107 / 1
4. अथर्ववेद, 13 / 9 / 7
5. अथर्ववेद, 13 / 7 / 10
6. तैत्तिरीयारण्यक, 1 / 7 / 1
7. अथर्ववेद, 13 / 3 / 16
8. अथर्ववेद, 20 / 123
9. अथर्ववेद, 20 / 41 / 3, ऋग्वेद, 1 / 84 / 15
10. अथर्ववेद, 8 / 10 / 5 / 3 / 4
11. अथर्ववेद, 12 / 1 / 19
12. अथर्ववेद, 12 / 2 / 33
13. अथर्ववेद, 13 / 2 / 35
14. अथर्ववेद, 18 / 2 / 54
15. अथर्ववेद, 17 / 1 / 25—26
16. अथर्ववेद, 6 / 166 / 3
17. अथर्ववेद, 20 / 34 / 3
18. अथर्ववेद, 10 / 8 / 20
19. अथर्ववेद, 18 / 3 / 5
20. अथर्ववेद, 20 / 34 / 2
21. अथर्ववेद, 6 / 80 / 3



## संचार : मानव समाज का आधार

संचार : मानव समाज का आधार

संचार मानव समाज की एक आधार भूत प्रक्रिया है। परम्परागत रूप से मानव में शब्द, भाषा और प्रतीकों के माध्यम से अपने इच्छा, आवश्यकता, मनोभावों और विचारों का सम्प्रेषण किया है। जैसे-जैसे मानव सभ्यता का विकास होता चला गया, जैसे-वैसे संचार की प्रक्रिया अधिक विस्तृत होती गयी। संचार के अभाव में सभ्यता और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। संचार की प्रक्रिया ने ही मानवीय सम्बन्धों और मानवीय अन्तःक्रियाओं को सम्भव बनाया है।

सामान्य रूप से संचार समाज की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक अनुभवों, व्यवहारों एवं आवश्यकताओं को आदान-प्रदान किया जाता है। इसमें निश्चित लक्ष्यनिहित होता है। ये व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित व प्रभावित करता है। इसमें समता भागीदारी की सूचना एवं सम्प्रेषण व अन्य प्रक्रियायें भी सम्मिलित रहती हैं। जो कि सम्प्रेषक एवं श्रोता के मध्य स्वतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार संचार सम्प्रेषक और श्रोता के मध्य सन्देश एवं सूचना से सम्बद्ध क्रिया एवं प्रक्रिया का पुंज है।

संचार प्रत्येक समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। संचार के अभाव में न मानव समाज का विकास हो सकता है और न ही सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण, क्योंकि संचार के अभाव में व्यक्ति का संसार सीमित व संकुचित हो जाता है।

संचार व्यवस्था में संचार मूलाधार है। व्यवस्था का अभिप्राय किसी खण्ड एवं उपखण्ड से परे "पूर्णत्व" से है। इन खण्डों की प्रक्रिया पूर्णता से ही सन्दर्भित होती है। प्रत्येक नियन्त्रित व्यवस्था में तीन अनृथ क्रिया एवं सम्मिलित होती है। (1) सूचना (2) मूल्य अथवा प्राथमिकतायें (3) व्यवहार एवं अभिव्यक्ति इन्हीं तीन आयामों से मुक्त प्रक्रिया को व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। व्यवस्था का विस्तार निजी, खण्ड एवं उप खण्ड से परिपूर्ण अथवा समिष्ट तक होता है, जिसमें उसके खण्ड एवं उपखण्ड सम्मिलित होते हैं, इसे पर्यावरणीय या विपुल व्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार व्यवस्था में आदान-प्रदान मूल्यों का चयन व्यवहार

---

\* शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

अर्थात् मूल्यों का स्थानान्तरण निहित है। ये प्रक्रिया प्रत्येक व्यवस्था में होती है। मानव समाज में अनेक व्यवस्थाएँ होती हैं। जैसे—सामाजिक—आर्थिक—राजनीतिक—धार्मिक इत्यादि। मानव समाज इस नियन्त्रित व्यवस्थाओं के अन्तःक्रिया का परिणाम होता है। संचार में प्रकार्यात्मक दृष्टि से अनेक चरण सम्मिलित हैं, जिनसे मिलकर संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है। सामाजिक विकास के साथ—साथ संचार एवं उसके चरणों का विकास हुआ।

**1. संचार के चरण (Communication Steps) :**

संचार प्रक्रिया का प्रवाह मुख्य रूप से तीन स्तरों से युक्त होता है— (1) एक चरणीय या बुलेट संचार (2) द्विचरणीय संचार (3) बहुचरणीय संचार। इस प्रकार संचार और संचार मार्ग (way) में अन्तर है। संचार मार्ग — (1) एकल और (2) दुहरा अर्थात् फीडबैक युक्त होता है। संचार के चरणों में संचार प्रवाह की वे प्रक्रियायें सम्मिलित हैं जहाँ संदेश अपना माध्यम साधन एवं स्वरूप बदलकर पुनः प्रभाव में आ जाता है। संचार के चरण—अगणित हैं। लेकिन संचार मार्ग मुख्यतः दो ही हैं। एक दिशा में सूचना प्रवाह सम्प्रेषित होता है तथा दूसरी दिशा से प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति यात्रा करती है।

संचार के इस प्रारूप को एक चरणीय या सूचिका वेध (Hypodermic needle mode) या इसे बुलेट माडल (Bullet Model) भी कहते हैं। इस प्रारूप का सम्बन्ध श्रोता (वक्ता) एवं प्रत्यक्ष श्रोता से होता है। (Fred-Fedler-1978) फ्रेडलर का मानना है कि एक चरणीय संचार प्रारूप में संचार माध्यमों से श्रोत को सीधे मिलने वाली सूचना के सदृश्य प्रभावी माना जाता है और प्रत्यक्ष सूचना प्रवाह श्रोताओं को काफी प्रभावित करती है। संचार के इस प्रारूप की खोज मनोवैज्ञानिक के शोधों द्वारा (1930—40 के मध्य) हुई।

एक चरणीय संचार की पूर्व कल्पना कुछ विशेषज्ञों द्वारा 1930 में की गयी थी। उस दशक में संचार माध्यम का प्रयोग रूजवेल्ट तथा हिटलर सदृश प्रभावी राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किया गया।

**1. संचार प्रक्रिया में श्रोत का प्रमुख स्थान (The Source in Communication) :**

संचार प्रक्रिया में श्रोत का प्रमुख स्थान है। श्रोत का सामान्य अभिप्राय उत्पत्ति से है। समाज में समय—समय पर घटनाएँ घटती रहती हैं। प्रत्येक घटना सूचना नहीं होती। जिस घटना की सामाजिक उपयोगिता होती है वह घटना सूचना के रूप में सूचना संग्रह से सम्बद्ध व्यक्ति अथवा संस्थाएँ सूचना को संग्रहीत कर लेती हैं। सूचना का स्रोत व्यक्तिगत कथन या हाव—भाव या संचार संगठन जैसे—समाचार पत्र, रेडियों, टेलीविजन भी हो सकते हैं।

स्रोत, व्यक्ति अथवा संस्थाएँ प्रतिदिन अधिक मात्रा में सूचनाओं को संग्रहीत कर लेती है। सूचना का स्रोत इन प्राप्त सूचनाओं में श्रोता अथवा समाज के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएँ ही प्रेषण के लिये चयनित की जाती है।

समाज के लिए उपयोगी सूचना के सम्प्रेषण में सम्प्रेषक की भूमिका मुख्य होती है। एक ही सूचना की प्रस्तुति और उसकी प्रभावित में सम्प्रेषक के आधार पर अन्तर आ जाता है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण या ईमानदारी सम्प्रेषक की प्रभाविता का महत्वपूर्ण तत्व है। सम्प्रेषक संचार प्रक्रिया का वह अंग है, जो कि संदेश का सम्प्रेषण करता है सम्प्रेषक की भूमिका का संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। सम्प्रेषक की भूमिका में सामाजिक स्तर ही नहीं, वरन् सम्प्रेषक उपयुक्त पर प्रतिभा एवं विशेषता का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

सन्देश का प्रभाव सम्प्रेषण द्वारा प्रयुक्त शब्द एवं विचारों के ऊपर निर्भर करता है। प्रयुक्त शब्द के अनुरूप ही व्यक्ति जब विकर्षण युक्त शब्दों को सम्प्रेषित करता है, तो उस पर श्रोता अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। सन्देश अपने प्रभाव के अनुसार (1) सकारात्मक एवं (2) नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक सन्देश से अभिप्राय उस प्रकार के सन्देश से है, जो श्रोता को आकर्षित करता है। नकारात्मक सन्देश विकर्षण युक्त, आलोचनात्मक एवं अलाभकारी होते हैं। संदेश प्रक्रिया तार्किक सन्दर्भ में आगमनात्मक (Inductive) एवं निगमनात्मक (Deductive) होती है। सन्देशों को भावनात्मक एवं निगमनात्मक तारतम्य में प्रस्तुत किया जाता है। सम्प्रेषक जब अनेक विशेषीकृत उदाहरणों के आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचता है तो इस प्रकार के संदेशों को आगमनात्मक एवं जब सम्प्रेषक सामान्य कथनों या तथ्यों से विशेष तथ्य निकालता है, तो इस प्रकार संदेश निगमनात्मक कहा जाता है।

इस प्रकार संदेश सम्प्रेषण और श्रोता के मध्य होने वाली ऐसी प्रक्रिया है, जो कि श्रोता के मस्तिष्क में सम्प्रेषित शब्दों को विचारों के आधार पर एक अर्थ उत्पन्न करती है और इस प्रक्रिया से विचार एकीकृत होते हैं तथा एक दृष्टि पैदा करने के साथ-साथ जन प्रभावित की क्षमता विकसित करते हैं।

हेराल्ड लासवेल, संचार माध्यम के मुख्य कार्यसूचना संग्रह एवं प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान के सम्प्रेषण द्वारा लोगों का मनोरंजन करना है। संचार माध्यम को मुख्य रूप से (क) परम्परागत संचार माध्यम (ख) जनसंचार माध्यम दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। परम्परागत संचार माध्यम के अन्तर्गत नाटक, लोकगीत, लोकनृत्य आदि आते हैं तथा जनसंचार माध्यम के अन्तर्गत प्रेस, समाचार-पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि का समावेश होता है।



श्रोता वर्ग का अभिप्राय संचार माध्यमों से सूचना प्राप्त करने वाले लोगों से है। चाहे रेडियों हो, चाहे समाचार-पत्र अथवा टेलीविजन या फिल्म हो। श्रोता वर्ग प्रत्येक संचार माध्यमों में फैला होता है, किन्तु जनसंचार माध्यम के श्रोता वर्ग में एकता प्राप्त किसी एक सूचना के लोगों की आयु, प्राप्त सूचना, आर्थिक स्थिति इत्यादि के आधार पर स्थापित कर सकते हैं। जिन संचार माध्यमों के विकास के परिणाम स्वरूप श्रोता वर्ग के आकार-प्रकार में व्यापक परिवर्तन आया है। परम्परागत संचार माध्यमों का स्वरूप श्रोता वर्ग किसी प्रकार एक निश्चित दायरे में सिमटा ताकि पर्याप्त सम्पर्कों से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति संचार माध्यमों से प्रसारित सूचना को ग्रहण करते हैं, वही श्रोता है। वह श्रोता वर्ग (क) प्राथमिक या (ओपिनियन लीडर), (ख) द्वैतीयक दो प्रकार का होता है। प्राथमिक श्रोता जो कि सम्प्रेषक का सम्प्रेषित संदेश सीधे ग्रहण करता है। (ओपिनियन लीडर) प्राथमिक श्रोता होते हुए भी सामान्य श्रोता के रूप में समान्य श्रोता से भिन्न प्रकृति का है। इसका मापना (1) समाजमिति (2) सूचना दर (3) तथा स्वयं पर निर्भर मूल्यांकन प्रक्रिया से सम्भव है।

सूचना सम्प्रेषक एवं सूचना ग्रहण करने वाले (ओपिनियन लीडर) या श्रोता के मध्य संचार प्रगति के मध्य विश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावी होती है। इसे मनोवैज्ञानिक सोलमन ने "प्रतिबद्धता" के सिद्धान्त की संज्ञा दी है। इस सिद्धान्त का मानना है कि संचार प्रवाह में व्यक्ति के व्यवहार मनोदशाएँ एवं व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार से सम्बद्ध होते हैं के आधार पर व्यक्ति के विचार एवं अनुभवों उद्वेगों का सृजन होता है। संचार प्रगति में (ओपिनियन लीडर) या श्रोता संचार का अर्थ एवं विश्लेषण अपने निजी मनोवैज्ञानिक व्यवहार के अनुरूप करता है। वह स्वयं अपने निजी दृष्टिकोण का निर्माण स्वयं के अवलोकन और विश्लेषण के आधार पर करता है।

संचार एक सामाजिक प्रक्रिया या प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति समस्त जीवधारियों के व्यवहार में प्राप्त होती है। संचार को एक संघटक भी कहते हैं। जिसमें अनेक स्तर एवं प्रक्रियाएँ सम्मिलित है। संचार के बिना न तो सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही राजनीतिक समाज की।

अन्तर व्यैक्तिक संचार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जिसकी परिधि व्यक्ति एवं स्वयं होता है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति का विचार एवं परिणाम सम्मिलित होता है। स्वयं के अनुभव विचार इत्यादि के आधार पर भूत, वर्तमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति घटना प्रभाव एवं परिणामों का स्वयं मूल्यांकन करता है। व्यक्ति द्वारा ईश्वर या उस प्रकार की शक्तियों से होने वाला संचार या उपासना अन्तर-व्यक्ति संचार का सर्वोत्तम उदाहरण है।

**Reference :**

1. Fred Fedler : An Introduction of the mass-media, harcourt brace, jovanovich, inc New York 1978.
2. Rogers E.M. Floyd shemaker: Communication of innovations (Across cultural approach the free press New York 1971)
3. Stewart L. Tubbs: Sylvia mass-human communication, Random hour, New York 1974.
4. Robert Hopper: Human message system, Harper and Row publisher, New York 1976.
5. B. Kuppaswami: Communication and social development in India: sterling publication Pvt. Ltd. New Delhi, 1976.
6. Stewart L. Tubbs: Sylvia mass, human communication random house, New York 1974.
7. Berld- K David: The process of communication, Hart pinehart and winstan, New York U.S.A. 1970.
8. Kenyon S. De Green: Systems psychology, megraw-hill book company New York U.S.A. 1970.
9. Devito A. Josef : Communicology: An introduction to the study of communication harpark & Row publisher. New York, 1978.
10. Jitendra Mohan: Distance training course in youth work common wealth secretariat.
11. Jean Paul Favre, Andre November: Color end undet communication .A.B.C. Verlag zurich.
12. Singh Gurmeet Meen: The story of communication, An Indian perspective. Human, publication New Delhi. 1987.
13. Devito A Josef: Interpersonal communication book. Harper and Row publication New York, 1976.



## वृत्त I कृद्द्र I ष्क , oa I el kef; d Hkkjrh; I ekt

MkK I qhy dēkj feJ\*

समाजशास्त्र के बुनियादी विचारक जिन्हें क्लासिकल विचारक कहा जाता है, के इस विचार को कि इतिहास की अपनी एक निश्चित दिशा होती है, यह निश्चित नियमों की पूर्ति करके ही हमें अपने मंजिल तक ले जाता है किन्तु क्लासिकल विचारकों की आलोचना करते हुए उत्तर आधुनिक विचारकों ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि सृष्टि का नियम परिवर्तनशील हो तो आज का समाज बदल चुका है और आधुनिक समाज में पूरी समाज व्यवस्था मीडिया के माध्यमों पर आधारित होकर चलती है क्योंकि मीडिया ही वह माध्यम है जो हमें अतीत की दुनिया से खींच कर वर्तमान में लाया है। मीडिया का यह स्वरूप समाज को नये विचारों, मूल्यों और विश्व की बिखरी हुई संस्कृति से व्यक्ति का परिचय करवाता है। इन आधुनिक विचारों, मूल्यों के जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उसके इतिहास से कोई लेना-देना नहीं होता है।

जिज्ञासा और संचार दोनों मनुष्य की मूल प्रति में निहित होता है। सृष्टि के आरम्भ से ही मनुष्य दुनियाँ, समाज और वाह्य के विषय में जानने के प्रति उत्सुक रहा है। आरम्भ में मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रेषित करने के लिए चीखकर, हँसकर, रोकर तथा विभिन्न प्रकार के संकेतों को प्रकट करके आपस में विचार विनिमय किया करता था, जो आदिम संचार का स्वरूप था। सभ्यता के विकास के साथ-साथ वह बोलकर, गाकर तथा अभिनय के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने लगा। भाव सम्प्रेषण की यह प्रक्रिया जब समूहों में होती है तब इसे जनसंचार कहते हैं। अर्थात् संचार के लिए किसी न किसी माध्यम का होना आवश्यक होता है। पारम्परिक, आधुनिक एवं इलेक्ट्रानिक यह तीन प्रचलित संचार माध्यम हैं, जो मानव सभ्यता के क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। आदिकालीन समाज में जहाँ संकेतों प्रतीकों आदि का आश्रय लिया जाता था वहीं सभ्यता के विकास के साथ-साथ धार्मिक कथाएँ, प्रवचन, गीत-संगीत, हस्तलिखित पत्र, समाचार, पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तकें, रेडियो, टेलीविजन और कम्प्यूटर आदि संचार माध्यमों के रूप में परिचित होने लगे।

---

\* अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ.प्र.

**I pkj dk n'ku (Philosophy of Communication) &** दर्शन विचारों की एक प्रणाली है जिसे आभ्यान्तरिक (आत्मिक) अनुभव तथा तर्कपूर्ण कथनों से ग्रहण किया जाता है। दार्शनिक तौर पर स्वयं के आन्तरिक अनुभवों को प्रभावित करना तथा उसे तर्क संगत ढंग से प्रचारित करना दर्शन कहलाता है। सृष्टि में चेतन और अचेतन दो ही पदार्थ हैं इनमें बाहरी और स्थूल भाव पर बाहर से विचार करने वाले शास्त्र को विज्ञान और भीतर तथा सूक्ष्म भाव पर अन्दर से निर्णय करने वाले शास्त्र को दर्शन कहते हैं। भारत में बारह प्रमुख दर्शनों का उदय हुआ था, जिनमें से छः नास्तिक तथा छः आस्तिक दर्शन थे। चार्वाक, माध्मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक और आर्हत ये छः दर्शन नास्तिक कहे जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। (नास्तिकों वेद निन्दकः) यह किसी (चारों वेदों) को प्रमाण नहीं मानते हैं बल्कि जहाँ भी इनको अवसर प्राप्त होता है यह वेद की निन्दा ही करते हैं। यही कारण है कि नास्तिक दर्शन को अवैदिक भी कहा जाता है। न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदान्त यह छः आस्तिक दर्शन हैं। यह वेद को मानते हैं, इसीलिए आस्तिक अथवा वैदिक दर्शन कहलाते हैं। यद्यपि सांख्य एवं मीमांसा अनीश्वरवादी दर्शन हैं, फिर भी यह आस्तिक कहे जाते हैं क्योंकि ये वेद को प्रमाण मानते हैं। यह बारहो दर्शन विचार के क्रम विकास के द्योतक हैं। विश्व में जितने भी धर्म, मत या सम्प्रदाय हैं, उन सब के मूल आधार में यही बारह दर्शन हैं।

आगे चलकर दर्शन धर्मदर्शन और समाजदर्शन दो भागों में विभक्त हो गया। धार्मिक आचार-विचार का परिशीलन करने वाले को धर्म दर्शन और सामाजिक विचार व्यवहार का विश्लेषण करने वाले दर्शन को समाज दर्शन कहा गया। संचार समाज का एक आवश्यक अंग है। अतः संचार का दर्शन भी समाज दर्शन की परिधि में आता है।

विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में यूनानी संस्कृति का प्रमुख स्थान था। उस समय भारत धर्म, दर्शन का एक प्रमुख केन्द्र था, तो यूनान समाज दर्श के प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित था। अरस्तू ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। संचार मानव विकास का एक प्रमुख साधन है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य कुछ सीख पाता है और उसे समाज में आगे बढ़ाता जाता है जिसके आधार पर उसकी और समाज की उन्नति होती जाती है। अरस्तू का विचार था कि समाज की स्थिति जैसी होगी संचार की प्रक्रिया भी उसी के अनुरूप होगी। अरस्तू कालीन समाज में अधिनायकवादी व्यवस्था व्याप्त थी। राजेच्छा ही राजा और संविधान हुआ करती

थी, जिसका पूर्ण रूप से पालन जनमानस का नैतिक दायित्व था। अरस्तु एक पक्षीय संचार प्रक्रिया का पक्षधर था। उसका यह विचार था कि जो भी संदेश समाज में संचारित किये जायेंगे, उसका सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। प्रसारित संदेश का प्रभाव कितना और किस रूप में पड़ेगा यह जानने के स्थान पर अरस्तु का मानना था कि जब समाज में संदेश प्रसारित किये जायेंगे तो यह निश्चित ही प्रभावकारी होगा। समाज में ही मनुष्य को अपना विकास करना है अतः वह प्रचलित सामाजिक मान्यताओं और नैतिक आदर्शों के विपरित कोई संदेश ग्रहण नहीं करेगा। इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक परिवेश में संचार की प्रक्रिया पूर्ण होती है।

आधुनिक मानव की विपुल बुद्धि तथा संचार के उन्नत विज्ञान वेत्ताओं के लिए एक रोचक विषय बन गया है। मानवीय सम्पर्क के अवरोधों को ध्वस्त कर संचार माध्यम ज्ञात तथा सांस्कृतिक उत्तेजना और चेतना की सीमा के अन्दर अधिकतम संख्या में लोग उपस्थित होने लगे हैं। अब तक संचार माध्यम सामाजिक शिक्षा का पथ प्रशस्त करती रही है। वर्तमान विश्व में यह प्रचारवादी के रूप में स्थापित हो रही है और विशिष्ट विचार के विक्रेता के रूप में अपने संचालकों का एक अधियार बन गयी है।

आज विश्व ने जिस मानव समाज की रचना की है वह बहुसमूहों तथा अनेक मानकों वाला समाज है। इसमें वर्ण, जाति एवं राष्ट्रीयता के आधार पर विभाजन विद्यमान है। इसमें प्रायः सांस्कृतिक संघर्ष भी चलते हैं। इन संघर्षों के समाधान में आधुनिक संचार माध्यमों के द्वारा किया जाने वाला अन्तरसांस्कृतिक संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में जनमाध्यम एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में क्रियाशील है जिनके माध्यम से अन्तरसांस्कृतिक संचार की प्रक्रिया सफलतापूर्वक गतिशील रहती है।

### वर्तमान विश्व की आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ

वर्तमान विश्व की आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बिना अन्तर्संस्कृतिक संचार के इनमें सामंजस्य बैठा पाना कठिन होता है। एक ओर आर्थिक रूप से सम्पन्न राष्ट्र हैं जो अपने उत्पादों को विश्वव्यापी बनाने के क्रम में लगे हैं तो दूसरी ओर विकासशील राष्ट्रों का ऐसा समूह है जो विकसित राष्ट्रों से आर्थिक, वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। इसी क्रम में कुछ अविकसित राष्ट्र भी हैं जो अपनी विपन्न आर्थिक स्थिति के कारण अन्य राष्ट्रों से समझौता करने को बाध्य होते हैं परन्तु सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति ज्यादा कठोर और जागरूक रहते हैं। इस प्रकार इन समूहों में कभी भी विवाद की स्थिति न

उत्पन्न होने पाये इसके लिए इन राष्ट्रीय समूहों में अन्तरसांस्कृतिक संचार आवश्यक हो जाता है। संचार माध्यमों की सर्वव्यापकता ने आज के वैश्विक परिवेश को एकदम परिवर्तित कर दिया है। इस बदलते परिवेश में मानव—मानव के मध्य सहयोग की भावना का विकास हुआ है। इस भावनात्मक विकास को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए अन्तरसांस्कृतिक संचार की आवश्यकता, उपयोगिता एवं महत्ता स्वयं सिद्ध है।

आधुनिक विश्व में आर्थिक साम्राज्यवाद की ही भाँति सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का भी खतरा मंडराने लगा है। पाश्चात्य संस्कृति के नायक पश्चिमी राष्ट्र संयुक्त रूप से पूरी दुनियाँ पर अपनी सांस्कृतिक सत्ता स्थापित करने के क्रम में सभी उचित—अनुचित तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। हाल के वर्षों में अफगानिस्तान युद्ध और खाड़ी युद्ध (द्वितीय) में यह स्थिति दिखलाई पड़ती है कि यहाँ विश्व भर के मीडियाकर्मी जुटे थे किन्तु पश्चिमी राष्ट्र के सैन्य कर्मी केवल उन्हीं समाचारों को प्रसारित करने देते थे जो उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुकूल होता था। इस प्रकार एक तरह से उन्होंने विश्व भर के जनमाध्यम को नियंत्रित कर रखा था। सम्पूर्ण दुनियाँ युद्ध के केवल उन्हीं दृश्यों से परिचित होती थीं जिनसे उनसे सांस्कृतिक कुरूपता के स्थान पर यह परिलक्षित होता है कि वे मानव समाज के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अपनी उन्नति तकनीकी और पश्चिमी संचार माध्यमों के बल पर पश्चिमी संस्कृति के वाहक राष्ट्र पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति का प्रसार—प्रचार करने लगे हैं। यह सब इनती तीव्रता से हुआ कि शेष सांस्कृतियाँ इनका प्रतिकार नहीं कर सकी और इस प्रकार इनका सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित होता चला गया। एकाकी परिवार उन्मुक्त शारीरिक सम्बन्ध, समलैंगिक विवाह आदि सांस्कृतिक कुरीतियाँ इतनी व्यापक हो गयी है कि शेष संस्कृतियों के लोग भी इनके प्रभाव में आ गये। संस्कृति के पारम्परिक मूल्य नष्ट होने लगे। नये सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना होने लगी। समाज में एक प्रभावशाली वर्ग ने इसे नव संस्कृति के रूप में स्वीकार कर लिया। यह सब सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना का परिचायक है।

अन्तरसांस्कृतिक संचार के द्वारा ही संस्कृति का प्रचार प्रसार तीव्र गति से हो रहा है। अब हिन्दू बच्चे मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चे मदरसों में गीता और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ऐसा अचानक नहीं हुआ बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते साम्राज्य को रोकने का एक सतत् प्रयास है। इस प्रकार की सांस्कृतिक घटना से प्रेरित होकर ब्रिटेन में यह निर्णय लिया गया कि सेकेण्ड्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खास

कर मुसलमान बच्चों को ब्रिटिश संस्कृति की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जायेगी। यह विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से मिलने, परिचित कराने एवं एक दूसरे को जानने का अच्छा प्रयास है। अन्तरसांस्कृतिक संचार की एक बड़ी विशेषता है कि वह किसी भी संस्कृति को साम्राज्य विस्तार से रोकती है।

**I el kef; d I UnHkZ vKj vUrj I kdfrd I plj &** वर्तमान विश्व के स्वरूप में संचार क्रान्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने आमूल परिवर्तन कर दिया। इस परिवर्तन के फलस्वरूप वैश्विक संस्कृति में भी अब आमूल परिवर्तन हो रहे हैं। पहले पाश्चात्य संस्कृति, पूर्वी संस्कृति, एशियाई संस्कृति, योरोपीय संस्कृति और अफ्रीकी संस्कृति के नाम संस्कृतियों की पहचान बनी हुई थी। अब यह सब आपस में इतनी मिश्रित हो गयी है कि एक सांस्कृतिक समुदाय में ही अनेक संस्कृतियों के लक्षण पाये जाने लगे हैं। इसे ही वैश्विक संस्कृति कहा जाने लगा। वैश्विक संस्कृति कहने का आशय यह है कि मीडिया के बढ़ते संजाल ने पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है। इसी विश्व ग्राम की संस्कृति, जिसका निर्माण मीडिया के द्वारा होता है, को वैश्विक संस्कृति कहा जाने लगा। इस समसामयिक सन्दर्भ में विश्व को संचालित और नियंत्रित करने का भार अन्तरसांस्कृतिक संचार पर ही है।

समसामयिक सन्दर्भ का तात्पर्य वर्तमान समय में विश्व में कौन-कौन सी घटनाएँ ऐसी हैं जिनसे विश्व का सांस्कृतिक परिदृश्य परिवर्तित हो रहा है। आज व्यक्ति का खान-पान, रहन-सहन, उसकी जीवन-शैली बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। यह परिवर्तन जनसंख्या स्थानान्तरण के कारण हो रहा है। आरम्भ में मनुष्य नदियों के किनारे रहता था जिससे उसका कार्य सुगमता से सम्पादित हो सके किन्तु आज मनुष्य रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन शैली की लालसा में अपनी सुविधानुसार स्थानान्तरित होते हैं और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इस जनसंख्या स्थानान्तरण में अन्तरसांस्कृतिक संचार ही स्थानान्तरित हुए जनसंख्या को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति के मध्य समायोजन की स्थिति को बनाने में पूल का कार्य करता है।

**uo I kdfr dh LFki uk &** संस्कृति एक सतत् प्रवाहशील प्रक्रिया है। प्राचीनता का पोषण और नवीनता का समावेश प्रत्येक संस्कृति की विशेषता है। अन्य संस्कृतियों की बातों को यथावत स्वीकार कर लेना और उनकी तुलना में अपनी संस्कृति के प्रति उदासीन हो जाना ही सांस्कृतिक नवीनता है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य संस्कृति की आधुनिक जीवन-शैली का अक्षरशः अनुकरण करना आज की युवा पीढ़ी की विशेषता है। उनकी दृष्टि में प्राचीन पारम्परिक सांस्कृतिक

मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। खान-पान, विवाह, पहनावा, रहन-सहन आदि में युवा पीढ़ी स्वच्छन्द रहना चाहती है। स्वच्छन्दता और उन्मुक्तता आज की युवा पीढ़ी की पहली पसंद है। आज का अभिजात्य वर्ग इन सभी बातों को नव संस्कृति का नाम देकर अपनाता जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या और समलैंगिक विवाह जिसे एक बुराई माना जाता है, उसे भी नव संस्कृति के पोषक स्वीकार करने लगे हैं। एकाकी परिवार मातृत्व के विरक्ति यह सब आधुनिकता का पर्याय बनते जा रहे हैं। नव संस्कृति के चरण में आधुनिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया ने जिस नवसंस्कृति की स्थापना की है, उनमें से भारत में प्रमुख रूप से इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न देव मन्दिरों के प्रसाद की आपूर्ति की जा रही है एवं इंटरनेट के माध्यम से युवा वर्ग का विवाह के प्रति बदलता दृष्टिकोण प्रमुख है।

### I kjk k %

संचार समाजीकरण का प्रमुख माध्यम है। संचार द्वारा ही सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचती हैं। संचार की विभिन्न विधाओं के अभाव में सामाजिक एवं सांस्कृतिक निरन्तरता बनाए रखने की कठिनाईयों का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। समाजीकरण की प्रत्येक स्थिति और उसका प्रत्येक स्वरूप संचार पर आश्रित है। मनुष्य जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वह संचार द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्यों और व्यवहार प्रकारों को आत्मसात् कर लेता है। विसामाजीकरण और पुनर्सामाजीकरण दोनों के लिए संचार आवश्यक होता है। इस प्रकार सांस्कृतिक निरन्तरता और परिवर्तन समाज की दो अनिवार्य प्रक्रियाएँ संचार पर ही आधारित होती हैं।

### I UnHk xJFk I ph %

1. भारतीय संस्कृति संपादक : डॉ० प्रभाकर माचवे.
2. भारत की संस्कृति और कला : राधा कमल मुखर्जी.
3. दर्शन, धर्म तथा समाज : प्रो. राजा राम शास्त्री.
4. धर्म दर्शन की रूपरेखा : डॉ० हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा.
5. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया : डॉ० मुक्तिनाथ झा.
6. जनसंचार ' राधेश्याम शर्मा.
7. Source of Indian Tradition : Ed. Wm. Theodore de Bary.





## **EFFECT OF SIMILARITY AND DISSIMILARITY OF SPOUSES ON REJECTION AND WARMTH FACTORS OF PERCEIVED PARENTAL REARING STYLES ON LIFE SATISFACTION**

**Rashmi Rani\***

The goal of the study was to elucidate the life satisfaction of spouses exclusively in relation to 'similarity' and 'dissimilarity' of spouses (from the median cut points) on rejection and warmth factors of perceived parental rearing styles.. For this purpose, Three hundred (300) couples were sampled and administered Hindi version of Perceived Parental Rearing Styles Questionnaire (PPRSQ) and Hindi version of satisfaction with Life Scale (SWLS), and four groups of spouses: both spouses (husband and wife) scoring low (Group - 1), husband scoring low and wife scoring high (Group - 2), husband scoring high and wife scoring low (Group - 3), and both the spouses (husband and wife) scoring high (Group - 4) on rejection and warmth factors of perceived parental rearing styles. The data were analyzed by one-way ANOVA post hoc mean comparisons were made by Tukey test. Results indicated significant between groups effect of rejection and warmth similarities/dissimilarity on life satisfaction,

The role of parent-rearing styles on the socialization process has been widely investigated. Longitudinal studies by Baumrind (1968, &1991) showed that well-adjusted children were associated with a consistent, firm, warm and supportive parenting styles. Meesters, Muris, and Esselink (1995) described that rejection was the strongest predictor of hostility. Studies have shown that male offenders perceived their fathers as being more rejecting than non-offenders (Palmer & Hollin, 1999). Parent-child relationships are consistently among the strongest predictors of life satisfaction in youth (Leung & Zhang, 2000). Parent-child relationships with high levels of warmth, affection, and nurturance tend to serve as a secure base from which children explore their

---

\* Department of psychology, Mahatama Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi-221002

environments and overcome challenges outside the family (Bowlby, 1988; Peterson & Leigh, 1990).

In the past two decades many psychologists have devoted their efforts to the emerging research area of happiness/satisfaction with life (Diener et al., 1995). Diener, (1984) identified three relatively independent components of subjective well-being (SWB): positive affect, negative affect and life satisfaction (Diener, 1984). The first two components refer to affective, emotional states, whereas the latter refers to cognitive-judgmental aspects. Thus, positive affectivity and life satisfaction on the one hand, and negative affectivity on the other hand are not the polar opposites that their names suggest but, rather, are independent dimensions (Diener et al., 1985).

Life satisfaction in children and teenagers can be affected by various factors such as family, friendship (Suldo & Huebner, 2006), family conformity and parental relations (Rask, Astendt-Kurki, Paavilainen, & Laippala, 2003; Levin, Dallago, & Currie, 2012). Literature on the relationship between perceived parental rearing styles and life satisfaction are available in many cultural but not in Indian cultural milieu, So the study aimed to elucidate the effect of Life satisfaction of spouses in relation to 'similarity' and 'dissimilarity' on rejection and warmth factors of perceived parental rearing styles.

#### **METHODS AND PROCEDURE :**

**Sample** - Three hundred (300) couples (husband and wife) with at least graduation qualification from Varanasi district of Uttar Pradesh were purposefully sampled for the conduct of the present study. A number of extraneous variables like age of the spouses, their educational qualification, ecological background (rural and urban), and socio-economic status were recorded with the objective to equate / match the sample to obtain a representative sample for the conduct of the study.

#### **Behavioural Measures**

**Satisfaction with Life Scale (SWLS;** Diener, et al., 1985)

Life satisfaction is a 5-items scale in which participants are asked to indicate their agreement with the following statements: "In most ways my life is close to ideal", "I am satisfied with my life", "So far I have gotten the important things I want in life", "The

conditions in my life are excellent", and "If I could live my life over, I would change almost nothing." Although life satisfaction and the affective components of SWLS are related, recent findings establish the discriminant validity of the different components (Lucas, Diener&Suh, 1996). The Satisfaction with Life Scale has been successfully standardized in the Indian cultural context (SWLS; Singh and Rani,2011).

**Perceived Parental Rearing Styles Questionnaire (PPRSQ;** Perris et al., 1980)

The EMBU (EgnaMinnenBeträffandeUppfostran - my memories of upbringing) developed by Perris et al. (1980) is a psychometrically sound self - report measure to assess adults' recollections of their parents' child rearing behaviour in four primary factors: (i) Rejection (R) - 25 items, (ii) Emotional Warmth (EW) - 18 items, (iii) Overprotection (OP) - 16 items, and (iv) Favoring Subject (FS) - 5 items. The 64 - items are to be rated on 4 -point Likert - type scale by the subjects for each parent (father and mother) separately. The theoretical range of scores for Rejection (R), Emotional Warmth (EW), are 25 - 100, 18 - 72, 16 - 64, and 5 - 20 respectively. The PPRSQ has been successfully standardized in the Indian cultural context (Singh, vaidya and Rani,2012).

**Procedure** - First of all, good rapport was established with the respondents, kept relaxed and pleasant in order to elicit the most frank or candid answers possible, advised not to dwell for any length of time on any given item, to give his overall reaction, were informed that there is no right or wrong answer to any item, and encouraged to respond rapidly and the way they really feel. The two behavioural measures, SWLS and PPRSQ, were filled in by the respondents in a random manner to find anonymous response of the respondents.

**Results and discussion** - Four groups of spouses: both the spouses (husband and wife) scoring low (Group - 1), husband scoring low and wife scoring high (Group - 2), husband scoring high and wife scoring low (Group - 3), and both the (husband and wife) scoring high (Group - 4) on rejection and warmth factor of perceived parental rearing style (from median cut point) were screened out and their corresponding total sum of scores

(the sum of husband and wife scores on each measure of the dependent variable as a unit) was aimed for analysis. Mean and SD values for four groups as distinguished on the basis of perceived parental rejection and warmth factors of perceived parental rearing style on life satisfaction (the composite scores of husband and wife as a unit on each measure of the dependent variable) are shown in Table -1. One way ANOVA revealed significant 'between groups' effects on life satisfaction. The patterns of mean differences were highlighted by applying Tukey test. Analysis revealed significantly more life satisfaction in husband scoring low and wife scoring high (M = 50.167), and spouses scoring low (M = 48.992) as compared to the spouses scoring high (M = 47.629) as well as husband scoring high and wife scoring low (M = 42.577) on rejection factor of perceived parental rearing style. Analysis of significant 'between groups' effect on life satisfaction revealed significantly more life satisfaction in spouses (husband and wife) scoring high (M = 50.762) as compared to husband scoring high and wife scoring low (M = 49.512), husband scoring low and wife scoring high (M = 47.951), and spouses (husband and wife) scoring low (M = 45.724) on emotional warmth factor of perceived parental rearing style.

**Table-1**

**Mean and SD values for the four - groups on 'rejection' and 'warmth' factor of perceived parental rearing styles on life satisfaction**

Variables	HL /WL		HL /WH		HH/WL		HH / WH	
	N =122		N = 24		N = 26		N = 116	
Rejection	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
	48.992	10.808	50.167	13.871	42.577	13.017	47.629	11.444
Warmth	N=105		N=41		N=43		N=101	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
	45.724	13.796	47.951	9.149	49.512	9.009	50.762	10.484

HL / WL = Low scoring husband / low scoring wife, HL / WH = Low scoring husband / high scoring wife,  
 HH / WL = high scoring husband / low scoring wife, HH / WH = high scoring husband / high scoring wife

**Table-2**  
**Summary of One - Way ANOVA on life satisfaction**

Variables	Source of variance	Sum of Squares	df	Mean Square	F-ratio
Rejection	Between Groups	1012.848	3	337.616	2.533*
	Within Groups	37857.732	284	133.302	
	Total	38870.580	287		
Warmth	Between Groups	1376.483	3	458.828	3.495*
	Within Groups	37543.934	286	131.272	
	Total	38920.417	289		

\*\* Significant at .01 level

\* Significant at .05 level

**Table-3**  
**Tukey Test showing the patterns of mean differences in significant 'between groups' effects on life satisfaction**

Variables	Groups				
	Means	HH/WL	HH/WH	HL/WL	HL/WH
Rejection		<b>42.577</b>	<b>47.629</b>	<b>48.992</b>	<b>50.167</b>
	42.577	x	5.052	6.415*	7.59*
	47.629		x	1.363	2.538
	48.992			x	1.175
Warmth	Means	HL / WL	HL / WH	HH / WL	HH / WH
		45.724	47.951	49.512	50.762
	45.724	x	2.227	3.788	5.038**
	47.951		x	1.561	2.811
	49.512			x	1.250

A comparative evaluation of the 'between groups' effects with regards to the analysis of the effects of 'similarity' and 'dissimilarity' of spouses on 'perceived parental rejection' and 'perceived parental warmth' factors of perceived parental rearing styles on life satisfaction provided complementary observations, that is, both the spouses (husband and wife) scoring low as compared to those scoring high on rejection factor of perceived parental rearing style uniformly emerged to exhibit higher indices on life

satisfaction, whereas high as compared to the low scorer spouses on emotional warmth factor revealed higher indices on life satisfaction. These observations emerged in consonance with the theoretical expectations as set forth for the conduct of the study on the analogue that 'perceived parental rejection' and 'perceived parental warmth' factors of perceived parental rearing styles are significantly negatively correlated. These observations derive explanatory bases from literature (Arrindel et al., 1986a and 1986b; Perris et al., 1980; Steinberg et al., 1991).

Another salient feature of the study revealed that husband scoring low and wife scoring high on rejection factor of perceived parental rearing style as compared to their counter group, that is, husband scoring high and wife scoring low exhibited significantly more index on life satisfaction. The PAR Theory is an evidence - based theory of socialization and lifespan development that attempts to predict and explain major causes, consequences, and other correlates of parental acceptance and rejection worldwide (Rohner, 1986, 2004; Rohner and Rohner, 1980).

**Reference:**

1. Arrindell, W.A., Parris, C., Eisemann, M., Perris, H., Vander Ende, J., Ross, M., Benjaminsen, S., Gaszner, P., & Del Vecchio, M. (1986b): Cross national generalizability of patterns of parental rearing behavior: Invariance of EMBU dimensional representations of healthy subjects from Australia, Denmark, Hungary, Italy and the Netherlands. *Personality and Individual Differences*, 7, 103 - 112.
2. Arrindell, W.A., Parris, C., Perris, H., Eisemann, M., Vander Ende, J., & Von Knorring, L. (1986a): Cross national invariance of dimensions of parental rearing behavior: Comparison of psychometric data of Swedish depressives and healthy subjects with Dutch target ratings on the EMBU. *British Journal of Psychiatry*, 148, 305 - 309.
3. Baumrind, D. (1968): Authoritarian vs. authoritative parental control. *Adolescence*, 3, 255-272.
4. Baumrind, D. (1991): The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. *Journal of Early Adolescence*, 11, 56-95.
5. Bowlby, J. A. (1988). *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. New York: Basic Books.

6. Diener, E., & Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68(4), 653-663.
7. Diener, E., & Emmons, R.A. (1984): The independent positive and negative affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 47, 1105 - 1117.
8. Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., & Griffin, S. (1985): The satisfaction with life scale, *Journal of Personality Assessment*, 49, 71 - 75.
9. Leung, J. P., & Zhang, L. W. (2000). Modelling life satisfaction of Chinese adolescents in Hong Kong. *International Journal of Behavioral Development*, 24, 99-104.
10. Levin, KA, Dallago, L & Currie, C 2012, 'The association between adolescent life satisfaction, family structure, family affluence and gender differences in parent-child communication.' *Social Indicators Research*, 106, 2, 287-305.
11. Meesters, C., Muris, P., Esselink, T. (1995). Hostility and perceived parental rearing behavior. *PersDivid Differ* 18, 567-570.
12. Palmer, E.J., & Hollin, C.R. (1999). An Evaluation of the Shortened EMBU Scale in Young Offenders and Non-Offenders in England. *Personality and Individual Differences*, 27, 171-179.
13. Perris, C.L., Jacobson, H., Lindstrom, L., Von Knorring, & Perris, H. (1980): Development of a new Inventory for assessing memories of parental rearing behavior. *Acta Psychiatrica, Scandinavica*, 61, 265 - 274.
14. Peterson, G. W., & Leigh, G. K. (1990). The family and social competence in adolescence. In T. P. Gullotta, G. R. Adams, & R. Montemayor (Eds.), *Developing social competency in adolescence: Advances in adolescent development* (Vol. 3, pp. 97-138). Newbury Park, CA: Sage.
15. Rask, K., Åstedt-Kurki, P., Paavilainen, E., & Laippala, P. (2003). Adolescent subjective well-being and family Dynamics. *Scandinavian Journal of Caring Science*, 17, 129-138.
16. Rohner, R.P. (1986): *The warmth dimension: Foundations of parental acceptance-rejection theory*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc. (Available from Rohner Research Publications, Storrs, CT).

17. Rohner, R.P. (2004): The parental acceptance-rejection syndrome: Universal correlates of perceived rejection. *American Psychologist*, 59, 830 - 840.
18. Rohner, R.P. & Rohner, E.C. (1980): Worldwide tests of parental acceptance - rejection theory (Special Issue). *Behavior Science Research*, 15, 113 - 125.
19. Singh, L.N., & Rani, R. (2011). Positive affect, life satisfaction and happiness: do they measure the same or different theoretical constructs? *Gyandayini Samaj Vigyan Shodh Patrika*, 2 (2), 01-08.
20. Singh, L.N., Vaidya, A.K., and Rani, R. (2013): Psychometric evaluation of the memories of parental rearing behaviour among Hindu. *GyandayiniSamajVigyanShodh Patrika*,2(3), 21 - 25.
21. Steinberg, L., Mounts, N., Lamborn, S., & Dornbusch, S. (1991): Authoritarian parenting and adolescent adjustment across various ecological niches. *Journal of Research on Adolescence*, 1, 19 - 35.
22. Suldo, S. M., & Huebner, E. S. 2006. "Is extremely high life satisfaction during adolescence advantageous?" *Social Indicators Research* 78(2), 179-203.
23. Lucas RE, Diener E, Suh E. 1996. Discriminant validity of well-being measures. *J. Personal. Soc. Psychol.* 71, 616-28.





## ॐ Ro % , d I eh{k %kEei n ds fo' ksk I UnHKZ e½

Mk0 vugkx 'kpy\*

भगवान् बुद्ध द्वारा प्रवर्तित तथा प्रचलित धम्म भारत ही नहीं प्रत्युत् विश्व को पुनीत करता है। उनको यह 'बुद्ध' अभिधान अभिभावकप्रदत्त न होकर कर्मार्जित है। इसके अर्थ के प्रसङ्ग में विवेचन सम्प्रति अभीष्ट है। 'बुद्ध' पद का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है- 'ध्यानार्ह'। यद्यपि अशेषज्ञानसम्पन्न तथागत भगवान् गौतम की प्रसिद्धतम उपाधि के रूप में प्रचलित होने के कारण प्रायः इसे ज्ञानी के रूप में व्याख्यायित किया जाता है तथा प्रायः ज्ञानार्थक 'बुध् ज्ञाने' अथवा अवगमनार्थक 'बुध् अवगमने'<sup>2</sup> धातु से 'क्त' प्रत्यय के प्रयोग द्वारा निष्पन्न भी किया जाता है जो कि व्याकरणात्मक दृष्टि से असन्दिग्ध है। यहाँ पर इस प्रकृति तथा प्रत्यय का योग तथा इसका वाच्यविशेष विचारणीय है। बुध् धातु का अर्थ अवगमनमात्र मानने पर उसका सकर्मकत्व स्वतः सिद्ध होगा। तब सामान्यविधि से भूतकाल<sup>3</sup> में प्रयुक्त अथवा विशेषविधि से वर्तमानकाल<sup>4</sup> में प्रयुक्त 'क्त' प्रत्यय का कर्मवाच्यत्व भी अनिवार्यतः सिद्ध होगा। तब यह बुद्ध पद कर्ता का विशेषण होकर ज्ञानी अर्थ का वाचक कैसे हो सकता है? वास्तव में बुद्ध पद का मुख्यार्थ है - 'जागरित', क्योंकि धातुपाठ में भले ही ऐसा अर्थ निर्दिष्ट न हो<sup>5</sup> किन्तु 'अनेकार्था हि धातवः भवन्ति' के प्रचलित नियमानुसार तथा पूर्वतः परम्परया प्रसिद्धिवशात् ऐसा अनुमान अनुचित भी नहीं है। प्राचीनकाल से ही संस्कृत वाङ्मय में बुध् धातु का जागरण अर्थ में प्रयोग प्रसिद्ध रहा है। बृहदारण्यकोपनिषद् (4/3/19) में आत्मा के सुप्त व जाठत दोनों दशाओं में सञ्चरण का निर्देश करते समय इसी अर्थ में बुध् धातु का प्रयोग हुआ है- "अयं पुरुष एतावुभावन्तावनुसञ्चरति स्वप्नान्तञ्च बुद्धान्तञ्च"। लौकिक संस्कृत साहित्य में बुध् धातु का जागरणार्थक प्रयोग सुप्राप्य है। कालिदास ने रघुवंश में ऐसा प्रयोग किया है। -

ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपुरुषः ।

अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेर्हि लक्षणम् ॥ - रघु0 10/6 ॥

इस पर मल्लिनाथ की टीका भी कहती है- 'आदिपुरुषो विष्णुश्च बुबुधे योगनिद्रां जहौ'।

श्रीहर्ष ने भी 'बुबुधे' पद का जाठत अर्थ में प्रयोग किया है। आचारशास्त्र में प्रसिद्ध ही है - "ब्राह्मो मुहूर्त्ते बुध्येत"। इस परम्परा से बुध् धातु का जागरण अर्थ होने पर उसका

\* एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, मदनमोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाकाँकर, प्रतापगढ़, उ.प्र.

अकर्मकत्व भी स्थापित हो जाएगा<sup>7</sup> तथा उसमें कर्तृवाच्य में क्त प्रत्यय निर्बाध हो जाएगा।<sup>8</sup> इस व्युत्पत्ति के अनुसार बुद्ध पद का मुख्यार्थ होगा- 'जाठात' अर्थात् 'निद्रा से उठा हुआ' तथा इसका लक्ष्यार्थ होगा- 'तत्त्वज्ञान में प्रबुद्ध'। प्रख्यात पालि व्याख्याकार भदन्त बुद्धघोष ने 'धम्मसंगणि' की 'अट्टकथा' में 'बुज्झति' पद की व्याख्या में लिखा है कि-

**“किलेस-सन्तान-निहाय उट्टुहति, चत्तारि वा अरियसच्चानि पटिविज्झति, निब्बानं एव वा सच्छिकरोति”**<sup>9</sup>

अर्थात् जो 'क्लेशसमूह रूपी निद्रा से उठता है, चार आर्यसत्त्यों को समझता है या निर्वाण को ही स्वीकार करता है'। स्पष्टतः बुद्ध पद का जाठात अर्थ अधिक प्रतिवेदक है। इस पक्ष में एक प्रबल तर्क यह भी है कि बुद्ध का बहुवचनान्त प्रयोग भी बहुलता से प्राप्त होता है। धम्मपद के बुद्धवगो में अनेकशः 'सम्बुद्धानां सतीमतं', 'बुद्धानामुप्पादो', 'बुद्धानां सासनं', 'निब्बानं परमं बदन्ति बुद्धा' जैसे पदव्यवहार प्राप्य हैं जो इस तथ्य को परिपुष्ट करते हैं कि भले ही बुद्ध पद का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है, किन्तु यह पद व्यक्तिविशेष के निमित्त किसी के द्वारा रखा गया नाम नहीं है, बल्कि विशेष गुण तथा अवस्थाओं का बोधक सामान्य पद है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि-

**“बुद्धो ति नेतं नाम मातरा कतं, न पितरा कतं, न भातरा कतं, न भगिनिया कतं, न मितामच्चे हि कतं, न जाति सालोहितेहि कतं, न समणब्राह्मणेहि कतं, न देवताहि कतं”**<sup>10</sup>

अर्थात्- 'बुद्ध यह नाम माता द्वारा, पिता द्वारा, भाई द्वारा, बहन द्वारा, मित्रों या शत्रुओं द्वारा, श्रमणों या ब्राह्मणों द्वारा अथवा देवों द्वारा कृत नहीं है।' तब यह बुद्ध उपाधि क्यों है? इसका तात्त्विक कारण भी समझाया गया है कि-

**“बुद्धो ति केन्द्रेण बुद्धो? बुज्झति सच्चानीति बुद्धो। बौधेता पजाया ति बुद्धो। सब्बज्भूतायाय बुद्धो....”**

अर्थात् 'बुद्ध यह नाम क्यों है? सत्त्यों का बोध रखता है इसलिए बुद्ध है। प्रजाओं को बोध कराता है इसलिए बुद्ध है। सर्वज्ञाता है इसलिए बुद्ध है।.....'

जो भी मनुष्य सर्वज्ञत्वादि का लाभ कर ले वह बुद्ध कहला सकता है।<sup>11</sup> बौद्धशास्त्रों के प्रमाणानुसार भगवान् बुद्ध के पूर्व भी अनेक बुद्ध अवतरित हुए और उनके बाद भी अनेक अवतार होंगे। दीघनिकाय<sup>12</sup> आदि ग्रन्थों में सात बुद्ध के नाम प्राप्य हैं- विपस्सी, सिखी, वेस्सभू, ककुसन्ध, कोणागमन, कस्साय तथा गोतम। बुद्धवंश में इन सात बुद्धों के पूर्ववर्ती अट्ठारह अन्य बुद्धों का भी उल्लेख है जो इस प्रकार हैं- दीपङ्कर, कोण्डिज्ज, मङ्गल, सुमन, रेवत, सोभित, अनोमदस्सी, पदुम, नारद, पदुमुत्तर, सुमेध, सुजात, पियदस्सी, अत्थदस्सी, धम्मदस्सी, सिद्धत्थ, तिस्स और फुस्स। महावस्तु, ललितविस्तर आदि उदीच्य बौद्धग्रन्थों में बुद्धों की संख्या सौ तक मिलती है। अनागतवंस में गौतमबुद्ध के बाद आने वाले बुद्धों

का वर्णन है। स्पष्टतः यह बुद्ध कोई संज्ञा न होकर गुणप्रधान उपाधिमात्र है। ऐसा इसलिए भी सिद्ध है क्योंकि पालिशास्त्रों के अनुसार बुद्धों के दो प्रकार होते हैं- पच्चेकबुद्ध और सम्मासम्बुद्ध। प्रथम प्रकार के बुद्ध बोधि को तो प्राप्त करते हैं किन्तु जगद्धिताय सद्धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं करते हैं जबकि द्वितीय प्रकार के बुद्ध जीवों के उपकार हेतु सद्धर्म का प्रचार-प्रसार करते हैं जिसके कारण वे सात्था अर्थात् शास्ता और भगवा अर्थात् भगवान् भी कहलाते हैं। वे देवों और मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं।<sup>13</sup> उपरिनिर्दिष्ट बुद्ध सम्मासम्बुद्ध ही हैं। निस्सन्देह पच्चेक बुद्धों की संख्या भूयसी होगी अतः यह असन्दिग्ध ही है कि बुद्ध संज्ञा नहीं उपाधि ही है।

सम्प्रति बुद्ध का लक्षण विचारणीय है। बौद्धधर्म के बहुमान्य स्तम्भग्रन्थों का संघ है- 'त्रिपिटक' जिसमें विनयपिटक, सुत्तपिटक तथा अभिधम्मपिटक संग्रहीत होते हैं। इनमें से सुत्तपिटक के पाँच निकायों- दीघनिकाय, मज्झिमनिकाय, संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय तथा खुद्दकनिकाय में से पाँचवें अर्थात् खुद्दकनिकाय के पन्द्रह अङ्गों में अन्यतम है- 'धम्मपद' जिसे 'बौद्धधर्म की गीता' का उचित अभिधान भी प्राप्त है। इसमें भगवान् बुद्ध के धार्मिक सिद्धान्तों तथा साधनामार्ग का सरल एवं सुबोध विवरण प्राप्त होता है। इसके चौदहवें वर्ग- 'बुद्धवग्गो' में अत्यन्त सरल व बोधगम्य पदावली में बुद्ध के लक्षणों का सुन्दर निरूपण है। इसके अनुसार बुद्ध का प्रथम लक्षण तो यह है कि उसका विजय किया हुआ पराजय में नहीं बदलता है तथा उसकी विजय तक संसार में कोई नहीं पहुँचता है।<sup>14</sup> संसार की समस्त भौतिक विजयें अचिरस्थायी हैं चाहे वह शस्त्रविजय हो अथवा शास्त्रविजय किन्तु जिसने आत्मविजय का अवलम्बन किया तथा उसके द्वारा प्राणियों की हितकामना से धम्मविजय का अनुसरण किया उस विजेता को भला कौन जीत सकता है? ऐसे बुद्ध को जालिनी विषात्मिका तृष्णा कहीं भी भटका नहीं सकती है।<sup>15</sup> ऐसे बुद्ध सर्वदा ध्यानावस्थित, धीर, स्मृतिवान् तथा नेक्खम अर्थात् निष्कामकर्म द्वारा उपशम में रत रहते हैं।<sup>16</sup> यहाँ पर नेक्खम पद महत्वपूर्ण है क्योंकि फज्बोल तथा राहुल सांकृत्यायन सदृश विद्वानों ने इसे 'नैष्कर्म्य' अर्थात् कर्महीन ध्यानावस्था माना है जबकि चाइल्डार्स तथा रीज़ डेविड्ज जैसे विद्वानों ने इसे संस्कृत 'नैष्कर्म्य' से समीकृत किया है तथा इसका तात्पर्य 'संसार त्याग कर प्रव्रज्या ग्रहण करना' किया है। विशेषतः बौद्ध सन्यास में नैष्कर्म्य अर्थात् कर्मशून्यता का कोई स्थान नहीं है। इस तथ्य का समर्थन आचार्य बुद्धघोष भी करते हैं।<sup>17</sup> ऐसे निष्कामकर्मशील बुद्धों की देव भी स्पृहा करते हैं। एक तो मानवयोनि में जन्म दुर्लभ है, उसमें भी जीवन कठिन है, जीवन में सद्धर्म का श्रवण कठिन है और उसमें भी बुद्धों की उत्पत्ति कठिन है।<sup>18</sup> ऐसे विचार सभी प्रकार के सुभाषित-ग्रन्थों में प्राप्त होते हैं।<sup>19</sup> ऐसे दुर्लभ मानवयोनि में बुद्धत्व सुदुर्लभ है। ऐसे ज्ञानी प्रबुद्ध पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं तथा वे सर्वत्र जन्म नहीं लेते, किन्तु जिस कुल में वे जन्म लेते हैं उसमें ही सुखों की वृद्धि होती है।<sup>20</sup> ऐसे प्रबुद्ध पुरुषों का जन्म लेना सुखद

है, ऐसे प्रबुद्ध पुरुषों से सद्धर्म का उपदेश ग्रहण करना सुखद है, ऐसे प्रबुद्ध पुरुषों द्वारा शासित संघ की समग्रता सुखद है तथा ऐसे समग्रतायुक्त संघपुरुषों का तप सुखद है।<sup>21</sup> जो लोग ऐसे पूजार्ह, जगत्प्रपञ्च से विदूर, शोकसागर के पार उतरे, निवृत्त तथा निर्भीक बुद्धों और श्रावकों की पूजा करते हैं उनके पुण्यों का बखान वाणी की वर्णनाशक्ति के परे है।<sup>22</sup> दिन में सूर्य तपता है, रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशित होता है, कवचबद्ध क्षत्रिय तपता है, ध्यान करने वाला ब्राह्मण तपता है और बुद्ध अपने तेज से दिन-रात तपता है।<sup>23</sup> ऐसे प्रबुद्ध ज्ञानी पुरुष ही किसी को भी पीड़ा न पहुँचाने वाले श्रमण हो सकते हैं।<sup>24</sup> यहाँ पर 'श्रमण' पद तथा उसका पालि रूप 'समण' विशेष दर्शनीय है। निस्सन्देह पालि 'समण' का संस्कृत रूप 'श्रमण' रहा है जो अतिप्राचीन काल से सन्यस्त के अर्थ में उपन्यस्त रहा है। इस शब्द का उपर्युक्त अर्थ में प्रयोग ब्राह्मणग्रन्थों तथा उपनिषदों में प्राप्य है।<sup>25</sup> श्रमण पद की व्युत्पत्ति 'श्रम्' धातु से कर्त्ता अर्थ में 'ल्यु' प्रत्यय करके होती है जिसका अर्थ है- 'श्राम्यति तपस्यतीति श्रमणः'। किन्तु कालान्तर में यह शब्द केवल बौद्ध व जैन सन्यासियों के लिए प्रयुक्त होने लगा तथा ब्राह्मणों से प्रभेद सूचित करने के लिए भी इसका प्रयोग ब्राह्मण शब्द के साथ होने लगा। ऐसे प्रयोग पालिग्रन्थों तथा अशोक के अभिलेखों में बहुलता से प्राप्त होते हैं। धम्मपद के सङ्कलन के समय में बौद्धों ने 'समण' पद की दूसरी व्युत्पत्ति कल्पित की जिसमें इसे उपशमार्थक 'सम' (संस्कृत-शम्) धातु से निष्पन्न माना गया<sup>26</sup>, किन्तु यह संस्कृत शास्त्रों के साथ ही साथ उदीच्य बौद्ध शास्त्रों से भी सम्मत नहीं है।<sup>27</sup>

धम्मपद में तथा बौद्धसाहित्य में सम्यक्सम्बुद्ध बुद्धों के द्वारा कृत उपदेशों में सर्वप्रमुख स्थान है 'निर्वाण' का जिसे परमपद भी कहा गया है।<sup>28</sup> यह बुद्धों का लक्षक है तथा स्वयं में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 'निर्वाण' पद संस्कृत की 'वा' धातु अथवा 'वृ' धातु से निर्गत है। यह एक विस्मय ही है कि महर्षि पाणिनि जिस निर्वाण से परिचित हैं तथा उसकी सिद्धिहेतु सूत्र प्रस्तुत करते हैं उसी 'निब्बान' की व्युत्पत्ति कच्चायन तथा मोग्गलान सदृश पालि वैयाकरणों ने नहीं किया है। गत्यर्थक 'वा' धातु से निष्पन्न 'निर्वाण' का साधारण अर्थ है- 'निर्गत'। इसे आर्षिसिद्धान्तानुमोदित अमृतस्वरूप मोक्ष से समीकृत नहीं किया जाना चाहिए। बौद्धशास्त्रानुगत आध्यात्मिक चरमावस्था 'निब्बान' दीपक के बुझ जाने से उपमित होता है। निर्वाणप्राप्त को 'निब्बुत' अर्थात् 'निर्वृत्त' कहा जाना ही रीज़ डेविड्ज के उस अनुमान का हेतु है जिसके अनुसार यह पद 'वृ' धातु से निष्पन्न होता है। यह विद्वानों में विवाद का विषय है कि बौद्ध 'निर्वाण' भावात्मक शान्तिमय अवस्था है या अभावात्मक शून्य स्वरूप। सुत्तनिपात आदि प्राचीन ग्रन्थों का अवलोकन इसे अभावात्मक ही सिद्ध करता है।<sup>29</sup> अश्वघोष ने सौन्दरनन्द<sup>30</sup> में इसे ही सुन्दरता पूर्वक निरूपित किया है-

दीपो यथा निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् ।  
दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित्स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम् ॥

तथा कृती निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् ।

दिशं न काञ्चिद्विदिशं न काञ्चित्क्लेशक्षयात्केवलमेति शान्तिम् ॥

किन्तु परवर्ती दिनों में यह पद आर्ष मोक्ष, अपवर्ग, निःश्रेयस्, कैवल्यदि का समानार्थक कल्पित हुआ जैसा कि अमरकोश से प्रमाणित है-

“मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिःश्रेयसामृतम् ।

मोक्षोऽपवर्गः ॥”

- अमरकोश 1/5/6-7 ॥

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. पाणिनीय धातुपाठ-858 ।
2. वही0- 1172 ।
3. अष्टा0 3/2/102 ।
4. अष्टा0 3/2/188 ।
5. संस्कृत धातुपाठों के समान ही पालि धातुपाठों में भी बुध् धातु का अर्थ- ‘अवगमन’ ही प्रसिद्ध है, द्र0 कच्चायन धातुमञ्जूषा-42/108 तथा मोग्गलान धातुपाठ-341 ।
6. “सुतस्य सेकाद्रुबुधे नृपाश्रुणः” - नैषधीयचरितम्-1/143 ।
7. लज्जा-सत्ता-स्थिति-जागरणं वृद्धि-क्षय-भय-जीवित-मरणम् ।  
शयन-क्रीडा-रुचि-दीप्यर्थं धातुगणान्तमकर्मकमाहुः ॥
8. अष्टा0 3/4/72 ।
9. पृ0 217, इ.ऊ.ए. ।
10. पटिसम्भिदामग्ग पृ0 202, महानिदेस-पृ0 399 ।
11. “विमोक्खन्तिकमेतं बुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले सह सब्बञ्भूतमाणस्स पटिलाभा सच्छिका पञ्जत्ति यदिदं बुद्धो ति”- वही ।
12. दीघनिकाय, दूसरा भाग, पृ0 3 ।
13. मज्झिमनिकाय 1/389 ।
14. यस्स जितं नावजीयति जितमस्स नो याति कोचि लोके ।  
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ -धम्मपद 14/1 ॥
15. यस्स जालिनी विसत्तिका तण्हा नत्थि कुहञ्चि नेतवे ।  
तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ -धम्मपद 14/2 ॥
16. ये ज्ञानपसुता धीरा नेक्खमूपसमे रता ।  
देवा पि तेसं पिहयन्ति सम्बुद्धानां सतीमतं ॥ -धम्मपद 14/3 ॥
17. “नेक्खमूपसमे रता ति एत्थ पब्बज्जा नेक्खम्मन्ति न गहेतब्बा किलेसवुपसमनिब्बानरतिं पनसंधायेतं वुत्तं” -अट्टकथा, ब्रह्मदेशीयपाठ ॥


18. किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छं मच्चान जीवितं।  
किच्छं सद्धम्मरस्सवणं किच्छो बुद्धानमुप्पादो।। - धम्मपद 14/4।।
19. दुर्लभं त्रयमेवैतद् दैवानुठाहहेतुकम्।  
मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुषसंश्रयः।।
20. दुर्लभो पुरिसाज्जो न सो सब्बत्थ जायति।  
यत्थ सो जायति धीरो तं कुलं सुखमेधति।। -धम्मपद 14/15।।
21. सुखो बुद्धानमुप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना।  
सुखा सद्धस्य सामग्गी समग्गानं तपो सुखो।। -धम्मपद 14/16।।
22. पूजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व सावके।  
पपञ्चसमतिककन्ते तिण्णसोकपरिद्वे।।  
ते तादिसे पूजयतो निब्बुते अकुतोभये।  
न सक्का पुञ्जं सद्धातुं इमेत्तमपि केनचि।। -धम्मपद 14/17-18।।
23. दिवा तपति आदिच्चो रत्तिमाभाति चन्दिमा।  
सन्नद्धा खत्तियो तपति ज्ञायी तपति ब्राह्मणो।  
अथ सब्बमहोरत्तिं बुद्धो तपति तेजसा।। -धम्मपद 26/5।।
24. खन्ती परमं तपो तित्तिक्खा निब्बानं परमं बदन्ति बुद्धा।  
न हि पब्बजितो परूपघाती समणो होति परं विहेठयन्तो।। -धम्मपद 14/6।।
25. “अत्र पिताऽपिता.....श्रमणोऽश्रमणो भवति” - बृहदा० 4/3/22।।  
इसपर शङ्कराचार्य का भाष्य भी है- ‘श्रमणो परिव्राट्’।
26. यो च समेति पापानि अणुं थूलानि सब्बसो।  
समितत्ता हि पापानं समणो ति पबुच्चति।। -धम्मपद 19/10।।
27. “श्रमणो गौतमो मदीयान् श्रावकानन्वार्त्तयिष्यति” - दिव्यावदान, पृ० 101।।
28. “निब्बानं परमं बदन्ति बुद्धा”- धम्मपद 14/6।।
29. सुत्तनिपात- 5/99, 101, 119।
30. सौन्दरनन्द 16/28,29।।



## uxj m;Vkjh&cd kh/kj eflnj dk , d , frgkfl d i fjp;

MK0 T; kfr jkuh tk; l oky\*

झारखण्ड के गढ़वा जिले में बाकी नदी के तट पर बिहार के पश्चिमी दक्षिणी छोर पर नगर उँटारी ग्राम बसा हुआ है। यहां से 19 किलोमीटर दक्षिण की ओर कनहर नदी के उस पार मध्य प्रदेश है तथा 9 किलोमीटर पश्चिम मलिया नदी के उस पार उ0प्र0 है। नगर उँटारी, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के त्रिकोण पर बसा हुआ है। नगर स्टेशन जी.सी. लाईन गढ़वा रोड एवं चुनार रोड पर पड़ता है। यह भूभाग जंगली तथा पहाड़ी है। वीर शिवाजी के दो सरदार इस गाँव के समीप उत्तर में डेमा पहाड़ी तथा राजा पहाड़ी पर



रहकर शासन किया करते थे। मुगल बादशाह का शाही खजाना जो बंगला से इस मार्ग से होकर दिल्ली जाया करता था उसे लूट लिया करते थे। मुगल बादशाह इन्हें दबा न सके तब विवश होकर मुगल बादशाह ने यहाँ के वर्तमान राजा श्री भईया साहब के पूर्वजों को यह काम सौंपा। ये राजपूत बड़े वीर थे। इन्होंने रूद्र शाह तथा बहियार शाह को मारकर शान्ति स्थापित की। इस वीरता से प्रसन्न होकर मुगल बादशाह ने इन लोगों को पूर्व में तहलें नदी पश्चिम में विक्षी नदी उत्तर में सोन नदी तथा दक्षिण में कनहर नदी तक का राज लखराज (बिना मालगुजारी) प्रदान किया तथा देव की उपाधि दी। बहुत दिनों तक राज करने के बाद 1857 के विद्रोह के समय भईया साहब के पूर्वजों ने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई।

\* प्रवक्ता प्रा0 इतिहास, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

उसी समय गोरी सरकार ने रुष्ट होकर राज्य का बहुत बड़ा भाग जब्त कर लिया। जिसमें तहसील दुद्धी जिला सोनभद्र का खास महल भी है। बचे हुए हिस्से पर पहले की तरह राज्य करते रहे। दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम के समय अहमद अब्दाली (दुर्गानी) ने भारत पर चढ़ाई की। मूर्ति एवं मन्दिर तोड़ना तथा लूटना उसका प्रधान काम था। सन् 1761 ई. के लगभग मुगल सम्राट सेना ग्रेण्टन रोड होकर लाहौर से बंगाल तक जाती थी। वह आसपास के गांव को लूटते तथा गांव के नाम तक को बदल देते थे। उन्हीं लुटेरों के डर से किसी महान राजा ने इस पर श्री बंशीधर जी के विग्रह को शिवपहरी की चोटी पर खोह में जो कनहर नदी के इस पार राज्य पथ से तीन किलोमीटर दक्षिण तथा महुअरिया रेलवे स्टेशन के उत्तर की ओर छिपा दिया गया था। स्टेशन चुनार गढ़वा रेल पथ नगर उँटारी से 22 किलोमीटर पश्चिम में है।


शिवपहाड़ी उस समय बड़ा घनघोर भयानक जंगल था। वीर शिवाजी के मराठे सरदार इसकी देखरेख छिपे तौर पर किया करते थे। काल के प्रभाव में यह भी नहीं रहें और प्रसिद्ध मूर्ति लगभग 120 वर्षों तक इसी पहाड़ी की चोटी पर गड़ी रही। लगभग 155 वर्षों पूर्व नगर उँटारी के राज्य सिंहासन के श्री भवानी सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती शिवमानी कुँवर सुशोभित कर रही थी ये बाल विधवा एवं निःसंतान थी। ये प्रजा पालक धर्मनिष्ठ, महान दानी, दयालु एवं कृष्ण की अनन्य पुजारी थी। जनश्रुति है कि रानी साहिबा को कई दिनों तक निरन्तर स्वप्न आता रहा। एक दिन जन्माष्टमी का व्रत करके निराहार होते हुए भी निरन्तर कृष्ण का नाम जप रही थी। तभी आधी रात के पश्चात इन्हें कुछ तंद्रा सी लगी और उसी समय एक स्वर्णिम अद्भुत प्रकाश इन्हें दृष्टिगोचर हुआ उस प्रकाश में यही बंशीधर की मोहक छवि दिखाई दी। रानी अवाक रह गयी एवं गद्गद् हो उठी। आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री बंशीधर भगवान अमृत के समान मधुर वाणी से बोले रानी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ वर मांगो, रानी करुण स्वर में बोली हे नाथ तुम अन्तरयामी हो मेरा कोई नहीं है। अगर प्रसन्न हो तो मेरी आंखों से यह तुम्हारा मनोहर रूप कभी ओझल न हो। श्री बंशीधर जी की मधुर वाणी व्यक्त हुई एवम्स्त। मैं कनहर नदी के इस पार शिवपहाड़ी की चोटी पर गड़ा हुआ हूँ तुम मुझे हमेशा के लिए ही अपने नगर में ले आओ। तत्पश्चात वह छाया उस विद्युत प्रकाश के साथ अन्तरध्यान हो गई रानी की सुसप्तावस्था भंग हो गयी। प्रातःकाल ही सभी सभासदों को बुलाकर रानी ने रात्रि में भगवान कृपा जो प्राप्त हुई थी वह कहकर सुनाई।

रानी स्वयं की राजकर्मचारियों, पंडितों एवं हाथी, घोड़े बाजे गाजे के साथ पूजन करती हुई शिव पहाड़ी पर भगवान को लाने के लिए उपस्थित हुई। दैवी



प्रेरणा से रानी ने स्वप्न में देखें स्थान से कुछ मिट्टी हटायी। श्री बंशीधर जी का शीर्ष भाग चमकने लगा। घन गर्जना सा कुछ शब्द हुआ फिर वेद मंत्र के साथ खुदाई प्रारम्भ हुई। थोड़े परिश्रम के पश्चात् वही स्वप्न में देखी हुई मनमोहक मूर्ति बाहर निकल आई। बड़े विशाल हाथी पर मूर्ति चढ़ाकर लायी गयी। एक हाथी कुछ दूर तक ही भगवान का विग्रह भार वहन नहीं कर सकता था। अतः कई हाथियों को बारी-बारी से बदलने की व्यवस्था थी। रात दिन निरन्तर चलकर लोग नगर उँटारी पहुंचे। जहां वर्तमान मंदिर है। अन्तिम हाथी यहीं बैठ गया। फिर वह किसी प्रकार उठा नहीं अतएव मूर्ति गढ़ में नहीं जा सकी। अतः रानी ने भगवान को यही रहने की इच्छा जानकर वहीं मन्दिर का निर्माण करवाया। श्री कृष्ण जी की मूर्ति का अकेला पूजन नहीं होता अतः रानी साहिबा ने वाराणसी से राधा रानी की अष्टधातु की मूर्ति मंगवाकर बगल में स्थापित करायी। उन्होंने दिवाल पर एक शिलालेख भी लगवा दिया जो इस प्रकार है – श्री स्वस्ति ठाकुर जी श्री कृष्ण जी का धाम महाराज भवानी सिंहस्य धर्मपत्नी शिवमानी कुंवर देवी ने तैयार की हेन श्री शुभ सम्वत् 1885 श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ शुभम्।

सम्भवतः इस प्रतिमा का प्रादुर्भाव सम्वत् 1761ई0 में हुआ। प्रतिमा धातु निर्मित शेषनाग के मस्तक पर जड़ित कमल पुष्प के ऊपर मुस्कुराता हुआ बाकी चितवन से त्रिभागी रूप में बंशीवादन कर रही है। अब कमल पुष्प पीड़िका का ही दर्शन हो पाता है। शेषनाग भूगर्भ में गढ़े होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते। श्री बंशीधर जी का उन्नत ललाट कमल नेत्र सुन्दर नाथिक मुस्कुराते अधरोष्ठ कपोत ग्रोवो विशाल वक्षस्थल सुपुष्ट बाहू संकीर्ण कटी प्रदेश बाया चरण कमल सीधा तथा दाया टेढ़ी होकर चौबा से कमल पीठिका पर अवस्थित है। सभी अंग सुन्दर एवं सुपुष्ट ढले हुए हैं। अद्भुत सौन्दर्य देखते ही बनता है।



भगवान की प्रतिमा में मुकुट, कुण्डल, हार, बाजुबन्द, कड़ा, मुद्रिका, कर्धनी, नुपुर तथा पौजेब बड़े ही कला पूर्ण ढंग से साथ-साथ बने हुए हैं। इस विग्रह की ऊँचाई साढ़े 4 फीट तथा वजन चरण चौकी के साथ अनुमान 32 मन है। (1280 किलो)।

श्री बंशीधर का विग्रह स्वर्णमयी मूर्ति प्राचीन काल का अति उत्कृष्ट नमूना है। भारत ही नहीं अपितु विश्व में इतनी सुन्दर आकर्षक तथा चमकती हुयी अद्वितीय शोभा विशिष्ट प्रतिमा अन्यत्र कहीं भी नहीं है। कला के दृष्टिकोण से इतनी उच्च कोटि की प्रतिमा किसी भी तीर्थ या धाम में उपलब्ध नहीं है। निरन्तर दर्शन करने पर आंखे तृप्त भी नहीं होती। गिरा न नयन, नयन बिनुपाणी वाली कहावत यहां चरितार्थ होती है।

मंदिर नगर उँटारी गढ़ से दक्षिण फाटक के बाहर 150 मीटर दूर बस्ती के किनारे राज्य पथ से लगभग आधा किलोमीटर के अंतर पर है। यह शान्त तथा एकांत स्थान है। पीपर, पाकड़, नीम के पेड़, अपनी शीतल छाया से निरन्तर ही बंधीधर जी की सेवा करते रहते हैं। मन्दिर के तीन शिखरों पर तीन सुनहलें कलश से दूर से ही चमक कर यात्रियों का स्वागत करते हैं। मन्दिर के उत्तर में नदी तथा दक्षिण में मैदान है। इस मन्दिर की अनोखी बात यह है कि श्री बंशीधर जी का विग्रह बीच में स्थापित न होकर किनारें हैं तथा सभी दरवाजे तिरछे हैं। यहां प्रत्येक वर्ष फागुन शिवरात्रि के दिन विशाल मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान जो श्रद्धालु परिक्रमा करके मुराद माँगते है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें कभी निराश नहीं करते।

स्वमान धन्य श्रीमति शिवमानी कुंवर जिसके श्रद्धाभाव और प्रेम से वशीभूत होकर श्री बंधीधर जी नगर में पधारे। वे सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इनके वंशजों में श्री दृगजदेव एक महान राजा हुए। उन्होंने इस राज्य की हर प्रकार से उन्नति की। इसके पश्चात् भईया राजकिशोर देव हुए ये आधुनिक विचार के थे। इन्होंने मंदिर के संगमरमर से सुशोभित किया तथा जयपुर से श्री शंकर भगवान की बेजोड़ मूर्ति मंगवाई। उनके वंशज इस प्रकार हैं :



**Lo0 H& k : n z i r k i n o**

स्व0 भैया रामानुज प्रताप देव	स्व0 भैया शंकर प्रताप देव (भूतपूर्व राज्यमंत्री)
भैया उदय प्रताप देव	श्री राज राजेन्द्र प्रताप देव (भूतपूर्व कांग्रेसी)
भैया विजय प्रताप देव	श्री धर्मेन्द्र प्रताप देव
भैया चन्द्रचूर प्रताप देव	श्री अनन्त प्रताप देव
स्व0 भैया उपेन्द्र प्रताप देव	स्व0 महेन्द्र प्रताप देव
	स्व0 विरेन्द्र प्रताप देव

1. गढ़वा से नगर उँटारी होती हुयी रेलगाड़ी टाटा से अमृतसर तक रांची से चण्डीगढ़ तक और बरवाडीह से चुनार तक दोनों सुबह-शाम मिलती हैं। बस मुड़ीसेमर विण्ढमगंज से राँची, अम्बिकापुर, पटना, बोकारो तक निरंतर मिलती है।
2. नगर स्टेशन से मंदिर तक की दूरी दो किलोमीटर है। रिक्शा गाड़ी सवारी के लिए मिलती है। मार्ग सीधा है।
3. राज्यपथ से मंदिर तक दक्षिण दिशा की ओर, बाजार मार्ग तक भईया साहब के गढ़ से थोड़ा दूर से ही प्रदर्शित होता है।
4. मंदिर श्री बंशीधर के नाम से विख्यात है।
5. गढ़वा रोड से नगर 30 तथा नगर से रिहन्द बाँध 36 मील है।
6. नगर व्यवसायी स्थान है। यहां सभी वर्ग के लोग रहते हैं। बाजार में सभी आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं।
7. नगर उँटारी में बस स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर 400 फीट ऊँची राजा पहाड़ी है जो शिव का बहुत पुराना मंदिर है। यहां सावन के महीने में बहुत दूर-दूर से लोग पैदल जल देने के लिए आते हैं। ऊपर से बहुत मनोरम दृश्य दिखायी देता है।



## I kfgR; dk i qjkoykdu

MkM I d; k JhokLro\*

ek; k nsh\*\*

**tfy; l U; jj** का विचार – “लोगों को विकसित नहीं किया जा सकता वे केवल स्वयं अपना विकास कर सकते हैं। एक वाह्य व्यक्ति के लिए यह तो सम्भव है कि वह किसी आदमी का घर सबका दें, पर कोई बाहरी व्यक्ति किसी आदमी को मानवीय स्वाभिमान और आत्मविश्वास नहीं दे सकता। इन चीजों की किसी भी व्यक्ति को अपने के स्वयं कार्यों से पैदा करना होगा। व्यक्ति जो कुछ करता है उससे ही उसका विकास होता है। अपने वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है? इस बारे में अपनी समझदारी बढ़ाकर स्वयं अपने ज्ञान और योग्यता को बढ़ाकर और जिस समुदाय में वह रहता है वहाँ की जिन्दगी में बराबरी के स्तर पर अपनी पूरी सहभागिता द्वारा ही अपना विकास कर सकता है।”

**[k.Moky** के अनुसार – “एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो लम्बी अवधि की ऐसी गतिविधि जिसमें कुछ सीमा तक व्यक्तिगत एवं संस्थागत जोखिम हो, को सफलतापूर्वक आरम्भ करने एवं संचालन की इच्छा व योग्यता रखता है।”

**jkEi Vj** के अनुसार – “बहुआयामी परिवर्तनकर्ता के रूप में उद्यमी ही वह उत्प्रेरक है जो भौतिक, प्राकृतिक मानव संसाधनों को बढ़ाकर अनुरूपी उत्पादन सम्भावनाओं में बदल देता है।”

**xk; doM+**के विचार में – “उस व्यक्ति को उद्यमी कहा जा सकता है जो आधुनिक तौर-तरीके अपनाता है एवं जो प्रवर्तक है व जोखिम लेने की इच्छा से प्रभावित होता है तथा अन्तर्बाँध की प्रेरणा पर कार्य करता है जो बाद में सही प्रमाणित होता है।

**ikjh[k o ukMd.khZ** के शब्दों में – “उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक गतिविधि या उद्यम का आरम्भ एवं स्थापना करता है।”

हेलमार्क काडर्स के व्यवस्थापक **tsl h gsy** ने कहा है – “यदि व्यक्ति व्यवसाय सिर्फ धन कमाने के उद्देश्य से करता है तो सम्भावना है कि वह धन नहीं कमा पायेगा। उद्यमी को उपलब्धि की गहन एवं उसकी व्यक्तिगत आवश्यक उत्प्रेरित करती है, परन्तु सामान्यतः यह इच्छित कार्य को करने के उसके अपेक्षाकृत विशिष्ट दृष्टिकोण में परिणीत हो जाते हैं।”

---

\* प्रवक्ता, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर।

\*\* शोध छात्रा, भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर।

**eDyysM** ने कहा है – “ऐसा प्रतीत होता है कि वह (उद्यमी) लाभ की सम्भावना से कार्य में नहीं गता। ऐसे तो उपलब्धि की निम्न आवश्यकता वाले लोग हैं जिन्हें कठिन श्रमिक करने के लिए धन रूपी प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। उपलब्धि की उच्च आवश्यकता वाले व्यक्ति हर हाल में कठिन श्रम करते हैं बशर्ते उसमें कुछ प्राप्त करने का अवसर हो। प्रतिफल के रूप में उन्हें धन की अथवा लाभ में पहली रुचि इसलिए होती है क्योंकि इससे उन्हें अपनी सफलता का स्तर पता चलता है। सच्चे उद्यमी के लिए धन उसके प्रयासों का पुरस्कार नहीं अपितु सफलता का मानदण्ड है।”

**eDyysM** के अनुसार – “उत्प्रेरणा के पीछे व्यक्ति की कल्पनायें होती हैं और जो कुछ वह करना चाहता है जैसा स्वयं होना चाहता है अपने गहन अध्ययन के आधार पर मैक्लेलैण्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उद्यमी को आवश्यकता के बजाए उपलब्धि की आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। उन्होंने देखा कि उद्यमी को विशेष कार्यालय या अधीनस्थों की बड़ी संख्या व प्रभुत्व से अधिक मतलब नहीं होता। वे उच्च पद एवं सभाकक्षों को श्रद्धा से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि वे कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसकी मिसाल दी जा सके व जो पहले न किया गया हो। अतः उद्यमियों के सत्तालोलुप होने की मान्यता गलत है। उद्यतियों में सत्ता की उत्प्रेरणा अधिकारियों से कम होती है एवं उनका उपलब्धि इच्छुक होने का तथ्य उद्यम प्रवर्तक के रूप में उनकी शक्ति एवं अधिशासक के रूप में उनकी कमजोरी दोनों को स्पष्ट करता है।”

**xkdk th** के विचार – “भारत का मोक्ष घरेलु धन्धों में ही निहित है।”

**ekjk th nk kl** के अनुसार – “ऐसे उद्योगों से ग्रामीण लोगों को जो अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं, पूर्ण अथवा अंशकालिक रोजगार प्राप्त होता है।”

**'kpk; l** – “अलक्ष्यैव लिप्सेन लब्धम् से प्रयन्तः रक्षित वर्धचेच्चैव वृद्धंग पात्रेषु निरक्षपेतः।”

**vfk** – जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न करो और प्राप्त किये हुए की रक्षा करके बढ़ाने का प्रयत्न करो और जो बढ़ जाता है उसे अच्छे पात्र (बचत) में रखने का प्रयत्न करो। योग्य व्यक्तियों के लाभ के लिए यह सावधानी आवश्यक है। जीवन के सही वास्तविक चार पुरुषार्थ हैं।

**mns; %**

- ग्रामीण महिलाओं द्वारा किये जाने वाले घरेलु धंधा का अध्ययन करना।
- ग्रामीण महिलाओं के घरेलु धन्धों को उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अवलोकन करना।

- ग्रामीण महिलाओं के घरेलु धन्धों में होने वाले विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना।
- घरेलू उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जो पूर्णतया या मुख्यतया परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। इसमें पूँजी निवेश नाम मात्र का ही होता है, तथा उत्पादन प्रायः हाथ से ही किया जाता है।

इस अध्ययन में शोधकर्त्री का उद्देश्य यह है कि "ग्रामीण महिलाओं द्वारा किये जाने वाले घरेलु धन्धों का उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अवलोकन करना, ग्रामीण महिलाओं के घरेलु उद्योग-धन्धों में होने वाले विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना"।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्त्री ने 100 प्रतिदर्श चुनें, जिसमें से सभी प्रतिदर्श ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित थे। बड़हरा, पिपरपाती, चकियवाँ, बभनी, खरजनवा, पिपराचन्द्रभान, बैतालपुर, पुरवाँ, बोडियों, बौड़ी, गौरा, रामपुर, कारखाना आदि गाँव शामिल है। इस प्रतिदर्श का चुनाव संयोगिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है।

अध्ययन के लिए चुने गये क्षेत्रों में शोधकर्त्री ने सर्वेक्षण कार्य प्रश्नावली विधि द्वारा किया। इस प्रश्नावली में ग्रामीण महिलाओं द्वारा किये जाने वाले घरेलु धन्धे सम्बन्धी प्रश्नावली शामिल किये जायेंगे। इस प्रश्नावली के उत्तर हेतु 100 (सौ) परिवारों का चुनाव किया गया। कुछ प्रश्नावली को उत्तरदाताओं ने स्वयं तथा कुछ प्रश्नावली का उत्तर पूछकर शोधकर्त्री द्वारा भरा गया।

#### fof/k , oal kexh %

इस अध्ययन के लिए आँकड़ों को एकत्रित किया गया और इस आँकड़ों के एकत्रीकरण के लिए जिन विधियों या प्रविधियों का प्रयोग किया गया है उसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

- जनसंख्या
- प्रतिदर्श एवं प्रतिचयन
- अध्ययन के उपकरण
- आँकड़ों के संग्रहण की विधियाँ
- सांख्यिकी विश्लेषण

**tul [; k &** जनसंख्या इस शोध के लिए शोधकर्त्री ने देवरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव किया। ग्रामीण क्षेत्र के घरों में जाकर 100 परिवार के लोगों का सर्वेक्षण किया।

**i frn'k , oai frp; u fof/k &** प्रतिदर्श जनसंख्या का एक भाग है जो व्यक्ति के विस्तृत समूह का एक छोटे आकार का प्रतिनिधि होता है। इसी के आधार पर सम्पूर्ण जनसंख्या के विश्वसनीय व वैध निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध के शोधकर्त्री ने प्रतिदर्श का चुनाव उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया। इस रीति के अनुसार शोधकर्त्री सम्पूर्ण क्षेत्र में से अपनी इच्छानुसार ऐसी इकाईयाँ चुन लेती है जो उनके विचार समग्र को प्रतिनिधित्व करती है। न्यायदर्श में किन पदों को शामिल करना है यह पूर्णतया छॉटने वाले की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार छॉटी हुई न्यायदर्श इकाईयाँ अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर पूरे समग्र के बारे में निकाल लेते हैं।

**v/ ; u ds mi dj.k** – प्रतिदर्श अध्ययन के लिए शोधकर्त्री ने जिस उपकरण का प्रयोग किया है वह है प्रश्नावली सर्वेक्षण कार्य के लिए उपकरण के रूप में शोधकर्त्री ने एक प्रश्नावली तैयार की, जिसके दो भाग हैं – पहला भाग सामान्य जानकारी का है जिसमें उत्तरदाता के सामान्य स्थिति से सम्बन्धित प्रश्न है। जैसे— नाम, पारिवारिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति, परिवार का प्रकार आदि। दूसरा भाग विशिष्ट जानकारी का है जिसका अध्ययन ग्रामीण समुदाय में रह रही महिलाओं द्वारा किये जाने वाले घरेलु धन्धे से सम्बन्धित है।

**vq dMka ds l xg.k dh fof/k; k; &** आँकड़ों का संग्रहण शोधकर्त्री ने प्रश्नावली द्वारा किया। शोधकर्त्री ने प्रश्नावली को अध्ययन के लिए चुने गये क्षेत्र के परिवारों में ले गयी। कुछ उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछकर शोधकर्त्री ने प्रश्नावली को खुद भरा। इस प्रकार आँकड़े एकत्रित किये गये।

**l kf[ ; dh; fo'yšk.k &** प्रस्तुत अध्ययन में प्रश्नावली द्वारा जो आँकड़े प्राप्त हुए उनका पहले कोडिंग (Coding) किया गया। तत्पश्चात् उन आँकड़ों का सारणीयन विश्लेषण प्रतिशत (%) के द्वारा किया गया।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्लान्ट मशीनरी आदि सम्पत्तियों की भाँति व्यक्ति भी उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन हैं, एवं भौतिक सम्पत्तियाँ एवं सामग्री की भाँति ही व्यक्तियों में किया गया निवेश भी उत्पादनशील एवं आय अर्जक है। अतः समाज को घरेलु उद्योगों की जानकारी देना महिलाओं का प्राथमिक कार्य बन जाता है। महिलाएँ अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती। आज वह पुरुषों की बराबरी में खड़ी हैं जो सिर्फ अपनी ही बदौलत। आज की महिलाएँ चाहे वह ग्रामीण हो या शहर की, जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। घरेलु उद्योग करने के अगर उन्हें फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, क्योंकि कहीं-कहीं पर घरेलु उद्योगों

को करने के लिए परिवार की सहमति नहीं मिल पाती हैं। अगर परिवार का साथ नहीं मिलता तो वे आगे बढ़ने में हिचकिचाती हैं, क्योंकि परिवार ओर समाज में ही उन्हें रहना है। ये सोचकर कभी-कभी वे अपने कदम पीछे हटा लेती हैं। सामाजिक कुरीतियाँ उनके पैरों की जंजीर बन जाती हैं। उन्हीं के चलते वे घर की चारदीवारी में घुटते हुए दम तोड़ देती हैं लेकिन कुछ महिलाओं के आगे आने से अब बाकी महिलाओं में भी हौसला हो गया है। वे भी अब आगे आकर अपना तथा राष्ट्र का सम्मान बढ़ा रही हैं। अक्सर ग्रामीण महिलाएँ गरीब होती हैं, जिससे वे अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाती। उनका स्वास्थ्य स्तर गिरता चला जाता है और वे कुपोषण की शिकार हो जाती हैं। चूँकि आय सीमित होते हैं और आवश्यकताएँ असीमित ओर गाँवों में तो संयुक्त परिवार का प्रचलन है, जहाँ कमाता एक है और खाते दस हैं। ऐसे में औरत बेचारी क्या करे? दूसरों को पेट भरने के बाद ही बचा-खुचा भोजन खाती है और जीवन-यापन करती है। पर थोड़ी-सी जानकारी उनके लिए उत्तम सिद्ध होती है। वे अपने आस-पास लगे प्रकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपना व परिवार का भरण-पोषण कर सकती हैं। उन्हें जब जानकारी हो जायेगी कि थोड़ी लागत लगाकर अधिक धन अर्जित किया जा सकता है तो वे अवश्य ही ये कार्य करेंगी। एक मिसाल में मंजेश शर्मा की जिनकी कम उम्र में ही शाही हो गयी जो एक गरीब परिवार की रहने वाली थी। बच्चों के होने के बाद उनकी जरूरतें बढ़ती गईं और उनका जीवन-यापन करना दूभर हो गया लेकिन जब उन्हें घरेलु धंधों के बारे में जानकारी हुई तब उन्होंने 200 रुपये लगाकर रद्दी पेपर खरीदे तथा लिफाफे बनाकर उसमें 400 रुपये बनाये। ऐसे ही धीरे-धीरे करते-करते आज वो अच्छी तरह से जीवन-यापन कर रही हैं तथा अपना व अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रही हैं। शुरू में उन्हें बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिवार तथा गाँव के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, पर जैसे-जैसे उनकी आय में वृद्धि हुई परिवार तथा समाज ने भी उनका साथ दिया और आज वे कई लोगों की जीविका चलाती हैं। लिफाफे के साथ-साथ वे चिप्स, पेपर, पापड़, अचार तथा मुरब्बे का भी व्यवसाय करती हैं और अपने साथ ही कई कर्मचारियों को भी कार्य दिया है और लोगों को घरेलु उद्योग के बारे में जानकारी भी दी है। इसी प्रकार एक औरत ने एक गाँव की काया पलट दी है। उसने वहाँ हो रहे आलू, केले, फलों तथा सब्जियों का उपयोग करके धन अर्जित करना सिखा दिया और उनकी आर्थिक आय में वृद्धि कर दी है जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसकी अपनी सम्पूर्ण निष्ठा, लगन, उत्कृष्टता प्रदान करना ही तुम्हारी सफलता का सूत्र है।



इसी तथ्य के सहारे ही ग्रामीण महिलाएँ अपने लघु उद्योगों को चलाती हैं और उन उद्योगों में अपना तन, मन तथा धन लगाकर उसे कार्यान्वित रूप देती हैं जो साकार सिद्ध होता है। हर उद्यमी के अन्दर ये गुण होना चाहिए कि वह जो भी कार्य करे उसे पूर्ण निष्ठा, लगन एवं उत्कृष्टता के साथ करे तभी वह सफल हो सकता है। अगर असफल हुए तो “असफलता का अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ – श्री राम अचार्य।

पुनः सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए न कि निराश होना चाहिए। हमेशा उद्यमी को चाहिए कि वह कल (जो बीत चुका) के अनुभव से कल (जो आने वाले हैं) को देखते हुए आज कर्म करो यही तुम्हारे वश में है।

इसी प्रकार वह एक सफल उद्यमी साबित होती है। ग्रामीण महिलाएँ हमेशा कुछ नया करने की चाहत में रहती हैं, जिसमें वे सफल भी होती हैं। महिलाओं की स्थिति किसी भी समाज के विकास के लिए प्रगति के निर्धारण का महत्वपूर्ण मापदण्ड होती है। उनकी शैक्षिक दशा, राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका एवं उनके सामाजिक अधिकार उनकी स्थिति सबको जानने के संकेतक हैं। महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 दिसम्बर, 1979 को महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया जो 3 सितम्बर, 1981 से प्रभावी हुआ और तब जाकर ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं ने खुलकर साँस ली। लेकिन फिर भी विश्व में सबसे ज्यादा निरक्षर महिलाएँ भारत में ही हैं। प्रौढ़ निरक्षरों में दो तिहाई तथा विश्व के निर्धनों में 70 प्रतिशत महिलाएँ हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए बनी परियोजनाओं और कानूनों के लिए यदि सूचना के अधिकार का उपयोग किया जाये तो ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक मजबूती का मार्ग प्रशस्त होगा और वे आगे बढ़ेंगी। विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और समाज की इस महत्वपूर्ण धुरी को बिना सशक्त बनाये न तो समानता की बात सम्भव है और न ही सामाजिक न्याय की। वस्तुतः पूरा नारी समाज असमानता और पिछड़े का शिकार है। अगर ये नारी समाज अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है तो नारी शिक्षा के साथ-साथ उनकी रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए। आज की ग्रामीण महिलाएँ स्वरोजगार के प्रति ज्यादा ध्यान दे रही हैं क्योंकि घर बैठे-बैठे उद्योग किये जाते हैं तथा घर के कार्य एवं बच्चों का पालन-पोषण साथ में ही होता है। ये रोजगार में रुचि कम लेती हैं क्योंकि रोजगार के अवसर उन्हें अपने गाँव तथा परिवार से दूर ले जाते हैं। जबकि घरेलू उद्योगों में ऐसा नहीं होता और ग्रामीण महिलाएँ कम

पढ़ी लिखी भी होती हैं, जिससे वो नौकरी तो नहीं कर सकती परन्तु घरेलु उद्योग चला सकती है।

आर्थिक गणना की रिपोर्ट के अनुसार 1988 से 2005 के दौरान शहरी उद्योगों की संख्या में 3.71 प्रतिशत तथा गाँव में 5.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन उद्योगों में शहरों में 4.87 करोड़ तथा गाँवों में 5.01 करोड़ लोगों को काम मिला हुआ है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत 31.06 करोड़ लोगों में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः 19.92 करोड़ तथा 11.14 करोड़ थी। शहरों में 9.18 करोड़ और महिलाओं की संख्या 1.15 करोड़ थी। ये जनसंख्या 2001 की थी जो यह साबित करती है कि गाँवों में कामकाजी महिलाओं की संख्या का अनुपात शहरों की तुलना में अधिक है। कहते हैं – “जहाँ चाह वहाँ राह” ग्रामीण महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह जो चाहे, सोचे उसे पूरा करके ही दम लेती है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा किये गये घरेलु उद्योग आज भारत को तथा उनकी अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं।

आज अंधाधुंध औद्योगिकरण के नाम पर हमारे ग्रामीण लघु एवं घरेलु उद्योग कुचल कर रह गये हैं। नियोजन के विगत 53 वर्षों में भारी एवं वृहद् उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्योग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाती के लोगों द्वारा चलाये जाते थे, किन्तु सामाजिक कुप्रथाओं ने इन उद्योगों को बुरी तरह कुचल दिया है। ग्रामीण तथा घरेलु उद्योगों को भारी हानि के कारण भारतीय ग्राम्य जीवन के आर्थिक आय के साधन को गहरा आघात पहुँचा है। शायद यही वजह है कि गांधी जी के खुशहाल ग्रामीण जिन्दगी (ग्राम विकास) का सपना अधूरा जान पड़ता है। लघु एवं घरेलू उद्योग परिवारों की आय का स्रोत भी है। अतः जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं उद्योगों को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास में उनके योगदान में वृद्धि की जाय, जिससे ग्रामीण का आर्थिक विकास हो सके।

ग्रामीण महिलायें विभिन्न जीव-जन्तु पालन का कार्य, दूध, माँस, मछली, अण्डे जैसी प्रोटीन युक्त आहार की प्राप्ति में सहायक होकर पोषण स्तर उच्च करने में भी सहायक हैं। भेंड़ पालन तथा रेशमी कीड़ों के पालन द्वारा ऊन तथा रेशम उद्योग का भी विकास कराने में सहायता करती है।

घरेलू उद्योग क्या है ? “वे उद्योग जो प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों द्वारा घर बैठे ही किया जाय, घरेलु उद्योग या लघु उद्योग कहलाते हैं।” गाँवों में घरेलू उद्योग बहुत ज्यादा किये जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण जनता गरीब होती है, तथा उसके पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं या फिर आसानी से उपलब्ध किये जा सकते

हैं। गाँवों में दूध, सब्जी, अनाज आदि चीजें अधिक मात्रा में होती हैं और उनको ढंग से न रखने के कारण वो खराब हो जाती है। ये चीजें उनकी आवश्यकता से अधिक भी होती हैं और उनका सही उपयोग न लेने के कारण जल्द ही नष्ट हो जाती है। ग्रामीण महिलाएँ अब उनकी आवश्यकता से अधिक चीजों का सृजन कर उनका उत्पाद बढ़ाकर उन चीजों का क्रय-विक्रय करती हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा निम्न घरेलु उद्योग मुख्य रूप से किये जाते हैं – कृषि, पशुपालन, हस्त-शिल्प, मछली पालन, डेरी व्यवसाय, हथकरघा, खादी ग्रामोद्योग तथा रेशम कीट पालन कार्य से सुगमता से करती हैं। इन व्यवसायों को वे आसानी से कर सकती हैं क्योंकि उनके पास पशुपालन व कृषि आदि के लिए जगह पर्याप्त रहता है तथा वे इन चीजों को पास के शहर में अच्छी तरह से निर्यात कर सकती हैं जिसमें कृषि व डेरी व्यवसाय मुख्य हैं। सब्जियाँ, फल, फूल, दूध, घी तथा दही आदि चीजें आसानी से बेची जा सकती हैं। आम तौर पर ग्रामीण महिलाएँ निम्न व्यवसाय करती हैं –

- पत्ते के प्लेट (दोना) बनाना।
- थर्मा प्लास्टिक कबर, कागज की प्लेट बनाना।
- सीमेन्ट कंकरीट के गमले, पोलिसिन्क आदि बनाना।
- धूपबत्ती, अगरबत्ती बनाना।
- चिउड़ा बनाना।
- अचार बनाना।
- आलू चिप्स बनाना।
- पापड़ बनाना।
- मिश्रित फलों का जैम बनाना।
- फूलों की माला बनाना।
- सेव का जैम बनाना।
- मुरब्बा बनाना।
- केले का चिप्स बनाना।
- नमकीन एवं दालमोट बनाना।
- डलिया, चटाई व दरी बनाना।
- कागज के लिफाफे बनाना।
- पीको तथा इन्टर लॉक करना।
- फलों का सिरका बनाना।
- गन्ने का सिरका बनाना।

- पापकार्न (मक्के का भूजा)।
- चावल की फरुई (भूजा)
- हैंड बैग बनाना।
- स्कूल बैग तथा यात्रा बैग।
- सूखे पत्तों तथा कूड़े-करकट की बनी खाद।
- खिलौना बनाना।

ग्रामीण महिलाएँ कुम्हार के साथ अपना समय निकाल कर मिट्टी काटती है, मिट्टी के बर्तन तथा खिलौने बनाती है। उन्हें सुखाने के पश्चात् आग में पकाती है और रंगाई व चित्रकारी कर उसे आकर्षक बनाती है।

इन सब कार्यों को करने के साथ ही समय पाकर कोई अन्य लघु उद्योग सम्बन्धी कार्य करके वह परिवार के आर्थिक उपार्जन हेतु सहयोग भी प्रदान करती है। इस प्रकार चौबीस घण्टों में से सोलह से अठारह घण्टे निरन्तर कार्यों में लगी रहती है। खाली समय उन्हें बहुत ही कठिनाई से ही कम समय के लिए प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की भयानक स्थिति बनी हुई है, जो राष्ट्र के सामने एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं। तथा गाँव में पुरुषों को महत्ता दी जाती है, लेकिन अब ग्रामीण महिलाओं की अपनी आर्थिक आय बढ़ाने के लिए घरेलू धन्धों में उद्योगों का सहारा ले रही हैं जो बहुत ही उत्तम है। घरेलू उद्योगों के द्वारा उनकी आय में वृद्धि होती है, और वे अपना रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठा सकती है। घरेलू उद्योगों से प्राप्त आमदनी से वे अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकती है। इसके द्वारा वे अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकती है। चूँकि बड़े उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों को भारी संख्या में रोजगार देने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि स्थानीय संसाधनों और कौशल के इस्तेमाल से ग्रामीण महिलाओं द्वारा गाँवों में ही रोजगार के अवसर पैदा किये जाए। ग्रामीण महिलाएँ स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करके घरेलू उद्योग व लघु उद्योग शुरू कर सकती है।

भारत में लघु उद्योग क्षेत्र इस समय 2 करोड़ 82 लाख लोगों को अपनी 1 करोड़ 8 लाख इकाइयों के जरिये रोजगार प्रदान कर रह है। दसवीं योजना में लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर 12 प्रतिशत निर्धारित की गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ महिलाएँ फूलों की खेती का कार्य करती है। नगरों के पास गाँवों से इस प्रकार की खेती करती हैं। नगरों में तथा महानगरों में पूजा, विवाह एवं विशिष्ट समारोह में फूल मालाएँ तथा फूलों के गुलदस्ते आदि की आवश्यकता पड़ती है

और उन्हें बेचने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। थोड़े खर्च तथा कम समय में भी फूलों की बागवानी द्वारा धन अर्जित किया जा सकता है। कुछ ग्रामीण महिलाएँ घर में अथवा घर के अन्दर रखे जाने वाले गमले तैयार करके बेचती हैं, पौधों की नर्सरी लगाकर विक्री हेतु पौधे तैयार करती हैं।

उपरोक्त सभी घरेलू उद्योग महिलाओं द्वारा गाँवों में चलाये जा रहे हैं। इससे महिलाओं को अच्छी आय के साथ-साथ पहचान भी मिल रही है। ये सभी घरेलू उद्योग सुगमतापूर्वक उन्हीं के घर में चलाये जाते हैं या फिर खाली स्थानों पर झोपड़ी तथा घास-फूस की छप्पर वाला घर बनाकर भी शुरू किये गये हैं। इन सभी चीजों को निर्यात करना भी आसान है और बनाना भी। घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल आसानी से तथा कम कीमत में खरीदे जाते हैं या फिर कुछ उद्योगों के लिए अपनी कृषि का सहारा लेना पड़ता है। ये सभी बनी-बनाई चीजें बिना किसी नाम तथा लेविल के बाजारों में उपलब्ध हैं जो बिना किसी मिलावट के सस्ते रूप में आसानी से मिल जाती है तथा इसमें हानिकारक वस्तुओं के होने का भी डर नहीं रहता जो स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सके, क्योंकि जब ये खाद्य सामग्रियाँ घर पर घरेलू उद्योगों के द्वारा बनाई जाती हैं तो खराब वस्तुओं को फेंक दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है लेकिन जब यही सामग्रियाँ बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा तैयार की जाती हैं तब सफाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा किये गये घरेलू उद्योगों से उनकी तथा राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है, परन्तु जहाँ लगभग 72 प्रतिशत महिलाएँ गाँवों में निवास करती हैं वहाँ के टिकाऊ विकास की कल्पना गाँवों के सम्पूर्ण विकास के बिना पूर्ण नहीं जान पड़ती।

भारत देश में लगभग 70 प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है और इसी अनुपात में महिलाओं का भी अनुपात रहता है। उनमें से लगभग 35-40 प्रतिशत महिलाओं के कंधों पर घर तथा कृषि का सारा भार होता है। महिला घर की संचालिका तथा मुखिया भी ग्रामीण परिवार में होती है, क्योंकि ग्रामों में कुछ पुरुष महिलाओं पर परिवार का भार छोड़ कर शहरों में काम धन्धा करने धन कमाने चले जाते हैं, तथा जो पुरुष गाँवों में रहते हैं वे भी केवल कृषि कार्यों में ही लगे रहते हैं। ग्रामीण महिलाओं की भूमिका बहुआयामी होती है। ग्रामीण गृहिणी एवं माता के रूप में वे पूरे परिवार को सम्भालती हैं, पानी भर कर लाती हैं। चूल्हे को जलाने के लिए ईंधन काटती हैं, परिवार के लिए भोजन पकाती हैं। घरों

में पशुओं की देखभाल करती है, कृषि कार्यों में पति को सहायोग भी प्रदान करती है।

**I UnHK xJFk I ph %**

1. प्रसार शिक्षा (डॉ० हरपलानी), मिश्रा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, टी.एन. किला कालोनी, राजघाट, वराणसी-221001
2. ग्रामीण अर्थशास्त्र (जे.पी. मिश्रा) मिश्रा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, टी.एन. किला कालोनी, राजघाट, वराणसी-221001
3. कृषि सहकारिता विपणन एवं ग्रामीण समाज शास्त्र (अपाध्याय, सिंह एवं प्रसाद) प्रकाशक-भारतीय भण्डार, बड़ौत, मेरठ.



## वृद्धि पर चिकित्सा सेवाओं का विकास और वृद्धि पर चिकित्सा सेवाओं का विकास

महिलाओं की संख्या\*

वर्तमान समय में पूरे विश्व में वृद्धजनों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यद्यपि पूर्व की अपेक्षा अब बेहतर चिकित्सकीय तथा शारीरिक परिक्षणीय सुविधाओं का विस्तार, वृद्धजनों से सम्बन्धित बीमारियों का विभिन्न आयामों से वैज्ञानिक अध्ययन, नई-नई दवाओं का आविष्कार, बेहतर जीवन स्तर, तथा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के कारण उनकी समस्याओं का बेहतर निदान एवं उपचार भी सम्भव हुआ है। भारत वर्ष में वर्तमान में ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो 60 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं लगभग 8.6 प्रतिशत है। एक अनुमान के अनुसार यह संख्या वर्ष 2025 तक लगभग 15 प्रतिशत होने की सम्भावना है। जनसंख्या शास्त्रियों का अनुमान है कि कुछ विकसित देशों जैसे— जापान, कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडेन, नार्वे, डेनमार्क इत्यादि जगहों पर तो ऐसे लोगों की संख्या जो 90 वर्ष की आयु पार कर चुके निरन्तर बढ़ती जा रही है। इन देशों की श्रेष्ठतर जीवन शैली एवं चिकित्सालय सुविधाओं तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों से सम्भव हुआ है।

ऐसा पाया गया है कि विश्व के अनेक देशों में जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) बढ़ रही है। भारत में भी पहले की अपेक्षा अब बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएँ, खान-पान तथा पर्यावरण में सुधार के कारण जीवन प्रत्याशा धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है।

### भारत में वृद्धजनों की संख्या

भारत के जनगणना विभाग के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन् 2011 में वृद्धजनों का पूरी जनसंख्या का अनुपात 8.0 प्रतिशत था जिसमें महिलाओं का अनुपात 8.4 प्रतिशत तथा पुरुषों का अनुपात 7.7 प्रतिशत था। इस प्रकार महिलाओं में जीवन प्रत्याशा की उम्र अधिक थी। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जीवन प्रत्याशा की दर अधिक थी।

---

\* प्राध्यापक, समाजशास्त्र, चम्पादेवी महाविद्यालय, करखिवांय, फूलपुर, वाराणसी।

## I kfj.kh&amp;1

Residence	लिंग	Board age groups (years)							
		0-4	5-9	10-14	0-14	15-59	60+	15-64	65+
योग	योग	9.7	9.2	10.5	29.5	62.5	8.0	65.2	5.3
	पुरुष	9.9	9.4	10.7	30.0	62.2	7.7	65.0	5.0
	महिला	9.5	9.0	10.3	28.8	62.8	8.4	65.5	5.7
ग्रामीण	योग	10.3	9.5	11.0	30.9	61.0	8.1	63.7	5.4
	पुरुष	10.5	9.7	11.3	31.5	60.7	7.8	63.4	5.1
	महिला	10.1	9.4	10.8	30.3	61.3	8.4	63.9	5.8
नगरीय	योग	8.2	8.3	9.0	25.5	66.6	7.9	69.4	5.1
	पुरुष	8.3	8.6	9.2	26.1	66.2	7.6	69.1	4.8
	महिला	8.0	8.1	8.8	24.9	66.9	8.2	69.7	5.5

स्रोत- भारत की जनगणना रिपोर्ट 2011, भारत सरकार, नई दिल्ली

पश्चिम विकसित देशों में तो जीवन प्रत्याशा की दर निरन्तर उच्च होती जा रही है और ऐसे लोग जो कि 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं उनकी भी संख्या पर्याप्त हो गयी है।

हाल के दशकों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विद्वत्जनों का ध्यान वृद्धजनों की समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ है। बढ़ता हुआ नगरीकरण, औद्योगीकरण, आधुनीकीकरण, नवीन जीवन शैली तथा वैज्ञानिक मूल्यों के प्रसार के कारण अनेक क्षेत्रों के विद्वानों ने जैसे- चिकित्सा विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि में वृद्धजनों की समस्याओं के अध्ययन में रुचि बढ़ी है। दूसरी ओर वृद्धजनों के कल्याण हेतु सरकारी तथा अनेक गैर-सरकारी संगठनों ने भी रुचि दिखाई है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने वृद्धजनों से सम्बन्धित एक नीति भी घोषित की है।

अनुसूचित जातियों की परम्परागत परिस्थिति निम्न रही है। उन्हें अनेक प्रकार से सामाजिक एवं आर्थिक निर्योग्यताओं का सामना करना पड़ा है। पूर्व के पीढ़ी के अनुसूचित जातियों के वृद्धजनों को और भी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। परम्परागत रूप से भारतीय समाज में वृद्धजनों की प्रस्थिति बहुत उच्च मानी जाती थी। उन्हें संयुक्त परिवार का मुखिया माना जाता था एवं सभी पारिवारिक मामलों में उनके निर्णय को अन्तिम समझा जाता था।



परिवार में जाती विवाह, सम्पत्तियों की खरीद फरोख्त एवं संस्कार आदि पर उनका पूर्ण वर्चस्व रहता था। परिवार में ही नहीं जातीय समाज एवं ग्रामीण में भी उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। ग्रामीण समुदाय के लोग उन्हें अत्यन्त सम्मान के साथ व्यवहार करते थे एवं उनकी बातों का पालन करते थे। परन्तु धीरे-धीरे खास तौर से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगा। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव एवं प्रजातंत्रिय व्यवस्था के विकास के कारण भारतीय समाज में वृद्धजनों की प्रभुता में ह्रास होना शुरू हो गया।

संयुक्त परिवार व्यवस्था, जाति, पंचायतों तथा ग्रामीण समुदाय के क्रमिक प्रभाव के कारण उनकी शक्ति में उल्लेखनीय गिरावट आयी है। शहरी परिस्थितियों में तो उनकी हालत और भी बदतर हो गयी है। वे अपने को अपेक्षित एवं असहाय महसूस करते हैं तथा आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। यद्यपि स्वतंत्र भारत में विभिन्न सरकारों ने उनके कल्याण हेतु कई कानूनों को पास कराया गया है तथा उनके लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया किन्तु इसका प्रभाव अभी तक अत्यन्त सीमित प्रतीत हो रहा है। ऐसा माना गया है कि भारतीय वृद्धजन गरीबी और सहायता विकलांगता तथा अपेक्षा की गम्भीर शिकार बन गये हैं और जीवन की अत्यन्त भौतिक सुविधाएँ, जैसे- भोजन, निवास, वस्त्र, दवाइयों, सुरक्षा इत्यादि भी ठीक से उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि सामाजिक दृष्टिकोण उन्हें दीन-हीन अपंग एवं समाज पर अनावश्यक भार समझा जाने लगा है। उनके स्वयं परिवार जन, पुत्र-पुत्रियाँ, बहू एवं निकट सम्बन्धी भी उनकी उपेक्षा करने लगे हैं।

#### o) कोल्लक दक फु/कक .क दजुसोक्यसकजद %

o) कोल्लक दह दक i एडक l eL; k, j & ekgrh 1/2004½ ने भारतीय वृद्धजनों की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जो निम्नलिखित हैं :

1. वृद्धावस्था में वृद्धजनों के सामाजिक प्रस्थिति में भारी गिरावट आ जाती है जिससे वे अपने को असहाय महसूस करने लगते हैं
2. वृद्धावस्था में प्रायः यह देखा गया है कि स्वयं के परिवारजनों द्वारा उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं।
3. परिवार में व्यक्तिवादी मनोवृत्ति के कारण प्रायः वृद्धजन ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी बातों को कोई सूनने वाला नहीं है।
4. वृद्धावस्था में वे यह महसूस करते हैं कि पुराने व नवीनपीढ़ी में खाई बढ़ती जा रही है।

5. वृद्धावस्था में वृद्धजन निरन्तर अकेलापन की भावना से पीड़ित हो जाते हैं।
6. वृद्धावस्था में वे प्रायः नाना प्रकार से वृद्धावस्था से सम्बन्धित बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं जिनका समुचित इलाज उनको नहीं मिल पाता।

**वृद्धावस्था का निर्धारण करने वाले कारकों का कठिन कार्य है। क्योंकि विभिन्न समय में इसकी परिभाषाएँ बदलती रहती है :**

वृद्धावस्था का निर्धारण करने वाले कारकों का कठिन कार्य है। क्योंकि विभिन्न समय में इसकी परिभाषाएँ बदलती रहती है :

अनुसार वृद्धावस्था किसी व्यक्ति के जीवन के अंतिम भाग को कहा जा सकता है जो गिरते हुए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्वों से धीरे-धीरे कमी की ओर इशारा करता है और सक्रिय सामाजिक जीवन से शनैः-शनैः निवृत्ति की ओर जाने लगता है।

अनेक पश्चिमी समाजों में 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को वृद्ध माना गया। जब वे अपने नौकरी से अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को वृद्ध माना लिया गया है। भारतीय जनगणना विभाग ने भी इसी मानक को स्वीकृति दी है।

**वृद्धावस्था का समाजशास्त्र अब वैज्ञानिक समाजशास्त्र का विषय-वस्तु है और पूरे दुनिया में वृद्धावस्था से सम्बन्धित जोर-शोर से अध्ययन किये जा रहे हैं। जापान जैसे प्रगतिशील समाज में वृद्ध व्यक्तियों को पर्याप्त सम्मान एवं अधिकार प्राप्त और उन्हें समाज का भार न समझकर उन्हें एक आवश्यक उपहार माना जाता है। वृद्धावस्था से सम्बन्धित अध्ययन अब एक विज्ञान के रूप में शुरू हो गया है जिसे Gerontology अथवा वृद्धावस्था अध्ययन की संज्ञा दी गयी है। इसमें प्राणीशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, चिकित्साशास्त्री दृष्टिकोणों एवं वृद्धावस्था के समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था के समाजशास्त्र के अन्तर्गत आयु एवं सामाजिक परिवर्तन विभिन्न आयु के कार्यक्षमता, योग्यता तथा कार्य के प्रति प्रेरणा का अध्ययन किया जाता है और आयु से सम्बन्धित आर्थिक एवं समाज मनोवैज्ञानिक का भी अध्ययन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वृद्धावस्था गिरती हुई शारीरिक देवतक होता है। ये तीव्र एवं मन्द दोनों हो सकता है। यद्यपि वृद्धावस्था प्रक्रिया तेज होती है तो इसके समस्याजनक स्थिति बनती है।**

प्रसिद्ध समाजशास्त्री ईमाइल दुर्खीम के अनुसार जब तक समाज के सदस्य अपने सामाजिक वर्ग, आयु, लिंग अथवा सम्प्रदाय के साथ भलिभाँति बंधे होते हैं

प्रसिद्ध समाजशास्त्री ईमाइल दुर्खीम के अनुसार जब तक समाज के सदस्य अपने सामाजिक वर्ग, आयु, लिंग अथवा सम्प्रदाय के साथ भलिभाँति बंधे होते हैं

या आबद्ध होते हैं तब तक वे स्वस्थ व प्रसन्नचित होते हैं एवं वृद्धावस्था के कष्टों से कम प्रभावित होते हैं परन्तु जैसे ही वे समाज से विमुख हो जाते हैं समाज से कटा महसूस करने लगते हैं। वृद्धावस्था अनेक समस्याएँ बढ़ाने लगती है। वृद्ध व्यक्ति को कार्य से विरक्त कर दिया जाये तो उसके वृद्धावस्था सम्बन्धी समस्याओं में वृद्धि हो जाती है। अतः समाज एवं समुदाय से बंधे होने पर वृद्धावस्था से सम्बन्धित कष्टों से रक्षा होती है। अनेक पश्चिमी विद्वानों द्वारा जो अध्ययन किये गये हैं। उनमें आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए पश्चिमी समाजों में वृद्धावस्था पेंशन तथा वृद्धावस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। परन्तु वृद्धावस्था पर अध्ययन का यह उपागम अत्यन्त सीमित है। वृद्धावस्था के समाजशास्त्र के अन्तर्गत वृद्धावस्था से सम्बन्धित समस्त समस्याएँ चाहे वह समाजशास्त्रीय, आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा समाज मनोवैज्ञानिक हो शामिल किया जाना अनिवार्य है।

#### o) कोLFkk %Hkkjrh; ifji( ; %

जैसा की पूर्व में उल्लेखित किया गया है कि भारत वर्ष में वृद्धावस्था को कोई समस्या नहीं माना गया है। यहाँ जाति, ग्रामीण समुदाय एवं संयुक्त परिवार ऐसे संस्थाएँ रही हैं जिनमें वृद्ध व्यक्तियों को पर्याप्त सम्मान एवं अधिकार प्राप्त थे। परिवार एवं समुदाय में प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयों में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। उन्हें संयुक्त परिवार का मुखिया माना जाता था तथा परिवार के सभी धार्मिक, सामाजिक एवं वैवाहिक कार्य के रूप में उनके सलाह जरूरी थी। परन्तु धीरे-धीरे इस स्थिति में परिवर्तन होने लगा है। खासतौर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र हो गयी जिनके फलस्वरूप संयुक्त परिवार प्रथा ग्रामीण परिवार टूटने लगा। अब लोग संयुक्त परिवार के अपेक्षा एकाकी परिवारों की प्राथमिकता देने तथा समाज में नवयुवकों एवं स्त्रियों को अधिक सम्मान तथा अधिकार प्राप्त होने लगे हैं। साथ ही साथ पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण समाज में भौतिकतावादी एवं व्यक्तिवादी मनोवृत्तियों का विकास भी होने लगा। नगरों में वृद्धजनों के लिए पृथक आवास की कमी, सेवानिवृत्ति, आर्थिक स्थिति में ह्रास, वैकल्पिक व्यवस्थाओं की कमी तथा वृद्ध व्यक्तियों के प्रति समाज के मनोवृत्ति प्रदर्शित होने लगा। फलस्वरूप वृद्ध व्यक्तियों को अब अपने परिवारजनों, ग्रामीण समुदाय, पास-पड़ोस, मित्र मंडली, रिश्तेदारों इत्यादि सभी से उपेक्षा की भावना प्राप्त होने लगी जिसमें उन्हें दुःख एवं अवसाद होने लगा जिससे उनके सामने सामंजस्य की समस्याएँ उत्पन्न होने लगी। इस प्रकार से भारतीय समाज में वृद्धजनों एवं नवीन पीढ़ी के

बीच एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी। यह भारतीय समाज के लिए एक नवीन परिस्थितियों की ओर इशारा करता है। भारतीय समाज में वृद्धावस्था को एक समाजिक समस्याओं के रूप में भी देखा गया है। भारत वर्ष में अभी भी वृद्धजनों की सहायता एवं उनके पुनर्वास के लिए आधुनिक संस्थाएँ विकसित नहीं हो पाये। पर्याप्त साधनों एवं उनके बीच बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गयी है। इस प्रकार से भारत में वृद्धजनों के समाजशास्त्र के अन्तर्गत वृद्धजनों को समाजिक परिस्थिति, उनके व्यवसायिक परिस्थिति में ह्रास, उनकी गिरती हुई मानसिक प्रस्थिति, उनके उपेक्षा की भावना, सगे सम्बन्धियों द्वारा दुर्व्यवहार अन्तरपीढ़ी में संघर्ष उनके अकेलापन एवं निराशा की भी भावना विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं को सम्मिलित किया गया। यह वृद्धावस्था सम्बन्धी समस्याएँ कारण एवं परिणाम तथा परिवार के विघटन एवं संकट दोनों का देवतक माना जा सकता है।

#### **vud fpr tkfr; k dso) tu dk l eko\$ku %**

वृद्धावस्था एक सार्वभौमिक जैविकीय मनोवैज्ञानिक आयु मूलक अवधारणा है। लेकिन अलग-अलग समाजों में सांस्कृतिक तत्वों में विभिन्नता होने के कारण विभिन्न समाजों में वृद्धावस्था की अलग-अलग समस्याएँ हैं। भारतीय समाज परम्परागत रूप से वर्ण एवं आगे चलकर जाति श्रेणीक्रम में विभक्त हो गया जिसमें दलित या अस्पृश्य जातियों को अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अधिकारों से वंचित किया गया। यह वंचना अनुसूचित जाति के वृद्धजनों पर भी लागू होती है। तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज में दूसरे अन्य समूह के वृद्धजनों के सापेक्ष अनुसूचित जाति के वृद्धों की मनो-जैविकीय समस्याओं के अतिरिक्त सामाजिक समस्याएँ अलग हैं।

#### **vud fpr tkfr dh vo/kkj .kk %**

अस्पृश्यों के लिए 'अनुसूचित जाति' शब्द साइमन कमीशन द्वारा 1935 में प्रयोग किया गया। 1935 के विधान में इन लोगों को कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से एक अनुसूची तैयार की गयी जिसमें विभिन्न अस्पृश्य जातियों को सम्मिलित किया गया। इनके लिए तैयार की गयी सूची में जिन अस्पृश्य जातियों को रखा गया। उन्हें अनुसूचित जातियाँ कहा गया।

साइमन कमीशन ने किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए 13 आधार बताये हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- क्या वह जाति उच्च जाति को अपने स्पर्श या निकटता से अपवित्र करती है?
- क्या वह जाति मन्दिरों में प्रवेश कर सकती है?
- क्या वह जाति स्कूलों, कुओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग से वंचित की जाती है?

- क्या उस जाति के लिए ब्राह्मण पुरोहित का कार्य कर सकते हैं?
- क्या उस जाति के लिए दर्जी, नाई, कहार आदि कार्य कर सकते हैं?

जहाँ एक ओर भारतीय समाज को क्षैतिज रूप में बाँटा गया वहीं जातीय आधार पर हिन्दुओं का विभाजन किया गया और जनसंख्या के एक बड़े भाग को दलित वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।

अनुसूचित जातियों में व्याप्त गरीबी व बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए हमारे नीति नियामकों को शुरू से ही इस बात का आभास हो गया था कि संवैधानिक प्रावधानों व अन्य प्रोत्साहनों से ही इनकी समस्या का निदान सम्भव नहीं है। इस समस्या के निदान हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों ने अनेक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन विकास कार्यक्रमों में इनके लिए अनेक रियायत दिये गये थे। वैसे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही अनुसूचित जातियों के विकास हेतु विशेष प्रयत्न किये गये थे। परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) की अवधि में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय विषाद नीति योजना बनाई गयी थी। यह तीन योजनाओं का सम्मिश्रण थी :

1. केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों की विशेष उपादान योजनायें।
2. राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए विशेष उपादान योजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता।
3. राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम।

विशेष उपादान योजनाएँ विकास की ऐसी परियोजनाओं की पहचान पर विचार करती है जो अनुसूचित जातियों को लाभ पहुँचायेगी। इसका व्यापक उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जातियों के परिवारों की आय में भरपूर रूप से वृद्धि हो। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विशेष घटक योजनाओं के लिए 4481 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

विकास की नयी रणनीतियों के तहत यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति में तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों रूप में वृद्धि हो। आधुनिक धन आधारित समाज में मात्र सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों में परिवर्तन से सम्पूर्ण समस्या का आंशिक निदान नहीं हो सकता है। डॉ० अम्बेडकर भी यह मानते थे कि सामाजिक-सांस्कृतिक दासता के उन्मूलन के साथ आर्थिक विकास के बिना दलितों का उद्धार सम्भव नहीं है।

#### I UnHkZ xJFk&I pph %

1. Nortin M. Hadler : **Rethinking Aging : Growing Old and Living Well in an overtreated Society**, University of North Carolina Press, 2011.

2. Erdman B. Palmore; Frank Whittington; Suzanne Kunkel : **The International Handbook on Aging : Current Research and Developments**, Praeger, 2009 (3<sup>rd</sup> edition).
3. Lillian B. Rubin : **The Truth About Aging in America**, Beacon Press, New York, 2007.
4. Lan Stuart-Hamilton : **The Psychology of Ageing : An Introduction**, Jessica Kingsley, New York, 2006.
5. Roberto Cabeza; Lars Nyberg; Denise Park : **Cognitive Neuroscience of Aging : Linking Cognitive and Cerebral Aging**, Oxford University Press, 2005.
6. Jon F. Nussbaum; Justine Coupland : **Handbook of Communication and Aging Research**, Lawrence Erlbaum Associates, 2004 (2<sup>nd</sup> edition).
7. Saxena D.P. : **'Sociology of Aging'** Ashok Kumar Mittal, Concept Publishing Company, New Delhi, 2006.
8. Carroll L. Estes; Simon Biggs; Chris Phillipson : **'Social Theory, Social Policy and Ageing'** Open University Press, 2003.
9. Stephen B. Manuck; Richard Jennings; Bruce S. Rabin; Andrew Beum : **'Behaviour, Health and Aging'** Lawrence Erlbaum Associates, 2000.
10. Dandekar, Kumudini : 'The Elderly in Indian', Sage Publications, New Delhi, 1996.
11. Kumar, Sanjay : **'Aging of Population : An Investigation in Indian Context'**, In Indira Jai Prakash (ed.) Quality Aging, Association of Gerontology (India), Varanasi, pp. 55-75, 1991.
12. Ambedkar, B.R. : **'Mr. Gandhi & the emancipation of untouchables'**, Bombay, 1943.
13. Ambedkar, B.R. : **'The Untouchables'**, Amrit Book Company, New Delhi., 1948.
14. Ambedkar, B.R. : **'Who are Shudras'**, Bombay, 1946
15. Amesur, C.A. : **'Welfare Services for the Aged and the Infirmer'**, Indian Journal of Social Work, 20(3), 1959.



## नव्या शोध पत्रिका ( सदस्यता फार्म )

प्रति,

प्रबन्ध सम्पादक

नव्या,

मैं शोध पत्रिका नव्या का आजीवन सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ ।

नाम .....

पद .....

पता (कार्यालय) .....

आवास .....

दूरभाष (कार्यालय) .....

(आवास) .....

(फैक्स) .....

(ई-मेल) .....

नकद राशि .....

डी.डी. नम्बर ..... दिनांक .....

बैंक का नाम .....

### प्रकाशन अवधि अर्द्धवार्षिकी ( दिसम्बर-जुलाई )

आजीवन सदस्यता : रुपये 5,000/-

संस्थागत सदस्यता : रुपये 8,000/-

एक अंक : रुपये 1500/-

नव्या के आजीवन सदस्यता शुल्क के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट भेजें, जो वाराणसी के लिए देय होगा । डी.डी. फार्म के साथ निम्न पते पर भेजें -

प्रबन्ध सम्पादक :

**डॉ० अशोक कुमार श्रीवास्तव**

एन. 9/38 एफ-3, विश्वनाथ पुरी कालोनी,

पटिया, वाराणसी, (उ.प्र.)

सम्पर्क सूत्र- 9415816189, 9455155686, 8115355977

**E-mail-** navyashodhpatrika@gmail.com

navyashodhpatrika@yahoo.co.in